

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17-दिसम्बर 23, 2011 (अग्रहायण 26, 1933)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17-DECEMBER 23, 2011 (AGRAHAYANA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as REKHA DEVI alias CHAMELI DEVI wife of Sh. ASHOK BIHARI SRIVASTAVA, employed as Medical Assistant in the Ordnance Clothing Factory Hospital, Shahjahanpur, residing at the 260/2/H Type Factory Estate O.C.F., Shahjahanpur, have changed my name and shall hereafter be known as REKHA DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA DEVI alias CHAMELI DEVI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAKESH KUMAR son of Sh. UTTAM KUMAR BHAGAT, residing at At. Post. Dighree, Distt.-Katihar, State Bihar, Pin-854105, have changed my name and shall hereafter be known as RAKESH ANAND.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKESH KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJINDER KUMAR son of Sh. SAMUAL/Smt. SURJIT KAUR, employed as Private Cook in International Hotel & Beer-Bar, Ferozepur City (Punjab), residing at 407, Gawal Mandi, Ferozepur Cantt., have changed my name and shall hereafter be known as RAJINDER SONI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJINDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMANDEEP KAUR wife of Sh. PRITPAL SINGH SAROYA, residing at FIU-130, Vishakha Enclave, Pitampura, New Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as RAMANDEEP KAUR SAROYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMANDEEP KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NAVNEET KUMAR son of Sh. VIJAY SINGH, employed as Pilot (Trainee) with Air India, residing at 116-B, Humanyun Pur, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as NAVNEET PHOGAAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAVNEET KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DURGESH KHANNA wife of Sh. NARESH KUMAR SATIJA, employed as Doctor in the Private Practice, residing at 141, Kalyan Vihar, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as SHAMMI SATIJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DURGESH KHANNA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SONU daughter of Sh. HARI RAM, residing at F-64/5, Chattarpur Extn., New Delhi-110074, have changed my name and shall hereafter be known as SNEHA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SONU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHHOTOO SINGH son of Sh. BABU LAL, employed as Sub Inspector in the Delhi Police, residing at Flat No. 517, Sector 7, Pushp Vihar, New Delhi (Permanent Add. Village-Sarauth, PO-Mai, Distt. Hathras, UP), have changed my name and shall hereafter be known as ABHINENDRA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHHOTOO SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHASHI KUMAR son of Sh. BADRI NARAYAN, residing at D-394, Gokal Puri, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as SANDEEP KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHASHI KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANITA RANI daughter of Sh. RAVINDER KUMAR, employed as Staff Nurse in the Maharishi Valmiki Hospital Pooth Khurd, Delhi-39, residing at Flat No. 630, Ground Floor, Pocket 00, D Block, Avantika, Sector-1, Rohini, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as HEENA ALAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA RANI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNIL KUMAR son of Sh. BISHAMBER DEV, employed as Dy. Manager (Finance) in the Hero Moto Corp Ltd. (Formerly known as Hero Honda Motors Ltd.), Dharuhera, Haryana, residing at 373/6, Jacob Pura, Gurgaon, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as SUNIL JAITLEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DIGAMBER SINGH son of Late TOTA RAM, employed as Draftsman Grade-II in the Office of Executive Engineer 'K' Division, CPWD, 1st Floor, I.P. Bhawan, New Delhi, residing at 60, Prakash Vihar, Palwal, Distt. Palwal, Haryana-121102, have changed my name and shall hereafter be known as DIGAMBER SINGH KAUSHIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DIGAMBER SINGH
[Signature (in existing old name)]

CHANGE OF RELIGION

I, ANCHAL GARG D/o Sh. KUNWAR BAHADUR VISHNOI, employed as Aaliya Exports in the Proprietor, residing at 12-A, Street No. 9, Brijpuri Extension, Khureji, Delhi-110051, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced Muslim Community and renounced Hindu Community with effect from 29th October, 2011.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANCHAL GARG
[Signature]

PUBLIC NOTICE

I, SHARDA PRASAD BADRIYA son of Late RAM GOPAL, employed as Durwan under T. No. S.O./378/002469 in the Ordnance Factory Khamaria, Jabalpur (MP), residing at 3120, Chandmari Puncsil School Ke Aage near Rajaram Kirana Stores, Lalmati, Jabalpur (MP). My name wrongly reflected as SHARDA PRASAD BADRIYA in the Service Record, have changed my name and shall hereafter be known as SHARDA PRASAD KUSHWAHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHARDA PRASAD BADRIYA
[Signature]

I, KALU SINGH son of Late RATI RAM, residing at B-147, Block-B, Gali No. 2, Bhagirathi Vihar, Delhi-110094, do hereby declare for general information that my name has been wrongly written as KALU RAM SINGH in the School Educational Documents record of my real son named MANOJ KUMAR. My actual name is KALU SINGH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KALU SINGH
[Signature]

I, MOLIJIT LALL wife of Sh. JARNAIL SINGH LALL, residing at B2/77, 2nd Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, do hereby declare for general information that my name has been wrongly written as MOLIJIT SINGH in the Secondary School Examination Certificate of Class-X of my daughter, SONALIKA SINGH, Roll No. 8176195. My actual name is MOLIJIT LALL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOLIJIT LALL
[Signature]

I, MOHAMMAD ISLAM son of Sh. BUNDU, residing at 296, Street No. 6, Zakir Nagar, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi declare that the name of my father in my Educational Certificates was wrongly mentioned as RAEES AHMAD instead of BUNDU. My father's actual name is BUNDU which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMAD ISLAM
[Signature]

बीसई लिमिटेड

क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज ("आईपीएफ") को अतिरिक्त कारोबार स्थल उपलब्ध कराने के लिए विवाचन और व्यापार गारंटी निधि के संबंध में एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड की नियमावली, उप-विधि तथा विनियमावली में उप-विधि 12.43, 15.2 (ii ए) तथा 16.3ए जोड़ना

यथा प्रतिभूति संविदा(विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 10(4) के अंतर्गत कोई भी उप-विधि सृजित करना अथवा उसमें आशोधन करना अथवा संशोधन करना उसके पूर्व प्रकाशन में दी गई शर्तों के अधीन होता है।

अब, अतः, बीसई लिमिटेड (द एक्सचेंज), एतद्वारा एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड की नियमावली, उप-विधि तथा विनियमावली में प्रस्तावित उप-विधि 12.43, 15.2 (ii ए) तथा 16.3ए को प्रकाशित करता है।

एक्सचेंज के सदस्यों तथा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के बीच विवाचन

12.43 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड("सेबी") के अधीन तथा उसके द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार और/अथवा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं एक्सचेंज के बीच यथा सहमति के अनुसार एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड के "सदस्यों के बीच विवाचन" संबंधी प्रावधान (I) क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों तथा एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड के सदस्यों के बीच, और (II) क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के बीच विवाचन के लिए भी लागू होंगे।

15.2(ii ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड("सेबी") के अधीन तथा उसके द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार और/अथवा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं एक्सचेंज के बीच यथा सहमति के अनुसार क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड के फ्लोर पर/व्यापार प्रणाली द्वारा किए गए वास्तविक व्यापार/लेनदेन के वित्तीय निपटान की गारंटी भी निधि देगी। इस उप-विधि में निहित "व्युत्पन्नी खंड निपटान गारंटी निधि" से संबंधित प्रावधान, जिस सीमा तक लागू हो सकें, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा इस खंड में किए गए लेनदेन के लिए भी लागू होंगे।

16.3 ए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड("सेबी") के अधीन तथा उसके द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार और/अथवा क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं एक्सचेंज के बीच यथा सहमति के अनुसार निवेशक सुरक्षा निधि का उपयोग क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड में किए गए वास्तविक व्यापार/लेनदेन के लिए भी किया जाएगा। इन उप-विधियों में निहित "निवेशक सुरक्षा निधि" से संबंधित प्रावधान, जिस सीमा तक लागू हो सकें, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा इस खंड में किए गए लेनदेन के लिए भी लागू होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में यदि कोई टिप्पणी करना चाहता है तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर उस आशय का प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित पते पर कर सकता है:

कंपनी सचिव

बीसई लिमिटेड

25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभाय टावर

दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400001

कृ. बीसई लिमिटेड

तारीख: 18 अक्टूबर, 2011

स्थान: मुंबई

नीना जिंदल

कंपनी सचिव

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी विशेष याचिका (स) 21686/2006 के अंतर्गत महेश रतिलाल शाह विरुद्ध भारतीय संघ प्रदेश और अन्य में पारित किये गये आदेशानुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियम और उप-विधि प्रकाशित किये जा रहे हैं।

नियम, उप-विधियां तथा विनियम, 1957

परिचायक

लघु शीर्षक

1. (क) इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों को "स्टॉक एक्सचेंज नियमावली, उप-विधियां तथा विनियमावली, 1957" कहा जाएगा।

प्रारम्भ होना

- (ख) ये उस तारीख को लागू होंगे जो इस संबंध में गवर्निंग बोर्ड नियत करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

अधिनियम तथा सांविधिक नियमों के अधीन

2. ये नियम, उप-विधियां तथा विनियम प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के उपबंधों के अधीन पढ़े जाएंगे।

नियम

शीर्षक

सहयोजन का शीर्षक

1. ¹(इस सहयोजन को "दि नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोएशन" तथा "दि स्टॉक एक्सचेंज" को अब से "बीएसई" के नाम तथा अभिनाम से जाना जाएगा)।
- 1.क ²(वाक्यांश "स्टॉक एक्सचेंज" जहां कहीं भी इस नियमावली, उप-विधि तथा विनियमावली में प्रयोग में आता है, उसका अभिप्राय "बीएसई" होगा)।
- 1.ख ³("बम्बई नाम" यहां कहीं भी इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में मुम्बई के संदर्भ में आता है, उसे "मुम्बई" पढ़ा जाएगा)।

¹गवर्निंग बोर्ड के 18.01.2001 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 10.01.2002 को अनुमोदित।

²गवर्निंग बोर्ड के 18.01.2001 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 10.01.2002 को अनुमोदित किया गया।

³गवर्निंग बोर्ड के 21.10.2003 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 06.02.2004 को अनुमोदित किया गया।

गठन तथा उद्देश्य

गठन

2. स्टॉक एक्सचेंज (इसके बाद से एक्सचेंज) उन व्यक्तियों से गठित होगा, जो इस समय लागू नियमों के अनुसार एक्सचेंज के सदस्य हैं या इसके बाद एक्सचेंज के विधिवत सदस्य बनाए जाएंगे और ऐसे सभी व्यक्ति चाहे वे इन नियमों के लागू होने से पहले या बाद में सदस्य बने हैं, वे एक्सचेंज के उन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों से नियंत्रित होंगे जो अभी लागू हैं या इसके बाद लागू होंगे।

¹[2(क) निम्नलिखित उपबंधों के अधीन तथा जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निम्नलिखित नियमों में निहित सभी उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, एक्सचेंज की किसी सदस्य कंपनी या वित्तीय निगम पर लागू होंगे।]

सदस्यता

3. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन, एक्सचेंज की सदस्यता में उस संख्या में सदस्य होंगे जो एक्सचेंज अपनी आम बैठक में समय-समय पर निर्धारित करे।

उद्देश्य

4. एक्सचेंज का गठन इसलिए किया गया है:

²प्रमुख उद्देश्य

- (i) दलालों तथा व्यापारियों के चरित्र तथा हैसियत की ³(जनहित में) सहायता करना तथा उसे सुरक्षा प्रदान करना तथा दलालों और व्यापारियों और प्रतिभूतियों में रूचि रखने वाले आम आदमियों के हितों को आगे बढ़ाना, सहायता करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना ⁴(जनहित में प्रतिभूतियों का सौदा करनेवाले, सही सौदों को सुनिश्चित करने के लिए), वाणिज्यिक सम्मान तथा निष्ठा के उच्च स्तर बनाए रखना, सम्मानजनक प्रयासों को आगे बढ़ाना उनमें निष्ठा जाग्रत करना तथा सम्यक व्यापार तथा कारोबार की न्यायपूर्ण तथा सम्य प्रयासों, व्यापार तथा कारोबार के दुराचरण को हतोत्साहित करना तथा उन्हें समाप्त करना, विवादों का निपटान करना तथा व्यवहार, प्रथा या शिष्टाचार के सभी प्रश्नों का समाधान करना।

भवन

- (ii) बम्बई में एक उपयुक्त भवन खड़ा करना, बनाना, उसका विस्तार करना तथा रखरखाव करना जिसे दलालों के हाल के प्रयोजनों लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिसे एक्सचेंज द्वारा यथानिर्धारित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, इस भव को हमेशा के लिए "दि सर दिन्शा पैटिट ब्रोक्स एक्सचेंजहाल" कहा जाएगा, तथा ऐसे अन्य भवन खड़े करना, उनका निर्माण करना तथा रखरखाव

¹ गवर्निंग बोर्ड के 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

करना जो आवश्यक या वांछनीय समझे जाएं¹ (एक्सचेंज या उसके सदस्यों या एक्सचेंज के उद्देश्यों और प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए) तथा ऐसे किसी भवन या भवनों में परिवर्तन करना, उसमें वृद्धि करना या उसे हटाना।

संपत्ति का अभिग्रहण

- (iii) एक्सचेंज² (के उद्देश्यों और प्रयोजनों) के लिए कोई भी चल या अचल संपत्ति का क्रय करना, पट्टे पर अन्यथा लेना तथा उसका विकास करना तथा कोई भी अधिकार या विशेषाधिकार और विशेषकर कोई भी जमीन, भवन, ईसमैट या सुरक्षित जमा वाल्ट;

सुरक्षित जमा वाल्ट

- (iv) ³(एक्सचेंज या उसके सदस्यों की सुविधा के लिए) प्रयोजनों के लिए सुरक्षित जमा वाल्ट का प्रयोग।

संपत्ति का प्रबंधन तथा उसका निपटान

- (v) एक्सचेंज के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए एक्सचेंज की सारी या कुछ संपत्ति और विशेषकर एक्सचेंज की संपत्ति का बीमा करना, उसका प्रबंध करना, उसका विकास करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना, पट्टे पर किराए पर देना, सबलैट करना, गिरवी रखना, ⁴(उसका लेखा रखना, उसका निपटान करना या अन्यथा कार्यवाई करना)।

धन उधार लेना

- (vi) एक्सचेंज के⁵ [उद्देश्यों तथा] प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों और इस प्रकार के धन उधार लेना या जुटाना और प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति के बिना⁶ (जैसा कि समय समय पर निर्धारित किया जाएगा)⁷ [और विशेषकर डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड या अन्य प्रतिभूतियां जारी करके बशर्ते कि हमेशा और यह स्पष्ट से घोषित किया जाता है कि ऐसे उधार का भुगतान केवल एक्सचेंज की निधियों, संपत्तियों और अन्य आस्तियों में से किया जाएगा और एक्सचेंज के न्यासियों या गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों या एक्सचेंज के सदस्यों, उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तरवर्तियों से नहीं जो इस प्रकार लिए गए उधार के लिए वैयक्तिक रूप से देयता के लिए बाध्य नहीं होंगे और एक्सचेंज की निधियों, संपत्तियों और अन्य आस्तियों के अपर्याप्त रहने पर ऐसे किसी व्यक्ति का अधिकार इस प्रकार लिए गए उधार की शर्तों के अनुसार उसके अंश तक सीमित रहेगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.68 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 16.08.71 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 26.08.71 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

⁷ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 16.08.71 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 26.08.71 को अनुमोदित।

निवेश

- (vii) एक्सचेंज के धन का निवेश करना या उसे अग्रिम पर देना जिसके तुरंत आवश्यकता नहीं है या प्रतिभूति पर या बिना किसी प्रतिभूति के तथा ब्याज पर या बिना ब्याज और ऐसे अन्य निवेशों में करना जिसका निर्धारण समय-समय पर किया जाता है।

भुगतान और संवितरण

- (viii) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए बाजार¹ (या निधियों या किसी संपत्ति का निपटान करना) में से भुगतान या संवितरण करना।

अभिदान

- (ix) धर्मार्थ² (उद्देश्यों) के लिए धन का अभिदान करना या गारंटी देना;

निधियां तथा न्यास

- (x) ³(एक्सचेंजके उद्देश्यों और प्रयोजनों को बढ़ाने के लिए) एक्सचेंजकी निधियों, न्यासों और सुविधाओं के गठन और सहायता करना करना।

⁴(समाशोधन गृह)

- (xi) (एक्सचेंज के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए समाशोधन गृह की स्थापना करना तथा उसका रखरखाव करना या समाशोधन गृह की स्थापना तथा रखरखाव करने के लिए व्यवस्था करना या एजेंट नियुक्त करना तथा उसके प्रयोग तथा प्रशासन को नियंत्रित तथा विनियमित करना।

लाइसेंस तथा विशेषाधिकार

- (xii) सरकार के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जो वांछनीय हों तथा⁵ (एक्सचेंज के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए) जो भी उचित समझे शक्तियां, अधिकार, लाइसेंस, विशेषाधिकार या रियायतें प्राप्त करना;

सूचना तथा प्रकाशन

- (xiii) व्यापार के संबंध में सांख्यिकीय या अन्य सूचना प्राप्त करना, संग्रहीत करना, उसे रखना तथा उसका प्रसार करना; पुस्तकालय का रखरखाव करना तथा एक्सचेंज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई समाचारपत्र, जर्नल, पत्रिका, पैम्पलेट या अन्य का मुद्रण, प्रकाशन, लेना, उसका प्रबंध करना तथा आगे बढ़ाना;

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

² अधिशासी बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.11.68 के संकल्प द्वारा बदला गया तथा सरकार द्वारा 24.11.68 को अनुमोदित।

अन्य निकायों की सदस्यता

(xiv) ऐसी किसी भी संस्था में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके उद्देश्य एक्सचेंज द्वारा प्रतिनिधिक हितों को आगे बढ़ाना है या सामान्य वाणिज्यिक तथा व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना है, में अभिदान करना, सदस्यता बनना तथा उससे सहयोग करना तथा ऐसी संस्थाओं से ऐसी सूचना प्राप्त करना तथा उन्हें देना जो एक्सचेंज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाए या उसमें व्यापार की या उसके हित की सुरक्षा करें; तथा

¹(xv) [एक्सचेंज की सभी या कुछ संपत्ति, अधिकारों तथा देयताओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी कंपनी या कंपनियों या सहायक कंपनियों या अन्यथा का गठन, संवर्धन तथा पंजीकरण जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एक्सचेंज को लाभ पहुंचाएं और एक्सचेंज के सभी या किसी प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां का निपटान। कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता का अधिकार या उससे सम्बद्ध अधिकार या विशेषाधिकार को एसाइन नहीं करेगा, गिरवी, दृष्टिबंधक या प्रभार नहीं रखेगा और ऐसा कोई भी प्रयास एक्सचेंज के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा और एक्सचेंज द्वारा उसमें सदस्य के वैयक्तिक अधिकार या हित को छोड़कर किसी और अधिकार या हित को मान्यता नहीं दी जाएगी।]

प्रासंगिक शक्तियां

²(xvi) (उपर्युक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो प्रासंगिक हों या सहायक हों)

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 08.04.85 के संकल्प द्वारा बदला गया और सरकार द्वारा 07.06.85 को अनुमोदित किया गया।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 08.04.85 के संकल्प द्वारा नई संख्या दी गई और सरकार द्वारा 07.06.85 को अनुमोदित किया गया।

सदस्यता तथा नामांकन

सदस्यता एक वैयक्तिक विशेषाधिकार

5. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन सदस्यता के साथ जुड़े अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक्सचेंज से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

सदस्यता का अधिकार अहरणीय है

6. कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता का अधिकार या उससे सम्बद्ध अधिकार या विशेषाधिकार का समनुदेशन नहीं करेगा, गिरवी, दृष्टिबन्धक या प्रभार नहीं रखेगा और ऐसा कोई भी प्रयास एक्सचेंज के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा और एक्सचेंज द्वारा उसमें सदस्य के वैयक्तिक अधिकार या हित को छोड़कर किसी और अधिकार या हित को मान्यता नहीं दी जायेगी। गवर्निंग बोर्ड ऐसे किसी भी सदस्य को निष्कासित कर देगा जो इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है।

नामांकन का अधिकार

7. इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी सदस्य को नामांकन कराने का अधिकार होगा जो वैयक्तिक होगा और गैर-हस्तांतरणीय होगा। पूर्व सदस्य द्वारा नामांकन करने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पूर्व सदस्य द्वारा नामांकन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा

8. एक्सचेंज के किसी नियम, उप विधि या विनियम के अधीन जिस सदस्य को निष्कासित किया गया है या जो सदस्य नहीं रहा, वह नामांकन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

मृत या चूककर्ता सदस्य द्वारा नामांकन का अधिकार

9. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या सदस्य द्वारा चूक करने पर, उसको नामांकन का अधिकार समाप्त हो जाएगा और एक्सचेंज को मिल जाएगा।

जब्त या समाप्त हो गई सदस्यता

10. एक्सचेंज के किसी नियम, उप विधि या विनियम के अधीन जब सदस्यता का अधिकार जब्त हो जाता है या एक्सचेंज को मिल जाता है, तो वह ऐसे सदस्य या ऐसे सदस्य के माध्यम से किसी व्यक्ति के सभी अधिकारों, दावों या हित से मुक्त पूरी तरह से एक्सचेंज को मिल जायेंगे तथा गवर्निंग बोर्ड जैसा वह उचित समझे ऐसी सदस्यता के अधिकार के साथ व्यवहार या उसका निपटान करने का पात्र होगा।

सदस्य द्वारा नामांकन

- ¹(11). (क) तीन वर्ष से अनधिक की सदस्यता वाला सदस्य जो त्यागपत्र देना चाहता है, अपने स्थान पर सदस्यता के लिए इन नियमों के अधीन पात्र किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है;

बशर्ते कि तीन वर्ष से कम की सदस्यता वाला सदस्य यदि त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी से अपने स्थान पर सदस्यता के लिए इन नियमों के अधीन पात्र अपने पुत्र का नामांकन कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि गवर्निंग बोर्ड, पूर्णतया अपने विवेकाधिकार पर और अपवादात्मक मामलों में, ऐसे ठोस कारणों के आधार पर जिन्हें लिखत रूप में रिकार्ड किया जाएगा, विशेष संकल्प द्वारा तीन वर्ष से कम अवधि की सदस्यता वाले सदस्य को, जो त्यागपत्र देना चाहता है, अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को नामित करने की अनुमति उन शर्तों पर दे सकता है जो गवर्निंग बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्धारित करे।

बशर्ते यह भी कि तीन वर्ष से कम की सदस्यता वाला सदस्य गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी से निम्नलिखित शर्तों पर किसी कंपनी का नामांकन कर सकता है: नामतः

- (i) वह ऐसी कंपनी का निदेशक उतने वर्ष के लिए होगा जिससे उसकी सदस्यता तीन वर्ष की हो जाती यदि उसने सदस्यता से त्यागपत्र न दिया होता;
- (ii) वह उप खंड (i) में उल्लिखित अवधि के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी में 51 प्रतिशत से अनधिक धारित रखेगा; और
- (iii) कंपनी नियम 19क के अनुसार सदस्यता के लिए पात्र है।)

मृत सदस्य के मामले में नामांकन

- (ख) मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि या उसके वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित व्यक्ति मृत सदस्य के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी से इन नियमों के अधीन पात्र किसी व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामित कर सकते हैं। ऐसे नामांकन पर विचार करते समय गवर्निंग बोर्ड जहां तक व्यावहारिक होगा इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित अनुदेशों से मार्गदर्शन लेगी।

चूककर्ता के मामले में नामांकन -

- (ग) चूक करने की तारीख से छह महीने के भीतर यदि चूककर्ता को फिर से सदस्यता मिल जाती है, तो उसकी जब्त सदस्यता उसे वापिस दे दी जाएगी लेकिन यदि गवर्निंग बोर्ड द्वारा फिर से सदस्यता के लिए चूककर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है या चूक की घोषणा से छह महीने के भीतर ऐसा आवेदन नहीं किया जाता, तो गवर्निंग बोर्ड ऐसी सदस्यता के संबंध में नामांकन के अपने अधिकार का कभी भी प्रयोग कर सकता है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 24.02.97 के संकल्प द्वारा बदला गया और सेबी द्वारा 21.03.97 को अनुमोदित किया गया।

नया नामांकन

12. यदि नामिती इन नियमों के अधीन पात्र नहीं है या गवर्निंग बोर्ड द्वारा नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता है तो एक्सचेंज का नया नामांकन प्रस्तुत किया जा सकता है।

नामांकन का फार्म

13. नामांकन इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित फार्म या ऐसे किसी अन्य फार्म में किया जाएगा जो गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे और नामनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आवेदन प्राप्त करने पर ही जारी किया जाएगा और आवेदन में नामिती का पूरा नाम और हस्ताक्षर होने चाहिए।

नामांकन का नोटिस

14. प्रस्तावित नामांकन का नोटिस कम से कम प्रन्द्रह दिन के लिए एक्सचेंजके नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। सदस्य ऐसा नोटिस लगाने के चौदह दिन के भीतर सदस्य के विरुद्ध या जिसका नामांकन किया गया है उसके विरुद्ध अपना दावा फाइल करेंगे और इस प्रकार फाइल न दिए गए किसी भी दावे पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

देय राशियां और दावे

15. गवर्निंग बोर्ड नामांकन का अनुमोदन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नामांकन करने वाला सदस्य या मृत सदस्य के मामले में उसकाक विधिक प्रतिनिधि या वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से पूरी तरह से।

एक्सचेंजको देय राशियां

- (i) नामांकन करने वाले या मृत सदस्य द्वारा एक्सचेंजया समाशोधन गृह का देय अभिदान, उधार, जुर्माना, प्रभार तथा अन्य राशियां जिसका निर्धारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा; और

संविदाओं के संबंध में देयताएं

- (ii) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन गवर्निंग बोर्ड द्वारा यथास्वीकृत, ऐसे सदस्य द्वारा संविदा के अंतर्गत उधार, देयताएं, दायित्व तथा दावें;
¹ तथा
- (iii) नामांकन करने वाले या मृत सदस्य द्वारा व्यापार गारंटी निधि को देय सभी देय राशि राशियों का भुगतान योग्य राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

¹ सेबी के दिनांक 09.05.97 के संकल्प द्वारा बदला गया और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.97 को अनुमोदित किया गया।

प्राथमिकता के क्रम में आबंटन

- ¹16. (1) उप नियमों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड ने सदस्यता के संबंध में नामांकन का अधिकार एक्सचेंज में निहित कर दिया हो तो, इसके लिए प्राप्त राशि का निम्नलिखित प्रयोजनों और प्राथमिकता के लिए किया जाएगा नामतः

एक्सचेंज तथा समाशोधन गृह को देय राशियां

- (i) पहला - पूर्व सदस्य जिसका सदस्यता का अधिकार एक्सचेंज में निहित हो गया है, द्वारा गवर्निंग बोर्ड समाशोधन गृह² (या व्यापार गारंटी नियम) को देय अभिदान, उधार, जुमनि, शुल्क, प्रभार तथा अन्य राशियां संविदाओं के संबंध में देयताएं।

संविदाओं के संबंध में देयताएं

- (ii) दूसरा - एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन पूर्व सदस्य द्वारा संविदा के कारण गवर्निंग बोर्ड द्वारा यथा स्वीकार्य उधार, देयताओं तथा दावों का भुगतान।

प्रावधान किया जाता है कि यदि उपलब्ध राशि ऐसे सभी उधारों, देयताओं, दायित्वों तथा दावों का पूरा भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो उनका भुगतान समानुपातिक आधार पर किया जाएगा; और

अधिशेष राशि

- (iii) तीसरा - यदि कोई अधिशेष हो तो उसका भुगतान एक्सचेंज को - बशर्ते कि आम बैठक में एक्सचेंज अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर यह निदेश दे सकता है कि जैसा कि वह उचित समझे ऐसे अधिशेष का किस प्रकार निपटान किया जाए।

- ³16.(2) इस नियम के खंड (1) के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां गवर्निंग बोर्ड ने सदस्य के चूककर्ता घोषित होने या इस संबंध में गवर्निंग बोर्ड द्वारा बाद की किसी तारीख को सदस्यता के अधिकार का प्रयोग किया है।

राशि का उपयोग

- ⁴16.(क) किसी सदस्य के चूककर्ता घोषित कर दिया जाने या नियम 16 के खंड (2) के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा बाद की तारीख विनिर्दिष्ट करने पर गवर्निंग बोर्ड ने सदस्यता के नामांकन का अधिकार एक्सचेंज में निहित कर दिया है, तो उसके लिए प्राप्त राशि का भुगतान गवर्निंग बोर्ड द्वारा चूककर्ताओं की समिति को कर दिया जाएगा जिसका एक्सचेंज की उप-विधियों तथा विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तक कम होगा।

¹ सेबी द्वारा दिनांक 09.05.97 को नयी संख्या दी गयी और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.05.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

² सेबी द्वारा दिनांक 09.05.97 को जोड़ा गया और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.05.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

³ सेबी द्वारा दिनांक 09.05.97 को जोड़ा गया और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.05.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

⁴ सेबी द्वारा दिनांक 09.05.97 को नयी संख्या दी गयी और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.05.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

नए सदस्यों का चुनाव

पात्रता की शर्तें

17. कोई भी व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि -

आयु

- (i) वह इक्कीस वर्ष से कम आयु का है;

राष्ट्रिकता

- (ii) वह भारत का नागरिक नहीं है:

प्रावधान किया जाता है कि केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से गवर्निंग बोर्ड उपयुक्त मामलों में इस शर्त से छूट दे सकता है;

शैक्षिक अर्हता

- ¹(ii) [मैट्रिकुलेशन या 10+2+3 शैक्षिक प्रणाली में 10+2 से कम या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षिक अर्हता से कम अर्हता रखता है;

प्रावधान किया जाता है कि केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से गवर्निंग बोर्ड अपवादात्मक मामलों में इस शर्त से छूट दे सकता है;]

दिवालियापन

- (iii) उसे दिवालिया माना गया है या उसके विरुद्ध दिवालियापन का रिसीविंग आदेश दिया गया है या उसने अंतिम डिस्चार्ज प्राप्त कर लेने के बावजूद उसे दिवालिया प्रमाणित कर दिया गया है;

लेनदारों के साथ कम्पोजिशन

- (iv) उसने अपने लेनदारों से कंपाउंड दिया है जब तक कि उसने रुपए में सोलह आने का भुगतान नहीं कर दिया है;

धोखाधड़ी

- (v) उसे धोखाधड़ी या बेइमानी के लिए सजा दी गई है;

प्रतिभूतियों में लेनदेन कर रहे अन्य संघों या कंपनी के साथ संबंध।

- ¹(vi) हटा दिया गया है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.10.91 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा दिनांक 06.11.91 को अनुमोदित किया गया।

अन्य कारोबार

- ²(vii) (वह प्रतिभूतियों को छोड़कर किसी अन्य कारोबार में मूल पार्टी या कर्मचारी के रूप में जोड़ा है लेकिन इसका अपवाद वैयक्तिक वित्तीय देयता के संबंध में दलाल या एजेंट होगा जब तक कि वह ऐसे कारोबार को छोड़ने की घोषणा नहीं करता।

अन्य फार्वर्ड बाजारों से सम्बद्धता

- (viii) वह सम्बद्ध है या सदस्य है या अभिदान करता है जो शेयरधारक है या डिबेंचरधारक है या भागीदारी सम्बद्ध है या सदस्य का कर्मचारी है या किसी ऐसी कंपनी के सदस्य है या निदेशक है जो किसी अन्य संगठन, संस्था, संघ, कंपनी या निगम का सदस्य है जहां फार्वर्ड कारोबार चाहे वस्तुओं या पण्यों या अन्यथा में है जब तक कि वह वचन नहीं देता कि प्रवेश पाने पर ऐसा संबंध तोड़ देगा।

निष्कासित सदस्य या चूककर्ता

- ³(ix) [वह किसी भी समय किसी अन्य स्टाक एक्सचेंज द्वारा निष्कासित किया गया है या चूककर्ता घोषित किया गया है]

पिछली अस्वीकृत

- ⁴(x) [उसे सदस्यता के लिए पहले अस्वीकृत किया गया है लेकिन ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष गुजर गया है]

सदस्यता के लिए अर्हता

18. इन नियमों के अंतर्गत सदस्यता के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बनाया जाएगा जब तक कि

पिछला अनुभव

- (i) किसी सदस्य के साथ कम से कम दो वर्ष के लिए भागीदार के रूप में या प्राधिकृत क्लर्क या रैमिसिअर के रूप में कार्य न किया हो या सदस्य के साथ प्रशिक्षणार्थी न हो।

भागीदार या प्रतिनिधि सदस्य

- (ii) वह कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए भागीदार के रूप में किसी सदस्य के साथ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने और एक्सचेंज में अपने नाम में नहीं लेकिन किसी अन्य सदस्य के नाम से सौदे करने के लिए सहमत नहीं हो जाता; या

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.10.91 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा दिनांक 06.11.91 को अनुमोदित किया गया।

² गवर्निंग बोर्ड के 19.05.89 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सरकार द्वारा 28.03.90 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के 09.09.58 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के 09.09.58 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित।

स्थापित पारिवारिक कारोबार

- (iii) वह मृत या सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य के स्थापित कारोबार का उत्तराधिकारी है जो उसका पिता, अंकल, भाई या अधिवासी बोर्ड के मत में निकट संबंधी है;

¹[कार्य का अनुभव]

- (iv) अधिवासी बोर्ड के मत में उसके पास प्रतिभूति एक्सचेंज से संबंधित गतिविधियों का कम से कम दो वर्ष का अनुभव है]

वित्तीय सशक्तता

- (v) अधिवासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित और स्वीकार्य न्यूनतम शुद्ध राशि है; न्यूनतम नकदी की कार्यशील पूंजी है तथा/या विपणनीय प्रतिभूतियां हैं; तथा

- ²(vi) [वह एक्सचेंज द्वारा संचालित लिखित परीक्षा पास कर लेता है तथा कंपनी सदस्य के मामले में, नियम 19क(ख) के उप-खंड (v) के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य/निदेशक/अधिकारी एक्सचेंज द्वारा संचालित लिखित परीक्षा पास नहीं कर लेते]

बशर्ते कि एक्सचेंज उपर्युक्त शर्तों से छूट दे सकता है यदि बोर्ड के मत में सदस्यता का इच्छुक व्यक्ति हैसियत, प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ज्ञान तथा कारोबारी अनुभव के आधार पर वह अन्यथा सदस्यता के लिए पात्र है।

³अपात्र फर्म

- ⁴19. क) कोई भागीदारी फर्म एक्सचेंजकी सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगी;

⁵ख) हटा दिया गया है।

कंपनियां

- ⁶19.क.(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कंपनी एक्सचेंज की सदस्यता के लिए पात्र होगी यदि -

- (i) ऐसी कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 322 के उपबंधों के अधीन गठीत की गई है;

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.10.91 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 06.11.91 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 26.07.93 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 14.10.93 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.12.92 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 27.02.93 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा बदला गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.12.92 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 27.02.93 को अनुमोदित।

⁶ नियम 19(ग) को गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.12.92 के संकल्प द्वारा नई संख्या दी गई और सेबी द्वारा 27.02.93 को अनुमोदित।

(ii) ऐसी कंपनी के अधिकांश निदेशक ऐसी कंपनी के शेयर धारक हैं और एक्सचेंज के भी सदस्य हैं; तथा

(iii) ऐसी कंपनी के निदेशकों, जो एक्सचेंज के सदस्य हैं, की ऐसी कंपनी में असीमित देयता है;

बशर्ते कि यदि इस संबंध में केंद्र सरकार सिफारिश करती है तो एक्सचेंज का अधिवासी बोर्ड, इस खंड की आवश्यकताओं से छूट देते हुए, निम्नलिखित निगमों, कंपनियों या संस्थाओं (सामूहिक रूप से वित्तीय निगम कहलाने वाली) को सदस्य बना सकता है नामतः

- (i) औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;
- (iii) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम;
- (iv) साधारण बीमा निगम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 57) के अधीन गठित भारतीय साधारण बीमा निगम;
- (v) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1953 का 52) के अधीन गठित भारतीय यूनिट ट्रस्ट;
- (vi) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत एक कंपनी भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि.;
- (vii) (i) से (vi) विनिर्दिष्ट किसी निगम या कंपनी की सहायक संस्थाएं तथा व्यापारिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सहायक संस्था।

¹(19क.(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने की पात्र होगी यदि -

- (i) ऐसी कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार गठित की जाती है;
 - (ii) ऐसी कंपनी भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, 1992 (1992 का 57) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसी कंपनियों के पंजीकरण के भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं तथा मानदंडों का पालन करने का वचन देती है;
 - (iii) ²(हटा दिया गया है)
 - (iv) कंपनी के निदेशकों को भारतीय संविधा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 खंड (1) ((उप खंड 'ख' तथा) उप खंड च) या खंड 3 [उप खंड 'ड'] तथा 'ख' उप खंड 'च' को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए अपात्र नहीं किया गया है और कंपनी के निदेशकों ने ऐसी किसी कंपनी में निदेशक का पद धारित नहीं किया था जो स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य थी और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित की गई थी या निष्कासित कर दी गई थी; तथा
 - (v) कंपनी के कम से कम दो निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास
- (क) प्रतिभूतियों में सौदा करने; या

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.12.92 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 27.02.93 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 12.06.95 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 30.10.95 को अनुमोदित।

(ख) पोर्ट फोलियो प्रबंधक; या

(ग) निवेश सलाहकार) के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है।

कम्पोजिट कंपनी सदस्य तथा घटक सदस्य

- ¹19.ख.(i) जब एक्सचेंजके एक से अधिक सदस्य द्वारा गठित तथा नामित कंपनी को ऐसे सदस्यों या एक्सचेंजके कंपनी सदस्य के स्थान पर एक्सचेंजकी कंपनी सदस्यता दी जाती है या एक्सचेंजका कंपनी सदस्य नए सदस्यों के प्रवेश संबंधी प्रावधानों सहित एक्सचेंज के सभी लागू नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों को पूरा करती है ²(नामांकन द्वारा एक से अधिक सदस्यता अधिकार या नियमानुसार तथा उनके अधीन), ऐसा कंपनी सदस्य कम्पोजिट कंपनी सदस्य के रूप में जाना जाएगा और कम्पोजिट निगम सदस्य द्वारा धारित सदस्यता अधिकारों को कम्पोनैट सदस्यताओं के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) कोई भी कम्पोजिट कंपनी सदस्य सदस्यता के तथा सदस्यता में अंशदान के वे सभी पात्र मानदंड पूरा करेगा जो एक्सचेंज के कंपनी सदस्यों पर लागू तथा ऐसे सभी मानदंड जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड समय-समय पर लागू करे;
- (iii) कोई कम्पोजिट कंपनी सदस्य उन सदस्यता अधिकारों से अधिक अधिकार धारित नहीं करेगा जो अधिवासी बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करें;
- (iv) कम्पोजिट कंपनी सदस्य सेबी को देय प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, वार्षिक अभिदान तथा शुल्कों को भुगतान करेगा तथा प्रत्येक कम्पोनैट सदस्यता के संबंध में सदस्यता जमानत देगा;
- (v) कम्पोजिट निगम सदस्य इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों तथा अधिवासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार तथा उनके अधीन न्यूनतम राशि का भुगतान करेगा।
- (vi) कम्पोजिट कंपनी सदस्य की शुद्ध राशि की गणना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा एक्सचेंजके गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी तथा कम्पोजिट निगम सदस्य की शुद्ध राशि की गणना के लिए कम्पोनैट सदस्यता को कोई वैल्यु एसाइन नहीं किया जाएगा।
- (vii) एक्सचेंजके नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अनुसार कम्पोजिट निगम सदस्य को एक ही व्यापार अधिकार तथा एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड या स्थायी समिति में उसका एक ही प्रतिनिधि सदस्य होगा।
- (viii) एक्सचेंजके सदस्यों की बैठक में किसी कम्पोजिट कंपनी सदस्य को उतने ही मताधिकार प्राप्त होंगे जितने कम्पोजिट कंपनी सदस्य के कम्पोनैट सदस्यों की संख्या है।
- (ix) ³(कोई कम्पोजिट कंपनी सदस्य उसकी किसी कम्पोनैट सदस्य से सदस्यता अधिकार से।
- (क) कम्पोजिट कंपनी सदस्य द्वारा कम्पोनैट सदस्यता प्राप्त करने से तीन वर्ष।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.06.97 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 24.11.97 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 08.07.99 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 18.09.2000 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 15.02.2001 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 20.06.2001 को अनुमोदित।

- (ख) सदस्यता द्वारा उस कम्पोनैट सदस्यता प्राप्त करने की तारीख से छह महीने बाद यदि उस वक्त कम्पोजिट कंपनी सदस्य द्वारा धारित किसी अन्य कम्पोनैट सदस्यता को कम से कम तीन वर्ष हो गए हैं,

जिस कम्पोजिट निगम सदस्य से कम्पोनैट सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया है, उसकी सभी देयताएं, यदि कोई हो, कम्पोजिट कंपनी सदस्य की ही रहेगी।

- (x) यदि कोई कम्पोजिट कंपनी सदस्य अपनी कम्पोनैट सदस्यता/ओं से त्यागपत्र देना चाहता है, तो कम्पोजिट कंपनी सदस्य, नियमों के अन्य उपबंधों, उप-विधियों तथा विनियमों तथा ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार तथा अधीन जो गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर लगाएँ, इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति/यों को एक्सचेंजकी सदस्यता/ओं के लिए नामित कर सकता है जिससे कम्पोजिट कंपनी सदस्य त्यागपत्र दे रहा है; तथा कम्पोजिट कंपनी सदस्य, यदि कोई हो, शेष कम्पोनैट सदस्यता/ओ के संबंध में जारी रख सकता है।
- (xi) कम्पोजिट कंपनी सदस्य सभी कम्पोनैट सदस्यताओं के लिए केवल एक ही खाता बहियां रखेगा।
- (xii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, एक्सचेंजया एक्सचेंजकिसी समिति या किसी पदाधिकारी द्वारा भर्त्सना, चेतावनी, जुर्माने, निलंबन, निष्कासन, चूक या सदस्यता अधिकारों को हटा लेने, निलंबन या उन पर प्रतिबंध लगाने की कोई भी कार्रवाई कम्पोजिट कंपनी सदस्य की सदस्यता की सभी कम्पोनैट सदस्यताओं पर लागू होगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के खंड (xii) की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कारण से किसी कम्पोजिट कंपनी सदस्य द्वारा चूक घोषित करने या निष्कासन करने पर, कम्पोजिट कंपनी सदस्य अपनी सभी कम्पोनैट सदस्यताओं के संबंध में एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहेगा और इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार सभी कम्पोनैट सदस्यताएं और ऐसी सदस्यताओं के संबंध में नामांकन के अधिकार एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड में निहित हो जाएंगे।

- (xiii) यदि किसी कारण से कोई कम्पोजिट कंपनी सदस्य एक्सचेंजकी सदस्यता से अपात्र या अनर्हक हो जाता है, तो कम्पोजिट कंपनी सदस्य सभी कम्पोनैट सदस्यताओं के संबंध में एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहेगा और इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार सभी कम्पोनैट सदस्यताएं और ऐसी सभी सदस्यताओं के संबंध में नामांकन के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड में निहित हो जाएंगे।
- (xiv) जहां एक्सचेंज का कोई सदस्य किसी अधिकार या विशेषाधिकार को पाने का पात्र है या एक्सचेंज को कोई राशि देने के लिए बाध्य है या एक्सचेंज के प्रति देयता या दायित्व के लिए बाध्य है, और ये नियम, उप-विधियां तथा विनियम यह विनिर्दिष्ट नहीं करते कि कोई कम्पोजिट सदस्य ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने का पात्र है या कम्पोनैट सदस्यताओं के अनुपात में (कम्पोनैट कंपनी सदस्य) ऐसी राशि देने या ऐसी देयता या दायित्व का डिस्वार्ज के लिए बाध्य है या कम्पोनैट सदस्यताओं के होते हुए भी, कम्पोजिट कंपनी सदस्य केवल कम्पोजिट कंपनी सदस्य न होने वाले सदस्य के समान ही पात्र या देय है, इस संबंध में गवर्निंग बोर्ड संकल्प पारित कर सकता है।

नामांकन

20. एक्सचेंजमें निहित सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को छोड़कर कोई भी आवेदक इन नियमों में निर्धारित किए गए तरीके से नामांकन प्राप्त करेगा।

उम्मीदवारों की सिफारिश

21. सदस्यता के लिए उम्मीदवार की सिफारिश दो सदस्यों द्वारा की जाएगी। इनमें से कोई भी गवर्निंग बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए। सिफारिश करने वाले के पास उम्मीदवार के बारे में ऐसी वैयक्तिक जानकारी और उसकी पूर्व तथा वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जो गवर्निंग बोर्ड को संतुष्ट कर सके।

आवेदन का फार्म

22. सदस्यता के लिए आवेदन इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित फार्म या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाएगा और उस पर उम्मीदवार तथा उसकी सिफारिश करने वालों के हस्ताक्षर होंगे।

- ¹22क. किसी पात्र कंपनी या वित्तीय निगम 2 द्वारा सदस्यता के लिए आवेदन² (नियम 19क क अधीन उप-खंड (क) के अधीन) इन नियमों के परिशिष्ट ए-1 में निर्धारित फार्म या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य फार्म में किया जाएगा और कंपनी के मामले में कम-से-कम दो निदेशक हस्ताक्षर करेंगे, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक होगा जहां ऐसा वित्तीय निगम का प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक, यथास्थिति है। आवेदन के साथ कंपनी/वित्तीय निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प पारित की प्रति होनी चाहिए तथा वह अध्यक्ष, यदि कोई हो, द्वारा विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए, या कंपनी या वित्तीय निगम के किसी पूर्णकालिक निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए।

- ³22ख. [नियम 19क के उप-खंड (ख) के अधीन पात्र किसी कंपनी या वित्तीय निगम द्वारा आवेदन, इन नियमों के परिशिष्ट ए-II में निर्धारित फार्म या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाएगा और कंपनी के मामले में, कंपनी के कम-से-कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे (ऐसे निदेशक कंपनी के शेयर धारक होंगे) और वित्तीय कंपनी के मामले में, कम-से-कम दो निदेशकों द्वारा सदस्यता के लिए आवेदन इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित फार्म या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाएगा और उस पर उम्मीदवार तथा उसकी सिफारिश करने वालों के हस्ताक्षर होंगे।]

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 26.07.93 के संकल्प द्वारा बदला गया और सेबी द्वारा 14.10.93 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 26.07.93 के संकल्प द्वारा बदला गया और सेबी द्वारा 14.10.93 को अनुमोदित।

नोटिस

23. चुनाव की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक कपहले एक्सचेंजके नोटिस बोर्ड पर सिफारिश करने वालों के नाम सहित सदस्यता के प्रत्येक आवेदन का नोटिस दिया जाएगा।

¹(प्रावधान किया जाता है कि सदस्यता की नीलामी या एक्सचेंज द्वारा नई सदस्यता जारी करते समय कंपनी सदस्य या कम्पोजिट कंपनी सदस्यता के लिए आवेदन करते समय ऐसा नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।)

आपत्ति

24. किसी उम्मीदवार की सदस्यता के प्रति आपत्ति प्रकट करने का इच्छुक सदस्य सदस्यता के नोटिस के चौदह दिन के भीतर गवर्निंग बोर्ड को अपनी आपत्ति के आधार की सूचना देगा। ऐसी सूचना विशेष और गोपनीय मानी जाएगी।

सूचना देने के लिए सदस्य का कर्तव्य

25. किसी उम्मीदवार के बारे में ऐसी जानकारी होना या प्राप्त होना जिनके कारण उसके आचरण या चरित्र से ऐसा उम्मीदवार एक्सचेंज की सदस्यता के अनर्ह या अपात्र हो, सदस्य के लिए ऐसी जानकारी गवर्निंग बोर्ड को देना अनिवार्य होगा। ऐसी सूचना विशेष और गोपनीय मानी जाएगी।

साक्षात्कार

- ²25क. कोई भी उम्मीदवार सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि नियम 19क (ख) के उप खंड (v) में यथानिर्धारित कंपनी सदस्य के मामले में, नियम 19क(ख) के उप-खंड (v) में यथानिर्धारित निदेशक नहीं है या वित्तीय निगम के मामले मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अनुभव सहित अन्य कोई निदेशक/अधिकारी नहीं है।

- (i) गवर्निंग बोर्ड द्वारा गठित समिति या समितियों द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और ऐसी समिति/समितियां उसके ज्ञान, निष्ठा तथा सक्षमता से संतुष्ट हैं; तथा
- (ii) गवर्निंग बोर्ड के मत में, अन्य बातों के साथ-साथ नियम 17 के खंड (ii)क), नियम 18 के खंड (iv) तथा (v) तथा उपर्युक्त खंड (i) में निर्हित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

आवेदन पर विचार

26. आवेदन के संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की तारीख समाप्त हो जाने के बाद तथा ऐसे आवेदनों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद³ (तथा साक्षात्कार के बारे में समिति/यों की रिपोर्ट) गवर्निंग बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 20.01.2000 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 01.06.2000 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.10.91 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 06.11.91 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.10.91 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 06.11.91 को अनुमोदित।

जांच

27. गवर्निंग बोर्ड द्वारा कहे जाने पर कोई उम्मीदवार तथा उसकी सिफारिश करने वाले स्वयं गवर्निंग बोर्ड की बैठक में उपस्थित होंगे तथा उसे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

मत द्वारा चुनाव

28. सभी नए सदस्यों का चुनाव (चाहे वे नामांकित किए गए हो या नहीं) मतपत्र द्वारा होगा और सदस्य को विधिवत रूप से चुना हुआ मान लिया जाएगा यदि गवर्निंग बोर्ड की बैठक में 30 उपस्थित सरकारी नामिती (यदि कोई हो) के अतिरिक्त बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों से दो तिमाई सदस्य उसे चुन लेते हैं।

उम्मीदवार को अस्वीकार करना

29. अपने पूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बिना कोई कारण बताए गवर्निंग बोर्ड किसी भी आवेदन (चाहे उम्मीदवार नामांकित किया गया या नहीं) को अस्वीकार कर सकता है।

मिथ्याकथन के अधीन सदस्यता

30. गवर्निंग बोर्ड किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है यदि उसके मत में उसने सदस्यता के लिए आवेदन करते समय या गवर्निंग बोर्ड द्वारा जांच करते समय-

- (i) जानबूझ कर कोई मिथ्याकथन किया है; या
- (ii) अपने चरित्र तथा पूर्ववृत्त क संबंध में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है; या
- (iii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई झूठा विवरण या जानकारी दी है या झूठी घोषणा की है।

- ¹30. क.(क) यदि गवर्निंग बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसा सदस्य भी कंपनी है।

- (i) सदस्यता के लिए आवेदन करते समय, कंपनी नियम 19 के उप-खंड (ग) के उपबंधों के अधीन सदस्यता के लिए पात्र नहीं थी और सदस्यता मिथ्याकथन द्वारा प्राप्त की गई; या
- (ii) सदस्यता के बाद, नियम 19 के उप-खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कंपनी ने पात्रता की शर्तें जारी नहीं रखीं या नहीं रहीं; या
- (iii) कंपनी इन नियमों के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण या उल्लंघन करती है, तो उसे निष्कासित कर सकता है।

- (ख) उपर्युक्त खंड (क) के उप खंड (i) के अधीन किसी सदस्य का निष्कासन एक्सचेंज के सदस्य की ऐसी कंपनी के प्रत्येक निदेशक क निष्कासन का भी कार्य करेगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

चुनाव की सूचना

31. जब कोई नया सदस्य चुना जाता है तो उसके चुनाव की सूचना उसे इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित फार्म या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में भेजी जाएगी।

प्रवेश शुल्क

32. अपने चुनाव की सूचना प्राप्त होने पर नया चुना गया सदस्य उस प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा जो एक्सचेंज द्वारा अपनी आम बैठक में समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा और यह शुल्क एक्सचेंज की संपत्ति बन जाएगा।

बशर्ते कि उस सदस्य द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा जो इन नियमों के अधीन सदस्यता के लिए उम्मीदवार नामित किया गया है।

सदस्यता शुल्क

33. कोई नया चुना गया सदस्य (चाहे उसे सदस्यता के लिए नामित किया गया हो या नहीं) चुनाव होने पर उस सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा जो एक्सचेंज अपनी आम बैठक में समय-समय पर निर्धारित करे।

सदस्यता तथा प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक अभिदान का भुगतान

34. चुनाव होने पर कोई भी तथा सदस्य सदस्यता के किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वह सदस्यता शुल्क या प्रवेश शुल्क कोई हो तथा चुनाव के वर्ष के लिए वार्षिक अभिदान का भुगतान नहीं कर देता। यदि अपने चुनाव की सूचना के एक महीने के भीतर ऐसा सदस्य ऐसा भुगतान नहीं कर पाता तो उसका चुनाव रद्द मान लिया जाएगा और यह माना जाएगा कि वह कभी सदस्य नहीं चुना गया।

सदस्यता का प्रमाणपत्र

35. (क) सदस्यता शुल्क तथा प्रदेश शुल्क यदि कोई हो तथा वार्षिक अभिदान का भुगतान कर देने पर नए सदस्य को इन नियमों के परिशिष्ट 'ड' में निर्धारित फार्म या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में सदस्यता का प्रमाणपत्र भेजा जाएगा जिसके साथ उस तारीख का भी उल्लेख होगा जिससे वह सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा एक्सचेंज के सदस्य के रूप में सभी कर्तव्यों, देयताओं तथा दायित्वों के अधीन होगा।

सदस्यता की सूचना

- (ख) जब उप खंड (क) के अनुसार कोई सदस्य सदस्यता प्राप्त करता है तो उस आशय की सूचना एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी।

- ¹35. क) नियम 20, 21, 23 से 28 तक के उपबंध उस सदस्य पर लागू नहीं होंगे जो कोई कंपनी है ²(नियम 19क(क) के अधीन गठित) तथा नियम 20, 21, 23 से 29 तक के उपबंध उस सदस्य पर लागू नहीं होंगे जो कोई वित्तीय निगम है।

³सीमित व्यापारिक सदस्यता

- 35.ख.(1) गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज एक या अधिक व्यक्तियों को एक्सचेंज के सीमित व्यापारिक सदस्य के रूप में सदस्यता दे सकता है ("सीमित व्यापारिक सदस्य")।
- (2) उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन, तथा सेबी द्वारा यथासंशोधित एक्सचेंज की निगमन तथा दीम्युच्युलाजेशन योजना के अधीन, कोई सीमित व्यापारिक सदस्य सभी मायनों में और सभी प्रयोजनों का सदस्य होगा और उसे एक्सचेंजके उसी सदस्य के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व तथा देयताएं प्राप्त होंगे, और गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार एक्सचेंजके ईक्विटी एक्सचेंज खंड में अध्यक्ष के रूप में कारोबार करने का अधिकार प्राप्त होगा। एक्सचेंज के सभी नियम, उप-विधियां तथा विनियम आवश्यक परिवर्तनों के बाद किसी सीमित व्यापारिक सदस्य पर लागू होंगे जैसे कि वे एक्सचेंजके किसी अन्य सदस्य पर लागू होते हैं। बशर्ते कि जहां गवर्निंग बोर्ड किसी सीमित व्यापारिक सदस्य को उपर्युक्ततानुसार एक्सचेंजके ईक्विटी एक्सचेंज खंड तथा/या ऋण एक्सचेंज खंड में कारोबार करने की अनुमति देता है, गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश, शर्तें निर्धारित कर सकता है जिसमें प्रत्येक बाजार/खंड या उनके मिश्रण के संबंध में एक्सचेंजके पास रखी जाने वाली राशि, पूंजी पर्याप्त मानदंड, मार्जिन आवश्यकताएं आदि शामिल होंगे। और यह भी कि उपर्युक्ततानुसार किसी सीमित व्यापारिक सदस्य द्वारा सीमित व्यापारिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए की गई जमाराशि ऐसी सदस्यता की अवधि के दौरान एक्सचेंज के पास रहेगी।
- (3) इन नियमों, उप-विधियों या विनियमों में उन पर या कहीं और कहीं गई बात के हात हुए भी -
- (i) किसी सीमित व्यापारिक सदस्यता या पूर्व या व्यक्तिगत सीमित व्यापारिक सदस्यता के नामांकन के संबंध में कोई सीमित व्यापारिक सदस्य, किसी मृत सीमित व्यापारिक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि, उसके वारिसों, इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित व्यक्तियों तथा गवर्निंग बोर्ड को नामांकन करने का अधिकार प्राप्त होगा।
 - (ii) कोई सीमित व्यापारिक सदस्य, सीमित व्यापारिक सदस्य का भागीदार पर प्रतिनिधि इस प्रकार सीमित व्यापारिक सदस्य या भागीदार या प्रतिनिधि के रूप में एक्सचेंजके गवर्निंग बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड, परिषद या एक्सचेंजकी समिति या एक्सचेंजके किसी खंड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा इस प्रकार सीमित व्यापारिक सदस्य या भागीदार या प्रतिनिधि के रूप में एक्सचेंजया एक्सचेंजके किसी खंड में कोई पद या नियुक्ति पाने का पात्र नहीं होगा।
 - (iii) किसी सीमित व्यापारिक सदस्य के रूप में, कोई सीमित व्यापारिक सदस्य, किसी भी मामले में मतदान अधिकार का पात्र नहीं होगा लेकिन एक्सचेंजके सदस्यों द्वारा सीमित

¹ गवर्निंग बोर्ड के 21.10.91 के संकल्प द्वारा बदला गया और सरकार द्वारा 06.11.91 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के 23.05.94 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 22.07.94 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के 23.05.03 और 20.03.04 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 29.01.04 और 18.05.04 को अनुमोदित।

व्यापारिक सदस्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नियमों या उप-विधियों में संशोधन के संबंध में पारित किए जाने वाला संकल्प इसका अपवाद होगा।

प्रावधान किया जाता है कि ऊपर उप-खंड (iii) के उपबंधों से कोई सीमित व्यापारिक सदस्य किसी संकल्प को प्रारंभ करने या आगे बढ़ाने का पात्र नहीं हो पाएगा। लेकिन केवल यहां पर बताए गए स्वरूप के संकल्प पर मतदान कर सकेगा।

तथा एक्सचेंजके नियमों, उप-विधियों या विनियमों का अर्थ उसी प्रकार समझा जाएगा।

- (4) यदि किसी सदस्य के पास एक्सचेंजकी एक या अधिक ऐसी सदस्याएं हैं जो सीमित व्यापारिक सदस्यताएं नहीं हैं और उसके पास एक या अधिक सीमित व्यापारिक सदस्यताएं हैं तो ऐसी सीमित व्यापारिक सदस्यता(एं) पहले उल्लिखित सदस्यता(ओं) के संबंध में सदस्य के अधिकारों की सीमित या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (5) एक्सचेंजयहां पर परिशिष्टों में निर्धारित फार्म में सीमित व्यापारिक सदस्यों या सीमित व्यापारिक सदस्यों के आवेदकों के संबंध में समय-समय पर फार्म संशोधित कर सकता है या सीमित व्यापारिक सदस्यों या सीमित व्यापारिक सदस्यों के आवेदकों के लिए अन्य फार्म निर्धारित कर सकता है।
- (6) नियम 64 के अनुसरण में एक्सचेंजद्वारा रो जा रहे सदस्यों के रजिस्टर में भी प्रत्येक सीमित व्यापारिक सदस्य के संबंध में उल्लेख किया जाएगा कि ऐसा सदस्य सीमित व्यापारिक सदस्य है।

सदस्यता जमानत जमानत के संबंध में जमानत

36. सदस्यता मिलने पर कोई नया सदस्य 50000/- रुपये की राशि की या ऐसी राशि की जमानत देगा जो केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए और प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करने वाली स्थिति को छोड़कर एक्सचेंजका कारोबार करते समय हर समय ऐसी जमानत एक्सचेंज के पास रखेगा।

बशर्ते यदि किसी सदस्य काक पुत्र या पुत्र का पुत्र या भाई या भाई का पुत्र को सदस्यता मिलती है, तो ऐसे सदस्य के साथ भागीदार होने की अवधि में उसे ऐसी जमानत रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

और, बशर्ते गवर्निंग बोर्ड, अपने विवेकाधिकार पर, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद किसी विशेष सदस्य के मामले में जमानत की राशि बढ़ा सकता है।

- ¹36.क. किसी पात्र कंपनी या वित्तीय निगम नये सदस्य को सदस्यता जमानत नहीं देनी पड़ेगी।

जमानत का रूप

37. सदस्य द्वारा दी जाने वाली जमानत नकदी में या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी बैंक की जमा रसीद या प्रतिभूतियों द्वारा दी जाएगी।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 22.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

जमानत कैसे धारित की जाएगी

38. गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में नकदी रखी जाएगी तथा बैंक जमा रसीदें तथा प्रतिभूतियां या तो एक्सचेंजके न्यासियों के नाम में अंतरित तथा धारित की जाएंगी या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक के नाम में रखी जाएगी और गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक के पास रखी जाएंगी। ऐसी जमाराशि पूरी तरह प्रतिभूति देने वाले सदस्य के जोखिम पर होगी लेकिन ऐसे सदस्य या उसकी ओर से किसी अधिकार के बिना केवल एक्सचेंज की ओर से बैंक द्वारा धारित की जाएगी।

रखी जानेवाली जमानत की राशि

39. प्रतिभूतियां के रूप में जमानत रखने वाला सदस्य हमेशा (2,00,000) से मूल्य की प्रतिभूतियां रखेगा और गवर्निंग बोर्ड उसका मूल्य निर्धारित करेगा और उसमें कमी होने पर समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार उसमें आई कमी को पूरा करेगा।

जमानत न रखने पर निलंबन

40. इन नियमों के उपबंधों के अधीन आवश्यकता पड़ने पर सदस्य के पंजीकृत पते पर नोटिस भेजने के तीन दिन के भीतर या यदि उसका कोई पंजीकृत पता नहीं है तो एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने से तीन दिन के भीतर सदस्य अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न कर पाने पर गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष उसका कारोबार तुरंत निलंबित कर देगा। ऐसे निलंबन का नोटिस एक्सचेंजके नोटिस बोर्ड पर तुरंत लगा दिया जाएगा और जब तक कि अतिरिक्त जमानत नहीं दे दी जाती, यह निलंबन जारी रहेगा।

जमानत में परिवर्तन

41. कोई सदस्य की गई जमानत वापस ले सकता है बशर्ते कि वह गवर्निंग बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार पहले उसके बदले पर्याप्त मूल्य की जमानत देता है।

अन्य जमानत की शर्तें

42. सदस्य द्वारा दी गई सभी अन्य तथा अन्य जमानत उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जिनके अधीन पहले जमानत दी गई थी।

जमानत पर लियन

43. सदस्य द्वारा दी गई जमानत एक्सचेंजके नियमों, उप विधियों या विनियमों या उनके अनुसरण में की गई किसी भी बात की शर्त पर सबसे पहले एक्सचेंजया समाशोधन गृह को देय राशि या भागीदारों जिसका वह सदस्य है तथा सभी सौंदो, लेनदेनों तथा संविदाओं के कारण उसक व्यवहारों, दायित्वों तथा देयताओं को पूरा करने के लिए होगी।

1. गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 23.05.94 के संकल्प द्वारा प्रस्तुत तथा सेबी द्वारा 22.07.94 को अनुमोदित।
2. गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 22.05.94 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

जमानत लौटाना

44. सदस्यता समाप्त हो जाने पर या एक्सचेंज पर उसके कारोबार न करने पर या उसक द्वारा प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियां तथा विनियमों के अधीन प्रयुक्त न की गई जमानत का सदस्य के खर्च पर पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा और या तो उसे या उसके कहे अनुसार या ऐसा निवेश न होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को अंतरित कर दी जाएगी।

जमानत बदलना

45. यदि कोई सदस्य एक्सचेंज पर कारोबार न करने या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करने के कारण अपनी जमानत वापस ले लेता है, उसके बाद कभी भी कारोबार प्रारंभ करने पर ऐसी जमानत के स्थान पर कोई और जमानत देगा।

घोषणा का पत्र

46. इन नियमों के उपबंधों के अधीन जमानत दे रहा सदस्य इन नियमों के परिशिष्ट-च या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य फार्म में एक घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

सदस्यता समाप्त करना

सदस्यता की समाप्ति

47. (क) यदि कोई सदस्य -

भारत का नागरिक नहीं रह जाता-

- (i) तो वह सदस्य बना नहीं रह सकता -

बशर्ते कि इसमें कोई भी बात उन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भारत के नागरिक नहीं हैं यदि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन एक्सचेंज की मान्यता के लिए सरकार को आवेदन के पहले सदस्य बन गए थे या इन नियमों को निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से वे इसके बाद सदस्य बने हैं।

अधिनिर्णीत दिवालिया

- (ii) उसे दिवालियां अधिनिर्णीत कर दिया जाता है या उसके विरुद्ध दिवालेपन के लिए रिक्ति आदेश दिया जाता है या वह दिवालिया प्रमाणित कर दिया जाता है।

धोखाधड़ी का दोष प्रमाणित

- (iii) उसे धोखाधड़ी या बेहमानी के अपशब्द के लिए दोषसिद्ध किया जाता है;

¹(iv) हटा दिया गया है;

²(v) हटा दिया गया है।

अन्य कारोबार में लिप्त

(vi) प्रतिभूतियों को छोड़कर किसी अन्य कारोबार में मुख्य पार्टी या कर्मचारी के रूप में लिप्त है लेकिन वैयक्तिक वित्तीय देयता के दलाल या एजेंट इसका अपवाद होंगे बशर्ते कि यदि ऐसा सदस्य एक्सचेंज में या तो व्यक्ति के रूप में या फर्म के भागीदार के रूप में कारोबार समाप्त कर देता है तो गवर्निंग बोर्ड लिखित रूप में बताए गए कारणों के आधार पर किसी सदस्य को ऐसे किसी कारोबार में मुख्य पार्टी या कर्मचारी के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते यह भी कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन एक्सचेंज की मान्यता के लिए केंद्र सरकार को आवेदन की तारीख से पहले लागू नियमों के अधीन कारोबार की अनुमति दी गई थी और आवेदन की तारीख को वास्तव में ऐसा कर रहे थे, वे ऐसी मान्यता की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसा करना जारी रख सकते हैं।

³फार्वर्ड बाजारों से सम्बद्ध

(vii) वह ऐसी कंपनी से सम्बद्ध हो जाता है या सदस्य है या अभिदान कर्ता है। या शेयरधारक है या डिबेंचर धारक है या भागीदार के द्वारा कर्मचारी होने से या एजेंट होने से या प्राधिकृत प्रतिनिधि या सदस्य का कर्मचारी या निदेशक या डिबेंचरधारक है जो कंपनी वस्तुओं या पण्यों या अन्यथा के किसी संगठन, संस्था, संघ, कंपनी या निगम से जुड़ा है।

बशर्ते कि जो सदस्य 1 मार्च 1926 से पहले सदस्य थे 1 और ⁴.....

⁵(vii-क) कंपनी होने के कारण, (नियम 19क) के उप-खंड (ग)3 के उपबंधों के अधीन वह पात्रता के लक्षण बनाए नहीं रखता या नहीं रखता।

⁶(vii-ख) नियम (1क) के तीसरे परंतुक में संदर्भित कंपनी का निदेशक होने के कारण नियम 11(क) के तीसरे परंतुक तथा नियम 19क के अधीन पात्रता के लक्षण नहीं बनाए रखता या नहीं रखता।

⁷(vii-ग) गवर्निंग बोर्ड द्वारा नियम 18 के खंड (v) के अधीन यथानिर्धारित न्यूनतम निवल शुद्ध राशि; न्यूनतम कार्यशील पूंजी तथा आस्तियां नहीं रख पाता या नहीं हैं।

¹ 9 अप्रैल 1957

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.05.89 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सरकार द्वारा 28.03.90 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 09.09.58 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित।

⁴ 9 अप्रैल 1957

⁵ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 23.05.94 के संकल्प द्वारा बदला गया और सेबी द्वारा 22.07.94 को अनुमोदित।

⁷ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 23.05.94 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 22.07.94 को अनुमोदित।

निष्कासन का नियम लागू होना

- (ख) जब कोई सदस्य उप-खंड (क) के अधीन ऐसा नहीं रहता तो उसका प्रभाव यह होगा जैसे कि ऐसे सदस्य को गवर्निंग बोर्ड द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और उस स्थिति में इन नियमों में निहित निष्कासन से संबंधित उपबंध सभी मायनों में ऐसे सदस्य पर लागू होंगे।

त्याग पत्र का नोटिस

48. (क) एक्सचेंज की सदस्यता से त्यागपत्र देने का इच्छुक सदस्य इस आशय का लिखित नोटिस एक्सचेंज को देगा जिसे एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।

(प्रावधान किया जाता है कि यदि सदस्य कोई कंपनी है या वित्तीय निगम है; तो ऐसे नोटिस के साथ ऐसी कंपनी या वित्तीय निगम के निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प की प्रति भी होगी जिसमें त्यागपत्र देने का निर्णय निहित हो तथा ऐसी प्रति अध्यक्ष द्वारा, यदि कोई हो, प्रमाणित होगी या कंपनी या वित्तीय निगम के किसी पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्रमाणित होगी)

आपत्ति

- (ख) किसी त्यागपत्र के प्रति आपत्ति रखने वाला सदस्य ऐसे नोटिस के चौदह दिन के भीतर गवर्निंग बोर्ड को अपनी आपत्ति के आधार प्रस्तुत करेगा।

त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करना

- (ग) गवर्निंग बोर्ड किसी सदस्य का त्यागपत्र या तो बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सकता है या ऐसी शर्तों पर स्वीकार कर सकता है जो वह उचित समझे या ऐसे त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है और विशेषकर जब तक कि संतुष्ट नहीं हो जाता कि सदस्य के साथ सभी बकाया लेनदेनों का निपटान कर दिया गया है, ऐसे त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है।

सदस्य की मृत्यु की सूचना

49. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि या वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट ग में उल्लिखित व्यक्ति या उसके कर्मचारी या मृत्यु की सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी सदस्य उसकी सूचना तुरंत लिखित रूप में एक्सचेंज को देगा।

मृतक सदस्य के खिलाफ दावे

50. सदस्य की मृत्यु होने पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित देय एक्सचेंज को या समाशोधन को देय सभी अभिदान, ऋण, अर्थदंड, शुल्क, प्रभार तथा अन्य राशियाँ¹ [व्यापार गारंटी निधि को चूककर्ता समिति द्वारा निर्धारित उसके द्वारा देय सभी राशियाँ] तथा एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन उसके द्वारा की गई सभी संविदाओं के अधीन सभी ऋणों, देयताओं, दायित्वों तथा दावों का पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके बाद ही उसके विधिक प्रतिनिधि या वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट में उल्लिखित व्यक्ति अपने नामांकन के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

¹ सेबी द्वारा 09.05.97 को संशोधित और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.5.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

- 150क. नियम 50 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उस सदस्य पर लागू होंगे जो कंपनी है वित्तीय निगम है और परिसमाप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है।

मृत सदस्य के दायित्वों का भुगतान

51. यदि मृत सदस्य का विधिक प्रतिनिधि या उसके वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों, उप विधियों तथा विनियमों के अनुसार उसके द्वारा देय राशियों, ऋणों, देयताओं, बाध्यताओं तथा दावों का भुगतान नहीं कर पाता तो गवर्निंग बोर्ड ऐसी सदस्यता के संबंध में अपने नामांकन के अधिकार का प्रयोग करेगा तथा प्राप्त राशि का उपयोग इन नियमों में प्रावधान किए गए अनुसार ²[उप-विधियां तथा विविनियम] के अनुसार किया जाएगा।

मृत सदस्य के कारोबार को जारी रखना

52. यदि सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि या वारिस या इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित व्यक्ति चाहता है कि मृत सदस्य के परिवार के लाभ के लिए पात्र व्यक्ति कारोबार कुछ समय तक जारी रखे और पत्र द्वारा एक्सचेंज को इसकी सूचना देता है तो गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार पर छह महीने से अनधिक अवधि या जैसा उचित समझा जाए ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिक प्रतिनिधियों या वारिसों या परिशिष्ट ग में उल्लिखित व्यक्ति की ओर से जारी रखने की अनुमति दे सकता है।

चूक और सदस्यता में पुनः प्रवेश

चूक

53. जिस सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है, वह तुरंत एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहेगा और इस प्रकार सदस्यता के अधिकार और विशेषाधिकार खो बैठेगा लेकिन उसके विरुद्ध लेनदार सदस्य के अधिकार अक्षत रहेंगे।

सदस्यता अधिकार समाप्त होना

54. सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाते ही सदस्य का सदस्यता अधिकार समाप्त हो जाएगा और एक्सचेंज में निहित हो जाएगा।

आवश्यक होने पर चूककर्ता के लिए नामांकन

55. पुनः प्रवेश से पहले चूककर्ता के लिए नामांकन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जिस चूककर्ता के संबंध में गवर्निंग बोर्ड ने नामांकन के अधिकार का प्रयोग कर लिया है, उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह अपने पुनः प्रवेश के समय या उससे पहले नामांकन प्राप्त नहीं कर लेता।

नोटिस लगाना

56. चूककर्ता द्वारा पुनः प्रवेश के प्रत्येक आवेदन का नोटिस एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर उसके पुनः प्रवेश से कम से कम पंद्रह दिन पहले लगाया जाएगा।

पुनः प्रवेश के प्रति आपत्तियां

57. चूककर्ता के पुनः प्रवेश के प्रति आपत्ति का इच्छुक कोई सदस्य या कोई अन्य लेनदार पुनः प्रवेश के आवेदन के नोटिस के चौदह दिन के भीतर अपनी आपत्ति के आधार गवर्निंग बोर्ड को पत्र द्वारा प्रस्तुत करेगा। ऐसी सभी आपत्तियां गोपनीय और विशेषाधिकार युक्त होंगी।

¹गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

²सेबी द्वारा 09.05.97 को संशोधित और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.05.97 के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया।

चूककर्ताओं को पुनः प्रवेश

58. (क) चूककर्ता द्वारा पुनः प्रवेश के लिए आवेदन देने पर चूककर्ता समिति उसके आचरण तथा खातों की जांच करेगी और पुनः प्रवेश के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि चूककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एस्टेट के विवरण सहित चूककर्ता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती।

जांच

(ख) चूककर्ता समिति का ध्यान

- (i) उसके बैंकों के साथ पिछले तीन महीने में चूककर्ता की कारोबारी आस्तियों तथा शेषों की कुल राशि का पता लगाना तथा उसी अवधि में अलग-अलग किसी दिन क्रय तथा विक्रय की उच्चतम मात्रा तथा उस अवधि में अपने खाते तथा उसके घटकों के खाते में कुल क्रय तथा विक्रय का अनुपात;
- (ii) एक्सचेंज पर प्राप्त किया गया उसकी एस्टेट को प्रदत्त कुल राशि तथा घटकों से तथा खुद चूककर्ता से प्राप्त राशियां;
- (iii) उसकी असफलता से पहले या बाद चूककर्ता का आचरण तथा चूककर्ता के आवेदन के संबंध में ऐसा कोई मामला जो लेनदारों की बैठक में हुआ या कहीं और आधिकारिक रूप से जानकारी में आया है।

घटकों के नाम तथा बहियों को सरेंडर करना

पात्रता की एक शर्त होगी

59. कोई चूककर्ता पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उसके प्रति ऋणग्रस्त किसी घटक का नाम नहीं देता या वह कहे जाने पर चूककर्ताओं की समिति को अपनी मूल बहियां, खाते तथा अन्य पत्रादि, वाउचर, दस्तावेज तथा रिकार्ड तथा अन्य कोई सूचना, स्पष्टीकरण तथा विवरण प्रस्तुत नहीं कर देता।

¹पूर्ण भुगतान पात्रता की शर्त

60. (1) कोई चूककर्ता पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा देय राशियों का पूर्ण भुगतान एक्सचेंज, समाशोधन गृह, या व्यापार गारंटी निधि तथा उसके द्वारा सेबी को तथा अन्य सभी लेनदारों (चाहे वे एक्सचेंज के सदस्य हों या नहीं) को एक्सचेंज के विनियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन की गई संविदाओं का भुगतान नहीं कर देता, बशर्ते कि जहां किसी लेनदार का दावा (एक्सचेंज, समाशोधन गृह या

¹ सेबी द्वारा 09.05.97 को बदला गया और गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 10.5.97 के संकल्प द्वारा स्विकार किया गया।

व्यापार गारंटी निधि से इतर) नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन आर्बिट्रेशन के अधीन है, गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर चूककर्ता को पुनः प्रवेश के लिए पात्र मान सकता है यदि वह एक्सचेंज के पास विवादित दावे के बराबर की राशि एक्सचेंज के पास जमा करा देता है। इस प्रकार जमा कराई गई राशि आर्बिट्रेशन अवार्ड की सीमा तक दावेदार को और शेष चूककर्ता को दे दी जाएगी।

- (2) इस संबंध में चूककर्ता द्वारा आवेदन करने पर, गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर अपने विवेकाधिकार पर और निर्धारित शर्तों पर चूककर्ता द्वारा देय राशि की समय सीमा बढ़ा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं। बशर्ते कि लिखित रूप में कारण रिकार्ड करने और अपवादात्मक कारण के बिना, गवर्निंग बोर्ड चूक की घोषणा की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि नहीं बढ़ाएगा।

जब चूककर्ता को पुनः प्रवेश नहीं दे जाएगा

61. किसी चूककर्ता को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि उसकी चूक अपने खाते में अंधाधुंध सोचने के कारण हुई है या उसके आचरण में अविवेक या तर्कसंगत कार्यवाई दिखलाई नहीं देती।

पुनः प्रवेश किसे दिया जा सकता है

62. (क) उप खंड (ख) तथा अन्य निर्धारित शर्तों पर गवर्निंग बोर्ड केवल उसी चूककर्ता को पुनः प्रवेश देगा जो उसके मत में
- (i) मूल पार्टी की चूक के कारण चूक की है जिससे उसे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की यथोचित आशा थी;
 - (ii) दुराग्रह या एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के उल्लंघन का दोषी नहीं है;
 - (iii) अपना कारोबार अपनी सामर्थ्य या संसाधनों के भीतर सीमित रखा है तथा
 - (iv) उसके सामान्य आचरण पर उंगली नहीं उठाई जा सकती।

पुनः प्रवेश की शर्तें

- (ख) किसी चूककर्ता का पुनः प्रवेश इस शर्त पर होगा कि वह एक्सचेंज पर अपना कारोबार पुनः प्रवेश की तारीख से कम से कम दो वर्ष तक या ऐसी अवधि तक नहीं करेगा जो गवर्निंग बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्धारित करें और कारोबार प्रारंभ करने से पहले वह¹ [50,000 रुपये] की राशि के लिए प्रतिभूति देगा और ऐसी प्रतिभूति (या उस राशि के लिए जो गवर्निंग बोर्ड उचित समझे) एक्सचेंज के पास हमेशा रखेगा लेकिन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य कर रहा सदस्य इसका अपवाद होगा।

प्रतिभूति के संबंध में उपबंध

- (ग) पुनः प्रवेश पर प्रतिभूति के संबंध में इन नियमों के उपबंध सभी प्रकार से उप खंड (ख) में निर्धारित अनुसार पुनः प्रवेश के चूककर्ता सदस्य पर लागू होंगे।

पुनः प्रवेश पाने वाला सदस्य आधिकारिक पद पाने के लिए अपात्र

63. जो सदस्य कभी भी चूककर्ता घोषित किया गया है, वह ट्रस्टी, गवर्निंग बोर्ड का सदस्य या किसी स्थायी समिति का अन्य किसी समिति का सदस्य या आधिकारिक पद पाने का पात्र नहीं होगा।

- ²63क. नियम 53 से 63 तक के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ कंपनी या वित्तीय निगम सदस्य पर लागू होंगे:

बशर्ते ऐसे चूककर्ता का पुनः प्रवेश जो कंपनी है या वित्तीय निगम है, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर उचित समझे और चूककर्ता को उसकी सूचना देगा।

बशर्ते यह भी कि कंपनी सदस्य द्वारा की गई चूक को उन सभी निदेशकों की चूक भी माना जाएगा जो एक्सचेंज के सदस्य हैं और इन नियमों के उपबंध जो चूककर्ता पर लागू हैं, वे ऐसे निवेशक पर भी लागू होंगे।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 21.04.81 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 06.07.81 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

सदस्यता रजिस्टर, नोटिस तथा बकाया

सदस्यों का रजिस्टर

64. एक्सचेंज में सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें सदस्यों के नाम और पते दर्ज किए जाएंगे तथा उनके प्रवेश की तारीखें एवं त्यागपत्र देने, मृत्यु होने, चूक करने, निष्कासन अथवा अन्यथा स्थिति में सदस्यता को निरस्त करना दर्ज किया जाएगा।

सदस्यों की सूची

65. एक्सचेंज के सदस्यों की सूची समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।

सदस्य का पता

- 66.(क) प्रत्येक सदस्य एक्सचेंज में अपना पता और बाद में इसमें होने वाले परिवर्तनों को दर्ज कराएगा, जिसपर सदस्य को समस्त पत्र भेजे एवं सुपुर्द किए जाएंगे। ¹{ } कोई भी सदस्य जो इस प्रावधान का पालन नहीं करेगा उसे एक्सचेंज की नियमावली, उप-विधि तथा विनियमावली के संरक्षणों से वंचित कर दिया जाएगा।

सदस्यों से पत्र-व्यवहार

- (ख) यदि किसी सदस्य ने उप-खंड (क) के प्रावधान के अनुसार अपना पता दर्ज नहीं किया है, जहां पर उसे जाने वाला प्रत्येक पत्र भेजा जाना है, या वह पत्र को अस्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में उस पत्र को एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और उसके फिर यह मान लिया जाएगा कि पत्र उसे प्राप्त हो चुका है।

सामान्य नोटिस

67. एक्सचेंज की साधारण सभा के सदस्यों के लिए नोटिस प्रकाशित की जाएगी जिसे पोस्टिंग की तारीख सहित एक्सचेंज के नोटिसबोर्ड पर लगाया जाएगा और यह माना जाएगा कि इसे लगाए जाने के तुरंत बाद प्रत्येक सदस्य ने देख लिया है।

वार्षिक चंदा, शुल्क और प्रभार

- ²68. गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्देश दिए जाने पर किसी भी प्रकार के प्रवेश एवं दाखिला शुल्क को और साधारण सभा में एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक चंदा तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित इस प्रकार का कोई शुल्क एवं प्रभार प्रत्येक सदस्य उस समय अथवा उतनी बार और उन तरीकों से अदा करेगा।

पूर्व सदस्यों की देयतायें

69. कोई भी सदस्य यदि किसी भी कारण से एक्सचेंज का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह किसी भी स्थिति में सदस्यता समाप्त होने के समय उसे एक्सचेंज के प्रति, क्लीयरिंग हाउस के प्रति ³{अथवा व्यापार गारंटी निधि के प्रति} देय रकम का भुगतान करना होगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.01.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 06.03.2002 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित।

³ सेबी द्वारा 09.05.1997 को संशोधित तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अपनाया गया।

अभिदान और अन्य शुल्क का भुगतान

70. एक्सचेंज की नियमावली, उप-विधि तथा विनियमावली में अन्यथा प्रवधान के बावजूद, यदि कोई सदस्य एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप से नोटिस दिये जाने के बाद दो महीने के भीतर एक्सचेंज के प्रति देय वार्षिक अभिदान, शुल्क, प्रभार अथवा अन्य राशि का भुगतान क्लीयरिंग हाउस¹ {अथवा व्यापार गारंटी निधि} को नहीं करता है तो भुगतान न किए जाने तक उसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा निलंबित किया जा सकता है और यदि उसके बाद छह महीने तक उस राशि का भुगतान नहीं करता है तो गवर्निंग बोर्ड उसे निष्काषित कर सकता है।

सदस्यों की बैठक

वार्षिक साधारण सभा

71. (क) प्रत्येक वर्ष मार्च अथवा उसके तुरंत बाद जैसा कि व्यवहार्य हो, गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष, एक्सचेंज के सदस्यों की बैठक आयोजित कर सकते हैं जिसे एक्सचेंज की वार्षिक साधारण सभा कहा जाएगा।

वार्षिक साधारण सभा में चर्चा के विषय

- (ख) वार्षिक साधारण सभा के समक्ष निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी विषय न तो लाया जाएगा और न ही चर्चा की जाएगी :

तुलनपत्र और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

- (i) पिछले वर्ष के आय एवं व्यय विवरण तथा तुलनपत्र के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित तुलनपत्र पर विचार

लेखापरीक्षक की नियुक्ति

- (ii) लेखापरीक्षक की नियुक्ति, और

अन्य कारोबार

- (iii) ऐसे कारोबार जिनका निर्धारण बैठक आयोजन करने की नोटिस में किया गया हो।

72. वार्षिक साधारण सभा को छोड़कर एक्सचेंज की सभी बैठकें असाधारण आम सभा कही जाएंगी।

असाधारण आम सभा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा

73. (क) गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष किसी भी समय और यदि गवर्निंग बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है तो² {अध्यक्ष अथवा} सचिव, पांच या उससे अधिक सदस्यों के लिखित अनुरोध पर एक्सचेंज की असाधारण आम सभा की बैठक आयोजित कर सकेंगे।

असाधारण आम सभा के आयोजन के लिए अनुरोध

- (ख) गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष इक्यावन सदस्यों (इससे कम नहीं) द्वारा अनुरोध किए जाने पर पंद्रह दिन के भीतर असाधारण आम सभा का आयोजन कर सकेंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अनुरोध करने वालों में से कोई पांच सदस्य इस प्रकार की बैठक अगले पंद्रह दिन में आयोजित कर सकेंगे। बैठक की चर्चा केवल

¹सेबी द्वारा 09.05.1997 को संशोधित तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अपनाया गया।

²गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

उन्हीं विषयों तक सीमित होगी जिनका उल्लेख बैठक आयोजन के अनुरोध में किया जाएगा।

जिन मामलों में साधारण सभा की मंजूरी अनिवार्य है

74. एक्सचेंज, साधारण सभा में समय-समय पर निम्नलिखित के बारे में निर्णय ले सकता है¹{निर्दिष्ट, प्राधिकृत एवं स्वीकृत कर सकता है} कि कौन से मामले पूरी तरह से और विशेष रूप से उसके अधिकारक्षेत्र में होंगे और गवर्निंग बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे जैसे -

न्यासी

- (i) न्यासियों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाना,

सदस्यों की संख्या

- (ii) एक्सचेंज के सदस्यों की अधिकतम संख्या;

दाखिला, प्रवेश और वार्षिक शुल्क

- (iii) सदस्यों को दाखिला शुल्क, प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक अभिदान देने होंगे।

अचल संपत्ति का निपटान

- (iv) एक्सचेंज की किसी भी अचल संपत्ति का पूरी तरह से अथवा सशर्त अधिग्रहण, क्रय, पट्टा, विक्रय, विनिमय, बंधक अथवा निपटान

निधियों के उपयोग संबंधी मामले

- (v) धर्मार्थ प्रयोजनों से अंशदान देने या भुगतान करने के लिए एक्सचेंज की किसी निधि अथवा संपत्ति के संबंध में भुगतान करने, संवितरण, निपटान हेतु या किसी कारोबार हेतु अथवा एक्सचेंज के²{प्रशासन, कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति एवं कार्यों} के संचालन के लिए आवश्यक व्यय को छोड़कर किए जाने वाले अन्य व्यय: बशर्ते इस प्रयोजन से बुलाई गई साधारण सभा में संकल्प पारित किया गया हो तथा कम से कम सौ सदस्यों की उपस्थिति हो और³{यह भी प्रावधान किया जाता है कि एक्सचेंज के किसी अथवा एक से अधिक सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस अथवा अन्यथा लाभ के रूप में, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी एक सदस्य या अधिक सदस्यों के माध्यम से दावा करता हो, कोई भी भुगतान या संवितरण, नहीं किया जाएगा;}

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.08.1971 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित।

उधार लेना

- (vi) ¹{ नियम 4(vi) के प्रावधानों के तहत किसी भी रकम का उधार लेना या रकम जुटाना } एक्सचेंज के प्रयोजन हेतु ऐसी शर्तों या ऐसे तरीकों से और जमानत सहित या बिना जमानत के, जैसा भी निर्धारित हो, तथापि प्रावधान किया जात है कि गवर्निंग बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऐसी प्रतिभूतियों जिनका भुगतान नहीं किया गया हो, तथा जिन्हें क्लीयरिंग हाउस में चूककर्ता सदस्यों के खातों के लिए धारित किया गया हो तथा इन प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक न हो, ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सदस्यों को भुगतान करने के प्रयोजन से उन प्रतिभूतियों के किसी हिस्से या समस्त की जमानत पर या उसे गिरवी रखकर उस सीमा तक उधार ले सकेगा।

असाधारण आम सभा नियम और उप-विधि बना सकती है

- 75.(क) एक्सचेंज, असाधारण आम सभा में गवर्निंग बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी ओर से तथा प्रतिभूति संविदा(विनियम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन समय-समय पर, एक्सचेंज के कार्यों को संचालित करने के लिए किसी नियम या नियमावली अथवा उप-विधि या उप-विधियों में जोड़ सकते हैं, भिन्न कर सकता है या निरस्त कर सकता है।

संकल्प किस प्रकार पारित किया जाएगा

- (ख) उप खण्ड (क) के प्रयोजन से कोई भी संकल्प पारित हुआ नहीं मान लिया जाएगा या प्रभावी नहीं हो जाएगा जब तक कि इस प्रयोजन से बुलाई गई साधारण सभा जिसमें कम से कम अस्सी सदस्यों का कोरम उपस्थित हो, में से तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा उसे अनुमोदित एवं अंगीकार न कर लिया गया हो।

असाधारण आम सभा, गवर्निंग बोर्ड के संकल्प को परिवर्तित न करे

76. वर्तमान में लागू एक्सचेंज के किसी नियम अथवा उप-विधि के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों अथवा प्राधिकार के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प में कुछ जोड़ना, घटाना, भिन्न करना या निरस्त करने के लिए एक्सचेंज सक्षम नहीं होगा।

बैठक की सूचना

77. एक्सचेंज की समस्त बैठकों के आयोजन के लिए एक नोटिस एक्सचेंज के सूचनापट्ट पर बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले लगाई जाएगी।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.08.1971 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित।

बैठक में कौन भाग लेगा

78. सदस्य ¹{और अध्यक्ष} तथा कानूनी सलाहकार एवं एक्सचेंज के अधिकारी और अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति एक्सचेंज की आम सभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कोई भी सदस्य बैठक में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले इस प्रयोजन से उपलब्ध पुस्तिका में अपना नाम लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

कोरम

79. वर्तमान में लागू एक्सचेंज के नियम या उप-विधि में जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, एक्सचेंज की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम पचीस होना चाहिए। यदि नियम या उप-विधि के अंतर्गत कोरम का निर्धारण किया जाता है और संख्या कम होती है तो सभा नहीं की जानी चाहिए। जब तक कि कारोबार के संव्यवहार के लिए कोरम पूरा न हो साधारण सभा में किसी प्रकार का कारोबार नहीं किया जाएगा।

कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित करना

80. यदि बैठक के लिए निर्धारित समय से तीस मिनट के भीतर वर्तमान में लागू एक्सचेंज के नियम या उप-विधि द्वारा अपेक्षित कोरम उपस्थित नहीं होता है और यदि सदस्यों के अनुरोध पर बैठक आयोजित की जाती है तो उसे विघटित कर दिया जाएगा और किसी भी अन्य मामले में उसे अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा अथवा यदि उस दिन अवकाश हो तो बैठक अगले कारोबार दिवस को रखी जाएगी और यदि इस प्रकार से स्थगित बैठक में निर्धारित समय से पंद्रह मिनट के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है तो उपस्थित सदस्यों में से कोरम बनाया जाएगा और उस कारोबार के संबंध में संव्यवहार किया जाएगा जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी।

²(अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे)

81. एक्सचेंज के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा की अध्यक्षता करेंगे। यदि कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं है अथवा बैठक के निर्धारित समय से पंद्रह मिनट के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं अथवा अध्यक्षता करने के इच्छुक नहीं हैं तो उपस्थित सदस्य गवर्निंग बोर्ड के सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चयन कर सकते हैं और यदि गवर्निंग बोर्ड का कोई सदस्य मौजूद नहीं है या गवर्निंग बोर्ड के उपस्थित समस्त सदस्य अध्यक्ष बनने से मना करते हैं तो उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चयन कर सकते हैं।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

बहुमत द्वारा निर्णय

82. जब तक वर्तमान में लागू नियम या उप-विधि द्वारा निर्धारित बहुमत अपेक्षित न हो तब तक आम सभा में प्रस्तुत किसी भी प्रश्न पर निर्णय बहुमत से किया जाएगा: बशर्ते निर्दिष्ट बहुमत का निर्धारण करते समय यदि उसका कुछ हिस्सा मौजूद रहता है तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा।

मत गणना

83. जब तक कि उपस्थित सदस्यों में से पांच सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मतदान करवाने की मांग न की जाए तब तक मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा (हाथ दिखाकर परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले) और जब तक कि इस प्रकार से मतदान करवाने की मांग न की जाए अध्यक्ष द्वारा इस आशय की घोषणा कि हाथ उठाकर मतदान करने का संकल्प पारित किया गया है अथवा सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से किया गया है अथवा नहीं किया गया है और एक्सचेंज की कार्यवृत्त-पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की गई है और वह इस तथ्य का निर्णयात्मक साक्ष्य माना जाएगा कि इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया था अथवा नहीं किया गया था और इसके लिए मतों के किसी अन्य अनुपात को दर्ज नहीं किया गया था अथवा इस संकल्प के विरुद्ध दर्ज करना आवश्यक नहीं होगा।

मतदान

84. यदि साधारण सभा में उपस्थित पांच या उससे अधिक सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से मतदान करवाने की मांग की जाती है तो उसे उसी समय उसी स्थान पर या तो तुरंत या स्थगित करके अंतराल के बाद (अध्यक्ष के लिए चुनाव हेतु मतदान अथवा स्थगन के समय इस प्रश्न पर कि इसे कब किया जाएगा, को छोड़कर) किया जाएगा और या तो खुला मतदान करवाकर या मतपत्र द्वारा जैसा भी अध्यक्ष निर्देश दें तथा इस प्रकार किए गए मतदान का परिणाम यह निर्धारण करेगा कि संकल्प पारित हुआ या नहीं जिसे उस बैठक का संकल्प माना जाएगा जिसके लिए मतदान की मांग की गई थी।

मत की वैधता

85. साधारण सभा का अध्यक्ष इस प्रकार की बैठक में मत की वैधता के संबंध में एकमात्र निर्णायक होगा।

मत देना

86. ऐसे मामले में जहां हाथ दिखाकर मत देने और मतदान करवाकर मत देने में समानता होती है तो साधारण सभा के अध्यक्ष हाथ दिखाकर अथवा मतदान करवाकर मत देने की मांग के संबंध में समर्थन (सेकंड) करने या मत देने के लिए पात्र होंगे।

प्रतिनिधि द्वारा मतदान

87. साधारण सभा में उपस्थित एक सदस्य के पास एक मत होगा। प्रतिनिधि के माध्यम से अथवा अटर्नी अधिकार से मत की अनुमति नहीं होगी।

निलंबित अथवा निकाले गए अथवा चूककर्ता सदस्य मत नहीं देंगे

88. निलंबित अथवा निकाला गया अथवा चूककर्ता घोषित सदस्य किसी भी साधारण सभा में उपस्थित रहने या मत देने के लिए पात्र नहीं होगा, किंतु कोई भी सदस्य उपस्थित रहने या मत देने के लिए इस कारण से अपात्र नहीं होगा कि उसपर एक्सचेंज के प्रति राशि बकाया और देय है।

बैठक का स्थगन

89. साधारण सभा के अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय से समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठक स्थगित कर सकते हैं किंतु स्थगित बैठक में उन कारोबार से इतर ऐसा कोई कारोबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जो उस बैठक में होना था जहां से बैठक स्थगित हुई है।

कार्यवृत्त

90. साधारण सभा की कार्यवाही का कार्यवृत्त सचिव के प्राधिकार में होगा तथा यह कार्यवृत्त गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

न्यासी

न्यासी की नियुक्ति

91. एकस्वेंज, ¹{धारित करने} ²{एक्सचेंज की निधियों, संपत्तियों एवं अन्य आस्तियों को विषयों एवं उद्देश्यों के विश्वास पर तथा एकस्वेंज के प्रयोजनार्थ} समय-समय पर साधारण सभा में सदस्यों में ऐसे किसी सदस्य को उपयुक्त पाये जाने पर मुंबई शहर में निवासी भारतीय नागरिक को न्यासी नियुक्त कर सकता है और यह भी अधिकार होगा कि समय-समय पर वह ऐसे न्यासियों या एक न्यासी या एक से अधिक न्यासी को जैसाकि वह अवसर हो, निकाल सकेगा और निकाले गए ऐसे न्यासी या न्यासियों के स्थान पर अन्य या दूसरों को नियुक्त कर सकेगा।

³{प्रावधान किया जात है कि निधि, संपत्ति और व्यापार गारंटी निधि की अन्य आस्तियां किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा धारित की गई हों और इस तरीके से रखी जा रही हों जिनका प्रावधान एक्सचेंज की उप-विधियों और विनियमावली द्वारा किया गया हो}

न्यासियों की संख्या

92. एकस्वेंज के ⁴{पांच} न्यासी होंगे। कोई भी न्यासी उसकी मृत्यु होने तक अथवा सदस्य न रहने पर अथवा दिवालिया होने तक अथवा मुंबई शहर छोड़ने पर अथवा एक्सचेंज द्वारा हटा दिए जाने पर अथवा उसमें विश्वास समाप्त हो जाने से हटा दिए जाने तक कार्यालय में बना रहेगा। इस प्रकार की कोई घटना होने पर एकस्वेंज, साधारण सभा में उसका उत्तराधिकारी नामित करेगा और नियुक्त करेगा जो उसके बाद ऐसे न्यासी जिसकी मृत्यु हो गई हो, या सदस्य न रह गया हो या दिवालिया हो गया हो या मुंबई शहर छोड़ दिया हो या हटा दिया गया हो या उपर्युक्त तरीके से विश्वास न रहने पर हटा दिया गया हो, के स्थान पर न्यासी हो जाएगा, रहेगा।

प्रकार्य

- ⁵93. (क) इस समय जो न्यासी है, वह समय-समय पर एक्सचेंज के समस्त धन को आवास एवं जमीनी संपत्ति में जैसा कि एक्सचेंज द्वारा साधारण सभा में निर्धारित किया गया हो, निवेश करेगा अथवा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा किसी राज्य सरकार अथवा पोर्ट ट्रस्ट बाण्ड में, महापालिका के बाण्ड में, प्रतिष्ठित किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रथम डिबेंचर में अथवा न्यासी निधि के निवेश के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में ⁶{अथवा केंद्र सरकार की अनुमति से किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ईक्विटी या वरीयता शेयर में} अथवा नियत ब्याज दर पर जमा करके अथवा किसी प्रतिष्ठित बैंक में चालू

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.08.1971 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित।

³ सेबी द्वारा 09.05.1997 को जोड़ा गया और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.2009 को अंगीकार किया गया।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 24.11.1997 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 12.12.1997 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.08.1971 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 15.03.1974 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 27.05.1974 को अनुमोदित।

खाते में अथवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जैसा कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो निवेश करेगा। न्यासी समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा साधारण सभा में या गवर्निंग बोर्ड (जैसा भी मामला हो) द्वारा अनुरोध किए जाने पर निधियों अथवा प्रतिभूतियों को संशोधित अथवा क्रम-परिवर्तन कर सकेगा जिनमें इस समय धन लगाया गया है। कोषाध्यक्ष के पास समय-समय पर बची हुई अधिशेष राशि को उस प्रकार से निवेश किया जाएगा जैसा कि साधारण सभा में एक्सचेंज अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा जैसा भी मामला हो, निर्देश दिया गया हो।

प्रत्यायोजन

- ¹(ख) इस समय के न्यासी जब वे यह कि अटर्नी-शक्ति द्वारा अथवा अन्यथा गवर्निंग बोर्ड को अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को (एक्सचेंज के पदाधिकारी या अधिकारी सहित) अथवा कंपनी अथवा अस्थिर व्यक्तियों के निकाय (चाहे एक्सचेंज का न्यासी हो या न हो) को, न्यास की समस्त या किसी शक्तियों का और विवेक जो उसमें निहित है, का प्रत्यायोजन करना उपयुक्त समझते हैं और यह प्रत्यायोजन ऐसी शर्तों पर किया जाएगा और उप-प्रत्यायोजन के अधिकार सहित जो ऐसे विनियमों के अधीन होगा, जैसा कि न्यासी उपयुक्त समझे तथा न्यासी किसी भी कार्यवाही के पर्यवेक्षण के प्रति बाध्य नहीं होगा अथवा कुसंचालन के कारण हुए किसी भी प्रकार के नुकसान अथवा इस प्रकार के किसी प्रत्यायोजन या उप-प्रत्यायोजन के कारण हुई किसी चूक के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.08.1971 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित।

लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षक की नियुक्ति और उनके कार्य

94. एक्सचेंज, वार्षिक साधारण सभा में लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा और परिश्रमिक निर्धारित करेगा। इस प्रकार से नियुक्त लेखापरीक्षक एक्सचेंज के खातों की लेखापरीक्षा करेंगे तथा प्रतिभूतियों एवं एक्सचेंज की निधियों निवेश तथा समस्त आवश्यक वाउचर एवं पेपर की जांच करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट देंगे जिसे वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

रिक्ति

95. लेखापरीक्षक कार्यालय में किसी भी प्रकार की आकस्मिक रिक्ति को उसके बाद गवर्निंग बोर्ड द्वारा अन्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति करके भरा जाएगा।

¹¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया तथा सेबी द्वारा 24.06.1993 को अनुमोदित।

गवर्निंग बोर्ड और पदाधिकारियों का चुनाव

¹96. गवर्निंग बोर्ड निम्नानुसार होगा :

- (क) एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा साधारण चुनाव के आधार पर चयनित एक्सचेंज के ²(नौ सदस्य)
- (ख) नियम 99 के खंड (क) और (ख) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

⁴{(ग)}

- (ग) नियम 99 के खंड (ग) के अनुसार नामित जनता के प्रतिनिधि जिनकी संख्या ⁵{⁶सात} से अधिक नहीं होगी, और

⁷{प्रावधान किया जाता है कि सेबीजनता के सात से अधिक प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकती है बशर्ते कि किसी भी समय इस खंड और ऊपर दिए गए खंड (ख) के अंतर्गत नामित सदस्यों की कुल संख्या ऊपर खंड(क) के अंतर्गत चयनित सदस्यों की कुल संख्या से अधिक न हो}

- ⁸(घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नियम 98 के अनुसार की जाएगी।

- ⁹(ङ) मुख्य परिचालन अधिकारी की नियुक्ति नियम 98ए के अनुसार की जाएगी।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 21.03.1988 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 06.12.1988 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा 102 को अनुमोदित।

⁷ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा 002 को अनुमोदित।

⁸ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा 12 को अनुमोदित।

⁹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा 102 को अनुमोदित।

सेवानिवृत्ति

- ¹⁰97. (क) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नियम 96 के खंड (क) के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड के चयनित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य, और यदि उनकी संख्या तीन के गुणज में न हो तो एक-तिहाई के नजदीक जो संख्या होती हो, कार्यालय से सेवानिवृत्त होंगे। गवर्निंग बोर्ड में चयनित सदस्य प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे और वे पहले सेवानिवृत्त होंगे जिनकी पिछली नियुक्ति से लेकर अब तक सर्वाधिक कार्यकाल रहा हो किंतु सदस्यों के मध्य जो उसी दिन गवर्निंग बोर्ड के सदस्य बन गए हैं और जिन्हें स्वतः सेवानिवृत्त होना है और जिनके बीच कोई परस्पर समझौता हुआ है, का निर्धारण लाट द्वारा किया जाएगा।

चुनाव

(ख) एक्सचेंज प्रत्येक वर्ष मार्च में इसके बाद दी गई व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त सेवानिवृत्ति के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों का चयन मतपत्र द्वारा करेगा। सेवानिवृत्त सदस्य नियम 102 के प्रावधानों के अनुसार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

¹⁰ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 21.03.1988 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सेबी द्वारा 06.12.1988 को अनुमोदित।

¹{ मुख्य कार्यपालक अधिकारी }

²98. (क) गवर्निंग बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा शर्तों, उसकी नियुक्ति का नवीकरण, और हटाना अथवा सेवा समाप्त करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। इस पद के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अन्य कारोबार नहीं करेगा और यदि वह एक्सचेंज का सदस्य है तो नियुक्ति के समय उसे अपनी सदस्यता से आगे लिए त्यागपत्र देना होगा।

प्रावधान किया जाता है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हटाने या सेवा समाप्त करने के संबंध में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उसे इस प्रकार से हटाने या सेवा समाप्त करने के संबंध में सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाए।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गवर्निंग बोर्ड का तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी समिति का पदेन सदस्य होगा।

(ग) इन नियमों, उप-विधियों एवं विनियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार एक्सचेंज के कार्यों का समग्र प्रबंधन गवर्निंग बोर्ड के पास है, उसके अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास एक्सचेंज की कार्यपालक शक्तियां होंगी जिससे वह एक्सचेंज के दैनिक प्रशासन का संचालन करेगा तथा एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों एवं विनियमों को लागू करेगा और किसी भी सार्वजनिक मामले में एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करेगा और उन अन्य समस्त शक्तियों, अधिकारों, कर्तव्यों तथा कार्यों का प्रयोग करेगा जो उसे समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाएंगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी निदेशों, दिशानिर्देशों, तथा आदेशों में से एक्सचेंज पर यथालागू विधि प्रावधानों, नियमों, एवं विनियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से तथा एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों एवं विनियमों को लागू करवाएगा।

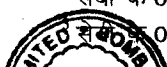
मुख्य परिचालन अधिकारी

³98 क. गवर्निंग बोर्ड, अपने स्वयं के विवेक से, मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करेगा तथा मुख्य परिचालन अधिकारी की नियुक्ति, नियुक्ति की शर्तें तथा उसे हटाना अथवा कार्यालय से निलंबित करना गवर्निंग बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। मुख्य परिचालन अधिकारी, एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। मुख्य परिचालन अधिकारी के पास वे शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा कार्य होंगे जो उसे एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार समय-समय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे जाएंगे अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएंगे।

¹ सेबी के 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित।

² सेबी के 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित।

³ सेबी के 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.2002 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया।



¹{सेबी} नामिती

- ²99. ³(क) ⁴{भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड} समय-समय पर एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, प्रतिनिधि ⁵{ } के रूप में नामित करेगा।

⁶(सेबी) का नामिती सरकार की इच्छा से कार्यासीन रहेगा

- ⁷(ख) ⁸(सेबी) का नामिती ⁹सेवानिवृत्त नहीं होगा। वे ¹⁰भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की इच्छा पर कार्यालय में बने रहेंगे, जिन्हें सेबी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी समय नियुक्ति से मुक्त किया जा सकता है और उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

¹¹ जन प्रतिनिधि

- (ग) गवर्निंग बोर्ड, इसके गठन के तुरंत बाद, बोर्ड में एक जन-प्रतिनिधि को नामित करेगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड में एक या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति ¹²को जनप्रतिनिधि ¹³ ¹⁴के रूप में नामित करेगा जो प्रतिभूति कारोबार से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़ा होगा। इस प्रकार स नामित व्यक्ति का कार्यकाल बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने तक बना रहेगा अथवा ¹⁵भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुमोदन से बाद के वर्ष के लिए किसी प्रतिनिधि को नामांकित किए जाने तक, जो भी बाद में हो, तक बना रहेगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 30.11.1982 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 23.12.1982 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड के 17.10.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित

⁷ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित और सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

⁸ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित

⁹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित

¹⁰ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 12.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित

¹¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 27.09.2003 को अनुमोदित

¹² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.02.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित

¹³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 18.12.2002 को अनुमोदित

¹⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 07.08.2004 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 03.08.2004 को अनुमोदित

¹⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 07.08.2004 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 03.08.2004 को अनुमोदित

¹जनप्रतिनिधि और सेबी नामिती के लिए उचित प्रथा/आचार संहिता

99. क जनप्रतिनिधि और सेबी के नामिती इन नियमों के अंतर्गत परिशिष्ट "जे" में निर्धारित उचित प्रथा/आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों, जिसे समय-समय पर सेबी द्वारा संशोधित किया जा सकता है, का पालन करेंगे।

पात्रता शर्तें

100. ऐसा कोई सदस्य गवर्निंग बोर्ड का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होगा यदि -

राष्ट्रीयता

²{ (i) वह भारतीय नागरिक नहीं है } ;

स्थायित्व

(ii) ³{ वह नियम 104 के अंतर्गत चुनाव हेतु उम्मीदवार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तीन वर्ष से कम अवधि तक स्थायी रूप से सदस्य रहा हो }

चूक

(iii) वह किसी भी समय चूककर्ता घोषित किया गया हो अथवा सामान्य रूप से अपनी देयता पूरी नहीं कर सका हो अथवा उसके प्रति काफी लेनदारी हो।

⁴पंजीकरण निरस्त करना

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा एक्सचेंज के ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया हो;

पंजीकरण प्रमाणपत्र, ट्रेडिंग/सदस्यता अधिकारों का निलंबन

⁵{ (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अथवा एक्सचेंज, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसका स्टॉक दलाल के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र या कारोबार अधिकार निलंबित किय गया है अथवा एक्सचेंज के नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अंतर्गत उसके विरुद्ध किसी अनुशासनिक कार्रवाई के कारण एक्सचेंज ने उसका सदस्यता अधिकार निलंबित कर दिया हो और पंजीकरण प्रमाणपत्र, कारोबार अधिकार तथा सदस्यता अधिकार से इस निलंबन की समाप्ति तारीख से दो वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो। }

¹ सेबी के 19.08.2003 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.08.2003 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 09.10.2003 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 20.01.2000 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 15.05.2000 को अनुमोदित

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 06.01.1997 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 27.02.1997 को अनुमोदित

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 20.01.2000 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 15.05.2000 को अनुमोदित

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 20.01.2000 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 15.05.2000 को अनुमोदित

अधिसूचित व्यक्ति

{(vi) वह, विशेष न्यायालय वाद (प्रतिभूति लेनदेन से संबंधित अपराधों की सुनवाई) अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति की श्रेणी में आता हो और इस अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति को गैर-अधिसूचित किए जाने की समाप्ति तारीख से दो वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो।}

¹{(vii) उसके उसके अतिक्रमण के समय वह एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का सदस्य था और सेबी द्वारा अतिक्रमण आदेश पारित किए जाने की समाप्ति तारीख से दो वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो।}

स्पष्टीकरण : यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड (vii) में, एक सदस्य के पुनः चुनाव का पात्र होने के लिए सदस्य बनने से पूर्व दो वर्ष की अवधि की शर्त एक्सचेंज में कारोबार करने वाली साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों पर अथवा कार्पोरेट सदस्य के सभी नामिती (चाहे वे अतिक्रमण के समय बोर्ड के क्रमशः वैसे भागीदार/नामिती रहे हों या न रहे हों) पर भी लागू होगी।}

कार्पोरेट सदस्यों की पात्रता

²100 क. ³{(i) कोई कंपनी अथवा कंपनी निकाय, जो सदस्य है (इसके बाद जिसे कार्पोरेट सदस्य कहा जाएगा) किसी व्यक्ति, जो कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक निदेशक है, को गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में चुनाव हेतु नामित कर सकती है।

(ii) वैयक्तिक सदस्य/भागीदारी फर्म की कार्पोरेट सदस्य के रूप में परिवर्तित हो जाने के मामले में, कार्पोरेट सदस्य किसी वैयक्तिक सदस्य अथवा भागीदारी अथवा गठित अटर्नी जिसे नियम 211 के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा वैयक्तिक सदस्य अथवा भागीदारी फर्म का कारोबार चलाने के लिए अनुमोदित किया गया है, को नामित कर सकता है।

बशर्ते कि व्यक्ति, भागीदारी अथवा गठित अटर्नी उस कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक निदेशक हो जिसका गठन वैयक्तिक सदस्य/भागीदारी फर्म को परिवर्तित करके कार्पोरेट सदस्य के रूप में किया गया हो।

(iii) उप-नियम (i) और (ii) में संदर्भित वैयक्तिक भागीदार अथवा गठित अटर्नी, नियम 100 के खंड (i) और (iii) से ⁴{(vii)} तक निर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों का पालन करेंगे;

(iv) कार्पोरेट सदस्य नियम 100 के खण्ड (ii) से ¹{(ii)} में दिए गए पात्रता मानदण्ड का पालन करेंगे;

¹गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.02.2005 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 04.04.2005 को अनुमोदित

²गवर्निंग बोर्ड द्वारा 07.12.1987 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.1988 को अनुमोदित

³गवर्निंग बोर्ड द्वारा 20.01.2000 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 15.05.2000 को अनुमोदित

⁴गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.02.2005 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 04.04.2005 को अनुमोदित।

प्रावधान किया जाता है कि नियम 100 के खण्ड (ii) के अंतर्गत कार्पोरेट सदस्य के पात्रता मानदण्ड के प्रयोजन से, उप नियम (ii) में यथासंदर्भित व्यक्ति, भागीदार अथवा गठित अटार्नी का पूर्व अनुभव विचार में लिया जाएगा।

(v) गवर्निंग बोर्ड में किसी भी समय कार्पोरेट सदस्य का एक से अधिक नामिती नहीं होगा।}

सदस्य के रूप में भागीदार

101. गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी भी समय किसी भागीदार फर्म का एक से अधिक भागीदार सदस्य नहीं होगा।

सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य

²102. ³{ गवर्निंग बोर्ड के सेवानिवृत्त होने वाले सभी सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे। ,
बशर्ते -

- (i) यदि कोई व्यक्ति गवर्निंग बोर्ड में लगातार दो वर्ष तक चयनित किया गया है तो वह लगातार दूसरे वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक दुबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ii) एक्सचेंज में कारोबार कर रही किसी भागीदार फर्म का भागीदार (चाहे वही भागीदार हो या न हो) गवर्निंग बोर्ड में लगातार दो वर्ष तक चयनित किया गया है तो उस भागीदारी फर्म का कोई भी भागीदार लगातार दूसरे वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक दुबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा;
- (iii) यदि किसी कार्पोरेट सदस्य का कोई नामिती (चाहे वही व्यक्ति हो या न हो) गवर्निंग बोर्ड में लगातार दो वर्ष तक चयनित किया गया है तो उस कार्पोरेट सदस्य का कोई भी नामिती उसके लगातार दूसरे वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक दुबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा।}

चुनाव के लिए नोटिस

103. गवर्निंग बोर्ड हेतु मतपत्र द्वारा किसी भी चुनाव के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा कम से कम एक महीने पूर्व नोटिस दिया जाएगा और नोटिस को एक्सचेंज के नोटिसबोर्ड पर लगाया जाएगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 16.02.2005 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 04.04.2005 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 23.09.1999 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सेबी द्वारा 15.05.2000 को अनुमोदित।

उम्मीदवारों का प्रस्ताव ¹{प्रस्ताव वापस लेना}

104. गवर्निंग बोर्ड के चुनाव हेतु पात्र उम्मीदवार के लिए एक्सचेंज के कोई सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव एवं समर्थन दे सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव लिखित रूप में होंगे जिस पर प्रस्ताव करने वाले एवं समर्थन करने वाले के हस्ताक्षर होंगे तथा उम्मीदवार के हस्ताक्षर इस आशय से होंगे कि वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है तथा प्रस्ताव एक्सचेंज में चुनाव की तारीख से स्पष्टतः कम से कम पंद्रह दिन पहले पहुंच जाए। ²{कोई उम्मीदवार अपने नाम को लिखित रूप में हस्ताक्षरित पत्र देकर वापस ले सकता है, यह पत्र एक्सचेंज में चुनाव की तारीख से स्पष्टतः नौ दिन पहले पहुंच जाए};

उम्मीदवारों को नोटिस

105. चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम, उनके प्रस्ताव करने वालों तथा समर्थन करने वालों के नामों की एक नोटिस चुनाव की तारीख से पहले, सात दिन तक एक्सचेंज के सूचनापट्ट पर लगाई जाएगी।

मतपत्र कब अनावश्यक है

106. जब उम्मीदवारों की संख्या, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो मतपत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे उम्मीदवार विधिवत रूप से चयनित मान लिए जाएंगे और यदि इसके बावजूद कोई रिक्ति शेष रहती है तो चयनित गवर्निंग बोर्ड द्वारा उसे भरा जाएगा।

संवीक्षक

107. गवर्निंग बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट, एक्सचेंज के तीन सदस्यों को चुनाव के संवीक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे जो गवर्निंग बोर्ड के सदस्य या चुनाव के उम्मीदवार नहीं होंगे तथा मतदान के परिणाम की रिपोर्ट एक्सचेंज और शासकीय बोर्ड को देंगे।

मतदान

108. कोई भी सदस्य किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत/वोट देने का पात्र नहीं होगा और न ही भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से कम मत देने की पात्रता होगी।

चयनित उम्मीदवार

109. जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक संख्या में मत मिलेंगे वह रिक्त स्थान के लिए चयनित घोषित किया जाएगा और यदि मतों की संख्या समान होती है तो इस मामले में संवीक्षकों द्वारा लॉट निकालकर चुनाव का निर्णय किया जाएगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 18.01.2001 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 23.02.2001 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 18.01.2001 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 23.02.2001 को अनुमोदित।

पदाधिकारी

- ¹ 110. नियम 110 के प्रावधानों के अधीन, गवर्निंग बोर्ड इसके चुनाव के बाद पहली बैठक में, गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों ²{ } में से प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष तथा मानद कोषाध्यक्ष का चुनाव कर ³(सकता) है, जो एक्सचेंज के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मानद कोषाध्यक्ष होंगे।

प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड का कोई सदस्य ⁴{ } जिसने अध्यक्ष के रूप में लगातार दो वर्ष तक कार्य किया है, अध्यक्ष पद हेतु दुबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि पिछले कार्यकाल के समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड का कोई सदस्य ⁵{ } जिसने उपाध्यक्ष के रूप में लगातार दो वर्ष तक कार्य किया है, उपाध्यक्ष पद हेतु दुबारा चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि पिछले कार्यकाल के समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए।

चयनित कोई भी सदस्य पदाधिकारी नहीं होगा

- ⁶ 110 क. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों में किसी बात के होते हुए गवर्निंग बोर्ड का कोई भी चयनित सदस्य, एक्सचेंज में पदाधिकारी के रूप में क्रमशः जैसे- प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष तथा मानद कोषाध्यक्ष के रूप में पद हेतु पात्र नहीं होगा।

प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष अथवा मानद कोषाध्यक्ष कार्यालय में रिक्ति

- 111.⁷(क) यदि प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष या मानद कोषाध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति होती है तो गवर्निंग बोर्ड द्वारा उसे चुनाव के माध्यम से गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों से भरा जाएगा तथा इस प्रकार से चयनित प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष या मानद कोषाध्यक्ष अगले वार्षिक चुनाव तक तथा जब तक चयनित उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं करते, तब तक कार्य करते रहेंगे।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.04.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 03.06.2002 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.04.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 03.06.2002 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.04.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 03.06.2002 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.04.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया तथा सेबी द्वारा 03.06.2002 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.04.2002 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 03.06.2002 को अनुमोदित।

⁷ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

कार्यकारी प्रेसिडेंट

- ¹ (ख) यदि कोई कार्यकारी प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष नहीं हैं अथवा अस्थायी अनुपस्थिति में अथवा इन दोनों के कार्य नहीं करने की असमर्थता में, गवर्निंग बोर्ड, एक्सचेंज के कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों में से किसी का चयन फिलहाल के लिए कर सकता है।

गैर-कार्यपालक अध्यक्ष (चेयरमैन)

- {² { 112. इस बात के होते हुए भी कि इसमें क्या निर्दिष्ट किया गया है, गवर्निंग बोर्ड अपने गैर-चयनित सदस्यों में से एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी शर्तों एवं ऐसी अवधि के लिए जो किसी भी समय दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसाकि बोर्ड निर्धारित करे, कर सकता है। गैर-कार्यपालक अध्यक्ष गवर्निंग बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य गैर-कार्यपालकीय कार्य करेगा। अपने कार्यकाल के दौरान, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष किसी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य नहीं होगा अथवा प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री का कारोबार नहीं करेगा और न ही किसी भी दलाली संस्था के निदेशक, कर्मचारी अथवा अन्यथा रूप में संबद्ध होगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.1966 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.04.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 05.09.2002 को अनुमोदित।

गवर्निंग बोर्ड में रिक्तियां

अवकाश की अनुमति

113. गवर्निंग बोर्ड, गवर्निंग बोर्ड के किसी भी सदस्य को चार महीने तक की अनुपस्थिति की अनुमति दे सकता है और एक संकल्प द्वारा ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उसके स्थान पर एक्सचेंज के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता है जो गवर्निंग बोर्ड का सदस्य चुने जाने हेतु पात्र हो।

रिक्ति

114. गवर्निंग बोर्ड के सदस्य का पद स्वतः रिक्त होगा -

भुगतान का निलंबन

- (i) ¹ {} यदि वह अथवा कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामित किया है अथवा भागीदारी फर्म जिसका वह भागीदार है, भुगतान रोकता है अथवा दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णयन होता है अथवा यदि उसके द्वारा कार्यों को समेटने के लिए अथवा उसकी भागीदारी फर्म द्वारा अथवा कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामित किया है, याचिका दायर की जाती है, अथवा यदि वह या उसकी भागीदारी फर्म अथवा कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामित किया है, उसकी लेनदारी काफी बढ़ जाती है अथवा चूककर्ता घोषित किया जाता है; }

मानसिक अस्वस्थता

- (ii) यदि वह विक्षिप्त पाया जाता है अथवा मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाता है अथवा कारोबार पर पर्याप्त ध्यान दे पाने में असमर्थ हो जाता है;

अनुपस्थिति

- (iii) यदि वह गवर्निंग बोर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी लिए बिना लगातार तीन महीने तक गवर्निंग बोर्ड की बैठकों से अनुपस्थित रहता है;

मृत्यु, निलंबन अथवा निष्कासन

- (iv) यदि उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह या कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामित किया है वह एक्सचेंज का सदस्य नहीं रह जाता है या एक्सचेंज से निष्कासित कर दिया जाता है;

- ² { प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड के सदस्य का कार्यालय रिक्त मान नहीं माना जाएगा यदि ऐसा सदस्य अपनी सदस्यता के नामांकन के अधिकार का उपयोग किसी कंपनी अथवा वित्तीय निगम के पक्ष में करता है, जिसका वह पदनामित निदेशक है यदि उसकी उस कंपनी अथवा वित्तीय निगम में परिवार सदस्यों एवं वर्तमान भागीदारों सहित शेयर पूंजी 51 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उसके स्थान पर

¹ गवर्निंग बोर्ड के 23.09.1999 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सेबी द्वारा 07.01.2000 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के 21.07.1997 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 31.12.1997 को अनुमोदित।

एक्सचेंज के सदस्य के रूप में दाखिल किया जा सकता है। तथापि, ऐसा सदस्य, गवर्निंग बोर्ड का सदस्य उसके शेष कार्यकाल तक रहेगा अथवा उस समय तक जब तक उसकी उक्त में शेयर पूंजी 51 प्रतिशत नहीं रह जाती है, जो भी पहले हो।}

त्यागपत्र

- (v) यदि वह गवर्निंग बोर्ड को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे देता है।

¹/₂ { सेबी पंजीकरण का निरस्त होना

- (vi) यदि उसका स्टॉक दलाल के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।

निलम्बन

- (vii) यदि उसका स्टॉक दलाल के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसके व्यापार अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या एक्सचेंज द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं, जैसा भी मामला हो, अथवा एक्सचेंज के नियमों विनियमों एवं उप-विधियों के अंतर्गत उसके विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप एक्सचेंज द्वारा उसका सदस्यता अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार स पंजीकरण प्रमाणपत्र, व्यापार अधिकार अथवा सदस्यता अधिकार के समापन/निलम्बन के समाप्त होने की तारीक से दो वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो।

अधिसूचित व्यक्ति

- (viii) यदि वह विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित आपराधिक सुनवाई) अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है।

कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक/पदनामित निदेशक नहीं रहना

- (ix) यदि वह, कार्पोरेट सदस्य का नामिती होने के नाते, कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक/ पदनामित निदेशक नहीं रह जाता है।

राष्ट्रीयता

- (x) यदि वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है;

यदि उपर्युक्त खण्डों में दिए गए आधारों पर सदस्य का पद रिक्त होता है तो कार्पोरेट सदस्य को उस सदस्य के स्थान पर दूसरा सदस्य लाने का अधिकार नहीं होगा और उस रिक्ति को एक्सचेंज के नियमों के अनुसार भरा जाएगा।}

जब गवर्निंग बोर्ड का कोई सदस्य उपर्युक्त किन्हीं खण्डों के अंतर्गत निर्दिष्ट घटना के कारण पद खाली करता है तो वह ऐसी घटना के घटित होने पर अपने कार्यकाल की शेष अवधि के दौरान गवर्निंग बोर्ड के सदस्य/पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।}

¹ गवर्निंग बोर्ड के 12.06.1995 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सेबी द्वारा 11.07.1995 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के 23.09.1999 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 07.01.2000 को अनुमोदित।

गवर्निंग बोर्ड से निष्कासन

115. गवर्निंग बोर्ड, विशेष संकल्प पारित करके गवर्निंग बोर्ड के ऐसे किसी भी सदस्य को गवर्निंग बोर्ड से हटा सकता है, जो उसके विवेक के अनुसार अनुपयुक्त आचरण का दोषी पाया जाता है अथवा जो उसके विचार में किसी तेजड़िया या मंदड़िया समूह या दोनों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित (दलाली के अलावा) रखता हो। ताकि बाजार को प्रभावित या कमजोर किया जा सके अथवा ऐसे समूहन या युग्म का भागीदार या उप-भागीदार या जिम्मेदार प्रतिनिधि माना गया हो।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

116. ¹ {} यदि गवर्निंग बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति पैदा होती है तो ऐसी रिक्ति को एक्सचेंज के विधिवत योग्य सदस्यों का चुनाव करवाकर भरा जाएगा, बशर्ते गवर्निंग बोर्ड के चुनाव के नियमों में दिए गए तरीके से परिस्थितियां इस बात की अनुमति देती हों कि जब तक कि गवर्निंग बोर्ड यह निर्धारित न करे कि इस प्रकार से उत्पन्न रिक्ति अगले वार्षिक चुनाव तक नहीं भरी जाएगी। इस प्रकार से चयनित सदस्य केवल उस तारीख तक कार्य कर सकेगा जिस तारीख तक वह व्यक्ति कार्य करता रहेगा जिसके स्थान पर उसे रखा गया है। प्रावधान किया जाता है कि यदि किसी सदस्य को नियम 114 लागू होने के कारण पद रिक्त करता है अथवा नियम 115 के अंतर्गत उसे हटाया जाता है, उक्त असाधारण बैठक/चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम में "आकस्मिक रिक्ति" में वह भी रिक्ति शामिल है जो नियम 114 लागू होने के कारण अथवा नियम 115 के अंतर्गत हटाए जाने के कारण उत्पन्न होती है।

विद्यमान सदस्यों की शक्तियां

117. (क) गवर्निंग बोर्ड के विद्यमान एवं नियमित सदस्य उनकी संख्या में किसी अन्य रिक्ति के होते हुए कार्य करते रहेंगे जब तक कि उस रिक्ति को नहीं भर लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे सदस्य कोरम पूरा करते हों।

विद्यमान सदस्यों की सीमित शक्तियां

- (ख) यदि गवर्निंग बोर्ड के विद्यमान सदस्य या नियमित सदस्य कोरम पूरा नहीं करते हैं तो वे गवर्निंग बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग उसके लिए लागू नियमों के अनुसार ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन मात्र के लिए कर सकते हैं।

गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्यों का त्यागपत्र

- (ग) यदि गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य मिलकर त्यागपत्र देते हैं तो ऐसे सदस्य गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक पद संभालते रहेंगे और उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे जब तक कि इन नियमों के अनुसार एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा मतपत्र के माध्यम से परवर्ती गवर्निंग बोर्ड का चयन नहीं हो जाता।

गवर्निंग बोर्ड की शक्तियां

118. गवर्निंग बोर्ड का अधिकारक्षेत्र एक्सचेंज के समस्त सदस्यों पर होगा और सभी स्थायी एवं अन्य समितियों के किसी एवं समस्त विषयों एवं मामलों पर पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्र होगा तथा उनके कार्यों एवं कार्यवाहियों को किसी भी स्तर पर निर्देशित एवं नियंत्रित कर सकता है। गवर्निंग बोर्ड को पूरी सक्ति एवं अधिकार होगा कि वह एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों की व्याख्या करे और स्टॉक एक्सचेंज के मामलों से संबंधित तथा प्रशासन से संबंधित समस्त मुद्दों, प्रश्नों और विवादों, स्टॉक एक्सचेंज के ¹{कार्य, कार्यपद्धति} और कार्यों तथा सदस्यों का परस्पर अथवा तीसरे पक्ष के प्रति आचरण के संबंध में निर्णय ले। गवर्निंग बोर्ड द्वारा दी गई कोई भी व्याख्या अथवा निर्णय अंतिम होगा और निष्कर्षतः सभी सदस्यों, उनके भागीदारों, एजेंटों तथा कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों पर जो उनके माध्यम से या उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, लागू होगा।

सामान्य शक्तियां

119. एक्सचेंज के ² { कार्य, कार्यपद्धति और मामलों } का प्रबंधन तथा नियंत्रण; सदस्यों, उनके भागीदारों, एजेंटों और कर्मचारियों के आचरण का विनियमन और एक्सचेंज के कल्याणकारी कार्यों, उद्देश्यों का प्रोत्साहन, तथा एक्सचेंज की संपत्तियों एवं निधियों तथा उसकी आय और व्यय का प्रबंधन एवं नियंत्रण, एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों एवं विनियमों के अधीन होगा जो गवर्निंग बोर्ड में निहित होगा तथा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड समय-समय पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे नियम, उप-विधि, विनियम एवं संकल्प बना और अंगीकार कर सकता है तथा इस प्रकार के आदेश, सूचना तथा निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे निर्णय ले सकता है जो उपयुक्त समझे जाते हैं। गवर्निंग बोर्ड, फिलहाल एक्सचेंज में लागू किसी नियम, उप-विधि अथवा विनियम द्वारा स्पष्टतः प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो एक्सचेंज द्वारा आयोजित साधारण सभा में प्रयोग या संपन्न की जाती है और जिसकी इस प्रकार से स्पष्टतः प्रयोग की अपेक्षा नहीं होती है और विशेष रूप से उल्लिखित पूर्व शक्तियों को बढ़ाने, न कि सीमांकन के लिए, तथा पूर्व की शक्तियों पर सामान्य रूप एवं वर्तमान में लागू एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि अथवा विनियम द्वारा प्रदत्त समाविष्ट या व्यक्त रूप से किसी शक्ति या प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गवर्निंग बोर्ड, वर्तमान में लागू किसी नियम, उप-विधि के अधीन इन नियमों में उनकी ओर से दिए गए प्रावधानों के अर्थ में सरकारी और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत है।

गवर्निंग शक्तियां

120. गवर्निंग बोर्ड की गवर्निंग शक्तियों के प्रयोग में यह माना जाएगा कि वह निम्नलिखित अथवा उसी प्रकार का कार्य करने अथवा निम्नलिखित का अथवा समान प्राधिकारियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात् -

¹ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

पदाधिकारी

- (i) पदाधिकारियों का चयन करना और समिति नियुक्त करना,

आकस्मिक रिक्तियां

- (ii) गवर्निंग बोर्ड थवा स्थायी अथवा किसी अन्य समिति अथवा किसी लेखापरीक्षक की आकस्मिक रिक्तियों को भरना;

सदस्यों का प्रवेश, निष्कासन और नियंत्रण

- (iii) विशेष बहुमत से किसी सदस्य को प्रवेश दिलाना, निष्कासित करना तथा विशेष संकल्प द्वारा बहाल करना तथा नियंत्रित करना, चेतावनी देना, पाबंदी लगाना, दण्ड लगाना तथा उन्हें निलंबित करना, उनकी समस्त या किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस लेना और उनकी चूक को घोषित करना;

भागीदारी, अटर्नी, स्टॉक प्रतिनिधि और प्राधिकृत लिपिकों का अनुमोदन

- (iv) भागीदारी के गठन को अनुमोदित एवं नियंत्रित करना तथा अटर्नी, एजेंटों, स्टॉक प्रतिनिधि, प्राधिकृत लिपिकों और सदस्यों के कर्मचारियों को नियुक्त करना;

भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक प्रतिनिधि, और कर्मचारियों पर नियंत्रण

- (v) भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लिपिकों और सदस्यों के कर्मचारियों को अनुमोदन, नियंत्रण, चेतावनी, पाबंदी, दण्ड, निलंबन, निष्कासन तथा पर्यवेक्षण करना;

जांच

- (vi) वित्तीय स्थिति, सदस्यों की कारोबारी संहिता और कारोबार की जांच और अन्वेषण;

उपस्थिति और सूचना

- (vii) किसी भी सदस्य, उसके भागीदार, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लिपिकों और कर्मचारियों को गवर्निंग बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट ¹{अथवा चेयरमैन} अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, जांच करने हेतु बुलाना तथा गवर्निंग बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट ²{अथवा चेयरमैन} अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी बही, कागजात, प्रलेख, पत्राचार, क्लियरिंग फार्म अथवा कोई अन्य अभिलेख अथवा जानकारी जो उसके पास या उसके कब्जे में हो, जो प्रासंगिक मानी गई हो, अथवा जांच व परीक्षण से संबंधित कोई भी समग्री, अथवा ऐसी सामग्री उसे गवर्निंग बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में व्यापार के न्यायोचित एवं समानता सिद्धांत के हित में आवश्यक समझे, अथवा जनहित में अथवा एक्सचेंज और उसके सदस्यों के हित एवं कल्याण के लिए हो;

¹ गवर्निंग बोर्ड के 22.03.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 22.03.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

- (viii) एक्सचेंज, में किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों एवं विवादों जो सदस्यों, उनके भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक प्रतिनिधि, प्राधिकृत लिपिकों, कर्मचारियों अथवा ग्राहकों को प्रभावित करते हों, अथवा उनके लेनदेन को, परस्पर चरित्र एवं आचरण को अथवा तीसरे पक्ष को प्रभावित करते हों, उनकी सुनवाई, जांच, विवाचन और न्यायनिर्णयन एवं निर्णय लेना;

दण्ड आरोपित करना

- (ix) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का उल्लंघन करने तथा संकल्प, आदेश, सूचना, निर्देश अथवा गवर्निंग बोर्ड या प्रेसिडेंट ¹{अथवा चेयरमैन} अथवा किसी समिति तथा एक्सचेंज की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के निर्णयों की अनदेखी करना अथवा पालन न करना अथवा पालन करने से मना करना अथवा एक्सचेंज के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध जिसके लिए दण्ड निश्चित न किया गया हो, के लिए समय-समय पर दण्ड निर्धारित करना और दण्ड लगाना।

नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का प्रवर्तन

- (x) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का प्रवर्तन तथा उनके विरुद्ध किए गए अपराधों पर विचार करना;

² कार्यप्रणाली का विनियमन

- (xi) समय-समय पर ऐसे तरीके (मोड) और ऐसी स्थिति का निर्धारण करना जिसके अधीन {स्टॉक एक्सचेंज कार्य करेगा};

विनियमन

- (xii) एक्सचेंज के नियमों और उप-विधियों के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी विनियमन को बनाना और समय-समय पर उसमें जोड़ना, स्थानापन्न करना भिन्न करना, संशोधित करना अथवा निरस्त करना;

सामान्य नियंत्रण

- (xiii) निर्णय करना और समय-समय पर संकल्प पारित करना तथा उन मामलों में आदेश, नोटिस तथा निर्देश जारी करना जिन मामलों में एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों एवं विनियमों में प्रावधान नहीं किया गया है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 22.03.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

- (xiv) किसी भी संकल्प, आदेश, नोटिस, निर्देश और निर्णय की समीक्षा, पुनर्विचार, संशोधित करना अथवा निरस्त करना तथा

सामान्य शक्ति

- (xv) सामान्यतया पर्यवेक्षण करना तथा एक्सचेंज के हितों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों को निर्देशित करना;

प्रशासनिक शक्तियां

121. गवर्निंग बोर्ड, उसकी प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग से यह माना जाएगा कि वह निम्नलिखित में किसी या उसी प्रकार के कार्य अथवा निम्नलिखित में से किसी एक के अथवा समान प्राधिकारी के प्रयोग के लिए प्राधिकृत है अर्थात्

शुल्क और प्रभार

- (i) एक्सचेंज के नियमों और उप-विधियों और विनियमों में निर्दिष्ट; बकायों एवं प्रभारों के अलावा ऐसे अन्य प्रभारों एवं शुल्क ¹{जो एक्सचेंज के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक अथवा अपेक्षित हैं} का समय-समय पर निर्धारण करना और ²{सदस्यों से} वसूल करना;

उधार

- (ii) ³{ नियम 4 (vi) के प्रावधानों के अधीन} अदत्त प्रतिभूति की जमानत पर उधार लेना और समस्त अथवा उसके किसी भाग को बंधक रखना, जिसे समाशोधन गृह द्वारा चूककर्ता के खातों के लिए धारित किया गया है जिसकी राशि प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसी प्रतिभूति के मूल्य से अधिक नहीं होगी और जो ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सदस्यों को भुगतान के प्रयोजन से हो तथा साधारण सभा में एक्सचेंज की सहमति से एक्सचेंज के प्रयोग के लिए अपेक्षित किसी राशि को ऐसी शर्तों एवं ऐसे तरीके से उधार लेना या जुटाना और जो जमानत सहित अथवा जमानतरहित हो सकती है, जैसा भी निर्धारित किया जाए;

अचल संपत्ति संबंधी लेनदेन

- (iii) साधारण सभा में एक्सचेंज की सहमति से या तो पूरी तरह या सशर्त किसी अचल संपत्ति के संपूर्ण भाग अथवा किसी हिस्से को प्राप्त करना, विकसित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना, बेचना, अदला-बदली करना, बंधक रखना अथवा अन्यथा बेच देना।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

³ गवर्निंग बोर्ड के 16.08.1971 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 26.08.1971 को अनुमोदित

निधियों से संबंधित कारोबार

- ^{1, 2} (iv) उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रिया लागू करना और कार्यपालक निदेशक, किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों की किसी विशिष्ट समिति को विशेष रूप से जिम्मेदारी देते हुए प्राधिकृत करना कि वह एक्सचेंज के प्रशासन, कार्यों कार्यप्रणाली एवं मामलों के संचालन के लिए आवश्यक व्यय तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अंशदान देने या भुगतान करने हेतु भुगतान करे, संवितरित करे, विक्रय कर दे अथवा एक्सचेंज की किसी निधि या अन्य चलसंपत्ति के साथ लेनदेन/सौदा करे। गवर्निंग बोर्ड, एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक को चेक हस्ताक्षरित करने हेतु प्राधिकृत करेगा।

प्रावधान किया जाता है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी, जो गवर्निंग बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे, के अलावा कोई अन्य सदस्य एक्सचेंज की ओर से कोई चेक हस्ताक्षर करने या कोई बैंक खाता परिचालित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा।

निवेश

- (v) एक्सचेंज के किसी धन को, जिसकी उसके प्रयोजनों के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है, साधारण सभा में एक्सचेंज की सहमति से आवास या भूमि में निवेश या सौदा किया जा सकता है और भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों में अथवा पोर्ट ट्रस्ट बांड, नगरपालिका बांड, किसी प्रतिष्ठित ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रथम डिबेंचर, अथवा न्यास निधि के निवेश हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत ऐसी अन्य प्रतिभूतियों ³ ज अथवा केंद्र सरकार की अनुमति से किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के इक्विटी या वरीयता शेयरों में, अथवा किसी प्रतिष्ठित बैंक में निर्धारित ब्याज दर पर जमा के रूप में या चालू खाता में रखना जैसा कि निर्धारित किया जाए और जिस तरीके से रखना उचित समझा जाए और समय-समय पर उसमें भिन्नता लाई जाए, या ऐसे निवेश की वसूली कर ली जाए।

जारी करना

- (vi) एक्सचेंज को देय धन हेतु और एक्सचेंज के दावों एवं मांग हेतु धन देना एवं धन जारी करना तथा निपटान हेतु धन देना।

कानूनी कार्रवाई

- (vii) एक्सचेंज द्वारा अथवा उसके कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी सभी प्रकार की कार्रवाई, वाद एवं सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाइयों को प्रवर्तित करना, संचालित करना, संयोजित करना, अथवा बकाया किसी कर्ज के भुगतान या उसे चुकाने हेतु समय देना और एक्सचेंज द्वारा या उसके विरुद्ध कोई दावा या मांग अथवा विवाचन के लिए प्रस्तुत करना और उसपर निगाह रखना और निर्णय

¹ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 30.06.2003 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सेबी द्वारा 31.05.2004 को अनुमोदित

³ गवर्निंग बोर्ड के 15.03.1974 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 27.05.1974 को अनुमोदित

देना और उसकी ओर से सभी प्रकार के दस्तावेज बनाना, हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना।

कर्मचारियों की नियुक्ति

- (viii) कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा ऐसे स्थायी, अस्थायी अथवा विशेष कर्मचारियों को अपने विवेक पर निलंबित करना या हटाना तथा उनके अधिकार, ड्यूटी तथा पारिश्रमिक शर्तों का निर्धारण करना, किसी भविष्य लाभ निधि, पेंशन ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति अथवा बीमा योजनाओं को उनके लाभ के लिए स्थापित करना, बनाए रखना या अंशदान करना और उसकी ओर से सेवा संबंधी एवं अन्य नियमों तथा विनियमों को बनाना या संशोधित करना जैसाकि वह समय-समय पर करना उचित समझे।

समाशोधन गृह का प्रबंधन

- (ix) समय-समय पर समाशोधन गृह के पारिश्रमिक के संबंध में अनुदेश देना, नियंत्रित करना, प्रबंध करना और निर्धारण करना;

स्टॉक एक्सचेंज सुविधा

- (x) समय-समय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो ¹{स्टॉक एक्सचेंज के कार्य-संचालन के लिए} आवश्यक हो।

नियम और उप-विधि बनाने की शक्ति

122. गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर और प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन एक्सचेंज के किसी नियम अथवा नियमावली अथवा उप-विधि अथवा उप-विधियों को बना सकता है, उनमें अनुवर्द्धन, परिवर्तन कर सकता है अथवा इन्हें निरस्त कर सकता है।

नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का निलंबन

123. गवर्निंग बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा एक्सचेंज के किसी नियम, या नियमावली अथवा उप-विधि या उप-विधियों अथवा विनियम या विनियमावली के संबंध में तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, प्रतिभूति या प्रतिभूतियों अथवा मामला या मामलों के लिए छूट दे सकता है अथवा उसे कठोरता से लागू करने को मना कर सकता है अथवा उसके पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिचालन को निलंबित कर सकता है।

प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड, किसी नियम या नियमावली अथवा उप-विधि एवं उप-विधियों के संबंध में केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना तीन दिन से अधिक के लिए उससे छूट प्रदान नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता अथवा कठोरता से लागू करने को मना नहीं कर सकता अथवा उसके परिचालन को आंशिक रूप से या पूरी तरह निलंबित नहीं कर सकता है।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि छूट देना या निलंबन करने के संबंध में सूचना यदि केंद्र सरकार को चौबीस घंटे के भीतर सामान्य अवधि में पहुंच जाती है तो गवर्निंग बोर्ड किसी भी नियम या निनियमावली अथवा उप-विधि या उप-विधियों के संबंध में तीन दिन से अधिक उस समय तक के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना छूट दे सकता है अथवा कठोरता से लागू करने से मना कर सकता है अथवा उसके परिचालन को निलंबित कर सकता है जब तक केंद्र सरकार का निर्णय एक्सचेंज को प्राप्त न हो जाए।

एक्सचेंज, गवर्निंग बोर्ड के संकल्प को संशोधित न करे

124. वर्तमान में लागू एक्सचेंज के किसी नियम, अथवा उप-विधि के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों अथवा प्राधिकार के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प में एक्सचेंज द्वारा साधारण सभा में न तो कुछ जोड़ा जाएगा, न संशोधित किया जाएगा, न भिन्न किया जाएगा अथवा न निरस्त किया जाएगा तथा ऐसे समस्त संकल्प, जबसे वे लागू होते हैं, वैध माने जाएंगे तथा एक्सचेंज के सभी सदस्यों, उनके भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टाक-प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लपिकों, कर्मचारियों एवं वे सभी जो इनसे या इनके माध्यम से कारोबार करते हैं, पर बाध्यकारी होगा।

गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अंतिम

125. सभी मामलों में, जो गवर्निंग बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाए जाते हैं, बोर्ड का निर्णय चाहे संकल्प द्वारा व्यक्त किया जाए अथवा अन्यथा किया गया हो, अंतिम निर्णय माना जाएगा और प्रत्येक संबंधित सदस्य तथा उनके भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टाक-प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लपिकों, कर्मचारियों द्वारा मान्य होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

126. (क) गवर्निंग बोर्ड, उन शर्तों के अधीन जिसे वह उचित समझता है, अपनी उन शक्तियों का प्रत्यायोजन (एक्सचेंज के नियमों, और उप-विधि बनाने, उसमें जोड़ने, भिन्न करने तथा निरस्त करने को छोड़कर) जिसका वह समय-समय पर निर्धारण करे, प्रेसिडेंट को ¹{अथवा चेयरमैन को} अथवा उसके स्वयं के सदस्यों में से नियुक्त समितियों को और इसी प्रकार ऐसी मिनिस्टीरियल तथा प्रशासनिक ड्यूटी निष्पादित करने का प्रत्यायोजन, प्रेसिडेंट तथा अध्यक्ष अथवा उसके स्वयं के सदस्यों पर आधारित समितियों और/अथवा एक्सचेंज के किसी अधिकारी को करेगा जिसे वह उपयुक्त समझता हो;

समीक्षा

- (ख) प्रेसिडेंट ²{अथवा चेयरमैन को} अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज का कोई अधिकारी जो उप खण्ड (क) में किए गए प्रावधान के अनुसार गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कार्य करता है, उसके निर्णय से प्रभावित व्यक्ति उस निर्णय की समीक्षा गवर्निंग बोर्ड से निर्णय दिए जाने के बाद सात दिन के भीतर करवा सकता है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 19.11.1968 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 24.12.1968 को अनुमोदित
² गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

कार्यपालक समिति

¹126क. (क) (i) समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड को संदर्भित न्यायिक तथा अर्ध-न्यायिक मामलों, नेमी स्वरूप के सदस्यता के मामलों और अन्य मामलों पर विचार करने के लिए गवर्निंग बोर्ड एक या अधिक कार्यपालक समितियां नियुक्त कर सकता है।

(ii) गवर्निंग बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यपालक समिति(यां) निम्नलिखित पर आधारित होंगी -

(क) एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा एक्सचेंज के मुख्य परिचालन अधिकारी

(ख) एक्सचेंज के तीन सदस्य जिसका चयन, एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड में एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा सामान्य चुनाव के आधार पर किया गया है

(ग) सेबी नामिती अथवा जन-प्रतिनिधि जो एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं, जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी,

तथापि, प्रावधान किया जाता है कि गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यपालक समिति का पदेन सदस्य होगा।

(घ) कार्यपालक समिति की अधिकतम संख्या आठ होगी।

प्रावधान किया जाता है कि गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर कार्यपालक समिति(यों) के सदस्यों की संख्या घटा-बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त गठित कार्यपालक समिति(यों) में किसी भी प्रकार की रिक्ति को एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों, तथा विनियमों के अनुसार उसी प्रकार से नियुक्त व्यक्ति(यों) द्वारा भरा जाएगा।

कार्यपालक समिति(यों) की शक्तियां

(ख) (i) गवर्निंग बोर्ड, एक्सचेंज के सभी अथवा किसी कार्य को नियंत्रित करने के लिए, नियम 126 (क) के प्रावधानों के अधीन, कार्यपालक समिति(यों) को उसमें निहित ऐसे अधिकारों को समय-समय पर उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकता है और समय-समय पर ऐसे समस्त या किसी अधिकार को रद्द कर सकता है, हटा, संशोधित या भिन्न कर सकता है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 23.05.2003 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 09.10.2003 को अनुमोदित

- (ii) कार्यपालक समिति(यों) के पास वे जिम्मेदारियां और अधिकार होंगे जो गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे प्राधिकृत किए जाएंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के परिशिष्ट 1 में दी गई जिम्मेदारियां और अधिकार भी शामिल होंगे।

अध्यक्ष

- (ग) कार्यपालक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक अध्यक्ष करेंगे। यदि कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है या यदि किसी बैठक में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष बैठक के नियत समय से पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्य किसी गैर-चयनित सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

कोरम

- (घ) (i) जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए, कार्यपालक समिति(यों) के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा, जिसमें से एक सदस्य गवर्निंग बोर्ड का गैर-चयनित सदस्य होगा। यदि कार्यपालक समिति की बैठक आयोजित करने के समय के आधे घंटे के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे की समाप्ति पर जो सदस्य उपस्थित होंगे वही बैठक आयोजित करने के लिए कोरम होगा।
- (ii) कार्यपालक समिति के हित रखने वाले सदस्य को, एक्सचेंज के नियमों एवं उप-विधियों के अंतर्गत निर्धारित कोरम की गणना करते समय ऐसे प्रश्न पर बातचीत करने के लिए जिसमें सदस्य का हित रुचि हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

कार्यवाही

- (ङ) (i) जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए अथवा निर्देशित न किया जाए, कार्यपालक समिति(यां) अपनी कार्यवाहियां उसी प्रकार से आयोजित और संचालित करेंगी जिस प्रकार से गवर्निंग बोर्ड के सदस्य करते हैं।
- (ii) कारोबार के निपटान के लिए कार्यपालक समिति की बैठक कलेंडर माह में एक बार होगी और दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतराल 45 दिन होगा।
- (iii) समितिके अध्यक्ष या एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समिति के कोई दो सदस्य समिति की बैठक कभी भी आयोजित कर सकते हैं।
- (iv) कार्यपालक समिति की बैठक में मुद्दों पर निर्णय बहुमत से होगा, उन मामलों को छोड़कर जिनमें एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के किसी प्रावधान के अंतर्गत भारी बहुमत की आवश्यकता हो।

- (v) कार्यपालक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता सामान्य तौर पर अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के सदस्य बैठक के लिए उपस्थित उनके बीच किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन सकते हैं।
- (vi) जहां एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विचार से किसी मामले में तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा है, वहां एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अधीन कार्यपालक समिति का प्रयोग किए जाने वाली किसी अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग करने के पात्र होंगे बशर्ते ऐसी कार्रवाई की कार्यपालक समिति द्वारा यथाशीघ्र पुष्टि की जाए/अनुसमर्थन किया जाए।
- (vii) गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किसी निदेश का कार्यपालक समिति पालन करेगी एवं कार्यान्वित करेगी और कार्यपालक समिति प्रत्यायोजन की समस्त शर्तें तथा शक्तियों की सीमाओं का जैसाकि निर्दिष्ट किया जाए, पालन करेगी।
- (viii) सभी मामलों में जो कार्यपालक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे, समिति के निर्णय चाहे वे संकल्प द्वारा अथवा अन्यथा व्यक्त किए जाएं, अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

आपातकाल में शक्तियों का प्रत्यायोजन

127. गवर्निंग बोर्ड जब कभी अपने विवेक से इस विचार पर पहुंचता है कि आपातकाल स्थिति है तो वह एक विशेष संकल्प द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन, उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए ¹ { प्रेसिडेन्ट अथवा चेयरमैन को } अध्यक्ष को अथवा गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों में से नियुक्त विशेष समिति को कर सकता है, जिसके निर्णय पर कोई अपील नहीं होगी।

न्यासी के रूप में गवर्निंग बोर्ड

128. गवर्निंग बोर्ड, एक्सचेंज की ओर से एजेंट के रूप में और सदस्य के न्यास के रूप में, उसके द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार का धन तथा उसके द्वारा समाशोधन गृह को सुपुर्द की गई प्रतिभूतियों और सभी जमा एवं प्रतिभूति जिसके लिए वह पात्र है, और जो समाशोधन गृह की बहियों में उसके खाते में दर्ज है, को धारित करेगा।

गवर्निंग बोर्ड को क्षतिपूर्ति

129. गवर्निंग बोर्ड और उसके सदस्य किसी भी प्रकार से, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या भूल अथवा एक्सचेंज के किसी कर्मचारी की ओर से हुई किसी चूक अथवा ड्यूटी को विधिवत पूरा करने में सद्भाव से किए गए कार्य में हुई भूल और उनकी ड्यूटी या किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेक जो उसमें निहित हैं, के निष्पादन अथवा आभासी निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तथा उसकी ओर से हुई किसी गलती, अनदेखी, या भूल के फलस्वरूप समस्त देयताओं, लागतों, हानियों अथवा व्यय को, इस प्रकार किए गए कार्य या भूल या कार्य छूट जाना, के लिए एक्सचेंज अपनी निधि से उन्हें उसकी पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।

गवर्निंग बोर्ड की बैठकें

गवर्निंग बोर्ड की बैठकें

130. गवर्निंग बोर्ड किसी भी आस्थगित कारोबार को निपटाने के लिए और अपनी बैठकों के अन्य प्रकार से नियमन के लिए बैठक कर सकता है

साधारण बैठकें

131. गवर्निंग बोर्ड की साधारण बैठकें गवर्निंग बोर्ड के निर्देश पर प्रेसिडेंट ¹{अथवा चेयरमैन} द्वारा किसी भी समय और सचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

प्रेसिडेंट या अध्यक्ष विशेष बैठक बुला सकते हैं

- 132(क) प्रेसिडेंट ²{अथवा चेयरमैन} किसी भी समय गवर्निंग बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकते हैं।

अनुरोध पर विशेष बैठक

- (ख) गवर्निंग बोर्ड के किसी दो या अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर से किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर सचिव चौबीस घंटे के भीतर गवर्निंग बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है, अन्यथा कोई दो हस्ताक्षरकर्ता इस प्रकार की बैठक बुला सकते हैं।

तुरंत और आपातकालीन बैठक

133. तात्कालिक मामले में एक विशेष बैठक चौबीस घंटे से कम की सूचना पर बुलाई जा सकती है तथा आपातकालीन स्थिति में विशेष बैठक एक घंटे की सूचना पर बुलाना पर्याप्त होगा।

विशेष बैठक की सूचना

134. (क) विशेष बैठक बुलाए जाने की सूचना में बैठक का प्रयोजन लिखा जाएगा। तत्काल अथवा आपातकालीन बैठक के मामले में सूचना में तात्कालिकता अथवा आपात स्थिति का स्वरूप और बैठक में किए जाने वाले कारोबार का उल्लेख किया जाएगा और इस प्रकार की बैठक में कोई अन्य कारोबार नहीं किया जाएगा।

जब कारोबार का उल्लेख न किया जाए

- (ख) उप खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी जब प्रेसिडेंट ³{अथवा चेयरमैन} का मत यह हो कि मामला गोपनीय है अथवा ऐसे स्वरूप का है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, वह निर्देश दे सकता है कि विशेष बैठक बुलाने की सूचना में कारोबार का

¹ गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

² गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

³ गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

प्रयोजन/अथवा विशेष बैठक बुलाए जाने की तात्कालिकता या आपातकालीन स्थिति का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

कोरम

135. (क) ¹{जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए गवर्निंग बोर्ड का कोरम गवर्निंग बोर्ड के आठ सदस्य होंगे। यदि एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करते समय संख्या मामूली कम हो तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाए। यदि गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम पूरा न हो तो बैठक आयोजित करने के निर्धारित समय से आधे घंटे की समाप्ति पर उपस्थित सदस्य बैठक के लिए कोरम होंगे।}

हित रखने वाले सदस्य कोरम में शामिल नहीं किए जाएंगे

- (ख) गवर्निंग बोर्ड के हित रखने वाले सदस्य को एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों द्वारा निर्धारित कोरम की गणना करते समय ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने हेतु जिसमें उसका हित हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

कोरम पूरा करने हेतु सदस्य को शामिल कर लेना (कोआप्ट)

- (ग) यदि सौदेबाजी के विलोपन हेतु अथवा शार्ट-सेलिंग के निषेध हेतु अथवा बाज़ार बंद करने हेतु अथवा क्रय या विक्रय के निलंबन हेतु जैसाकि एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों में प्रावधान हो, अथवा किसी प्रस्ताव या प्रस्तावों पर विचार हेतु जो प्रेसिडेंट ²अथवा अध्यक्ष के विचार से तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने, किसी प्रकार के विलंब को स्वीकारने हेतु गवर्निंग बोर्ड के पर्याप्त संख्या में सदस्य कोरम पूरा करने हेतु उपस्थित न हों तो उपस्थित सदस्य केवल उस कारोबार के प्रयोजन से विवाचन समिति के सदस्यों में से शामिल कर (कोआप्ट) सकती है।

प्रेसिडेंट अध्यक्षता करेंगे

136. एक्सचेंज के प्रेसिडेंट अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रेसिडेंट, गवर्निंग बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि कोई प्रेसिडेंट अथवा उप-प्रेसिडेंट उपलब्ध न हो अथवा यदि ऐसी बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित समय के पंद्रह मिनट के भीतर किसी बैठक में प्रेसिडेंट अथवा उप-प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होते हैं तो गवर्निंग बोर्ड में उपस्थित सदस्य गवर्निंग बोर्ड के किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है

137. गवर्निंग बोर्ड की किसी बैठक में मतों की संख्या समान होने पर बैठक का अध्यक्ष, सदस्य के रूप में मत देने की पात्रता के अलावा निर्णायक मत दे सकेगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित
² गवर्निंग बोर्ड के 22.02.1966 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित

मतदान

138. गवर्निंग बोर्ड का सदस्य कार्रवाई में भाग लेने के लिए पात्र होगा किंतु वह निम्नलिखित के लिए मत देने के लिए सक्षम नहीं होगा -

व्यक्तिगत हित

- (i) ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें व्यक्तिगत हित रखता हो, बैठक का अध्यक्ष, इस बात का अंतिम निर्णायक होगा कि क्या वह इसमें हित रखता है या नहीं; अथवा

समिति का सदस्य

- (ii) किसी भी जांच के संबंध में अंतिम निर्णय पर अथवा किसी विवाद जिसपर एक समिति द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसका वह सदस्य था, इस बात को छोड़कर कि गवर्निंग बोर्ड का कोई भी सदस्य इस कारण से कि वह किसी समिति का सदस्य रहा था या है, अपात्र नहीं माना जाएगा, कि जिस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, विषय का पूर्व परीक्षण किया था या जांच की थी, अथवा

सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति

- (iii) किसी भी जांच अथवा विवाद के संबंध में निर्णय पर, जब तक कि वह गवर्निंग बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित न रहा हो, जिसमें जांच अथवा विवाद की सुनवाई हुई हो।

बहुमत

139. गवर्निंग बोर्ड के समक्ष किसी भी प्रश्न पर शसाकीय बोर्ड की बैठक में बहुमत से निर्णीत किया जाएगा बशर्ते कि वर्तमान में लागू एक्सचेंज के किसी नियम या उप-विधि द्वारा बहुमत का निर्धारण न किया गया हो। अपेक्षित बहुमत का निर्धारण करते समय यदि मामूली कमी रह जाती है तो उसे नज़रअंदाज किया जाएगा।

¹ विशेष संकल्प

140. {विशेष संकल्प के लिए गवर्निंग बोर्ड की बैठक में उपस्थित गवर्निंग बोर्ड के बारह सदस्यों का कोरम होगा और ऐसा विशेष संकल्प बैठक में कम से कम दो-तिहाई मतों के बहुमत से पारित किया जाएगा}

¹ गवर्निंग बोर्ड के 09.09.1958 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित तथा सरकार द्वारा 30.09.1958 को अनुमोदित तथा गवर्निंग बोर्ड के 13.09.1993 के संकल्प द्वारा पुनः प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

परिपत्र द्वारा साधारण संकल्प

141. गवर्निंग बोर्ड और सरकारी नामिती (यदि कोई हो) जो मुंबई में उपस्थित हों, उनकी कुल संख्या में से कम से कम दो-तिहाई द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित साधारण संकल्प को उसी प्रकार वैध एवं प्रभावी माना जाएगा जिस प्रकार से विधिवत् बुलाई गई एवं गठित गवर्निंग बोर्ड की बैठक में पारित किया जाता है।

स्थगित बैठक

142. गवर्निंग बोर्ड की कोई भी बैठक समय-समय पर स्थगित की जा सकती है, और उसे ऐसी बैठक में इस प्रकार से पारित किसी संकल्प अथवा लिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी जिसमें गवर्निंग बोर्ड के सभी अथवा कोई सदस्य उपस्थित रहे हों, किंतु पूर्व बैठक या बैठकों में उपस्थित नहीं थे, अथवा उसमें से कई पूर्व बैठक अथवा बैठकों में उपस्थित रहा हो, किंतु किसी स्थगित बैठक या बैठकों में उपस्थित न रहा हो।

कार्यवाही

143. गवर्निंग बोर्ड, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए, यह संचालित और निर्धारित करेगा कि उसकी कार्यवाहियां किस तरह और किस रूप में आयोजित की जाएं। उन बातों को छोड़कर जैसाकि इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो, प्रेसिडेंट की अनुमति से बोर्ड किसी मामले में किसी साधारण अथवा विशेष बैठक में कार्यवाई करने पर विचार कर सकता है भले ही वह मामला ऐसी बैठकों की नोटिस में संदर्भित किया गया हो।

आवश्यक होने पर सदस्य एवं अन्य, बैठक के समक्ष उपस्थित हों

145. सदस्य, उनके भागीदार, अटर्नी, एजेंट, स्टॉक-प्रतिनिधि, प्राधिकृत लिपिक और कर्मचारियों को गवर्निंग बोर्ड अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकों के समक्ष उपस्थित होना होगा, जैसाकि उन्हें उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए तथा गवर्निंग बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किसी मामले से संबंधित समस्त जानकारी देंगे और ऐसे सभी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जो उनके कब्जे में हैं।

कार्यवृत्त

146. गवर्निंग बोर्ड की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव के प्राधिकार के अंतर्गत रखे जाएंगे। ऐसे कार्यवृत्त गोपनीय समझे जाएंगे तथा एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं किए जाएंगे।

पत्रव्यवहार

147. एक्सचेंज अथवा गवर्निंग बोर्ड या गवर्निंग बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति या एक्सचेंज के किसी अधिकारी के साथ समस्त पत्राचार लिखित रूप में किए जाएंगे तथा हस्ताक्षरित होंगे और गुमनाम पत्रव्यवहार पर किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं की जाएगी।

¹प्रेसिडेन्ट और वाइस-प्रेसिडेन्ट - चेयरमैन**प्रेसिडेन्ट द्वारा अध्यक्षता**

148. एक्सचेंजके प्रेसिडेन्ट एक्सचेंजके गवर्निंग बोर्ड या किसी स्थायी समिति या अन्य समिति की अध्यक्षता करेंगे और सदस्य के रूप में अपना मत देने के अलावा वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देंगे।

²चेयरमैन

- ³149. (हटा दिया गया है)

एक्सचेंज के प्रतिनिधि

- ⁴150. ⁵(क) सभी सार्वजनिक मामलों में अध्यक्ष आधिकारिक रूप से एक्सचेंज का प्रतिधित्व करेगा।

समिति के पदेन सदस्य

- ⁶7 (ख) अध्यक्ष एक्सचेंजके गवर्निंग बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी समिति का पदेन सदस्य होगा।

बैठकें बुलाना

- ⁸151. अध्यक्ष एक्सचेंजकी वार्षिक तथा असाधारण आम बैठकें बुला सकता है। अध्यक्ष या चेयरमैन गवर्निंग बोर्ड की साधारण तथा विशेष बैठकें बुला सकता है और 51 सदस्यों से अनधिक सदस्यों के लिखित अनुरोध पर एक्सचेंजकी असाधारण आम बैठक बुलाएगा।

विशेष शक्ति

- ⁹152. अध्यक्ष तथा चेयरमैन और एक की अनुपस्थिति में दूसरा बोर्ड द्वारा प्रयोज्य कोई या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा यदि वे या वह इस मत का है कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है लेकिन ऐसीस कार्रवाई की चौबीस घंटे के भीतर गवर्निंग बोर्ड द्वारा पुष्टि की जाएगी।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

³ सेबी द्वारा 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड के 13.09.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित किया गया।

⁵ सेबी द्वारा 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड के 13.09.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित।

⁶ सेबी द्वारा 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड के 13.09.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया।

⁷ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

⁸ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

⁹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्तव्य

153. एक्सचेंजके नियमों, उप-नियमों तथा विनियमों के अनुसार अध्यक्ष गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित सभी शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

चेयरमैन में निहित शक्ति

154. ¹{(क) (हटा दिया गया)

अनुपस्थिति या कार्य करने की अक्षमता

- ²{³{⁴(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में या उसके कार्य न कर सकने की स्थिति में, उसके कार्यों तथा शक्तियों का निर्वाह मुख्य परिचालन अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में, गवर्निंग बोर्ड के निवेश के अधीन गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्णित वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

उपाध्यक्ष

- ⁵(ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति या उसके कार्य न कर सकने की स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सभी शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

कोषपाल

अभिदान और प्राप्ति रसीदें

155. एक्सचेंज का मानद कोषपाल एक्सचेंज को देय सभी अभिदान, दान, शुल्क तथा दंड तथा अन्य सभी राशियों की वसूली करेगा तथा उन्हें प्राप्त करेगा और उनके लिए प्राप्ति रसीद देगा।

व्यय तथा लेखा बहियां

156. गवर्निंग बोर्ड के निदेशों के अनुसार कोषपाल एक्सचेंज की ओर से सभी चेकों पर हस्ताक्षर करेगा और सभी व्यय करेगा तथा सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का पूरा और विस्तृत लेखा जोखा रखेगा। वह एक्सचेंज की आय और व्यय तथा सभी निधियों तथा निदेशों का विस्तृत लेखा जोखा रखवाएगा और आवश्यकता पड़ने पर गवर्निंग बोर्ड को लेखाबहियां प्रस्तुत करेगा।

वित्तीय विवरण और तुलनपत्र

157. कोषपाल आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र तैयार करवाएगा और एक्सचेंज की वार्षिक आम बैठक में रखवाएगा और एक्सचेंज के सदस्यों की सूचना के लिए उसे वार्षिक रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

प्रत्यायोजन

158. कोषपाल कर्तव्यों की परिभाषा करते समय "कोषपाल" सचिव पर भी लागू होगा जहां तक कर्तव्य उसे आबंटित तथा प्रत्यायोजित किए गए हैं।

¹ सेबी के 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया।

² सेबी के 05.09.2002 के पत्र के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 20.02.1973 के संकल्प द्वारा परिवर्तित और सरकार द्वारा 01.08.1973 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.06.1966 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 22.06.1966 के संकल्प द्वारा पुनः क्रमांकित और सरकार द्वारा 29.03.1966 को अनुमोदित।

सचिव**सचिव**

- ¹159. गवर्निंग बोर्ड एक्सचेंजके सचिव की नियुक्ति करेगी और यदि आवश्यक हो तो उप तथा सहायक सचिवों की भी। एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए, सचिव अभिव्यक्ति में उप-सचिव तथा सहायक सचिव शामिल है।

सचिव एक सक्रिय सदस्य नहीं है

160. सचिव ²(या उप सचिव) या सहायक सचिव एक्सचेंज का सक्रिय सदस्य नहीं होगा।

सट्टेबाजी के कारोबार का निषेध

161. सचिव (या उप सचिव) या सहायक सचिव एक्सचेंज पर या एक्सचेंज के किसी सदस्य के साथ पार्टी नहीं होगा या सट्टेबाजी के प्रयोजन से व्यापार में शामिल नहीं होगा।

कार्य

162. सचिव गवर्निंग बोर्ड का सचिव होगा और प्रत्येक स्थायी तथा अन्य किसी समिति का सचिव होगा जब तक कि इन नियमों के अनुसार स्थायी समिति के लिए कोई मानद सचिव नियुक्त न किया गया हो।

सचिव स्टाफ पर नियंत्रण रखेगा

163. गवर्निंग बोर्ड के किसी विनियम या निदेश के अधीन सचिव एक्सचेंजक सभी कर्मचारियों पर तथा एक्सचेंजके सभी बहियों, पत्रों तथा रजिस्ट्रों पर सामान्य प्रभार तथा नियंत्रण रखेगा।

कार्यवृत्त

164. सचिव एक्सचेंजकी सभी बैठकों तथा गवर्निंग बोर्ड की बैठकों की सूचना भेजेगा तथा बैठकों में भाग लेगा और आवश्यकता पड़ने पर स्थायी तथा अन्य बैठकों की भी तथा ऐसी सभी बैठकों के यथोचित कार्यवृत्त तैयार करवाएगा।

रिकार्ड

165. सचिव इस प्रकार से रिकार्ड का रखरखाव करवाएगा-

सदस्यों का रजिस्टर

- (i) सभी सदस्यों के नाम तथा पते, उनकी सदस्यता प्रारंभ होने तथा समाप्ति की तारीख तथा वर्तमान सदस्यों के पते

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 22.02.66 के संकल्प द्वारा संशोधित तथा सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 22.02.66 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 29.03.66 को अनुमोदित।

भागीदारियों का रजिस्टर

- (ii) गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी भागीदारों और भागीदारियों के नाम तथा पते और संगत तारीखों सहित ऐसी भागीदारियों के प्रारंभ, परिवर्तन तथा समाप्ति;

फर्मों का रजिस्टर

- (iii) फर्म के नाम में कार्य कर रहे सभी सदस्यों के नाम और जिनके वे एकल स्वामी हैं, उन फर्मों के नाम संबंधित तारीखों सहित;

प्रतिनिधि सदस्यों का रजिस्टर

- (iv) सभी प्रतिनिधि सदस्यों के नाम तथा उन सदस्यों के नाम जिनके साथ वे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं संगत तारीखों सहित;

अटार्नी का रजिस्टर

- (v) सदस्यों से पावर आफ अटार्नी रख रहे सभी व्यक्तियों के नाम और ऐसे अटार्नी द्वारा नियुक्त ऐवजी और तारीखें जिनको ऐसा प्राधिकार दिया गया और समाप्त किया गया।

रेमिशियर का रजिस्टर

- (vi) प्रत्येक सदस्य द्वारा नियुक्त सभी रेमिशियरों के नाम नियुक्ति तथा समाप्ति की तारीखों सहित।

प्राधिकृत लिपिकों का रजिस्टर

- (vii) प्रत्येक सदस्य द्वारा नियोजित सभी प्राधिकृत लिपिकों के नाम प्राधिकार तथा समाप्ति की तारीखों सहित।

सदस्यों की सूची

166. सचिव सदस्यों की सूची प्रकाशित करके अनुरोध प्राप्त होने पर आवेदन को अग्रेषित करेगा।

सूचना प्रदर्शित करना

167. सचिव के माध्यम से या उसके प्राधिकारी के बिना एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस, संप्रेषण या घोषणा प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

पत्राचार तथा चेक

168. सचिव एक्सचेंज तथा गवर्निंग बोर्ड की ओर से सारा पत्राचार करेगा और बोर्ड द्वारा किए गए निदेश के अनुसार अन्य सभी कार्य करेगा। भुगतान के लिए वह सभी चेकों पर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

सदस्यों द्वारा सूचना

169. एक्सचेंज या गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष के प्रयोजन के लिए सभी सदस्य, उनकी भागीदार, अटार्नी, एजेंट, रेमिशियर, प्राधिकृत लिपिक तथा कर्मचारी सचिव को यथावांछित सूचना देंगे तथा रिकार्ड प्रस्तुत करेंगे।

स्थायी समितियां

¹ {पंचनिर्णयन, चूककर्ता, अनुशासनिक कार्रवाई तथा नैतिकता समिति

170. (क) अपने चुनाव के बाद अप्रैल में अपनी पहली बैठक में अधिशासी बोर्ड:

²(i-क) सदस्य बनाम गैर सदस्य के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र के लिए अलग-अलग आर्बिट्रेशन पैनल, जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक्सचेंज के सदस्य या नामित निदेशक तथा/या एक्सचेंज के भागीदार नहीं हैं।³

(i-ख) सदस्यों के बीच आर्बिट्रेशन के लिए आ समिति जिसमें एक्सचेंज के सदस्यों में से ही व्यक्ति या एक्सचेंज के कंपनी सदस्यों के नामित निदेशक तथा/या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित तिथा सेबी के साथ पंजीकृत एक्सचेंज के भागीदार।

⁴(ii) चूककर्ता समिति जिसमें 40 प्रतिशत व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्य होंगे तथा 60 प्रतिशत व्यक्ति जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे ⁵(जिनकी नियुक्ति सेबी के अनुमोदन से एक्सचेंज द्वारा की जाएगी, या यदि सेबी चाहे, तो सेबी द्वारा की जाएगी)।

⁶(iii) एक अनुशासनिक कार्रवाई समिति जिसमें 40 प्रतिशत व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्यों में से होंगे और 60 प्रतिशत व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति⁷ सेबी के अनुमोदन से एक्सचेंज द्वारा की जाएगी, या यदि सेबी चाहे, तो सेबी द्वारा की जाएगी)⁸। (तथा)

⁹(iv) एक नैतिकता समिति जिसमें 40 प्रतिशत से अनधिक व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्यों में से होंगे और 60 प्रतिशत व्यक्ति जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं जिनमें से कम-से-कम एक व्यक्ति न तो एक्सचेंज का सदस्य होना चाहिए और न ही गवर्निंग बोर्ड का।¹⁰{ }

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 25.02.2003 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.06.2003 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 15.09.2003 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 12.07.2008 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 05.01.2009 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 26.05.1997 के संकल्प द्वारा संशोधित और सरकार द्वारा 02.09.1997 को अनुमोदित।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 23.09.1999 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 07.01.2000 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 26.05.1997 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सरकार द्वारा 02.09.1997 को अनुमोदित।

⁷ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 23.09.1999 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 07.01.2000 को अनुमोदित।

⁸ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2003 को अनुमोदित।

⁹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2003 को अनुमोदित।

¹⁰ सेबी द्वारा जारी 03.03.2002 के पत्र के माध्यम से हटाया गया।

नैतिकता की संहिता का कार्यान्वयन

- ¹(कक) गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और एक्सचेंज के कार्यपालक गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों और एक्सचेंज के कार्यपालकों पर लागू नैतिकता-संहिता का पालन करेंगे। नैतिकता समिति इन नियमों के परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित तथा सेबी द्वारा समय-समय पर संशोधित के अधीन इस समिति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी।
- (ख) गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर किसी भी आर्बिट्रेशन पैनल या आर्बिट्रेशन समिति या चूककर्ता की समिति या अनुशासनिक समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है² (या नैतिकता समिति)।
- (ग) केवल कोई व्यक्ति ही आर्बिट्रेशन पैनल तथा/या आर्बिट्रेशन समिति तथा/या चूककर्ता की समिति³ (तथा/या अनुशासनिक समिति तथा/या नैतिकता समिति का सदस्य हो सकता है)।

चेयरमैन तथा मानद सचिव

171. प्रत्येक समिति अपने नाम के तुरंत बाद अपने सदस्यों में से एक चेयरमैन चुनेगी।⁴ (नैतिकता समिति का चेयरमैन ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो न तो एक्सचेंज के सदस्य हैं और न ही गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं)। समिति अपने सदस्यों में से एक मानद सचिव भी चुन सकती है।

सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य

172. (क) किसी समिति के सेवानिवृत्त हो रहे सभी सदस्य फिर से नामांकन के पात्र होंगे।

सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य कब तक पद पर बने रहेंगे

- (ख) समिति के सेवानिवृत्त हो रहे सभी सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तरवर्ती वैध रूप से नामांकन नहीं किए जाते।

कोरम

- ⁵173. कोई समिति समय-समय पर स्वयं अपना कोरम निर्धारित कर सकती है बशर्ते -

- (i) आर्बिट्रेशन समिति के मामले में, ऐसा कोरम आर्बिट्रेशन समिति के सदस्य की कुल संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं होगा (किसी अंश को एक में पूर्णांकित करते हुए) या तीन समिति सदस्य जो भी अधिक हो⁶ {}।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2003 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 12.07.2008 के संकल्प द्वारा आशोधित और सेबी द्वारा 05.01.2009 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2003 को अनुमोदित।

⁴ सेबी द्वारा 09.05.1997 को आशोधित और गवर्निंग संप्रविष्ट ग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा हटाया गया और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

- (ii) चूककर्ता समिति के मामले में, ऐसा कोरम समिति के कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम नहीं होगा (किसी अंश को एक में पूर्णांकित करते हुए) या तीन समिति सदस्य जो भी अधिक हो।
- ¹(iii) अनुशासनिक समिति, ऐसा कोरम समिति के कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम नहीं होगा (किसी अंश को एक में पूर्णांकित करते हुए) या तीन समिति सदस्य जो भी अधिक हो; तथा
- ²(iv) नैतिकता समिति के मामले में, ऐसा कोरम समिति के कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम नहीं होगा (किसी अंश को एक में पूर्णांकित करते हुए) या तीन समिति सदस्य जो भी अधिक हो।

मतदान

174. समिति के सामने किसी भी प्रश्न को बहुमत के मतदान से निपटाया जाएगा और चेयरमैन के पास सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत भी होगा।

कार्रवाई

175. जहां तक कि अन्यथा प्रावधान या निदेश न हो, कोई समिति उसी प्रकार कार्यवाई करेगी जैसे कि गवर्निंग बोर्ड करता है।

अनुमति

176. कोई समिति किसी सदस्य को चालू माह से अनधिक की अनुपस्थिति की अनुमति दे सकती है और ऐसी सीट को अस्थायी रूप से रिक्त घोषित कर सकती है। उस स्थिति में रिक्त गवर्निंग बोर्ड द्वारा भरी जाएगी। इस प्रकार नियुक्त किया गया सदस्य अनुपस्थित सदस्य के बम्बई लौटने पर पद छोड़ देगा।

सदस्य को हटाना

177. कारण रिकार्ड कर देने पर गवर्निंग बोर्ड समिति से किसी सदस्य को हटा सकेगा।

³{प्रावधान किया जाता है कि सेबी के अनुमोदन से नियुक्त कोई सदस्य केवल सेबी के अनुमोदन से ही हटाया जाएगा।}

- ⁴177क. चूककर्ता समिति का सदस्य ⁵{तथा/या अनुशासनिक कार्यवाई समिति का सदस्य} निम्नलिखित खंड (i) से (xiii) तथा अर्बिट्रेशन समिति ⁶का सदस्य निम्नलिखित (तथा/या नैतिकता समिति) खंड (iii) से (xiii) की कोई घटना होने पर तुरंत सदस्य नहीं रहेगा:

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

⁴ सेबी द्वारा 09.05.1997 को संप्रविष्ट और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को स्वीकार किया गया।

⁵ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

⁶ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

- (i) यदि वह चूककर्ता समिति¹ (तथा/या अनुशासनिक कार्यवाई समिति) का सदस्य एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक होने के कारण है और वह एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक नहीं रहता,
- (ii) यदि वह चूककर्ता समितिका सदस्य² {तथा/या अनुशासनिक कार्यवाई समिति} एक्सचेंज का अध्यक्ष होने के कारण है और वह एक्सचेंज का अध्यक्ष नहीं रहता,
- (iii) यदि वह नियुक्ति के समय या बाद में एक्सचेंज का सदस्य था और एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहता,
- (iv) उसकी मृत्यु हो जाती है,
- (v) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा उसे दिमागी रूप से अक्षम पाया जाता है,
- (vi) वह दिवालिया अधिनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन करता है,
- (vii) वह दिवालिया अधिनिर्णीत किया जाता है,
- (viii) नैतिक दुराचार के आधार पर किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किया जाता है।
- (ix) वह स्थायी तौर पर भारत छोड़ देता है,
- (x) गवर्निंग बोर्ड का यह मत है कि बीमारी या अक्षमता के कारण वह समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य भलीभांति करने में अक्षम हो गया है।
- (xi) वह समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है,
- (xii) गवर्निंग बोर्ड द्वारा उसे समिति की सदस्यता से हटा दिया जाता है, या
- (xiii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल तथा उप-दलाल) नियम, 1992 के अधीन दलाल के रूप में उसका पंजीकरण निलंबित या रद्द कर दिया जाता है।

आकस्मिक रिक्ति

178. यदि समिति में मृत्यु, त्यागपत्र, हटाने, निष्कासन चार माह से अधिक अनुपस्थिति के कारण³ (या किसी अन्य कारण से) आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ऐसी रिक्ति अधिशासी बोर्ड⁴ के द्वारा एक्सचेंज के सदस्य की नियुक्ति से भरी जाएगी (या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुमोदन से ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करके जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है) और इस प्रकार नियुक्त सदस्य अगली नियुक्ति तक पद रखेगा और पुनः नियुक्त के लिए पात्र होगा।

⁵(बशर्ते कि जब एक्सचेंज का अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक न रहने के कारण जब कोई व्यक्ति चूककर्ता समिति का सदस्य नहीं रह जाता, तो ऐसी रिक्ति, यथास्थिति, एक्सचेंज के अगले अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक द्वारा भरी जाएगी)।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 17.10.2002 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 25.02.2002 को अनुमोदित।

³ सेबी द्वारा 09.05.1997 को संप्रविष्ट और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को स्वीकार किया गया।

⁴ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.09.1993 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 27.09.1993 को अनुमोदित।

⁵ सेबी द्वारा 09.05.1997 को संप्रविष्ट और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को स्वीकार किया गया।

साझेदारी

कौन साझेदारी कर सकता है

¹179. साझेदारी निम्नानुसार की जाएगी -

- (i) एक्सचेंज के दो या अधिक सदस्यों के बीच; या
- ²(ii) एक्सचेंज के सदस्य तथा उसके पिता, या माता या पत्नी या उसके पुत्र या पुत्रों या पुत्री या पुत्रियों या पुत्र वधु या पुत्र वधुओं या भाई या भाइयों या पिता के भाई या भाइयों या अविवाहित बहन या बहनों या भाई के या भाइयों के पुत्र या पुत्रों के बीच; या
- (iii) एक्सचेंजके दो या दो से अधिक सदस्यों तथा उनके पिताओं, माताओं या पत्नियों या पुत्र या पुत्रियों या पुत्री या पुत्रियों या पुत्र वधु या पुत्रवधुओं या भाई या भाइयों या पिता के भाई या भाइयों या अविवाहित बहन या बहनों या भाई के या भाइयों के पुत्र या पुत्रों के बीच;

प्रावधान किया जाता है कि भाई या पुत्री या पुत्र के पुत्र या भाई या पिता के भाई या भाई की अविवाहित बहन को साझेदारी में नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह सभी तरह से एक्सचेंज का सदस्य बनने का पात्र नहीं होता/होती।

प्रतिभूतियां

180.³{(क) कोई सदस्य या पुत्र का पुत्र या भाई या भाई का पुत्र ऐसे पुत्र के पुत्र या भाई या भाई के पुत्र के इन नियमों के उपबंधों के अधीन भागीदार बनने पर नियम 36 के अधीन निर्धारित प्रतिभूति राशि के 50 प्रतिशत की राशि के बराबर प्रतिभूति देगा और ऐसे पुत्र के पुत्र या भाई या भाई के पुत्र के भागीदारी फर्म में भागीदार रहने तक हर समय ऐसी प्रतिभूति एक्सचेंज के पास रखेगा।}

प्रतिभूति के उपबंध

(ख) इन नियमों में किसी सदस्य द्वारा दी गई प्रतिभूति के बारे में उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उप खंड (क) के अधीन भागीदार पर लागू होंगे।

प्रतिभूति पर लिअन

(ग) किसी भागीदार के संबंध में दी गई प्रतिभूति एक्सचेंजको और एक्सचेंजके नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन देय किसी राशि या समाशोधन गृह जिसका वह भागीदार और सभी दायित्वों, देयताओं के लिए सभी सौदों, लेनदेनों के लिए देय है।

प्रतिभूति लौटाना

(घ) भागीदारी समाप्त हो जाने या सदस्य के पुत्र के पुत्र या भाई या भाई के पुत्र के भागीदार न रह किये जाने या मृत्यु हो जाने पर एक्सचेंजके नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन न प्रयुक्त

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 05.06.1986 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 27.11.1989 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 25.04.1995 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सेबी द्वारा 25.07.1995 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 24.02.1987 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 19.05.1987 को अनुमोदित।

प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति देने वाली पार्टी के खर्च पर ऐसी पार्टी को या पार्टी के निदेश पर या निदेश न होने पर या निदेश न होने पर ऐसी पार्टी के कानूनी प्रतिनिधियों को पुनः प्रदत्त और अंतरित कर दी जाएगी।

घोषणा का पत्र

- (ड) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भागीदार बन गए सदस्य द्वारा प्रतिभूति दे रहे सदस्य या उसके पुत्र के पुत्र या भाई या भाई को पुत्र इन नियमों के परिशिष्ट-च में निर्धारित फार्म में या समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य फार्म में घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

वार्षिक अभिदान

181. सदस्य एक्सचेंजको इन नियमों के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सदस्य बनाए गए प्रत्येक पुत्र के पुत्र, या भाई या भाई के पुत्र के संबंध में वार्षिक अभिदान देगा।

भागीदारी केवल एक फर्म में

182. कोई भी व्यक्ति एक ही समय एक से अधिक भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं होगा।
- ¹182क. किसी कंपनी का निदेशक जो एक्सचेंजका सदस्य है एकल स्वामी या फर्म के भागीदार या किसी अन्य कंपनी के निदेशक के साथ व्यवसाय नहीं करेगा जो एक्सचेंज की सदस्य है या कंपनी के निदेशक रहने तक किसी अन्य कंपनी में पद या लाभ का स्थान नहीं रखेगा।

गैर-सदस्यों के साथ भागीदारी नहीं

183. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है या जो ऐसे सदस्य का² (पिता या माता या पत्नी या पुत्र या पुत्री या पुत्रवधु या) पुत्र का पुत्र या भाई या³ (अविवाहत बहन) या भाई का पुत्र⁴ (या पिता का भाई) नहीं है, भागीदारी फर्म को सदस्य नहीं बनाया जाएगा तथा एक्सचेंजके किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ भागीदारी करने का गवर्निंग बोर्ड के सामने तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा इस आशय का संकल्प पारित प्रमाण मिलने पर वह सदस्य एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहेगा।

निलंबित सदस्यों के साथ भागीदारी नहीं

184. गवर्निंग बोर्ड से विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी सदस्य ऐसे सदस्य के साथ भागीदारी नहीं करेगा जो एक्सचेंज से निलंबित कर दिया गया है।

आकस्मिक भागीदारी

185. कोई सदस्य किसी गैर-सदस्य से धन या प्रतिभूति उधार ऐसी शर्तों पर नहीं लेगा कि उधारदाता लाभ के परिवर्तनीय ब्याज या लाभ का कोई हिस्सा प्राप्त करेगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 07.12.87 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 03.02.88 को अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड के 05.06.86 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 28.11.89 को अनुमोदित।

³ गवर्निंग बोर्ड के 05.06.86 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 28.11.89 को अनुमोदित।

⁴ गवर्निंग बोर्ड के 27.07.95 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 25.07.95 को अनुमोदित।

भागीदारी हित समनुदेशित नहीं

186. किसी भी भागीदारी में कोई भी भागीदार ऐसी फर्म में समनुदेशन या अपने हित पर किसी प्रकार से भार रखेगा।

एजेंटों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक

187. नियत वेतन को छोड़कर किसी सदस्य का एजेंट या कर्मचारी कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा। कारोबार के साथ वेतन परिवर्तनीय नहीं होगा, हालांकि एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार उसमें युक्तिसंगत बोनस या कारोबार पर कमीशन के हिस्से के रूप में बढ़ोतरी की जा सकती है।

गवर्निंग बोर्ड भागीदारी का एकमात्र निर्णायक

188. इन नियमों के अधीन भागीदार क्या है, उसका निर्णय केवल गवर्निंग बोर्ड करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुमति आवश्यक

189. गवर्निंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कोई भागीदार नहीं करेगा या वर्तमान भागीदारी में किसी नए सदस्य को शामिल नहीं करेगा या वर्तमान भागीदारी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

अनुमति के लिए आवेदन

190. (क) भागीदारी में कारोबार जारी रखने वाला/वाले सदस्य या नया/नये भागीदार शामिल करने के इच्छुक सदस्य इन नियमों के परिशिष्ट-जी या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में भागीदारी के नाम और भागीदार फर्म देते हुए अधिशासी बोर्ड को अनुमति के लिए आवेदन देगा।

सूचना और भागीदारी विलेश

- (ख) अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वह सूचना प्रस्तुत की जाएगी जो कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा वांछित हो तथा प्रस्तावित भागीदारी का, यदि कोई, विलेख भी। तत्पश्चात् गवर्निंग बोर्ड भागीदारी का अनुमोदन से सकता है और जब भागीदारी हो जाती है तो भागीदारी के विलेख, यदि कोई हो, प्रति रिकार्ड के लिए एक्सचेंज को दी जाएगी।

अनुमति वापस लेना

191. अपने विवेकाधिकार पर गवर्निंग बोर्ड कभी भी विशेष संकल्प द्वारा वह अनुमति समाप्त कर सकता है जो किसी भागीदारी के संबंध में उसने दी हो तथा प्रभावित भागीदार गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

भागीदारी में परिवर्तन

- 192.(क) भागीदारी के सदस्य ऐसी भागीदारी में किसी भागीदार या भागीदारों की समाप्ति या सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण हुए परिवर्तन की सूचना सभी भागीदारों या जीवित भागीदारों के हस्ताक्षर से लिखित रूप में एक्सचेंज को देंगे।

निर्धारित फार्म में सूचना

- (ख) गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर उप खंड (क) के प्रयोजनों के लिए फार्म निर्धारित कर सकता है। भागीदारी की समाप्ति की सूचना देने वाले नोटिस में इस आशय का विवरण होना चाहिए कि सभी बकाया देयताओं के पिटान की जिम्मेदारी कौन लेगा लेकिन इससे किसी अन्य भागीदार या भागीदारों की देयताओं के लिए जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाएगी।

भागीदार बनाने और परिवर्तन का नोटिस

193. गवर्निंग बोर्ड द्वारा मंजूरी दिए जाने पर भागीदारी का नोटिस तथा भागीदारों के नाम तथा उसमें किसी परिवर्तन का नोटिस एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा किसी भी भागीदारी को बना हुआ, परिवर्तित या समाप्त नहीं समझा जाएगा।

भागीदारी का विलेख

194. एक्सचेंज द्वारा भागीदारियों का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें भागीदारों के नाम तथा पते और ऐसे भागीदारी या नामों में परिवर्तन संबंधित तारीख सहित दर्ज किये जायेंगे।

साझेदारी फर्मों के नाम काल्पनिक नहीं होने चाहिए

195. जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंध न किया गया हो, कोई भी सदस्य तब तक किसी फर्म के नाम के अंतर्गत कारोबार नहीं करेगा जब तक उसके पास कम से कम एक साझेदार न हो।

गुमराह करने वाले नाम

196. गवर्निंग बोर्ड साझेदारी फर्म को किसी ऐसे नाम के अंतर्गत कारोबार करने की इजाजत नहीं देगा जिसे वह गुमराह करने वाला समझता हो।

नाम छापे जाएं

197. साझेदारी फर्म को स्टॉक एक्सचेंज कारोबार से संबंधित सभी पत्राचारों और परिपत्रों तथा सभी संविदा नोटों पर फर्म और उसके सभी साझेदारों का नाम मुद्रित कराना होगा।

सदस्य साझेदारों की जिम्मेदारी

198. स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे सभी सदस्य जो किसी ऐसी साझेदारी फर्म के सदस्य हैं जो उसके किसी सदस्य विशेष द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य अथवा भूल के लिए दोषी ठहराई गई हो जिसके कारण उस सदस्य को निष्कासन अथवा निलंबन का पात्र ठहराया जा सके तो उस सदस्य को मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्कासित, निलंबित अथवा दंडित किया जा सकता है।

साझेदारों की जिम्मेदारी

199. किसी साझेदारी के दौरान गवर्निंग बोर्ड किसी भी समय किसी सदस्य के आचरण के बारे में ठीक उसी प्रकार और उसी सीमा तक पूछताछ कर सकता है और साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकता है जैसा की वह एक्सचेंज के किसी सदस्य के साथ करता है ।

संयुक्त और व्यक्तिशः जिम्मेदारी

200. किसी भी साझेदारी फर्म का कारोबार साझेदारी फर्म के नाम से किया जाएगा और साझेदारी फर्म के सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिशः फर्म द्वारा किए गए सभी लेन-देनों के लिए जिम्मेदार होंगे ।

साझेदारों द्वारा अलग-अलग सौदेबाजी

201. कोई सदस्य किसी साझेदारी फर्म के साझेदार के लिए उसकी ओर से कोई कारोबार अथवा सौदेबाजी नहीं करेगा और किसी सदस्य द्वारा साझेदारी फर्म के साझेदारों में से किसी एक साझेदार के नाम पर किए गए किसी भी कारोबार अथवा सौदेबाजी के लिए साझेदारी फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

चूक होने पर साझेदारी भंग हो जाएगी

202. साझेदारी फर्म द्वारा चूक किए जाने पर साझेदारी भंग हो जाएगी और यदि सदस्य साझेदार पुनः मिलकर साझेदारी का नवीकरण कराना चाहें तो उन्हें इन नियमों में यथानिर्धारित तरीके से आवेदन करते हुए गवर्निंग बोर्ड से अनुमति लेनी होगी ।

‘सदस्य’ शब्द के अंतर्गत साझेदारी फर्म भी शामिल है

203. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों में जहां कहीं भी ‘सदस्य’ शब्द आएगा, इसके अंतर्गत साझेदारी फर्म शामिल होगी जब तक की संदर्भ में अन्यथा इंगित न किया गया हो ।

फर्मों और प्रतिनिधि सदस्य

204. गवर्निंग बोर्ड की अनुमति से सदस्य के रूप में स्वीकृत किसी साझेदारी फर्म का कोई विद्यमान अथवा वर्तमान साझेदार उस फर्म के नाम से कारोबार जारी रख सकता है जिसका वह सदस्य था ।

फर्मों के गुमराह करने वाले नाम

205. गवर्निंग बोर्ड साझेदारी फर्म को किसी ऐसे नाम के अंतर्गत कारोबार करने की इजाजत नहीं देगा जिसे वह गुमराह करने वाला समझता हो ।

नाम छापे जाएं

206. फर्म को स्टॉक एक्सचेंज कारोबार से संबंधित सभी पत्राचारों और परिपत्रों तथा सभी संविदा नोटों पर फर्म का नाम और उसके एकल स्वामी का नाम छापना होगा।

फर्मों का रजिस्टर

207. एक्सचेंज द्वारा फर्मों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें फर्मों के नाम और एकल स्वामियों के नाम संबंधित तारीखों सहित दर्ज किए जाएंगे।

‘सदस्य’ शब्द के अंतर्गत ‘फर्म’ भी शामिल है

208. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों में जहां कहीं भी ‘सदस्य’ शब्द आएगा, इसमें फर्म के नाम के अंतर्गत कारोबार कर रहे सदस्य को शामिल माना जाएगा जब तक की संदर्भ में अन्यथा इंगित न किया गया हो।

प्रतिनिधि सदस्य

- ¹209. (क) एक्सचेंज पर कारोबार कर रहा कोई सदस्य गवर्निंग बोर्ड की अनुमति से किसी अन्य सदस्य को प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या

- (ख) गवर्निंग बोर्ड समय समय पर यह तय कर सकेगा कि कोई भी प्रतिनिधि सदस्य अधिकतम कितने सदस्य नामित कर सकता है।

आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना

- (ग) गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार प्रतिनिधि सदस्य को प्राधिकृत किए जाने के किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा।

समाप्ति

- (घ) गवर्निंग बोर्ड अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रतिनिधि सदस्य को प्राधिकृत किए जाने के अपने अनुमोदन को रद्द कर सकेगा जिसके उपरान्त प्राधिकृत करने वाले सदस्य को संबंधित प्रतिनिधि सदस्य का प्राधिकार समाप्त करना होगा।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.02.1962 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और सरकार द्वारा 16.02.1962 को अनुमोदित।

समाप्ति की सूचना

- (ड) जब प्रतिनिधि सदस्य प्राधिकारप्रदाता सदस्य के साथ उस हैसियत से कार्य करना बंद कर दे तो इसकी सूचना प्राधिकारप्रदाता सदस्य और प्रतिनिधि सदस्य एक्सचेंज को तत्काल देगा।

प्रतिनिधि सदस्यों का रजिस्टर

- (च) एक्सचेंज द्वारा प्रतिनिधि सदस्यों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें प्रतिनिधि सदस्यों और उन्हें प्राधिकृत करने वाले सदस्यों के नाम उन तारीखों के साथ दर्ज किए जाएंगे जब से उन्होंने ऐसे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है और बंद किया है।

पंजीकरण और हटाना

- (छ) गवर्निंग बोर्ड को पूरा अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रतिनिधि सदस्य का नाम उक्त रजिस्टर में पंजीकृत करने से मना कर दे अथवा हटा दे।

प्रतिनिधि सदस्य द्वारा बाजार में लेन-देन

- ¹210 (क) प्रतिनिधि सदस्य बाजार में प्राधिकार प्रदाता सदस्य के नाम पर सौदेबाजी कर सकेगा लेकिन वह इस प्रकार की सौदेबाजी अपने नाम पर अथवा किसी अन्य सदस्य के नाम पर कर सकेगा और न ही वह कोई प्राधिकृत लिपिक नियोजित करने का अधिकारी होगा।

प्राधिकार प्रदाता सदस्य की जिम्मेदारी

- (ख) प्रतिनिधि सदस्य को प्राधिकार प्रदान करने वाला सदस्य अपने प्रतिनिधि सदस्य द्वारा प्राधिकारप्रदाता अथवा प्रतिनिधि सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य सदस्य के नाम से बाजार में किए गए सभी सौदों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे ऐसे सभी सौदों की शर्तें एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अनुसार ठीक उसी प्रकार निभानी होंगी जैसे ये सौदे स्वयं उसी के द्वारा किए गये हों।

प्रतिनिधि सदस्य का कारोबार

- (ग) प्रतिनिधि सदस्य अपनी ओर से अथवा अपने घटकों की ओर से किया जाने वाला अपना सारा कारोबार या अपने घटकों की ओर से दिये जाने वाले सभी आदेश प्राधिकारप्रदाता सदस्य के माध्यम से अथवा उसके साथ ही कर सकेगा न कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य सदस्य के माध्यम से अथवा उसके साथ।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 13.02.1962 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और 16.02.1962 को सरकार द्वारा अनुमोदित।

क्षतिपूर्ति

- (घ) यदि लिखित रूप में इसके विपरीत कोई समझौता न किया गया हो तो यह माना जाएगा कि प्रतिनिधि सदस्य प्राधिकारप्रदाता सदस्य को होने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा जो उसके द्वारा लाए गये घटकों (बशर्ते ये घटक एक्सचेंज के सदस्य न हों) द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने में हुई किसी चूक के कारण हुआ हो, और इस संबंध में स्टॉक प्रतिनिधियों (रेमिजियर्स), अधिकृत लिपिकों और दलाली के हिस्सेदार अन्य व्यक्तियों पर लागू एक्सचेंज के नियम, उप-विधियां और विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिनिधि सदस्य पर लागू होंगे।

प्रतिनिधि सदस्य संविदा नोट कब जारी कर सकता है

- (ङ) प्रतिनिधि सदस्य अपने घटकों को अपने नाम से संविदा नोट जारी कर सकता है बशर्ते उसने एक्सचेंज में ¹(नियम 36 के अंतर्गत निर्धारित धनराशि) जमानत राशि जमा की हो और उस तारीख से एक माह तक की अवधि तक ऐसी जमानत राशि लगातार जमा रखता है जिस तारीख को वह एक्सचेंज को इस आशय की नोटिस देता है कि उसने अपने घटकों को संविदा नोट जारी करना बंद कर दिया है।

जमानत के प्रावधान

- (च) इन नियमों में किसी सदस्य द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित प्रतिनिधि सदस्य द्वारा जमा की गयी जमानत पर भी लागू होंगे लेकिन साथ ही उक्त जमानत पर प्राधिकार प्रदाता सदस्य का भी ग्रहणाधिकार होगा ताकि वह इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों में उल्लिखित प्रतिनिधि सदस्य के कार्यों, उत्तरदायित्वों और देयताओं का विधिवत निर्वहन कर सके।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 24.02.1987 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और 19.05.1987 को सरकार द्वारा अनुमोदित।

गठित अटर्नी

अटर्नी अधिकार

211. कोई भी सदस्य अपना स्टॉक एक्सचेंज कारोबार संचालित करने अथवा पर्यवेक्षण करने के लिए किसी ऐसे सदस्य को अटर्नी अधिकार नहीं देगा जो सदस्य नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति (जो सदस्य नहीं है) अन्य सभी दृष्टियों से एक्सचेंज की सदस्यता हेतु पात्र न हो और गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित न हो।

स्थानापन्नों की नियुक्ति

212. किसी सदस्य द्वारा दी गयी अटर्नी अधिकार के अंतर्गत कोई स्थानापन्न तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानापन्न के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित व्यक्ति अन्य सभी दृष्टियों से एक्सचेंज की सदस्यता हेतु पात्र न हो और गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित न हो।

अटर्नी अधिकार का पंजीकरण

213. किसी सदस्य द्वारा प्रदत्त अटर्नी अधिकार और उसके अंतर्गत किसी स्थानापन्न का पंजीकरण अति आवश्यक है और उसकी एक प्रति एक्सचेंज में जमा करनी होगी।

गठित अटर्नियों का रजिस्टर

214. एक्सचेंज द्वारा गठित अटर्नियों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें गठित अटर्नियों के नाम, नियुक्तकर्ता सदस्यों के नाम और ऐसे अटर्नियों द्वारा नियुक्त स्थानापन्नों के नाम उन तारीखों के साथ दर्ज किए जाएंगे जिनमें उन्हें प्राधिकार दिया गया और वापस लिया गया।

सदस्य की जिम्मेदारी

215. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अटर्नी अधिकार प्रदान करने वाला सदस्य अपने अटर्नी अथवा स्थानापन्न के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

रेमिसियर

216. किसी सदस्य द्वारा मुख्य रूप से प्रतिभूतियों में कमीशन कारोबार करने के लिए नियुक्त व्यक्ति रेमिसियर कहा जाएगा।

कमीशन की शर्तें

- ¹217. कोई भी सदस्य अपने स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के लिए रेमिसियर नियोजित करने के लिए अधिकृत होगा और वह ऐसे रेमिसियर को उप-विधियों के प्रावधानों के अंतर्गत उतनी दलाली भी देगा, जिसके लिए उसने सहमति दी है।

अनुमति आवश्यक

218. कोई भी सदस्य किसी रेमिसियर को नियोजित नहीं करेगा जब तक ऐसी नियुक्ति के लिए गवर्निंग बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

पूर्व सदस्य रेमिसियर के रूप में

219. कोई सदस्य गवर्निंग बोर्ड की विशेष अनुमति से किसी ऐसे सदस्य को रेमिसियर के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसकी सदस्यता एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत समाप्त हो चुकी है।

रेमिसियर किसी अन्य का कर्मचारी नहीं होना चाहिए

220. रेमिसियर कोई व्यक्ति अथवा फर्म हो सकता है परंतु वह किसी व्यक्ति या फर्म का कर्मचारी कदापि नहीं हो सकता।

स्टॉक प्रतिनिधि (रेमिजियर) केवल एक सदस्य के लिए कार्य करेगा

221. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सदस्यों के रेमिसियर के रूप में पंजीकृत नहीं होगा।

आवेदन

222. (क) रेमिसियर नियुक्त करने का इच्छुक सदस्य इसके लिए शासील बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने हेतु समय-समय पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म पर आवेदन करेगा। इस फार्म पर सदस्य और प्रस्तावित रेमिसियर दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र

- (ख) किसी सदस्य द्वारा किसी रेमिसियर की नियुक्ति हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ उस रेमिसियर के पूर्व नियोक्ता या नियोक्ताओं द्वारा जारी कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए यदि रेमिसियर पहले भी रेमिसियर अथवा प्राधिकृत लिपिक के रूप में

¹गवर्निंग बोर्ड द्वारा सेबी के 28.09.2005 के पत्र सं एमआरडी/डीएसए/बीएसई/50562/2005 के अनुसरण में 30.09.2005 को प्रसूचित।

कार्य कर चुका हो। इस प्रकार का कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में दिया जाएगा और इसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि उक्त रेमिसियर अथवा प्राधिकृत लिपिक ने अपना पूर्व नियोजन छोड़ते समय अपने नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं को देय सभी प्रकार के कर्ज और बकाया देयताएं चुका दी थीं और यह कि उस नियोजन में उसका आचरण संतोषजनक था।

कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र की गैर मौजूदगी

- (ग) जब आवेदन पत्र के साथ उप खण्ड 'ख' के अंतर्गत अपेक्षित कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र न लगाया गया हो तो प्रस्तावित रेमिसियर उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा और तदुपरांत गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि क्या और किन शर्तों पर कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को माफ किया जा सकता है और यदि प्रस्तावित रेमिसियर और उसके पूर्व नियोक्त के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष इस मामले को न्याय निर्णयन हेतु मध्यस्थता समिति को संदर्भित कर सकता है अथवा यह कह सकता है कि इस विवाद को सदस्येतर व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता से संबंधित एक्सचेंज के विनियमों और उप-विधियों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाए।

स्टॉक प्रतिनिधि (रेमिज़ियर) वायदा कारोबार में शामिल न हो

223. गवर्निंग बोर्ड रेमिसियर के रूप में कार्य करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को अनुमति देने से मना कर सकता है जब तक कि वह यह वचन नहीं देता कि रेमिसियर के रूप में पंजीकृत होने के बाद वह किसी भी प्रकार के वादा कारोबार से मुख्या या कर्मचारी के रूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा।

आवेदनों की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण

224. रेमिसियर की नियुक्ति हेतु किसी भी आवेदन को गवर्निंग बोर्ड अपने विवेक से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।

अनुमति वापस लेना

225. गवर्निंग बोर्ड को यह विवेकाधिकार होगा कि वह किसी भी समय रेमिसियर की नियुक्ति हेतु प्रदत्त अनुमति को वापस ले सकता है जिसके उपरांत सदस्य को संबंधित रेमिसियर के नियोजन पर रोक लगानी होगी।

सेवा समाप्ति

226. प्रत्येक सदस्य को रेमिसियर के नियोजन की समाप्ति की सूचना एक्सचेंज को तत्काल देनी होगी।

स्टॉक प्रतिनिधि (रेमिज़ियर) का रजिस्टर

- 227.(क) एक्सचेंज द्वारा रेमिसियर का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें रेमिसियर का नाम उनकी नियुक्ति और कार्यमुक्ति की तारीख और उन्हें नियोजित करने वाले सदस्यों के नामों के साथ लिखे जाएंगे।

रजिस्टर का निरीक्षण

- ख) सामान्यतः इस रजिस्टर का निरीक्षण नहीं किया जाएगा परंतु केवल अध्यक्ष और इस रूप में गवर्निंग बोर्ड इसका निरीक्षण कर सकेगा।

पंजीकरण और निकालना

- ग) गवर्निंग बोर्ड के पास संपूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए पंजीकरण के लिए मना कर दे अथवा किसी भी रेमिसियर का नाम उक्त रजिस्टर से निकाल दे।

तल पर प्रवेश की अनुमति

228. (क) रेमिसियर को एक्सचेंज के तल पर प्रवेश की अनुमति ¹{ऐसे नियमों और शर्तों पर} होगी जो गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

अच्छे व्यवहार पर प्रवेश

- (ख) किसी भी रेमिसियर को तभी तक एक्सचेंज के तल पर प्रवेश की अनुमति होगी जब तक वह अच्छा व्यवहार करता है और वह एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

प्रवेश की अनुमति, रोक अथवा लंबन

- (ग) गवर्निंग बोर्ड के पास यह पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य के रेमिसियर के एक्सचेंज में प्रवेश पर रोक लगा दे अथवा उसे लंबित रखे।

रेमिसियर कोई सौदेबाजी न करे

229. जब रेमिसियर एक्सचेंज के फ्लोर पर हो तो अपनी और से, अपने नियोक्ता की और से अथवा किसी अन्य सदस्य की और से कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले रेमिसियर को गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा तत्काल निलंबित अथवा निष्कासित कर दिया जाएगा।

रेमिसियर संविदा नोटों पर हस्ताक्षर न करे

230. रेमिसियर अपने उन संघटकों के नाम देगा जिनके नाम से उस सदस्य द्वारा संविदा नोट प्रस्तुत किए जाने हैं जिस सदस्य के लिए वह रेमिसियर कार्य करता है। रेमिसियर अपने नाम से या किसी अन्य नाम से संविदा नोटों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही वह अपने नियोक्ता की और से हस्ताक्षर करेगा जब तक कि वह उस नियोक्त द्वारा उस उद्देश्य के लिए वैधानिक अटार्नी नियुक्त न किया गया हो।

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और 24.12.1968 को सरकार द्वारा अनुमोदित।

रेमिसियर प्रचार न करे

231. अपने संघटकों के अतिरिक्त अन्य लोगों में मूल्य सूचियों और परिपत्रों को प्रचारित अथवा जारी नहीं करेगा।

रेमिसियर का निजी कारोबार

232. कोई भी रेमिसियर अपने निजी कारोबार के लिए रेमिसियर के तौर पर काम नहीं कर सकता। अपने निजी खाते के लिए किए गए कारोबार पर दी जाने वाली दलाली पर कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

उप-एजेंट

233. यदि कोई रेमिसियर किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अपनी दलाली की राशि का एक हिस्सा अपने संघटकों अथवा उप-एजेंट को देता है तो उसके बाद उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

रेमिसियर दलाली का बंटवारा संघटकों के साथ न करे

234. यदि रेमिसियर अपने द्वारा लाए गए संघटकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या एजेंट को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भत्ता अथवा दलाली का भुगतान करते हैं तो इसके लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे।

प्रतिभूति

235. (क) यदि नियोजक सदस्य चाहे तो रेमिसियर को पंजीकरण के समय एक्सचेंज में कम से कम रु. 5000 की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी जो तब तक वहां जमा रहेगी जब तक वह उस सदस्य के रेमिसियर के रूप में काम करता रहेगा।

प्रतिभूति संबंधी प्रावधान

- (ख) इन नियमों में किसी सदस्य द्वारा जमा की जानेवाली प्रतिभूति उप खण्ड (क) में रेमिसियर द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति संबंधी प्रावधान में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

प्रतिभूति पर ग्रहणाधिकार

- (ग) इस प्रतिभूति पर उस सदस्य का पहला अधिकार होगा जिसके लिए रेमिसियर काम कर रहा है ताकि वह अपने वायदों, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके अथवा रेमिसियर के साथ या उसकी और से अथवा उसके संघटकों के साथ या उनकी और से की गयी किसी भी सौदेबाजी, व्यापार, लेन-देन और संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न देयताओं की प्रतिपूर्ति एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत कर सके अथवा इससे संबंधित किसी अन्य बात के लिए।

प्रतिभूति की वापसी

- (घ) रेमिसियर का नियोजन समाप्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु होने पर एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अंतर्गत उसकी समस्त अप्रयुक्त प्रतिभूति का पुनः भुगतान उसे उसी के खर्च पर कर दिया जाएगा अथवा उसका अंतरण उसे या उसके द्वारा दिए गए निदेशानुसार या ऐसा कोई निदेश न होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि को कर दिया जाएगा।

घोषणा-पत्र

- (ङ) इन नियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के तहत प्रतिभूति जमा करने वाले रेमिसियर को इन नियमों के परिशिष्ट 'एफ' में दिए गए निर्धारित फार्म पर अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे किसी फार्म पर अपने हस्ताक्षर से एक घोषणा पत्र देना होगा।

प्राधिकृत लिपिक

236. एक्सचेंज पर कारोबार करने वाले प्रतिनिधि सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे सदस्य की और से बाजार में सौदेबाजी करने के लिए पूरी तरह अपने नियोजन में नियुक्त कर सकेगा।

प्राधिकृत लिपिकों की संख्या

237. किसी सदस्य द्वारा नियोजित किए जाने वाले प्राधिकृत लिपिकों की अधिकतर संख्या गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियम की जाएगी।

रेमिसियर प्राधिकृत लिपिकों के रूप में

238. गवर्निंग बोर्ड की अनुमति से कोई सदस्य अपने रेमिसियर को अपने प्राधिकृत लिपिकों के रूप में नियोजित कर सकता है लेकिन यह उसे अनुमत प्राधिकृत लिपिकों की अधिकतम संख्या के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए तथापि किसी ऐसे सदस्य को प्राधिकृत लिपिक के रूप में सौदेबाजी करने के लिए एक्सचेंज के तल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जो एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अंतर्गत कभी चूककर्ता घोषित किया गया हो और उसके बाद रेमिसियर के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो।

वैकल्पिक प्राधिकृत लिपिक

239. प्राधिकृत लिपिक के अनुपस्थित होने पर कोई भी सदस्य गवर्निंग बोर्ड की अनुमति से अस्थायी तौर पर कामकाज करने के लिए वैकल्पिक प्राधिकृत लिपिक नामित कर सकता है।

स्थानापन्न प्राधिकृत लिपिक

240. कोई भी सदस्य गवर्निंग बोर्ड की अनुमति से ऐसे प्राधिकृत लिपिकों की जगह पर नए लिपिकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वापस ले लिया गया है।

स्थानापन्न प्राधिकृत लिपिक की अनुमति कम नहीं मिलेगी

241. जब किसी कारणवश गवर्निंग बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा किसी प्राधिकृत लिपिकों को निलंबित अथवा निष्कासित कर दिया गया हो तो उसके नियोक्ता को किसी स्थानापन्न प्राधिकृत लिपिक की नियुक्ति उसके निलंबन या निष्कासन की तारीख से लेकर उस अवधि तक करने की अनुमति नहीं होगी जो उचित समझी जाएगी।

नियम और शर्तें

- ¹242. प्राधिकृत लिपिक और उनके स्थान पर वैकल्पिक तथा स्थानापन्न लिपिकों की नियुक्ति गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अधलीन की जाएगी।

गवर्निंग बोर्ड की अनुमति आवश्यक

243. कोई भी सदस्य किसी प्राधिकृत लिपिक अथवा उसके स्थान पर वैकल्पिक या स्थानापन्न लिपिक की नियुक्ति तब तक नहीं कर सकेगा जब तक वह गवर्निंग बोर्ड द्वारा ऐसी नियुक्ति की अनुमति नहीं प्राप्त कर लेता।

नाबालिग पात्र नहीं है

244. अठारह वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत लिपिक के रूप में भर्ती नहीं किया जा सकता।

चूककर्ता पात्र नहीं है

245. कोई भी सदस्य किसी ऐसे पूर्व सदस्य को प्राधिकृत लिपिक के रूप में नियोजित नहीं कर सकता अथवा उसका नियोजन जारी नहीं रख सकता जिसे चूककर्ता घोषित किया जा चुका हो परंतु वह निपटान क्रम में अपने लिपिक के रूप में किसी चूककर्ता के नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकता है।

निलंबित और निष्कासित सदस्य

246. कोई भी सदस्य गवर्निंग बोर्ड की विशेष अनुमति के बिना किसी ऐसे पूर्व सदस्य को प्राधिकृत लिपिक के रूप में नियोजित नहीं कर सकता अथवा उसका नियोजन जारी नहीं रख सकता जिसे निलंबित या निष्कासित कर दिया गया हो।

आवेदन

247. (क) अपने प्राधिकृत लिपिक (जिसमें वैकल्पिक अथवा स्थानापन्न लिपिक शामिल हैं) के बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक को अनुमति हेतु गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में गवर्निंग बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।

कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र

- (ख) किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की प्राधिकृत लिपिक के रूप में नियुक्ति हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ उस व्यक्ति के पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए यदि वह पूर्व में किसी अन्य सदस्य के प्राधिकृत लिपिक अथवा रेमिसियर के रूप में कार्य कर चुका हो। इस प्रकार का कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र गवर्निंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में दिया जाएगा और इसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि उक्त रेमिसियर अथवा प्राधिकृत लिपिक ने

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 19.11.1968 के संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित और 24.12.1968 को सरकार द्वारा अनुमोदित।

अपना पूर्व नियोजन छोड़ते समय अपने नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं को देय सभी प्रकार के कर्ज और बकाया देयताएं चुका दी थीं और यह कि उस नियोजन में उसका आचरण संतोषजनक था।

कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र की गैर मौजूदगी

- (ग) जब आवेदन पत्र के साथ उप खण्ड 'ख' के अंतर्गत अपेक्षित कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र न लगाया गया हो तो प्रस्तावित प्राधिकृत लिपिक उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा और तदुपरांत गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि क्या और किन शर्तों पर कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को माफ किया जा सकता है और यदि प्रस्तावित प्राधिकृत लिपिक और उसके पूर्व नियोक्त के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष इस मामले को न्याय निर्णयन हेतु विवाचक समिति को संदर्भित कर सकता है अथवा यह कह सकता है कि इस विवाद को सदस्येतर व्यक्तियों के बीच विवाचन से संबंधित एक्सचेंज के विनियमों और उप-विधियों के अनुसार विवाचन द्वारा निपटाया जाए।

आवेदनों की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण

248. प्राधिकृत लिपिक की नियुक्ति हेतु किसी भी आवेदन को गवर्निंग बोर्ड अपने विवेक से स्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

अनुमति वापस लेना

249. गवर्निंग बोर्ड को यह विवेकाधिकार होगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत लिपिक की नियुक्ति हेतु प्रदत्त अनुमति को वापस ले सकता है जिसके उपरांत सदस्य को संबंधित प्राधिकृत लिपिक के नियोजन पर रोक लगानी होगी।

प्राधिकार, निलंबन और वापसी की सूचना

250. यदि कोई सदस्य प्राधिकृत लिपिक नियोजित करता है अथवा ऐसे लिपिक का नियोजन समाप्त करता है अथवा उसका प्राधिकार वापस लेता है तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक्सचेंज को लिखित रूप में उस उस लिपिक का नाम, उसके नियोजन के प्रारंभ अथवा समाप्ति की तारीख या उसके प्राधिकार की वापसी की तारीख की सूचना दे और ऐसे नियोजन, समाप्ति अथवा वापसी की सूचना एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

प्राधिकृत लिपिकों का रजिस्टर

251. (क) एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत लिपिकों का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें प्राधिकृत लिपिकों का नाम उनके प्राधिकार और कार्यमुक्ति की तारीख उन्हें नियोजित करने वाले सदस्यों के नामों के साथ लिखे जाएंगे।

पंजीकरण और निकालना

- (ख) गवर्निंग बोर्ड के पास संपूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए पंजीकरण के लिए मना कर दे अथवा किसी भी प्राधिकृत लिपिक का नाम उक्त रजिस्टर से निकाल दे।

तल पर प्रवेश की अनुमति

- 252.(क) प्राधिकृत लिपिक को एक्सचेंज के तल पर प्रवेश की अनुमति और इस प्रकार प्राधिकृत किसी भी लिपिक को इस प्रकार की अनुमति होगी।

अच्छे व्यवहार पर प्रवेश

- (ख) किसी भी प्राधिकृत लिपिक को तभी तक एक्सचेंज के तल पर प्रवेश की अनुमति होगी जब तक वह अच्छा व्यवहार करता है और वह एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

प्रवेश की अनुमति, रोक अथवा स्थगन

- (ग) गवर्निंग बोर्ड के पास यह पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य के प्राधिकृत लिपिक के एक्सचेंज में प्रवेश पर रोक लगा दे अथवा उसे स्थगित रखे।

प्राधिकृत लिपिक सौदेबाजी कर सकता है

253. प्राधिकृत लिपिक केवल अपने नियोक्ता की ओर से कारोबार कर सकता है। यदि वह स्वयं अपने नाम पर अथवा अपने नियोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम पर कारोबार करता है तो वह गवर्निंग बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा तत्काल निलंबित अथवा निष्कासित कर दिया जाएगा।

प्राधिकृत लिपिक द्वारा की गयी सौदेबाजी के लिए सदस्य जिम्मेदार होगा

254. किसी सदस्य द्वारा नियोजित किसी प्राधिकृत लिपिक द्वारा बाजार में किये गये सभी सौदों की जिम्मेदारी उस सदस्य की होगी और वह इन सौदों का निर्वहन एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अनुसार ठीक उसी प्रकार करेगा जैसे वे सौदे स्वयं उसी ने किये हों।

नोटिस दिये जाने तक नियोक्ता की जिम्मेदारी बनी रहेगी

255. किसी भी सदस्य के प्राधिकृत लिपिक द्वारा अन्य सदस्यों के साथ किये गये सौदों के प्रति जिम्मेदारी उस लिपिक का नियोजन समाप्त होने अथवा उसका प्राधिकार वापस ले लिए जाने की सूचना एक्सचेंज में प्राप्त होकर वहां के नोटिस बोर्ड पर लग जाने के एक दिन बाद तक बनी रहेगी।

प्राधिकृत लिपिक संविदा नोटों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा

256. प्राधिकृत लिपिक न तो अपने नाम से अथवा किसी अन्य नाम से और न ही अपने नियोक्ता की ओर से संविदा नोटों पर हस्ताक्षर करे जब तक उसे नियोक्ता द्वारा उस उद्देश्य के लिए अपना वैधानिक अटार्नी नियुक्त न किया गया हो।

**प्राधिकृत लिपिक द्वारा लिये गए उधार के लिए
सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा**

257. प्राधिकृत लिपिक नियुक्त करने वाला कोई सदस्य ऐसे प्राधिकृत लिपिक द्वारा प्रतिभूति के साथ अथवा बिना प्रतिभूति के लिए लिये गए उधार के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक उसने उस उद्देश्य के लिए विशेष प्राधिकार न दिये हों।

¹कंपनियों के मामले में अतिरिक्त शर्तें

- 257 क. (i) किसी सदस्य (जो कि एक कंपनी है) के अंतर्नियमावली में वे प्रावधान रहते हैं जिनकी अपेक्षा गवर्निंग बोर्ड समय-समय पर करता है। कंपनी के शेयरधारकों की सूची एक्सचेंज में जमा की जाएगी। तत्कालीन शेयरहोल्डर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो गवर्निंग बोर्ड को स्वीकार्य हों;
- ²(ii) {नियम 19क(क)के अंतर्गत गठित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक जो एक्सचेंज के सदस्य होते हैं, उनके पास कंपनी की कुल निर्गत पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हमेशा रहेगा और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के ऐसे निदेशक जो एक्सचेंज के सदस्य हैं तथा उनके सहयोगी मिलकर कंपनी की निर्गत पूंजी के कम से कम 40 प्रतिशत के स्वामी होते हैं।}
- (iii) गवर्निंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकार की कंपनी के नाम, अंतर्नियम और बहिर्नियम तथा पूंजी एवं शेयर धारिता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (iv) कोई व्यक्ति तब तक इस प्रकार की कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता जब तक गवर्निंग बोर्ड इस प्रकार की नियुक्ति पर अपनी सहमति न दे दे।
- (v) यदि कंपनी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन होता है जो गवर्निंग बोर्ड को स्वीकार्य न हो अथवा किसी व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई हो जो गवर्निंग बोर्ड को स्वीकार्य न हो तो गवर्निंग बोर्ड ऐसी सदस्य कंपनी को निष्कासित कर देगा।
- ²(vi) एक्सचेंज के नियमों, उप विधियों और विनियमों के नियम 19क(ख)अंतर्गत गठित कंपनी के मामले में, एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने के समय कंपनी अपने प्रमुख शेयरधारकों के नामों की घोषणा करेगी और अपने प्रमुख शेयरधारकों में से कम से कम एक को अपना नामित निदेशक अवश्य बनाएगी। तथापि, यदि कंपनी के लिए

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 07.12.1987 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और 03.02.1988 को सरकार द्वारा अनुमोदित।

² गवर्निंग बोर्ड द्वारा 23.05.2003 व 20.09.2003 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 18.08.2003 को अनुमोदित।

अपने प्रमुख शेयरधारकों में से एक को नामित निदेशक बनाना संभव न हो, तो कंपनी को कम से कम दो ऐसे नामित निदेशक नियुक्त करने होंगे जिनके पास

क) कम से कम स्नातक स्तर की शिक्षा हो; और

ख) पूंजी बाजार का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

इस प्रकार नियुक्त नामित निदेशकों में से प्रत्येक के पास कंपनी की चुकता पूंजी की न्यूनतम 5 प्रतिशत पूंजी होगी।

इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया है कि गवर्निंग बोर्ड के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी कंपनी (जिसमें अनिवासी भारतीय द्वारा संचालित कंपनी भी शामिल है) के लिए उपर्युक्त अपेक्षाओं से उन स्थितियों में छूट दे सके जिन्हें वह एस.सी. (आर) नियमावली 1957 के नियम 8(4ए) में किए गए प्रावधानों के अनुसार उचित समझता हो।

प्रमुख शेयरधारक की अवधारणा को पारिभाषिक करने का अधिकार गवर्निंग बोर्ड के पास होगा।

¹कापेरिट सदस्यों का सम्मेलन और अविलय

परिभाषाएं

257. ख (1) इस नियम के अंतर्गत, जब तक कि इसके संदर्भ या आशय से असंगत न हो -

- (i) "कंपनी" का आशय एक कंपनी अथवा अन्य कापेरिट निकाय से है जो किसी विधि के अधीन गठित हो।
- (ii) "कापेरिट सदस्य" का तात्पर्य है एक्सचेंज का ऐसा सदस्य जो एक कंपनी हो।
- (iii) "सेबी" का आशय है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड।

कापेरिट सदस्य के सम्मेलन के लिए

सेबी और गवर्निंग बोर्ड की सहमति आवश्यक

- (2) कोई भी कापेरिट सदस्य किसी कंपनी के साथ अथवा कोई कंपनी किसी कापेरिट सदस्य के साथ सम्मेलन सेबी और गवर्निंग बोर्ड की पूर्व अनुमति से और सेबी तथा गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन ही कर सकेगा। सेबी और/अथवा गवर्निंग बोर्ड सही और उपयुक्त कारणों के आधार पर इस प्रकार के सम्मेलन की अनुमति देने से मना कर सकता है जिनमें किसी भी पार्टी अथवा इसके निदेशकों के विरुद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 अथवा उसके अंतर्गत बने किसी अन्य नियम या विनियम के तहत अथवा एक्सचेंज के नियमों, उप विधियों और विनियमों के तहत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होना आदि कारण हो सकते हैं (परंतु इन्हीं कारणों पर सीमित नहीं)। इस नियम का उल्लंघन करने पर गवर्निंग बोर्ड संबंधित कापेरिट सदस्य को निष्कासित कर सकता है। इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के पूर्व एक्सचेंज के नियमों, उप विधियों और विनियमों में अंतरणकर्ता और अंतरिती से संबंधित नियम 23 का अनुपालन किया जाएगा और गवर्निंग बोर्ड प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों पर विचार करेगा।

कापेरिट सदस्य के गैर सदस्य कंपनी के साथ सम्मेलन का परिणाम

- (3) सेबी और/ अथवा गवर्निंग बोर्ड की अनुमति के उपरांत तथा सेबी और/अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, कोई कापेरिट सदस्य ("अंतरणकर्ता कंपनी") किसी ऐसी कंपनी ("अंतरिती कंपनी") के साथ सम्मेलन करती है जो कापेरिट सदस्य नहीं है और सम्मेलन की योजना में यह शामिल है कि अंतरणकर्ता कंपनी की एक्सचेंज में

¹ गवर्निंग बोर्ड द्वारा 13.04.2000 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और 14.11.2000 को सेबी द्वारा अनुमोदित।



सदस्यता का अधिकार इस सम्मेलन के उपरान्त अंतरिती कंपनी के पास चला जाएगा, तो सम्मेलन के प्रभावी होने के तत्काल बाद :-

- (क) अंतरिती कंपनी अंतरणकर्ता कंपनी के स्थान पर उसके बदले एक्सचेंज की सदस्य मानी जाएगी और इसके लिए अंतरिती कंपनी को एक्सचेंज में कोई सदस्यता, प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा; बशर्ते अंतरिती कंपनी तब तक एक्सचेंज की सदस्य नहीं मानी जाएगी जब तक वह सेबी विनियमों के अंतर्गत ऐसे सदस्यों पर यथालागू शर्तों जैसे पंजीकरण शुल्क का भुगतान आदि का अनुपालन नहीं कर लेती।
- (ख) अंतरणकर्ता कंपनी यदि एक्सचेंज के डेरिवेटिव सेगमेंट के व्यापारकर्ता अथवा समाशोधन कर्ता सदस्य के रूप में पंजीकृत हो और एक्सचेंज के किसी भी अन्य सेगमेंट के साथ अंतरणकर्ता कंपनी के सभी पंजीकरण अंतरिती कंपनी में निहित हो जाएंगे और इसके लिए अंतरिती कंपनी को किसी सदस्यता, प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा;
- (ग) अंतरिती कंपनी का कोई नामिती जो कि एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड अथवा एक्सचेंज के अन्य किसी बोर्ड, काउंसिल अथवा समिति का सदस्य है अथवा सम्मेलन के समय एक्सचेंज का कोई पदाधिकारी है तो वह ऐसे सदस्य या ऐसे पदाधिकारी के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक वह इस प्रकार का सम्मेलन न होने की स्थिति में करता, बशर्ते उसने अंतरिती कंपनी के पूर्णकालिक/नामित निदेशक के रूप में कार्य करना बंद न कर दिया हो या वह इस प्रकार के पद अथवा सदस्यता के लिए किसी अन्य नियम अथवा विधि के अंतर्गत अयोग्य न ठहराया गया हो। अंतरिती कंपनी को इस रिक्ति को भरने का अधिकार नहीं होगा और यह रिक्ति एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी;
- (घ) अंतरिती कंपनी को अंतरणकर्ता कंपनी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और वह अंतरणकर्ता कंपनी के सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य होगी; और
- (ङ) अंतरिती कंपनी सम्मेलन से पूर्व अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा किए गए सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसा सम्मेलन न होने की स्थिति में अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अथवा इसके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक, विवाचक अथवा अन्य कार्यवाही अंतरिती कंपनी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रारंभ की जाएगी अथवा जारी रखी जाएगी।

प्रावधानन किया जाता है कि -

- (i) उप खंड (क) लागू नहीं होगा यदि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर दलाल एवं उप दलाल) नियमावली 1992, एक्सचेंज के नियम, उप-विधियां और विनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अंतरिती कंपनी एक्सचेंज का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने हेतु पात्र नहीं है।
- (ii) उप खंड (ख) लागू नहीं होगा यदि अंतरिती कंपनी एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा एक्सचेंज के किसी भी अन्य

सेगमेंट के अंतर्गत एक्सचेंज का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने हेतु पात्र नहीं है।

एक कार्पोरेट सदस्य के दूसरे कार्पोरेट सदस्य के साथ समामेलन का परिणाम

- (4) सेबी और/अथवा गवर्निंग बोर्ड की अनुमति के फलस्वरूप तथा सेबी और/अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार एक अथवा अधिक कार्पोरेट सदस्य ("अंतरणकर्ता कंपनी" अथवा "अंतरणकर्ता कंपनियां") किसी दूसरे कार्पोरेट सदस्य ("अंतरिती कंपनी") के साथ समामेलन करती हैं अथवा दो या दो से अधिक कार्पोरेट सदस्य ("अंतरणकर्ता कंपनियां") किसी ऐसी कंपनी के साथ समामेलन करती हैं जो कि कार्पोरेट सदस्य ("अंतरिती कंपनी") नहीं है और समामेलन की योजना में यह प्रावधान हो कि अंतरणकर्ता कंपनी का अथवा अंतरणकर्ता कंपनियों का (मामला जैसा भी हो) एक्सचेंज की सदस्यता का अधिकार ऐसे समामेलन के उपरांत अंतरिती कंपनी के पास होगा, तो समामेलन के प्रभावी होने के तत्काल बाद उप नियम (3) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों और निम्नलिखित संशोधनों के तहत लागू होंगे -

- (क) यदि समामेलन के पूर्व दो या दो से अधिक कार्पोरेट सदस्यों के नामिती निदेशक हैं अथवा एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के या एक्सचेंज के अन्य किसी बोर्ड, काउंसिल अथवा समिति के सदस्य हैं अथवा एक्सचेंज के कोई पदाधिकारी हैं, और नियम अथवा कोई अन्य कानून उस कार्पोरेट सदस्य के एक से अधिक नामितियों के ऐसे निदेशक अथवा सदस्य अथवा पदाधिकारी होने की अनुमति नहीं देता, तो अंतरणकर्ता कंपनी अथवा कंपनियों और अंतरिती कंपनी को संयुक्त रूप से गवर्निंग बोर्ड को इसकी सूचना देनी होगी और आवश्यकतानुसार वह निदेशक अथवा सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा या इस प्रकार का पद त्याग देगा और ऐसा न करने की स्थिति में गवर्निंग बोर्ड के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कौन सा निदेशक/सदस्य पदत्याग करेगा।

- (ख) अंतरिती कंपनी एक संश्लिष्ट कार्पोरेट सदस्य के रूप में मानी जाएगी; और

- (ग) यदि समामेलन से पूर्व अंतरणकर्ता कंपनी अथवा कंपनियां और अंतरिती कंपनी एक से अधिक रूपों में एक्सचेंज के डेरेटिव सेगमेंट के व्यापार और/अथवा समाशोधन सदस्य के रूप में पंजीकृत है अथवा एक्सचेंज के किसी अन्य संविभाग के किसी अन्य रूप में पंजीकृत है तब यदि इस प्रकार से पंजीकरण से संबंधित प्रावधान उस कार्पोरेट सदस्य को एक से अधिक पंजीकरण की अनुमति देते हैं तो अंतरणकर्ता कंपनी अथवा कंपनियों तथा अंतरिती कंपनी को संयुक्त रूप से गवर्निंग बोर्ड को इस बात की सूचना देनी होगी कि कौन से पंजीकरण समाप्त किए जा रहे हैं और ऐसा न कर पाने की स्थिति में गवर्निंग बोर्ड के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कौन सा/से पंजीकरण समाप्त किया/किए जायेगा/जायेंगे।

कार्पोरेट सदस्य द्वारा अविलय हेतु गवर्निंग बोर्ड की सहमति

- (5) कार्पोरेट सदस्य पुनर्निर्माण अथवा अविलय की योजना पर कार्य नहीं करेगा जब तक वह सेबी और गवर्निंग बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तथा सेबी और/अथवा

गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का पालन नहीं करता। इस नियम का उल्लंघन करने पर गवर्निंग बोर्ड कापोरेट सदस्य को निष्कासित कर सकता है।

कापोरेट सदस्य द्वारा अविलय के परिणाम

- (6) यदि सेबी और गवर्निंग बोर्ड की अनुमति के फलस्वरूप और सेबी और/अथवा गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार कोई कापोरेट सदस्य ("अंतरणकर्ता कंपनी") पुनर्निर्माण अथवा अविलय की ऐसी योजना पर कार्य करेगा जिसके द्वारा एक्सचेंज में अंतरण कंपनी की सदस्यता का अधिकार किसी न्यायालय या अन्य सांविधिक प्राधिकरण के आदेश के फलस्वरूप अंतरणकर्ता कंपनी के पूर्ण स्वामित्व में आनेवाली अनुषंगी इकाई ("अंतरिती कंपनी") के पास हो जाएगा तो पुनर्निर्माण अथवा अविलय के प्रभावी होने के तत्काल बाद उप नियम (3) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अनुशासनिक कार्यवाही

अनुशासनिक अधिकार क्षेत्र

258. शासकीय बोर्ड, सदस्य को निष्कासित अथवा निलंबित और/अथवा जुर्माना लगाना और/अथवा सेंसर और/अथवा चेतावनी देना और/अथवा किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस ले सकता है, यदि वह एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि और विनियम अथवा किसी संकल्प, आदेश, सूचना, निर्देश अथवा निर्णय या अथवा शासकीय बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के उल्लंघन, अननुपालन, अवज्ञा, अवहेलना या परिहार का दोषी पाया जाता है अथवा किसी संचालन, कार्यवाही या कारोबार की पद्धति के प्रति जिसे शासकीय बोर्ड उसके संपूर्ण विवेक के अनुसार अपमानजनक, घृणित अथवा एक्सचेंज का सदस्य न रहने योग्य अथवा व्यापार के न्यायोचित और समानता सिद्धांत के प्रतिकूल अथवा एक्सचेंज के हित, सुनाम या कल्याण के विपरीत अथवा उसके विषयों एवं उद्देश्यों के प्रति हानिकारक तथा विनाशकारी हो ।

सदस्यों के भागीदारों, एजेंटों तथा कर्मचारियों के अपराध

259. शासकीय बोर्ड, सदस्य के भागीदार अथवा उसके अटर्नी, एजेंट, रेमिसियर, प्राधिकृत लिपिक अथवा कर्मचारी को किसी कृत्य या भूल के लिए निष्कासित अथवा निलंबित और/अथवा दंडित और/अथवा सेंसर और/अथवा चेतावनी दे सकता है, और यदि यही कृत्य या भूल सदस्य द्वारा हो जाए तो उसे भी यही दंड दिया जाएगा ।

भागीदारों, एजेंटों तथा कर्मचारियों के प्रति सदस्य की जिम्मेदारी

260. सदस्य उसकी भागीदारी फर्म तथा उसके भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक-प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लिपिकों तथा कर्मचारियों के कृत्य और भूल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और यदि शासकीय बोर्ड द्वारा इस प्रकार का कृत्य या भूल सदस्य द्वारा की गई पाई जाती है तो वह एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि और विनियमों में दिए गए किसी भी दंड का भागी होगा और तब ऐसा सदस्य उसी प्रकार का दंड और उसी सीमा तक पाने का पात्र होगा जैसे इस प्रकार का कृत्य या भूल स्वयं उसी से हो गई हो।

सदस्य और अन्य, साक्ष्य दें तथा जानकारी प्रस्तुत करें

261. सदस्य उपस्थित हो और साक्ष्य दें तथा अपने भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक-प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लिपिकों तथा कर्मचारियों को शासकीय बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करे और शासकीय बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी बहियां, पत्राचार, दस्तावेज, कागजात एवं अभिलेख या उसका कोई भाग जो उसके या उनके कब्जे में हों और जो प्रासंगिक हो अथवा जांच या परीक्षण के अंतर्गत किसी मामले की सामग्री हो, को प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत करने का निमित्त बनेगा।

विधिक प्रतिनिधित्व हेतु अनुमति आवश्यक है

262. किसी भी व्यक्ति को किसी जांच अथवा सुनवाई में शासकीय बोर्ड, प्रेसिडेंट अथवा किसी समिति के समक्ष पेशेवर काउंसिल, अटर्नी, वकील या अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि शासकीय बोर्ड या प्रेसिडेंट या समिति ऐसा करने की अनुमति न दे।

निलंबन अथवा निष्कासन के पहले स्पष्टीकरण

263. कोई सदस्य, शासकीय बोर्ड या प्रेसिडेंट के समक्ष बुलाए जाने का पात्र होगा तथा निलंबन या निष्कासन किए जाने से पहले स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाएगा, किंतु सभी मामलों में शासकीय बोर्ड के निष्कर्ष अंतिम एवं निर्णायक माने जाएंगे।

दंड का आरोपण किस प्रकार होगा

264. निलंबन का दण्ड, सदस्यता के समस्त या किसी अधिकार को वापस लेना, दंड लगाना या चेतावनी देना, शासकीय बोर्ड द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किया जा सकता है। निष्कासन का दंड शासकीय बोर्ड के विशेष संकल्प मात्र द्वारा दिया जाएगा।

दंडों का पूर्वनिर्धारण

265. शासकीय बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह दंड, किसी निलंबन की अवधि, विशेष सदस्यता अधिकार को वापस लेना और जुर्माने की राशि का पूर्व-निर्धारण करे जिसे एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि या विनियम अथवा किसी संकल्प, आदेश, सूचना, निर्देश, निर्णय अथवा एक्सचेंज के शासकीय बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट अथवा किसी समिति अथवा एक्सचेंज की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के निर्णयों का उल्लंघन, अननुपालन, अवज्ञा, अवहेलना या परिहार के लिए आरोपित किया जाएगा।

लघुकरण (कम्यूटेशन)

266. प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अधीन शासकीय बोर्ड अपने विवेक से किसी भी मामले में निष्कासन के दंड के बदले में सदस्य को निलंबित कर सकता है अथवा समस्त या किसी सदस्यता अधिकार को वापस ले सकता है या निलंबन अथवा निष्कासन के दंड के बदले में जुर्माना लगा सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि दोषी सदस्य पर पाबंदी लगा दी जाए या चेतावनी दी जाए या उन शर्तों पर ऐसे दंड को कम कर दिया जाए या क्षमा कर दिया जाए जिसे वह उपयुक्त और न्यायोचित समझे।

पुनर्विचार

267. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अधीन, शासकीय बोर्ड स्वयं के प्रस्ताव से अथवा संबंधित सदस्य द्वारा अपील किए जाने पर पुनर्विचार कर सकता है तथा किसी सदस्य के सभी या किसी अधिकार को वापस लिए जाने या विमलीकरण या सेंसर करने या चेतावनी देने से संबंधित अपने संकल्प को निरस्त, रद्द या संशोधित कर सकता है। इसी प्रकार से शासकीय बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा किसी सदस्य के निष्कासन या निलंबन से संबंधित संकल्प को निरस्त, रद्द या संशोधित कर सकता है।

जुर्माना और दण्ड का भुगतान न कर पाना

268. यदि कोई सदस्य एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप में नोटिस दिए जाने के बाद सात दिन के भीतर उस पर लगाए गए जुर्माना या दंड का भुगतान नहीं करता है तो शासकीय बोर्ड द्वारा उसे तब तक के लिए निलंबित किया जा सकता है जब तक कि वह भुगतान न कर दे और यदि वह अगले तीस दिन में भुगतान नहीं करता है तो शासकीय बोर्ड उसे निष्कासित कर सकता है।

निलंबन के परिणाम

269. सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्-

सदस्यता अधिकार का निलंबन

- (i) निलंबित सदस्य उसकी निलंबन अवधि के दौरान एक्सचेंज की किसी बैठक में भाग लेने या मत देने के साथ-साथ सदस्यता के सभी अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित एवं पृथक् कर दिया जाएगा, किंतु उसके निलंबन के या तो पहले या बाद में उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए शासकीय बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और अन्य सदस्यों द्वारा उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे को संज्ञान में लेने और न्यायनिर्णयन करने अथवा विचार करने से शासकीय बोर्ड को रोका नहीं जा सकेगा।

अक्षुण्ण लेनदार के अधिकार

- (ii) निलंबन से उस सदस्य का अधिकार प्रभावित नहीं होगा जो निलंबित सदस्य का लेनदार है।

संविदा का पालन

- (iii) निलंबित सदस्य उसके निलंबन के समय बकाया संविदा को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

कारोबार करना निषिद्ध

- (iv) निलंबित सदस्य अपने निलंबन अवधि के दौरान एक्सचेंज में किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं करेगा अथवा किसी सदस्य के साथ या उसके माध्यम से कोई लेनदेन नहीं करेगा, यह प्रावधान किया जाता है कि वह शासकीय बोर्ड की अनुमति से उसके निलंबन के समय लंबित लेनदेन को सदस्य के साथ या उसके माध्यम से समाप्त कर सकता है।

सदस्य सौदा न करें

- (v) कोई भी सदस्य, निलंबित सदस्य को निलंबन अवधि के दौरान शासकीय बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना उसके लिए या उसके साथ कारोबार या दलाली की सहभागिता नहीं करेगा।

निष्कासन के परिणाम

270. सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात् -

- (i) निष्कासित सदस्य एक्सचेंज में अपनी सदस्यता के समस्त अधिकार तथा एक्सचेंज के सदस्य के रूप में सभी अधिकार तथा सुविधाओं तथा उसके प्रयोग का अधिकार अथवा उसपर कोई दावा अथवा एक्सचेंज की किसी संपत्ति या निधि में - ¹{अथवा व्यापार गारंटी निधि में किसी भी प्रकार के हित को खो देगा, किंतु एक्सचेंज के ऐसे किसी सदस्य, ²{समाशोधन गृह, व्यापार गारंटी निधि के प्रति अथवा एक्सचेंज के किसी सदस्य के प्रति कोई भी देयता बनी रहेगी और उसके निष्कासन से उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

नामांकन का अधिकार समाप्त होना

- (ii) नामांकन का अधिकार एक्सचेंज को होगा और इसका प्रयोग निष्कासित सदस्य द्वारा नहीं किया जाएगा;

पद खाली करना

- (iii) निष्कासन से निष्कासित सदस्य का पद और हैसियत रिक्त हो जाएगी।

अशुण्ण लेनदार के अधिकार

- (iv) निष्कासन से उस सदस्य का अधिकार प्रभावित नहीं होगा जो निष्कासित सदस्य का लेनदार है।

संविदा का पालन

- (v) निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के समय बकाया संविदा को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह शासकीय बोर्ड की अनुमति से सदस्य के साथ या उसके माध्यम से ऐसे बकाया लेनदेन को समाप्त कर सकता है।

सदस्य सौदा न करें

- (vi) कोई भी सदस्य, शासकीय बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना निष्कासित सदस्य के लिए या उसके साथ कारोबार या दलाली की सहभागिता नहीं करेगा।

¹ सेबी द्वारा 09.05.1997 को संप्रविष्ट और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत।

² सेबी द्वारा 09.05.1997 को संप्रविष्ट और गवर्निंग बोर्ड द्वारा 10.05.1997 को अंगीकृत।

निष्कासन नियम लागू होंगे

271. जब कोई सदस्य, मृत्यु, चूक अथवा त्यागपत्र को छोड़कर इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य नहीं रह जाता, तो यह ऐसा ही होगा जैसे कि वह सदस्य शासकीय बोर्ड द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो और ऐसी स्थिति में इन नियमों में दिए गए निष्कासन से संबंधित सभी प्रावधान समग्र रूप से ऐसे सदस्य पर लागू होंगे।

कारोबार का स्थगन

272. (क) शासकीय बोर्ड अथवा प्रेसिडेंट द्वारा किसी सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि यदि वह इन नियमों में निर्धारित जमानत को बनाए रखने में या और अधिक जमानत राशि दे पाने में असमर्थ रहता है तो वह अपना कारोबार स्थगित रखे और यह स्थगन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह जमानत की आवश्यक राशि का भुगतान न कर दे।

उल्लंघन पर दंड

- (ख) यदि कोई सदस्य जिसे उप खंड (क) के अंतर्गत अपना कारोबार स्थगित करना है, वह इसलिए नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो शासकीय बोर्ड उसे निष्कासित कर सकता है।

दंड की नोटिस तथा कारोबार का स्थगन

273. संबंधित सदस्य को नोटिस दी जाएगी और निष्कासन अथवा निलंबन अथवा चूक अथवा सदस्य द्वारा कारोबार के स्थगन अथवा उसपर लगाए गए किसी अन्य दंड या उसके भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, स्टॉक-प्रतिनिधियों, प्राधिकृत लिपिकों या कर्मचारियों पर लगाए गए अन्य किसी दंड की सूचना सभी सदस्यों को एक्सचेंज के सूचनापट्ट पर नोटिस लगा कर दी जाएगी। शासकीय बोर्ड के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम ऐसी अधिसूचना में है जिसे निष्कासित, निलंबित, दंडित किया गया है अथवा चूककर्ता घोषित किया गया है अथवा उसके कारोबार का स्थगन किया गया है अथवा जो सदस्य नहीं रह गया है, के संबंध में अपने पूर्ण विवेक से और उस तरीके से जिसे वह उचित समझता हो, एक्सचेंज के सदस्य को अधिसूचित करने अथवा अधिसूचित करने का कारण बताने अथवा जनसाधारण को सूचित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज अथवा शासकीय बोर्ड अथवा शासकीय बोर्ड के किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी या एक्सचेंज के किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार की अधिसूचना के प्रकाशन और परिचालन के लिए की गई कोई कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाही किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी और संबंधित व्यक्ति द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन या भागीदार, वैधानिक अटर्नी, रेमिसियर अथवा लिपिक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन जो लाइसेंस के रूप में कार्य करेगा तथा यह नियम इस प्रकार के विज्ञापन अथवा अधिसूचना को मुद्रित करने, प्रकाशित अथवा परिचालित करने की अनुमति देता है और तदनुसार अभिवचन योग्य होगा।

¹समाशोधन गृह/समाशोधन परिषद से संबंधित नियम**समाशोधन परिषद**

274. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों तथा एक्सचेंज के किसी खंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समाशोधन गृह का विनियमन, प्रबंधन तथा नियंत्रण कार्य समाशोधन परिषद में निहित होगा।

समाशोधन परिषद की संरचना

275. समाशोधन परिषद की संरचना का निर्धारण विनियमों द्वारा किया जाएगा। प्रावधान किया जाता है कि समाशोधन परिषद के सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी। प्रावधान किया जाता है कि एक्सचेंज का कोई भी सदस्य तथा एक्सचेंज के किसी खंड का कोई भी व्यापार अथवा समाशोधन सदस्य, समाशोधन परिषद का सदस्य नहीं होगा। समाशोधन परिषद में किसी भी प्रकार की नियुक्ति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

276. समाशोधन परिषद, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे वह कार्यालय के लिए उपयुक्त समझता हो, समाशोधन गृह के पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उसके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अवधि के लिए नियुक्त करेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक्सचेंज के सक्रिय सदस्य नहीं होंगे और न ही एक्सचेंज में या एक्सचेंज के किसी सदस्य के साथ सौदेबाजी के पक्षकार होंगे अथवा न उससे संबद्ध होंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कारोबार नहीं करेगा और यदि वह एक्सचेंज का सदस्य है अथवा व्यापार-सदस्य है अथवा व्युत्पन्नी खंड का समाशोधन सदस्य है अथवा एक्सचेंज के सदस्य का अथवा व्यापार-सदस्य का अथवा समाशोधन सदस्य का भागीदार, निदेशक, शेयरधारक या प्रतिनिधि है तो वह ऐसा सदस्य या व्यापार/समाशोधन सदस्य (जैसा भी मामला हो) एक्सचेंज में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारोबार नहीं करेगा। समाशोधन गृह के समग्र प्रबंधन और परिचालन कार्यों के अधीन, जो समाशोधन परिषद में निहित है, जैसाकि एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में प्रावधान किया गया है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास दैनिक प्रशासन के संचालन और एक्सचेंज के इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों को लागू करवाने के लिए तथा एक्सचेंज के किसी खंड का कार्य जो समाशोधन गृह के लिए लागू हो, के लिए और समाशोधन गृह का किसी भी सार्वजनिक मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा उन सभी अन्य शक्तियों, अधिकारों, ड्यूटी तथा कार्य का प्रयोग जो एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अंतर्गत समाशोधन गृह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित की गई हैं तथा एक्सचेंज के किसी खंड का और/अथवा समाशोधन परिषद द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे या प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्य नहीं करता है तो वह समाशोधन परिषद का सदस्य नहीं रह जाएगा।

¹ शासकीय बोर्ड द्वारा 02.03.2000 के संकल्प द्वारा संप्रविष्ट और सेबी द्वारा 24.07.2000 को अनुमोदित



पदाधिकारी

277. समाशोधन परिषद के सदस्य, समाशोधन परिषद के गठन से 10 दिन के भीतर स्वयं में से समाशोधन परिषद और समाशोधन गृह का अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति

278. यदि अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति पैदा होती है तो समाशोधन परिषद अपने सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष का चयन करके उस रिक्ति को भरेगी।

समाशोधन परिषद की शक्तियाँ

279. एक्सचेंज, व्युत्पन्नी खंड, तथा अन्य प्राधिकारियों के निरीक्षण अधिकार तथा अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाशोधन परिषद का एक्सचेंज के समस्त सदस्यों एवं व्यापार-समाशोधन तथा निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में समाशोधन सदस्य उसके पूरी तरह अधिकारक्षेत्र में होंगे। समाशोधन परिषद को एक्सचेंज या एक्सचेंज समाशोधन सदस्यों, उनके निदेशकों, भागीदारों, एजेंटों, प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों तथा घटकों एवं उन सभी व्यक्तियों पर जो सदस्यों, व्यापार-सदस्यों तथा समाशोधन सदस्यों के माध्यम से या उनके साथ कारोबार करते हैं, पर बाध्यकारी होगा।

सामान्य शक्तियाँ

280. एक्सचेंज के, व्युत्पन्नी खंड तथा अन्य प्राधिकारियों के निरीक्षण अधिकारों एवं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समाशोधन गृह का प्रबंधन व परिचालनगत कार्यों का नियंत्रण, कार्यप्रणाली तथा कार्यकलाप, एक्सचेंज समाशोधन सदस्यों के सदस्यों के आचरण का विनियमन, उनके निदेशकों, भागीदारों, एजेंटों, प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों तथा घटकों जिनका संबंध व्यापार के निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा उससे संबंधित अन्य मामलों से हो तथा कल्याण कार्यों का प्रोत्साहन, समाशोधन गृह के उद्देश्य एवं प्रयोजन(किंतु एक्सचेंज के प्रबंधन अथवा उसकी किसी संपत्ति, वित्त या निधि का नियंत्रण अथवा उसकी आय व व्यय, चाहे समाशोधन गृह से संबंधित हो या न हो, को छोड़कर) इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन होंगे समाशोधन परिषद में निहित होंगे। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह समय-समय पर ऐसे विनियम अपनाएगी, ऐसे संकल्प पारित करेगी, ऐसे आदेश, नोटिस एवं निर्देश जारी करेगी, तथा ऐसे निर्णय लेगी जो समाशोधन गृह से संबंधित होंगे, जैसाकि वह उपयुक्त समझे। विशेष रूप से पूर्व उल्लिखित शक्तियों को और बढ़ाने न कि सीमांकन के लिए, तथा पूर्व की शक्तियों पर सामान्य रूप से और वर्तमान में लागू एक्सचेंज तथा एक्सचेंज के किसी खंड के किसी नियम, उप-विधि अथवा विनियम द्वारा प्रदत्त समाविष्ट या व्यक्त रूप से किसी शक्ति अथवा प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वर्तमान में लागू किसी नियम, या उप-विधि के अधीन एक्सचेंज तथा एक्सचेंज के किसी खंड के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अर्थ में व्यापार के सामाशोधन और निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाशोधन परिषद विशिष्ट रूप से प्राधिकृत है।

शक्तियां

281. इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सेबी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, यदि कोई हो, समाशोधन परिषद को व्यापार के समाशोधन और निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं उससे संबंधित मामलों में निम्नलिखित या समान कार्य या चीजों के लिए या निम्नलिखित में से किसी या समान प्राधिकार का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत माना जाएगा अर्थात्

समिति

- (i) समितियां नियुक्त करना;

आकस्मिक रिक्तियां

- (ii) किसी भी समिति की आकस्मिक रिक्तियों को भरना;

सदस्यों के निष्कासन एवं नियंत्रण की सिफारिश करना

- (iii) शासकीय बोर्ड अथवा शासकीय परिषद को समाशोधन सदस्यों के पंजीकरण की तथा एक्सचेंज के सदस्यों, व्यापार और समाशोधन सदस्यों के निष्कासन की सिफारिश करना;

सदस्यों को नियंत्रित करना

- (iv) नियंत्रित करना, चेतावनी देना, सेंसर करना, दंड लगाना तथा निलंबित करना, तथा एक्सचेंज के किसी सदस्य (समाशोधन और निपटान से संबंधित किसी चूक के लिए) तथा समाशोधन सदस्यों के सभी अथवा किसी अधिकार को वापस लेना, समाशोधन सदस्यों को चूककर्ता घोषित करना, शासकीय बोर्ड या शासकीय परिषद को सिफारिश करना तथा एक्सचेंज के सदस्यों अथवा व्यापार-सदस्यों (समाशोधन और निपटान से संबंधित किसी चूक के लिए) के चूक की घोषणा करना। समाशोधन परिषद, शासकीय परिषद से परामर्श करने के बाद किसी व्यापार-सदस्य के कार्यों को निलंबित कर सकती है (समाशोधन और निपटान से संबंधित किसी चूक के लिए)।

भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों तथा कर्मचारियों का नियंत्रण

- (v) एक्सचेंज के सदस्यों, तथा समाशोधन सदस्यों के निदेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, अटर्नियों, प्राधिकृत लिपिकों, अनुमोदित प्रयोक्ताओं, प्राधिकृत व्यक्तियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, चेतावनी देना, सेंसर लगाना, दंड लगाना, निलंबित करना और पर्यवेक्षण करना।

जांच

- (vi) एक्सचेंज के सदस्यों, व्यापार सदस्यों तथा समाशोधन सदस्यों की वित्तीय स्थिति, कारोबारी संचालन और लेनदेन की जांच और परीक्षण करना।

उपस्थिति और सूचना

- (vii) एक्सचेंज के किसी सदस्य, व्यापार सदस्य तथा समाशोधन सदस्य, उनके निदेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, अटर्नियों, प्राधिकृत लिपिकों, अनुमोदित प्रयोक्ताओं, प्राधिकृत व्यक्तियों और कर्मचारियों को समाशोधन परिषद तथा समाशोधन परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समाशोधन परिषद के अध्यक्ष अथवा समाशोधन गृह की ओर से प्राधिकृत किसी समिति या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने तथा ऐसी बहियों, कागजातों, दस्तावेजों, पत्राचार, समाशोधन फार्म और कोई अन्य अभिलेख एवं जानकारी जो उसके या उनके कब्जे में हो, जो प्रासंगिक समझी जाए अथवा जांच या परीक्षण से संबंधित, किसी मामले से संबंधित सामग्री अथवा जिसे समाशोधन परिषद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष, समिति या अधिकारी स्वतः या उसके पूर्ण विवेक से व्यापार के न्ययोचित एवं समानता सिद्धांत के हित में अथवा जनहित में अथवा समाशोधन या एक्सचेंज या निवेशक के हित में आवश्यक समझता हो, की जांच के लिए बुलाना।

दण्ड आरोपित करना

- (viii) समाशोधन एवं निपटान से संबंधित इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों के उल्लंघन तथा समाशोधन परिषद अथवा समाशोधन परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समाशोधन परिषद के अध्यक्ष अथवा किसी समिति अथवा समाशोधन गृह का अधिकारी जो उसकी ओर से प्राधिकृत हो, के संकल्प, आदेशों, सूचनाओं, निर्देशों या निर्णयों के प्रति लापरवाही करना, या उसके प्रति असफल रहना या पालन करने से मना करना अथवा समाशोधन गृह के विरुद्ध उल्लंघन जिसके लिए दण्ड का विशेष निर्धारण नहीं किया गया हो, का निर्धारण करना तथा समय-समय पर दण्ड आरोपित करना।

नियमों, उप-विधियों और विनियमों का प्रवर्तन

- (ix) एक्सचेंज अथवा एक्सचेंज के किसी खंड के नियमों, उप-विधियों और विनियमों को लागू करना, जहां तक वे समाशोधन गृह तथा व्यापार के समाशोधन एवं निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं उससे संबंधित मामलों से संबद्ध हों तथा उसके उल्लंघन तथा उसके विरुद्ध अपराधों पर विचार करना।

कार्यप्रणाली का विनियमन

- (x) समय-समय पर उस मोड और स्थिति का निर्धारण करना जिसके अधीन समाशोधन गृह और संविदा/व्यापारों के समाशोधन तथा निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एवं उससे संबंधित मामलों पर कार्य किया जाए।

शुल्क और प्रभार

- (xi) इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में निर्दिष्ट बकायों एवं प्रभारों के अलावा ऐसे अन्य शुल्क प्रभारों जो समाशोधन गृह के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक अथवा अपेक्षित हैं, का समय-समय पर निर्धारण करना और एक्सचेंज तथा समाशोधन सदस्यों से वसूली करना।

कर्मचारियों की नियुक्ति

- (xii) समाशोधन गृह से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा ऐसे स्थायी, अस्थायी तथा विशेष कर्मचारियों को अपने विवेक पर निलंबित करना या हटाना तथा उनके अधिकार, ड्यूटी तथा पारिश्रमिक शर्तों का निर्धारण करना, किसी भविष्य लाभ निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति अथवा बीमा योजनाओं को उनके लाभ के लिए स्थापित करना, बनाए रखना या अंशदान करना और उनकी ओर से सेवा संबंधी एवं अन्य नियमों तथा विनियमों को बनाना या संशोधित करना जैसाकि वह समय-समय पर करना उचित समझे।

सुविधाएं

- (xiii) समय-समय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो समाशोधन गृह के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक हों।

शक्तियां और अधिकार

- (xiv) समाशोधन गृह के प्रबंधन हेतु संविदाएं प्रादन करना (एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड, नकदी खंड अथवा किसी अन्य खंड हेतु)

भुगतान पर निगरानी

- (xv) एक्सचेंज तथा समाशोधन सदस्यों के भुगतान दायित्वों पर निगरानी रखना (एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड, नकदी खंड अथवा किसी अन्य खंड हेतु)

निगरानी

- (xvi) एक्सचेंज के सदस्यों, समाशोधन सदस्यों तथा समाशोधन एवं निपटान प्रणाली एवं उससे संबंधित सभी मामलों पर निगरानी, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण

प्रतिभूति प्रबंधन

- (xvii) सभी प्रतिभूति, मार्जिन और संपार्श्विक का प्रबंधन करना।

निलंबन

- (xviii) दायित्वों को पूरा करने में चूक करने पर एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड, नकदी खंड तथा किसी अन्य खंड की समाशोधन सदस्यता को निलंबित करना।

शुल्क

- (xix) सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए सदस्यों पर प्रभार लगाना।

अनुशासनिक कार्रवाई समिति

- (xx) एक्सचेंज के नकदी खंड, व्युत्पन्नी खंड और/अथवा किसी अन्य खंड में चूक, कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाना, बाजार में चालबाजी करना, आगे-आगे भागना तथा अन्य अनुचित, अनैतिक, अनुपयुक्त अथवा कपटपूर्ण कार्य हेतु अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई समिति को सिफारिश करना।

अनुपालन और निगरानी

- (xxi) निवल संपत्ति मानदंड, अनुपालन और संयोजन, प्रतिभूति जमा मानदंड, अनुपालन और संयोजन तथा एक्सचेंज के सदस्यों, व्यापार सदस्यों तथा समाशोधन सदस्यों की वित्तीय स्थिति की निगरानी करना;

मार्जिन की वसूली

- (xxii) मार्जिन प्रभारित करना तथा वसूली हेतु निगरानी, निर्णय, व्यवस्था करना और सभी प्रकार की मार्जिन वसूल करना;

समाशोधन सत्र

- (xxiii) विशेष समाशोधन सत्र का निर्धारण और आयोजन करना;

निपटान सूची

- (xxiv) सामान्य निपटान सूची निर्धारित करना;

व्यापार का विलोपन

- (xxv) शासकीय परिषद या शासकीय बोर्ड को किसी खंड के व्यापार/संविदा के विलोपन की सिफारिश करना;

सामान्य नियंत्रण

- (xxvi) समाशोधन गृह से संबंधित मामलों में निर्णय लेना तथा समय-समय पर संकल्प अंगीकार करना, आदेश, नोटिस तथा निर्देश जारी करना जिनका प्रावधान इन नियमों, उप-विधियों और विनियमों में नहीं किया गया है।

समीक्षा

- (xxvii) समाशोधन गृह से संबंधित किसी संकल्प, आदेश, नोटिस, निर्देश तथा निर्णयों की समीक्षा करना, पुनर्विचार करना, संशोधित करना तथा निरस्त करना;

सामान्य शक्ति

- (xxviii) सामान्य तौर पर समाशोधन गृह को प्रभावित करने वाले सभी मामलों का पर्यवेक्षण तथा निर्देश देना।

शक्तियों का सीमांकन

282. इन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में कहीं भी किसी उल्लेख के होते हुए समाशोधन परिषद को एक्सचेंज की संपत्तियों, वित्त तथा निधियों पर कोई अधिकार नहीं होगा (चाहे समाशोधन गृह से संबंधित हो या न हो) और एक्सचेंज की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय देयता अथवा दायित्व (चाहे संविदागत हो या न हो और चाहे आकस्मिक हो या न हो) लेने की पात्रता नहीं होगी अथवा कोई ऐसा कार्य या विलेख नहीं करेगा जो एक्सचेंज के वित्त, निधि या संपत्ति को प्रभावित करे, केवल शासकीय बोर्ड द्वारा समाशोधन परिषद को व्यक्त रूप में प्रत्यायोजन को छोड़कर।

नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का निलंबन

283. समाशोधन परिषद, विशेष संकल्प द्वारा एक्सचेंज के किसी नियम, या नियमावली अथवा उप-विधि या उप-विधियों अथवा विनियम या विनियमावली के संबंध में तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, प्रतिभूति या प्रतिभूतियों अथवा मामला या मामलों के लिए छूट दे सकती है अथवा उसे कठोरता से लागू करने को मना कर सकती है अथवा उसके पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिचालन को निलंबित कर सकती है।

प्रावधान किया जाता है कि समाशोधन परिषद, किसी नियम या नियमावली अथवा उप-विधि एवं उप-विधियों के संबंध में सेबी के अनुमोदन के बिना तीन दिन से अधिक के लिए उससे छूट प्रदान नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती अथवा कठोरता से लागू करने को मना नहीं कर सकती अथवा उसके परिचालन को आंशिक रूप से या पूरी तरह निलंबित नहीं कर सकती है;

समाशोधन परिषद का संकल्प अंतिम होगा

284. समाशोधन गृह से संबंधित इन नियमों, अथवा उप-विधियों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों अथवा प्राधिकार के अंतर्गत समाशोधन परिषद द्वारा पारित किसी संकल्प में एक्सचेंज के सदस्यों अथवा व्यापक-सदस्यों द्वारा साधारण सभा में न तो कुछ जोड़ा जाएगा, न भिन्न किया जाएगा अथवा न निरस्त किया जाएगा, तथा ऐसे समस्त संकल्प, जबसे वे लागू होते हैं, वैध माने जाएंगे तथा सभी सदस्यों, उनके निदेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, प्राधिकृत लिपिकों, अनुमोदित प्रयोक्ताओं, प्राधिकृत व्यक्तियों, कर्मचारियों, ग्राहकों/घटकों तथा वे सभी जो इनसे या इनके माध्यम से कारोबार करते हैं, पर बाध्यकारी होगा।

समाशोधन परिषद का निर्णय अंतिम होगा

285. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमों में कहीं भी किए गए किसी उल्लेख के होते हुए समाशोधन गृह से संबंधित सभी मामले अथवा व्यापार का समाशोधन एवं निपटान, निगरानी, पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा उससे संबंधित अन्य मामले जो शासकीय परिषद के समक्ष विचारार्थ लाए जाते हैं, उसका निर्णय चाहे संकल्प द्वारा व्यक्त किया गया हो अथवा अन्यथा किया गया हो, अंतिम निर्णय माना जाएगा और एक्सचेंज के प्रत्येक सदस्य व्यापार सदस्य, तथा संबंधित समाशोधन सदस्य और उनके निदेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, प्राधिकृत लिपिकों, अनुमोदित प्रयोक्ताओं, प्राधिकृत व्यक्तियों,

कर्मचारियों, ग्राहकों/घटकों तथा वे सभी जो इनसे या इनके माध्यम से कारोबार करते हैं, पालन करेंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (क) समाशोधन परिषद ऐसी शक्तियों के अधीन, जिसे वह उचित समझती है, अपनी उन शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसका निर्धारण वह समय-समय पर करती है, समाशोधन परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समाशोधन परिषद के अध्यक्ष अथवा समाशोधन परिषद के सदस्यों में से गठित समितियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति(यों) को करेगी और इसी प्रकार ऐसी मिनिस्टीरियल तथा प्रशासनिक ड्यूटी निष्पादित करने का प्रत्यायोजन, जैसा वह उचित समझे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अध्यक्ष अथवा समाशोधन परिषद के सदस्यों से गठित समितियों तथा/अथवा समाशोधन गृह के किसी अधिकारी और/अथवा किसी व्यक्ति(यों) को करेगी।

समीक्षा

- (ख) कोई व्यक्ति जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अध्यक्ष अथवा किसी समिति अथवा समाशोधन गृह के किसी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जो समाशोधन परिषद द्वारा उप खंड(क) में यथावर्णित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत कार्य कर रहा है, के निर्णयों से प्रभावित होता है तो वह निर्णय दिए जाने के बाद सात दिन के भीतर समाशोधन परिषद द्वारा उस निर्णय की समीक्षा करवा सकता है।

आपातकाल में शक्तियों का प्रत्यायोजन

286. समाशोधन परिषद जब कभी अपने विवेक से इस विचार पर पहुंचती है कि आपातकाल स्थिति है तो वह एक विशेष संकल्प द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन, उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए समाशोधन गृह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समाशोधन गृह के अध्यक्ष को अथवा समाशोधन परिषद के सदस्यों में से नियुक्त विशेष समिति को कर सकती है, जिसके निर्णय पर कोई अपील नहीं होगी।

एक्सचेंज तथा समाशोधन परिषद को क्षतिपूर्ति

287. समाशोधन गृह और समाशोधन परिषद और उसके सदस्य किसी भी प्रकार से, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या भूल अथवा समाशोधन गृह के किसी कर्मचारी की ओर से हुई किसी चूक अथवा ड्यूटी को विधिवत पूरा करने में सक्षम से किए गए कार्य में हुई भूल और उनकी ड्यूटी या किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेक जो उसमें निहित हैं, के निष्पादन अथवा आभासी निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तथा उसकी ओर से हुई किसी गलती, अनदेखी, या भूल के फलस्वरूप समस्त देयताओं, लागतों, हानियों अथवा व्यय को, इस प्रकार किए गए कार्य या भूल या कार्य छूट जाने, के लिए एक्सचेंज अपनी निधि से उन्हें उसकी पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।

समाशोधन परिषद की बैठक

288. समाशोधन परिषद, कारोबार को निपटाने के लिए बैठक कर सकता है और स्थगित अन्यथा इसकी बैठकों को जैसा वह उचित समझे संचालित कर सकता है।

साधारण बैठकें

289. समाशोधन परिषद की साधारण बैठकें, समाशोधन परिषद के निर्देश पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समाशोधन गृह के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अध्यक्ष विशेष बैठक बुला सकते हैं

290. (क) समाशोधन गृह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अध्यक्ष किसी भी समय समाशोधन परिषद की विशेष बैठक बुला सकते हैं।

अनुरोध पर विशेष बैठक

- (ख) समाशोधन परिषद के किसी दो या अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर से किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी चौबीस घंटे के भीतर समाशोधन परिषद की विशेष बैठक बुला सकता है, अन्यथा कोई दो हस्ताक्षरकर्ता इस प्रकार की बैठक बुला सकते हैं।

तात्कालिक और आपातकालीन बैठक

291. तात्कालिक मामले में एक विशेष बैठक चौबीस घंटे से कम की सूचना पर बुलाई जा सकती है तथा आपातकालीन स्थिति में विशेष बैठक एक घंटे की सूचना पर बुलाना पर्याप्त होगा।
- 292 (क) विशेष बैठक का आयोजन करने के लिए दिए गए नोटिस में प्रयोजन का उल्लेख किया जाएगा। तात्कालिक या आपात बैठक के मामले में बैठक के लिए नोटिस में तात्कालिकता या आपात स्थिति और इस बैठक में की जाने वाली कार्यवाई बताई जाएगी, ऐसी बैठक में कोई और कार्यवाई नहीं की जाएगी।

जब कारोबार का उल्लेख न किया जाए

- (ख) उप खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी जब मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अध्यक्ष का यह मत हो कि मामला गोपनीय है अथवा ऐसे स्वरूप का है जिसे प्रकट

नहीं किया जा सकता, वह निर्देश दे सकता है कि विशेष बैठक बुलाने की सूचना में कारोबार का प्रयोजन और/अथवा विशेष बैठक बुलाए जाने की तात्कालिकता या आपातकालीन स्थिति का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

कोरम

293. (क) जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए, समाशोधन परिषद का कोरम समाशोधन परिषद के दो सदस्य होंगे।

हितलाभ वाले सदस्यों को कोरम में नहीं

- (ख) समाशोधन परिषद के हित रखने वाले सदस्य को, इन नियमों और उप-विधियों द्वारा निर्धारित कोरम की गणना करते समय ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने हेतु जिसमें उसका हित हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष, अध्यक्षता करेंगे

294. समाशोधन गृह के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में समाशोधन गृह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समाशोधन परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यदि कोई अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपलब्ध न हो अथवा ऐसी बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित समय के पंद्रह मिनट के भीतर किसी बैठक में अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो समाशोधन परिषद के उपस्थित सदस्य समाशोधन परिषद के किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है

295. समाशोधन परिषद की किसी बैठक में मतों की संख्या समान होने पर बैठक का अध्यक्ष, सदस्य के रूप में मत देने की पात्रता के अलावा निर्णायक मत दे सकता है।

मतदान

296. समाशोधन परिषद का सदस्य कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए पात्र होगा किंतु वह निम्नलिखित के लिए मत देने हेतु सक्षम नहीं होगा-

व्यक्तिगत हित

- (i) ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें व्यक्तिगत हित रखता हो, बैठक का अध्यक्ष, इस बात का अंतिम निर्णायक होगा कि क्या वह इसमें हित रखता है या नहीं; अथवा

समिति का सदस्य

- (ii) किसी भी जांच के संबंध में अंतिम निर्णय पर अथवा किसी विवाद जिसपर एक समिति द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसका वह सदस्य था, इस बात को छोड़कर कि समाशोधन परिषद का कोई भी सदस्य इस कारण से कि वह किसी समिति का सदस्य रहा था या है, अपात्र नहीं माना जाएगा, कि जिस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत

करने के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, विषय का पूर्व परीक्षण किया था या जांच की थी, अथवा

सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति

- (iii) किसी भी जांच अथवा विवाद के संबंध में निर्णय पर, जब तक कि वह समाशोधन परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित न रहा हो, जिसमें जांच अथवा विवाद की सुनवाई हुई हो।

बहुमत

297. समाशोधन परिषद के समक्ष कोई भी प्रश्न, समाशोधन परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णीत किया जाएगा बशर्ते कि वर्तमान में लागू किसी नियम अथवा उप-विधि द्वारा बहुमत निर्दिष्ट न किया गया हो। अपेक्षित बहुमत का निर्धारण करते समय यदि कोई अल्प हिस्सा रहता है तो उसे एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।

विशेष संकल्प

298. विशेष संकल्प के लिए समाशोधन परिषद की बैठक में उपस्थित समाशोधन परिषद के तीन सदस्यों का कोरम होगा और ऐसा विशेष संकल्प बैठक में कम से कम दो-तिहाई मतों के बहुमत से पारित किया जाएगा। इस दो-तिहाई मत में यदि कोई अल्प हिस्सा रहता है तो उसे एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।

परिपत्र द्वारा साधारण संकल्प

299. समाशोधन परिषद और सरकारी समिती (यदि कोई हो) जो मुंबई में उपस्थित हों, उनकी कुल संख्या में से कम से कम दो-तिहाई द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित साधारण संकल्प को उसी प्रकार वैध एवं प्रभावी माना जाएगा जिस प्रकार से विधिवत् बुलाई गई एवं गठित समाशोधन परिषद की बैठक में पारित किया जाता है। इस दो-तिहाई मत में यदि कोई अल्प हिस्सा रहता है तो उसे एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।

स्थगित बैठक

300. समाशोधन परिषद की कोई भी बैठक समय-समय पर स्थगित की जा सकती है, और उसे ऐसी बैठक में इस प्रकार से पारित किसी संकल्प अथवा लिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी जिसमें समाशोधन परिषद के सभी अथवा कोई सदस्य उपस्थित रहे हों, किंतु पूर्व बैठक या बैठकों में उपस्थित नहीं थे, अथवा उसमें से कई पूर्व बैठक अथवा बैठकों में उपस्थित रहा हो, किंतु किसी स्थगित बैठक या बैठकों में उपस्थित न रहा हो।

कार्रवाइयां

301. समाशोधन परिषद, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए, यह संचालित और निर्धारित करेगा कि उसकी कार्रवाइयां किस तरह और किस रूप में आयोजित की जाएं। उन बातों को छोड़कर जैसाकि इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो, अध्यक्ष की अनुमति से परिषद किसी मामले में किसी साधारण अथवा विशेष बैठक में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है भले ही वह मामला ऐसी बैठकों की नोटिस में संदर्भित किया गया हो।

आवश्यक होने पर सदस्य एवं अन्य, बैठक के समक्ष उपस्थित हों

302. सदस्यों, व्यापार सदस्यों, समाशोधन सदस्यों, उनके निदेशकों, भागीदारों, अटर्नियों, एजेंटों, प्राधिकृत लिपिकों, अनुमोदित प्रयोक्ताओं, प्रतिनिधियों, अधिकारियों, तथा कर्मचारियों को समाशोधन परिषद अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकों के समक्ष उपस्थित होना होगा, जैसाकि उन्हें उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए तथा समाशोधन परिषद या समिति के समक्ष प्रस्तुत किसी मामले से संबंधित समस्त जानकारी देंगे और ऐसे सभी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जो उनके कब्जे में हैं।

कार्यवृत्त

303. समाशोधन परिषद की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त एक्सचेंज के सचिव के प्राधिकार के अंतर्गत रखे जाएंगे। ऐसे कार्यवृत्त गोपनीय समझे जाएंगे तथा एक्सचेंज के सदस्यों, समाशोधन सदस्यों अथवा एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

पत्रव्यवहार

304. समाशोधन गृह अथवा समाशोधन परिषद या समाशोधन परिषद द्वारा नियुक्त किसी समिति या समाशोधन गृह के किसी अधिकारी के साथ समस्त पत्राचार लिखित रूप में किए जाएंगे तथा हस्ताक्षरित होंगे और गुमनाम पत्र व्यवहार पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष, अध्यक्षता करेंगे

305. समाशोधन गृह का अध्यक्ष, समाशोधन परिषद की किसी भी बैठक अथवा किसी स्थायी अथवा अन्य समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिनमें वह भाग लेंगे तथा मतों की संख्या समान होने पर सदस्य के रूप में मत देने की पात्रता के अलावा निर्णायक मत दे सकेंगे।

समाशोधन गृह का प्रतिनिधि

306. (क) समाशोधन गृह का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/अथवा अध्यक्ष, सभी सार्वजनिक मामलों में समाशोधन गृह का प्रतिनिधित्व करेंगे।

समितियों के पदेन सदस्य

- (ख) समाशोधन गृह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष, समाशोधन परिषद द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के पदेन सदस्य होंगे।

विशेष शक्ति

307. (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष, एक-दूसरे की अनुपस्थिति में जो भी उपस्थित रहेगा, समाशोधन परिषद द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी या समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का पात्र होगा, जब भी उनका अथवा उसका विचार हो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, बशर्ते ऐसी कार्रवाई की पुष्टि समाशोधन परिषद द्वारा चौबीस घंटे के भीतर की जाए।

अनुपस्थिति अथवा कार्य करने की असमर्थता

- (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में अथवा कार्य करने में उनकी असमर्थता की स्थिति में, उनके कार्य और शक्तियों का प्रयोग समाशोधन परिषद द्वारा उनके स्थान पर नियुक्त समाशोधन गृह में उपलब्ध किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समाशोधन परिषद के निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

परिशिष्ट 'क'
सदस्यता आवेदन फार्म
(नियम 22)

सविधि
स्टाक एक्सचेंज
बंबई

महोदय,

कृपया गवर्निंग बोर्ड को सूचित कर दें कि मैं अब या बाद में लागू एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन एक्सचेंज का सदस्य बनना चाहता हूँ।

मैंने एक्सचेंज के नियम, उप-नियम तथा विनियम पढ़ लिए हैं मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ

- (i) कि मैं भारत का नागरिक हूँ;
- (ii) मैं प्रतिभूतियों को छोड़कर किस अन्य कारोबार में मूल पार्टी या कर्मचारी के रूप में सिवाय ब्रोकर या एजेंट के रूप में जिसमें वैयक्तिक वित्तीय देयता निहित नहीं है, और न ही मैं एक्सचेंज की सदस्यता मिल जाने पर इस प्रकार कारोबार करूंगा लेकिन गवर्निंग बोर्ड की अनुमति इसका अपवाद होगी;
- ¹(iii) मैं न हूँ और न ही सदस्य बन जाने पर किसी संगठन, संस्था, संघ, कंपनी या निगम [] हूँ फॉरवर्ड कारोबार या वस्तुओं या पण्यों या अन्य कारोबार के सदस्य या अभिदानकर्ता या शेअरधारक या डिबेन्चरधारक या भागीदारी या कर्मचारी के साथ या एजेंट या प्राधिकृत प्रतिनिधी या सदस्य के कर्मचारी या सदस्य या निदेशक या कंपनी में डिबेन्चरधारक के साथ सम्बद्ध हूँ;
- (iv) ² कि मैं सम्बद्ध हूँ। लिप्त हूँ लेकिन चुनाव होने पर तुरत उपर्युक्त संबंध समाप्त कर दूंगा।

पूरा नाम :
आयु :
पता :
व्यवसाय :
वर्तमान कारोबार छोड़ने के कारण :

भवदीय

दिनांक (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

हम सिफारिश करते हैं कि इस एक्सचेंज का सदस्य पुने जाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति हैं।

दो सदस्यों
के हस्ताक्षर _____

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 09.09.58 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित किया गया।
² गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 09.09.58 के संकल्प द्वारा नई संख्या दी गई और बदला गया तथा सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित किया गया।

परिशिष्ट क-1
सदस्यता आवेदन फार्म
(नियम 22क)

सांवि
 स्टाक एक्सचेंज
 मुंबई

महोदय

कृपया गवर्निंग बोर्ड को सूचित कर दें कि हम एक्सचेंजके अब या बाद में लागू सभी नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन एक्सचेंज के सदस्य बनने के इच्छुक हैं-

हमने एक्सचेंज के नियम उप-नियम विधियां तथा विनियम पढ़ लिए हैं

*क. एक्सचेंज नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) के अधीन संदर्भित कंपनी के लिए हम निष्ठापूर्वक घोषित करते हैं -

- (i) कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 322 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई है;
- (ii) कि कंपनी के अधिकांश निदेशक कंपनी के शेयरधारक हैं तथा एक्सचेंज के सदस्य भी; तथा
- (iii) कि कंपनी के ऐसे निवेशकों ☐ एक्सचेंज के सदस्य हैं, की कंपनी में असीमित देयता है।

*ख. एक्सचेंजके नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) के परंतुक के अधीन संदर्भित कंपनी के लिए-

हम निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं -

- (i) कि कंपनी एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुसार है।
- (ii) कि कंपनी ने एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8(4) के परंतुक के अधीन केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है।

हम निम्नलिखित दस्तावेज भेज रहे हैं और वचन देते हैं कि जो भी अतिरिक्त सूचना तथा दस्तावेज अपेक्षित होंगे, हम उन्हें प्रस्तुत कर देंगे:

1. निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियां
 - (क) संस्था के अंतर्नियमों का ज्ञापन
 - (ख) प्रोस्पैक्टस
 - (ग) प्रोस्पैक्टस के स्थान पर विवरण
 - (घ) पिछले पांच वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वार्षिक खाते
 - (ङ) कंपनी तथा उसकी गतिविधियों का लघु इतिहास

¹ गवर्निंग बोर्ड के 30.09.96 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 19.05.97 को अनुमोदित

- (च) कंपनी की पूंजीगत संरचना
 (छ) निदेशकों को सदस्यता के आवेदन के लिए प्राधिकृत करने का बोर्ड संकल्प
 (ज) प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में कंपनी का
- *क एक्सचेंज के नियमों, उप-नियम, तथा विनियमों के नियम 19 क(क) में संदर्भित कंपनी के लिए
- II. कंपनी के लेखापरीक्षकों से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी एक्सचेंज का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र है और प्रायवेट लिमिटेड कंपनी होने पर, कंपनी के ऐसे निदेशकों, जो एक्सचेंज के सदस्य हैं, की कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कम से कम 51 प्रतिशत धारिता हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने पर कंपनी के ऐसे निदेशकों, जो एक्सचेंज के सदस्य हैं तथा उनके सहयोगी, कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कम से कम 40 प्रतिशत धारिता है
- हम एतद्वारा घोषणा करते हैं
- i. कि कंपनी की निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी ऐसे प्रत्येक निदेशक के सम्बंध में 5,00,000 रुपये से कम नहीं हैं जो एक्सचेंज का सदस्य हैं
- ii. कि मैं / हम ----- के साथ कंपनी के एकल मालिक / सहभागी / निदेशक के रूप में सम्बद्ध है जो निदेशक के रूप में एक्सचेंज के सदस्य / पद या लाभ का स्थान हैं, लेकिन वचन देते हैं कि कंपनी का चुनाव हो जाने पर तुरंत यह समाप्त कर देंगे
- iii. कि कंपनी एक्सचेंज के कंपनी के सदस्य के रूप में ही कार्य करेगी और सदस्य के रूप में ऐसा कोई कारोबार नहीं करेगी जो शेअर तथा स्टॉक ब्रोकिंग तथा सम्बद्ध वित्तीय सेवाओं के कारोबार के लिए अनुकूल नहीं हैं
- *ख एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के नियम 19 क(क) के परंतुक में उल्लिखित कंपनी के लिए

II. कंपनी के लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी नियम 19 क(क) के परंतुक के अनुसार एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए पात्र है

हम घोषित करते हैं कि

- i. कि मैं/हम ----- से एकल मालिक / भागीदार / निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं जो एक्सचेंज की सदस्य है/निदेशक के रूप में लाभ का पद है लेकिन कंपनी का चुनाव हो जाने पर तुरंत संबंध समाप्त कर देंगे
- ii. कि कंपनी केवल एक्सचेंज के कंपनी सदस्य के रूप में कारोबार करेगी और सदस्य रहने तक, कोई अन्य कारोबार नहीं करेगी जो शेअर, तथा स्टॉक ब्रोकिंग तथा सम्बद्ध वित्तीय सेवाओं के अनुकूल नहीं है

कंपनी का नाम :

पंजीकृत पता :

उन निदेशको के नाम जो एक्सचेंज के सदस्य है/
उपर उल्लिखित कंपनी के निदेशक है
19 क(क) के परंतुक के अधीन

भवदीय,
कृते
निदेशक
निदेशक

तारीख
(* जो लागू न हो उसे काट दें)

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

क) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) में संदर्भित कंपनी के लिए हम प्रमाणित करते हैं कि स्टाक एक्सचेंज, मुंबई के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) के अनुसार _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड एक्सचेंजका सदस्य चुने पाने के लिए पात्र है।

* हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के ऐसे निदेशक, जो एक्सचेंज के सदस्य हैं, की कंपनी की निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी में कम-से-कम 51 प्रतिशत धारिता है।

* हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के ऐसे सदस्य हैं तथा उनके सहभागी के कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कम-से-कम 40 प्रतिशत धारिता है।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

ख) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क (क) के परंतुक में संदर्भित कंपनी के लिए

हम प्रमाणित करते हैं कि स्टाक एक्सचेंज, मुंबई के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19ड (क) के परंतुक के अनुसार _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड एक्सचेंज का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र है।

दिनांक

मुहर

स्थान

सदस्यता सं.

¹परिशिष्ट क-II**सदस्यता आवेदन फार्म****(नियम 22ख)**

सचिव

स्टॉक एक्स्चेंज

मुंबई

कृपया अधिशासी बोर्ड को सूचित कर दें कि हम एक्स्चेंज के अभी या बाद में लागू होने वाले सभी नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन सभी शर्तों पर एक्स्चेंज के सदस्य बनना चाहते हैं।

हम निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं :

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई है;
- (ii) कंपनी के निदेशक स्टॉक एक्स्चेंज के सदस्य बनने के लिए अपात्र नहीं हैं सिवाय खंड (1) [सिवाय उप-खंड (ख) तथा उप-खंड (च) या खंड (3) [सिवाय उप-खंड (क) तथा उप-खंड (च), नियम 8, प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 तथा कंपनी के निदेशकों ने ऐसी किसी कंपनी में निदेशक का पद ग्रहण नहीं किया था जो एक्स्चेंज द्वारा चूककर्ता घोषित की गई थी; तथा
- (iii) कंपनी के कम-से-कम दो निदेशकों के पास प्रतिभूति में लेनदेन करने या पोर्टफोलियो प्रबंधक या निवेश सलाहकार का अनुभव है।

¹ गवर्निंग बोर्ड के 30.09.96 के संकल्प द्वारा संशोधित और सेबी द्वारा 19.05.97 को अनुमोदित

हम निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और यथावश्यक अतिरिक्त सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देते हैं:

I. सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां:

- (क) संस्था के अंतर्नियम तथा बहिर्नियम
- (ख) प्रोस्पैक्टस/प्रोस्पैक्टस के स्थान पर विवरण
- (ग) पिछले पांच वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे
- (घ) कंपनी तथा उसकी गतिविधियों का संक्षिप्त इतिहास
- (ङ) कंपनी की पूंजीगत संरचना
- (च) एक्स्चेंज की सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए निदेशकों को प्राधिकार के संबंध में बोर्ड का संकल्प।
- (छ) प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

II. कंपनी के लेखा परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र कि अद्यतन नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार कंपनी एक्स्चेंज का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र है।

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि

- (i) कि कंपनी की निर्गत, अभिदान तथा प्रदत्त पूंजी 30,00,000/- रुपये से कम नहीं है।
- (ii) कि मैं/हम कंपनी का एकल स्वामी/भागीदार/निदेशक का कंपनी हैं जो एक्स्चेंज का सदस्य है/निदेशक के रूप में लाभ का पद है लेकिन कंपनी का चयन हो जाने पर (यदि लागू हो) तुरंत यह संबंध समाप्त कर देंगे।

(iii) कि कंपनी केवल कंपनी सदस्य के रूप में एक्सचेंज का कारोबार करेगी और इस प्रकार सदस्य रहने के दौरान, ऐसा कोई अन्य कारोबार नहीं करेगी जो शेयर के कारोबार तथा स्टॉक दलाली तथा सम्बद्ध वित्तीय सेवाओं के अनुकूल नहीं है।

(iv) कंपनी हर समय निवल राशि अर्थात् प्रदत्त पूंजी मुक्त रिजर्व का जोड़ बनाए रखेगी जो समय-समय पर सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार होगी।

कंपनी का नाम :

पंजीकृत कार्यालय :

निदेशकों के नाम :

भवदीय

दिनांक : _____

निदेशक

निदेशक

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(क) में संदर्भित कंपनी के लिए हम प्रमाणित करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के नियम 19क(ख) के अनुसार _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड एक्सचेंजका सदस्य चुने पाने के लिए पात्र है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के निदेशक प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के खंड (1) [उपखंड (ख) तथा उपखंड (च) या खंड (3) नियम (8)] को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बनने के लिए अपात्र नहीं है और कंपनी के निदेशक ऐसी किसी कंपनी में निदेशक नहीं थे जो स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य की और उसे चूककर्ता घोषित किया गया था या स्टॉक एक्सचेंज से निष्कासित किया गया था।

दिनांक

मुहर

स्थान

सदस्यता सं.

¹अनुलग्न - क

(एक्सचेंज के नियमों के नियम 19 क (ख) (v) में सदर्भित प्रत्येक निदेशक द्वारा भरा जाएगा
अर्थात् प्रत्येक पदनामित निदेशक द्वारा)

1. पूरा नाम (उप नाम पहले, यदि लागू हो)
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म की तारीख
4. क्या भारत के नागरिक है?
5. शैक्षिक अर्हता
(साक्षात्कृत प्रतियां साथ लगाएं)

महाविद्यालय/विद्यालय/ संस्था का नाम	डिग्री/डिप्लोमा	ग्रेड	वर्ष

6. पूंजी एक्सचेंज गतिविधियों में
अनुभव का विवरण (यदि
आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ
जोड़ ले)
7. क्या आप स्वयं के नाम में या किसी
अन्य व्यक्ति के नाम में शेयर या
प्रतिभूतियों का कारोबार कर रहे
हैं? यदि हां, तो विवरण दें
8. क्या आप स्टॉक ब्रोकर या उप-
ब्रोकर या निदेश सलाहकार या
किसी अन्य प्रकार से कारोबार कर
रहे हैं? यदि हां तो विवरण दें
9. क्या आप शेअर या प्रतिभूतियों
स्टॉक दलाली से इतर किसी अन्य
कारोबार में मूल पार्टी या कर्मचारी
या अन्यथा जुड़े हैं? यदि हां, तो
विवरण दें
10. क्या आप जानते हैं कि एक्सचेंज
की सदस्यता में आपकी कंपनी का
चुनाव हो जाने पर आपको उपर्युक्त
प्रकार का कारोबार तुरंत छोड़ देना
पड़ेगा?

11. i. आयकर विभाग द्वारा आंबटित PAN संख्या
- ii. पिछले तीन वर्ष के लिए आय कर आकलन के विवरण (आकलन आयोगों की प्रतिया साथ लगाएँ, तथा अन्य कर विपत्र द्वारा अन्य कोई दावा, आदेश नोटिस)
- iii. पिछले वर्ष के लिए वेल्थ कर आकलन के विवरण (आकलन आदेशों की प्रतियां साथ लगाएं) तथा आय कर विभाग का अन्य कोई दावा, आदेश, नोटिस.
12. अपने बैंक/बैंको के विवरण दें (कम से कम एक बैंक से संदर्भ)
13. क्या आपको आपके बैंक/बैंको से संदर्भ किए जाने के पते में कोई आपत्ति है?
14. कोई और ऐसी परिस्थिति बताएं जो आपके मत में एक्सचेंज को बताई जानी चाहिए
15. क्या आप किसी दीवानी या फौजदारी मुकदमे, वाद या कार्यवाही में शामिल थे? यदि हां, तो विवरण दें
16. क्या आप किसी वित्तीय देयता या आकस्मिकता या अनिश्चित प्रकार में शामिल थे? यदि हाँ, तो विवरण दें
17. क्या आपको धोखाधड़ी या बेईमानी के लिए दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें
18. क्या आपको कभी
 - क) किसी एक्सचेंज द्वारा सदस्यता के लिए अस्वीकार किया गया है?

- ख) किसी स्टाक एक्सचेंज द्वारा सदस्यता से निष्कासित या निलंबित किया गया है?
- ग) किसी स्टाक एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया है?
- यदि हाँ, तो विवरण दें
19. क्या आपके कभी
- क) किसी पण्य या उसी प्रकार के एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा सदस्यता के लिए अस्वीकार किया गया है?
- ख) किसी ऐसे एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया गया है?
- ग) ऐसे किसी एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया है?
20. क्या आपको कभी दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है या दिवालियेपन का रिसीविंग आर्डर या दिवालिया घोषित किया गया है?
- यदि हाँ, तो विवरण दें
21. क्या आपको कभी अपने लेनदारों के साथ कंपाउंड किया गया है?
- यदि हाँ, तो विवरण दें
22. क्या आपकी ऐसी देयताएं हैं जो अतिदेय (ओवरड्यू) हैं?
23. क्या आपने एक्सचेंज के नियम, उप विधियां तथा विनियम पढ़ लिए हैं?
24. क्या आपको पता है कि आपकी कंपनी द्वारा आपकी सदस्यता के संबंध में कोई मिथ्याकथन या मिथ्यातथ्य या तथ्यों को छुपाने से या सदस्यता की शर्त या घोषणा के उल्लंघन से आपकी सदस्यता के

आवेदन पर विचार नहीं किया
जाएगा/सदस्यता से निष्कासित कर
दिया जाएगा?

मैं _____ स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के लिए आवेदन कर रही _____ का
पूर्णकालिक निदेशक होने के नाते एतद्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि मेरी
अधिकतम जानकारी के अनुसार ऊपर जो भी कहा गया है, सत्य है।

तारीख:

निदेशक

¹अनुलग्नक - II

(पदनामित निदेशकों द्वारा आवेदक कंपनी की ओर से भरा जाए और हस्ताक्षरित किया जाए
गठनाधीन कंपनियों के सम्बन्ध में जो लागू वह सूचना भरी जाए)

1. आवेदक कंपनी का नाम तथा
उसका पंजीकृत पता
2. निगमन का वर्ष
3. मूलभूत सुविधाएं (निम्नलिखित
के बारे में विस्तृत विवरण दें।
जहां आवश्यक हो अतिरिक्त
पृष्ठ जोड़ लें)
 - क) कार्यालय परिसर
 - ख) कम्प्यूटर
 - ग टेलीफोन
/टेलैक्स/फैक्स
 - घ) कर्मचारी
 - ड) विदेशी सहभागिता
सहित सहयोगी संस्थाएं
तथा संबद्ध संस्थाएं
 - च) अन्य कोई संगत पहलू
4. अपने बैंक / बैंकों का विवरण दें
(कम से कम एक बैंक का
संदर्भ दें)
5. क्या आपको आपके बैंक / बैंकों का
संदर्भ लेने के प्रति कोई आपत्ति
है
6. वर्तमान गतिविधियां (आवश्यक हो
तो अतिरिक्त पन्ने जोड़ लें)
7. क्या आप स्वयं के नाम में या किसी
अन्य व्यक्ति के नाम में शेयर या
प्रतिभूतियों का कारोबार कर रहे हैं?
यदि हां, तो विवरण दें

8. क्या आप स्टॉक ब्रोकर या उप-ब्रोकर या निदेश सलाहकार या किसी अन्य प्रकार से कारोबार कर रहे हैं? यदि हां तो विवरण दें
9. क्या आप जानते हैं कि एक्सचेंज की सदस्यता में आपकी कंपनी का चुनाव हो जाने पर आपको उपर्युक्त प्रकार का कारोबार तुरंत छोड़ देना पड़ेगा?
10.
 - i. आयकर विभाग द्वारा आंबटित PAN संख्या
 - ii. पिछले तीन वर्ष के लिए आय कर आकलन के विवरण (आकलन आयोगों की प्रतियां साथ लगाएँ, तथा अन्य कर विपत्र द्वारा अन्य कोई दावा, आदेश नोटिस)
 - iii. पिछले वर्ष के लिए वेल्थ कर आकलन के विवरण (आकलन आदेश की प्रतियां साथ लगाएं) तथा आय कर विभाग का अन्य कोई दावा, आदेश, नोटिस.
11. आप किस प्रकार के ग्राहकों की सेवा करेंगे।
12. क्या आपने कभी अपने उधारकर्ताओं के साथ कंपाउंड किया है?

यदि हां, तो पूरा विवरण दें।
13. क्या आप किसी सिविल या आपराधिक मुकदमे, वाद या कार्रवाई से जुड़े रहे हैं?

यदि हां, तो पूरा विवरण दें।

14. क्या आप किसी आकस्मिक या अनिश्चित स्वरूप की वित्तीय देयता से जुड़े रहे हैं? यदि हां तो पूरा विवरण दें।

15. क्या आपको, कभी भी, धोखाधड़ी या बेइमानी के संबंध में किसी अपराध के बारे में सजा सुनाई गई है?

यदि हां, तो पूरा विवरण दें।

16. क्या आपको कभी भी -

क) किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आपकी सदस्यता अस्वीकार की गई है?

ख) किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सदस्यता से निलंबित या निष्कासित किया गया है?

- ग) किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सदस्यता के लिए चूककर्ता घोषित किया गया है? यदि हां, तो पूरा विवरण दें।

17. क) क्या कभी सदस्यता के लिए पण्य या उसी प्रकार के एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा आपकी सदस्यता अस्वीकार की गई है?

ख) किसी स्टॉक एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया गया है?

- ग) ऐसे किसी स्टॉक एक्सचेंज या वाणिज्यिक संगठन द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया है? यदि हां, तो पूरा विवरण दें।

18. कृपया अपनी सदस्यता के आवेदन के बारे में अन्य कोई परिस्थिति बताएं जिसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी जानी चाहिए।
19. क्या आपको मालूम है कि सदस्यता के आवेदन के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा कोई मिथ्यावत या मिथ्यातथ्य या तत्वों को छुपाने से या सदस्यता के वचन या स्थिति के उल्लंघन से सदस्यता के लिए आपकी कंपनी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा उसे निष्काषित कर दिया जाएगा?
20. कृपया अपने सभी निदेशकों के नाम, पते, व्यवसाय तथा पृष्ठभूमि दें।
21. कृपया आवेदक कंपनी की 10 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी में धारिता वाले शेयरधारकों के नाम और पते दें। यदि शेयरधारक कंपनियां हैं, तो शेयरधारकों का विवरण दें।
22. हम, आवेदक कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (1992 का 15) की धारा 12 के अधीन ऐसी कंपनियों के पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं तथा मानदंडों का पालन करने का वचन देते हैं।
23. हम, आवेदक कंपनी, कार्पोरेट सदस्यता के लिए आवेदन के साथ ससंलग्न नोट में निहित चयन तथा प्रदेश का

पालन करने के लिए सहमत
हैं।

स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हम, _____ के निदेशक, एतद्वारा
घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर जो भी कहा गया है हमारी जानकारी के अनुसार सत्य
है।

20 _____ का

(निदेशक)

(निदेशक)

परिशिष्ट 'ख'

नामांकन फार्म सं. 1

(नियम 13)

सचिव,
शेयर बाजार
बम्बई

मैं ----- स्टॉक एक्सचेंज का एक सदस्य एतद्वारा ----- को अपना उत्तराधिकारी
नामित करता हूँ और उनके लिए एतद्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ।

20-----

भवदीय

(नामन करने वाले के हस्ताक्षर)

(साक्षी)

(नामिती के हस्ताक्षर)

(साक्षी)

नामांकन फार्म सं. 2

(नियम 13)

हम, मृत ----- के निकट विधिक प्रतिनिधि संबंधी -----, तक स्टॉक एक्सचेंज के
सदस्य, ----- को उसके उत्तराधिकारी के रूप में नामित करते हैं।

20-----

(नामन करने वाले के हस्ताक्षर)

(साक्षी)

(नामिती के हस्ताक्षर)

(साक्षी)

परिशिष्ट 'ग'

मृत सदस्य के उत्तराधिकारी को सदस्यता देने वाले गवर्निंग बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

नियम 11(ख) के अधीन आवेदन पर कार्रवाई करते समय, जहां तक व्यावहारिक होगा, निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखेगा :

- (i) यदि विधवा है और पुत्र हैं, तो विधवा द्वारा सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी और सभी पुत्र जो वयस्क हैं और अवयस्क पुत्रों (यदि कोई हैं) के संरक्षक यदि ऐसा व्यक्ति अन्यथा सदस्य बनने के लिए पात्र है।
- (ii) यदि विधवा नहीं है तो ऐसे किसी व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी जिसकी सिफारिश सभी वयस्क पुत्री तथा अवयस्क पुत्रों (यदि हो) के संरक्षक करते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति अन्यथा सदस्य बनने के लिए पात्र है।

- (iii) यदि विधवा है लेकिन कोई वयस्क पुत्र नहीं है तो विधवा महिला द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी जो अन्यथा सदस्य बनने के लिए पात्र है।
- (iv) यदि विधवा या पुत्र नहीं है तो पुत्रियों द्वारा सिफारिश किए गए किसी ऐसे व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी तो अन्यथा सदस्य बनने के लिए पात्र है।
- (v) यदि विधवा, पुत्र या पुत्रियां नहीं है, तो माता-पिता द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी तो अन्यथा सदस्य बनने के लिए पात्र है।
- (vi) किसी अन्य परिस्थिति में, उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अधीन गवर्निंग बोर्ड किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त समझने पर उसका नामांकन कर सकता है।

परिशिष्ट 'घ'

चुनाव की सूचना देने वाला फार्म

(नियम 31)

शेयर बाजार, बम्बई

तारीख :

प्रति

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अभी लागू तथा बाद में लागू होने वाले एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों की शर्तों के अधीन आपको स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य चुन लिया गया है। इस सूचना के मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर ----- रुपये के सदस्यता शुल्क का भुगतान करने, ----- रुपये के प्रदेश शुल्क तथा ----- रुपये के वार्षिक अभिदान का भुगतान करने पर और साथ ही ----- रुपये की ----- जमा कर देने पर, आपको बाद में उस तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा जिस तारीख से आप सदस्यता के सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

भवदीय,

सचिव

*जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट 'ड'

प्रवेश का प्रमाणपत्र

[नियम 35(क)]

शेयर बाजार, बम्बई

तारीख :

प्रति

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, के अनुसार ----- को आज स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बनाया गया है और आज से वह सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है ऐसी सदस्यता की सभी देयताओं के अधीन है और वह स्टॉक एक्सचेंज के अब लागू या अब के बाद से लागू होने वाले नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों का पालन करने के लिए अब तथा अब के बाद बाध्य होगा।

साक्षी के रूप में ----- दो हजार -----

अध्यक्ष

सचिव

परिशिष्ट 'च'

सदस्य का जमानत घोषणा फार्म सं. 1

(नियम 46)

अधिशाली बोर्ड

शेयर बाजार, बम्बई

महोदय,

स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बन जाने पर और उसके संबंध में नियमों के अधीन ----- (बैंक का नाम) में 20,000/- रुपये की राशि स्टॉक एक्सचेंज के नाम में जमा कराने के लिए तथा निम्नलिखित प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज के न्यासियों तथा/या (बैंक का नाम) को अंतरित कर देने पर, मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं और सहमत हूं कि कथित प्रतिभूति तथा कोई भी नकदी, स्टॉक, शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो उसके साथ दी गई व्यवस्था के अनुसार जोड़ दी जाए या उनके स्थान पर रखी जाएं, वे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन गृह को मेरे/हमारे या किसी सहभागिता जिसका मैं, सहभागी हूं स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में किए गए किसी सौदे, लेनदेन, संव्यवहार तथा संविदा के लिए दायित्वों तथा देयताओं के लिए या किसी सहभागिता जिसका मैं सहभागी हूं पर स्टॉक एक्सचेंज का सर्वप्रथम पूर्णग्रहणाधिकार होगा और एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अधीन अन्य सौदों तथा संविदाओं के संबंध में की गयी संविदा के लिये ऐसी राशि का उपयोग किया जायेगा और शेष बची राशि जिसके लिए मैं पात्र हूं, वह मुझे लौटायी जाएगी और इस प्रकार लौटायी गई राशि अंतिम और निर्णायक होगी तथा मेरी ओर से या किसी और से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

भवदीय,

(प्रतिभूति जमा करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर)

उल्लिखित लिखित प्रतिभूतियां

परिशिष्ट 'च' (जारी....)

भागीदार का प्रतिभूति घोषणा फार्म संख्या 2

[(नियम 180 (इ))]

अधिशाली बोर्ड

शेयर बाजार, बम्बई

महोदय,

स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बन जाने पर और उसके संबंध में नियमों के अधीन ----- (बैंक का नाम) में 20,000/- रुपये की राशि स्टॉक एक्सचेंज के नाम में जमा कराने के लिए तथा निम्नलिखित प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज के न्यासियों तथा/या (बैंक का नाम) को अंतरित कर देने पर, मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ और सहमत हूँ कि कथित प्रतिभूति तथा कोई भी नकदी, स्टॉक, शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो उसके साथ दी गई व्यवस्था के अनुसार जोड़ दी जाए या उनके स्थान पर रखी जाएं, वे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन गृह को मेरे/हमारे या किसी सहभागिता जिसका मैं, सहभागी हूँ स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में किए गए किसी सौदे, लेनदेन, संव्यवहार तथा संविदा के लिए दायित्वों तथा देयताओं के लिए या किसी सहभागिता जिसका मैं सहभागी हूँ पर स्टॉक एक्सचेंज का सर्वप्रथम पूर्णग्रहणाधिकार होगा और एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अधीन सभी सौदों तथा संविदाओं के संबंध में की गयी संविदा के लिये ऐसी राशि का उपयोग किया जायेगा और शेष बची राशि जिसके लिए मैं पात्र हूँ, वह मुझे लौटयी जाएगी और इस प्रकार लौटयी गई राशि अंतिम और निर्णायक होगी तथा मेरी ओर से या किसी और से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

भवदीय,

(प्रतिभूति जमा करने वाले सदस्य या भागीदार के हस्ताक्षर)

ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियां

परिशिष्ट 'च' (जारी....)

रेमिशियर का प्रतिभूति घोषणा फार्म संख्या 3

[(नियम 235 (इ))]

अधिशाली बोर्ड

शेयर बाजार, बम्बई

महोदय,

स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बन जाने पर उसके संबंध में नियमों के अधीन ----- (बैंक का नाम) में 20,000/- रुपये की राशि स्टॉक एक्सचेंज के नाम में जमा कराने के लिए तथा निम्नलिखित प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज के न्यासियों तथा/या (बैंक का नाम) को अंतरित कर देने पर, मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ और सहमत हूँ कि कथित प्रतिभूति तथा कोई भी नकदी, स्टॉक, शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो उसके साथ दी गई व्यवस्था के अनुसार जोड़ दी जाए या उनके स्थान पर रखी जाएं, वे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन गृह को मेरे/हमारे या किसी सहभागिता जिसका मैं, सहभागी हूँ स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में किए गए किसी सौदे, लेनदेन, संव्यवहार तथा संविदा के लिए दायित्वों तथा देयताओं के लिए या किसी सहभागिता जिसका मैं सहभागी हूँ पर स्टॉक एक्सचेंज का सर्वप्रथम पूर्णग्रहणाधिकार होगा और एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अधीन सभी सौदों तथा संविदाओं के संबंध में की गयी संविदा के लिये ऐसी राशि का उपयोग किया जायेगा और शेष बची राशि जिसके लिए मैं पात्र हूँ, वह मुझे लौटयी जाएगी और इस प्रकार लौटयी गई राशि अंतिम और निर्णायक होगी तथा मेरी ओर से या किसी और से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

भवदीय,

(प्रतिभूति जमा करने वाले रेमिशियर के हस्ताक्षर)

ऊपर लिखित प्रतिभूतियां

परिशिष्ट 'च' (जारी)
नामांकन फार्म सं.4
(नियम 44, 180 (घ) तथा 235 (घ))

प्रेषक :

प्रति

अधिशाली बोर्ड

शेयर बाजार

बम्बई

महोदय,

एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन मेरे द्वारा जमा कराई गई और एक्सचेंज द्वारा मेरी रखी प्रतिभूति के संदर्भ में, मैं कथित नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार

_____ (नाम)

_____ (पूरा पता)

और उनके न होने पर _____ (नाम)

_____ (पूरा पता)

और उनके न होने पर _____ (नाम)

_____ (पूरा पता)

को एक्सचेंज के लागू नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार मेरी मृत्यु होने पर मुझे देय उपर्युक्त प्रतिभूति तथा उसमें सभी वृद्धि और _____ या अन्य कोई प्रतिभूति जो मैंने उसके स्थान पर दी हो और उसमें सभी वृद्धि और _____ या उसका शेष प्राप्त करने के लिए नामांकित करता हूँ।

और मैं घोषणा करता हूँ कि यथास्थिति ऐसी प्रतिभूति या उसके शेष के लिए ऐसे नामिती या नामितियों द्वारा प्राप्ति को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा और मेरे उसके बारे में मेरे अधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न को करेगी और उसके संबंध में मेरे माध्यम, से या मेरे कहे पर मेरी संपदा या किसी के संबंध में पूर्णतया और पर्याप्त भुगतान माना जाएगा।

और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपने द्वारा किए गए किसी या सभी नामांकनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखूंगा और उसके अतिरिक्त कोई नया नामांकन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा या

जब भी उचित समझूं उसको बदल दूं और किसी भी नामिती की मेरे से पहले मृत्यु हो जाने पर कथित नामांकन तुरंत रद्द हो जाएगा।

2010 _____ की तारीख।

(प्रतिभूति जमा करने वाली पार्टी के हस्ताक्षर)

1. गवर्निंग बोर्ड दिनांक 09.09.56 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सरकार द्वारा 30.09.58 को अनुमोदित।

1. साक्षी

पता

2. साक्षी

पता

टिप्पणी :

1. एक साक्षी जे.पी.मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या इसी प्रकार का प्राधिकारी होना चाहिए।
2. अवयस्क के लिए नामांकन होने की स्थिति में, ऐसे अवयस्क की ओर से जिस व्यक्ति को प्रतिभूति लौटाई जाएगी, उसका नाम और पता बताया जाना चाहिए।
3. यदि प्रतिभूति जमा कराने वाला व्यक्ति इस नामांकन को समाप्त करना चाहता है या इस नामांकन के स्थान पर कोई और नामांकन करना चाहता है, तो वह अपनी मृत्यु से पहले, एक्सचेंज को उपर्युक्त टिप्पणी-1 के अनुसार निम्नलिखित फार्म में उसके द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए गए और दो साक्षियों द्वारा अधिप्रमाणित समाप्त करने का नोटिस प्रस्तुत करेगा।

एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन एक्सचेंज में मेरे द्वारा जमा कराई गई और रखी प्रतिभूति के संदर्भ में, मैं इसके द्वारा मेरी मृत्यु हो जाने पर कथित प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए _____ को नियुक्त करने वाला नामांकन समाप्त करता हूं।

20 _____ की इस तारीख

(प्रतिभूति जमा कराने वाली पार्टी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-ज
भागीदारी फार्म
नियम 190(क)

पता:-

तारिख:-

सचिव

स्टाक एक्सचेंज

बंबई

कृपया गवर्निंग बोर्ड को सूचित कर दें कि हम नाम तथा स्टाइल में भागीदारी में स्टాक एक्सचेंज कारोबार करना चाहते हैं।

अधिशाली बोर्ड द्वारा हमारा आवेदन अनुमोदित करने पर हम _____ 20__ से भागीदारी में काम करेंगे और हममें से प्रत्येक और सभी अलग अलग और संयुक्त से हममें से प्रत्येक द्वारा फार्म के सभी कार्यों और सौदों के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

भागीदारों का पूरा नाम

1. _____ (हस्ताक्षर) _____
2. _____ (हस्ताक्षर) _____
3. _____ (हस्ताक्षर) _____
4. _____ (हस्ताक्षर) _____

परिशिष्ट-इ**निदेशकों तथा कार्यपालकों के लिए आचार शास्त्र का कोड****[नियम 170 (कक)]****उद्देश्य तथा अन्तर्नियमावली**

एक्सचेंज के निदेशकों तथा कार्यपालकों के लिए आचार शास्त्र का उद्देश्य एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी एक्सचेंज स्थापित करने के लिए इन कार्यपालकों द्वारा अपनाए जाने वाले कारोबारी/व्यावसायिक आचार शास्त्र का एक न्यूनतम स्तर स्थापित करना है। आचार शास्त्र का कोड निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है:

- एक्सचेंज तथा निदेशकों से संबंधित मामलों में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता
- विनियामक एजेंसियों/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सभी विधियों/नियमों / विनियमों का अनुपालन
- कर्तव्यों के निष्पादन में यथोचित सावधानी बरतना।
- निदेशकों / कार्यपालकों तथा एक्सचेंज और निवेशकों के हितों के बीच द्वंद्व से बचना

हालांकि इस कोड का उद्देश्य एक्सचेंज की अखंडता या निवेशक के विश्वास के स्तर को बढ़ाना है, इस बात पर बल दिया जाता है कि आचार शास्त्र का लिखित कोड पूरी तरह से उच्च आचार शास्त्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित ना करवा पाए। ऐसा तभी किया जा सकता है जब एक्सचेंज के निदेशक तथा कार्यपालक सभी प्रकार से प्रणाली की निष्पक्षता तथा अखंडता को बढ़ाएं।

परिभाषाएँ

1. कार्यपालक : जिन कार्यपालकों पर यह कोड लागू होगा, उसका निर्णय एक्सचेंज द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इसमें महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के पदाधिकारी शामिल होंगे।
2. परिवार: परिवार के सदस्यों में आश्रित पत्नी/पति, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल होंगे।
3. प्रतिभूतियाँ : इस कोड के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों में म्यूच्युअल फंड यूनिट तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं होंगी।

आचार शास्त्र समिति

इस कोड के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए, एक्सचेंज द्वारा गवर्निंग बोर्ड के अधीन एक आचार शास्त्र समिति गठित की जाएगी। इस समिति के 40 प्रतिशत से अनधिक सदस्य चुने गए निदेशक / एक्सचेंज के सदस्य होंगे।

¹ सेबी के दिनांक 03.07.03 के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.08.03 बी के संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 09.10.03 को अनुमादित।

1. सामान्य मानक

- i. निदेशक तथा कार्यपालक आचार शास्त्रीय उत्तरदायित्वों की बेहतर जानकारी तथा समझ के लिए प्रयास करेंगे।
- ii. अपने कारोबार के संचालन में निदेशक तथा कार्यपालक वाणिज्यिक सम्मान तथा व्यापार के सिद्धांतों के न्यायपूर्ण तथा सम्यक मानकों का पालन करेंगे।
- iii. कारोबारी जीवन में निदेशकों तथा कार्यपालकों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए जो एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के लिए मानक का कार्य करेगा।
- iv. निदेशक तथा कार्यपालक अपने पद का उपयोग एक्सचेंज के कार्यकारी या प्रशासनिक स्टाफ, एक्सचेंज के आपूर्तिकर्ताओं, या किसी सूचीबद्ध कंपनी से लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे।
- v. निदेशक तथा कार्यपालक ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे एक्सचेंज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे।
- vi. एक्सचेंज के निदेशक, समिति सदस्य तथा कार्यपालक प्रतिभूति एक्सचेंज पर लागू सभी नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करेंगे।

¹ गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 17.10.02 के संकल्प द्वारा जोड़ा गया तथा सेबी द्वारा 25.02.02 को अनुमोदित।

2. एक्सचेंज के चुने गए पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषपाल) द्वारा स्वामित्व खाते में सौदे करने पर प्रतिबन्ध

एक्सचेंज के चुने हुए पदाधिकारी (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषपाल) अपने पद पर रहते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व खाते में प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे।

इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- क) चुने गए पदाधिकारी ग्राहकों के लिए दलाली कारोबार कर सकते हैं। लेकिन वे स्वामित्व खाते में व्यापार नहीं करेंगे। यह उन चुने गए पदाधिकारियों पर भी लागू होगा जो कंपनी इकाई के अधीन व्यापार करते हैं। इनमें ये भी शामिल हैं:
 - कंपनी सदस्य का स्वामित्व व्यापार
 - कंपनी सदस्य के निदेशकों का स्वामित्व व्यापार
- ख) प्रतिभूतियों के व्यापार में सभी प्रकार के व्यापार शामिल हैं। स्वयं के खाते में व्यापार करना इस परिपत्र के दायरे में आएगा लेकिन सेबी के परिपत्र के अधीन मार्केट मेकर के रूप में कार्य कर रहा दलाल इस का अपवाद होगा।
- ग) कोड चुने गए पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभूतियों में वर्तमान निवेश का विशेष रूपसे उल्लेख नहीं करता। प्रतिभूतियों में और निवेश करने के सम्बंध में, चुने गये पदाधिकारी स्वामित्व व्यापार नहीं करेंगे। वर्तमान धारिता को समाप्त किया जा सकता है।

3. ऐक्सचेंज के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभूतियों में सौदों की सूचना

- i. ऐक्सचेंज द्वारा निर्धारित अवधि पर (यह मासिक भी हो सकता है) ऐक्सचेंज के पदाधिकारी प्रतिभूतियों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अपने लेन देनों की सूचना गवर्निंग बोर्ड / आचार शास्त्र समिति / पदनामित अनुपालन अधिकारी को देंगे।
- ii. प्रतिभूतियों में लेन देन उन प्रतिभूतियों में व्यापार प्रतिबंध के अधीन होंगे जिनके बारे में ऐक्सचेंज के पदाधिकारियों के पास गैर सार्वजनिक मूल्य संवेदनशील सूचना हो। इस सम्बंध में सेबी आंतरिक व्यापार विनियमों को देखें।
- iii. सभी लेन देन निवेश के स्वरूप के होने चाहिए न कि सट्टेबाजी प्रकार के। इस उद्देश्य से, सभी प्रतिभूतियों को न्यूनतम 60 दिन की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। लेकिन विशिष्ट / अपवादात्मक परिस्थितियों में, अनुपालन अधिकारी या किसी अन्य पदनामित अधिकारी से पूर्वानुमति लेकर कभी भी विक्रय किया जा सकता है जो इस सम्बंध में संतुष्ट होने पर लिखित रूप में अनुमति देगा।

4. ऐक्सचेंज के निदेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में लेन देन की सूचना देना।

- i. ऐक्सचेंज के निदेशक (खंड 2 के अनुसार चुने गए पदाधिकारियों से इतर) ऐक्सचेंज द्वारा निर्धारित अवधि पर (यह मासिक भी हो सकता है) अपने स्वामित्व व्यापार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, की सूचना आचार शास्त्र समिति को देंगे।
- ii. उपर्युक्त अनुसार, सभी निदेशक आवधिक आधार पर उन फर्मों द्वारा किए गए व्यापार की सूचना आचार शास्त्र समिति को देंगे जिनमें उनकी हितधिकारी लाभ 20 प्रतिशत से अधिक है या नियंत्रक हित है।

जो निदेशक भारत सरकार के नामिती हैं या भारत सरकार के सांविधिक निकायों या वित्तीय संस्थाओं के नामिती हैं और स्वयं अपने कोड से नियंत्रित होते हैं, उन्हें इस आवश्यकता से छूट प्राप्त होगी।

5. हित में द्वंद्व से बचाव

- i. गवर्निंग बोर्ड का कोई निदेशक या ऐक्सचेंज की किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति / मामले में निर्णय / अधिनिर्णय में भाग नहीं लेगा जिसमें वह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित है या उसकी रुचि है।
- ii. हित का द्वंद्व है या नहीं, इसका निर्णय गवर्निंग बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

6. हिताधिकारी हित की सूचना

निम्नलिखित स्थिति में, पद ग्रहण करने पर या पदपर बने रहने तक सभी निदेशक तथा कार्यपालक गवर्निंग बोर्ड को सूचना देंगे:

- i. किसी दलाली इकाई में स्वयं तथा परिवार के सदस्य का वित्तीय संबंध तथा स्वयं तथा परिवार के सदस्यों का निदेशक / सहभागिता होना।

ii. शेअर धारिता, उन मामलों में जहाँ निदेशक की प्रत्यक्ष या उसके परिवार की ऐक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी में या पूंजीऐक्सचेंज से सम्बद्ध अन्य निकाइयों में धारिता 5 प्रतिशत से अधिक है।

iii. कोई अन्य कारोबारी हित

7. अध्यक्ष / चेअरमेन तथा निदेशकों की ऐक्सचेंज के दैनंदिन कार्य में भूमिका

i. अध्यक्ष तथा निदेशक ऐक्सचेंज के दैनंदिन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और गवर्निंग बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अपने आपको नीतिगत मुद्दों या अन्य मुद्दों तक सीमित रखेंगे।

ii. अध्यक्ष तथा निदेशक ऐक्सचेंज के कर्मचारियों पर उनकी दैनंदिन गतिविधियों के सम्बंध में प्रभाव नहीं डालेंगे।

iii. अध्यक्ष तथा निदेशक प्रत्यक्ष रूपसे कर्मचारियों की नियुक्ती तथा पदोन्नति में शामिल नहीं होंगे जब तक कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहा जाए।

8. सूचना तक पहुँच

i. विशिष्ट समितियों के भाग के रूप में या अधिशासी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गये अनुसार ही निदेशक सूचना मांगेंगे।

ii. निर्धारित चैनलों के जरिए ही सूचना का आदान प्रदान होगा और इनका रिकार्ड रखा जाएगा। किसी गोपनीय दस्तावेज / सूचना को प्राप्त करने का यथाचित रिकार्ड रखा जाएगा।

iii. ऐसी सभी सूचनाएँ, विशेष कर जो गैर-सार्वजनिक हैं तथा मूल्य-संवर्धनशील हैं, गोपनीय रखी जाएंगी और वैयक्तिक हित / लाभ के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

iv. ऐक्सचेंज के कारोबार / परिचालनों के सम्बंध में ऐसी कोई सूचना, जो अपने कार्य के दौरान निदेशकों / कार्यपालकों की जानकारी में आती है, पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी, किसी अन्य पार्टी को नहीं दी जाएगी और अपने कार्य करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से प्रयोग नहीं की जाएगी।

9. पद का दुरुपयोग

निदेशक/ समिति सदस्य संगठन में अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए किसी कारोबारी या अन्य आर्थिक लाभ (दलालों या व्यावसायिकों या सलाहकारों जैसे मध्यस्थ) के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करेंगे।

10. आचार शास्त्र समिति कार्यविधियों तथा अनुपालन अधिकारी का निर्धारण करेगी

i. आचार शास्त्र समिति कोड के कार्यान्वयन के सम्बंध में क्रियाविधियों का निर्धारण करेगी और कोड के अधीन सूचना देने के लिए फार्मेट का निर्धारण करेगी।

ii. अपने द्वारा निर्धारित आवश्यकताओंका पालन करने के लिए आचार शास्त्र समिति ऐक्सचेंज के किसी वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित कर सकती है।

परिशिष्ट 1**(नियम 126 क)**

वे मामले जिन पर कार्यकारी समिति द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

- (i) जिन मामलों पर किसी न्यायिक प्राधिकारी के निवेश पर सुनवाई की जा सकती है उनके सहित अर्ध-न्यायिक मामले
- (ii) जिन मामलों में गवर्निंग बोर्ड अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करता है
- (iii) लेनदेनों को रद्द करने से संबंधित मामले
- (iv) सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता जारी रहने और निलंबन के संबंध में मामले
- (v) किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित करने से संबंधित मामले
- (vi) आर्किस्टेशन से संबंधित मानदंडों, क्रियाविधियों तथा अन्य मामले
- (vii) सदस्यों द्वारा एक्सचेंजको देय शुल्कों, जमाराशियों तथा अन्य राशियों का समय-समय पर निर्धारण

गवर्निंग बोर्ड द्वारा संदर्भित अन्य कोई मामला

¹परिशिष्ट-छ

(जन प्रतिनिधि तथा सेबी नामिती निदेशकों के लिए अच्छी प्रथाएं/आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश)

जन प्रतिनिधि/सेबी नामिती निदेशक

(क) बैठके तथा कार्यवृत्त

- (क) बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेगा और उसे अपने पद का त्याग करना पड़ेगा यदि वह अधिशासी बोर्ड/निदेशक बोर्ड की तीन बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी कैलेंडर वर्ष में कुल बैठकों की 75 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लेता।
- (ख) चाहे धन संबंधी या अन्यथा, विषय वाले ऐसे मामले में चर्चा में भाग नहीं लेता जिसमें हित का विरोध है या उत्पन्न होता है, और प्रकट किया जाएगा और बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किया जाएगा।
- (ग) जब तक कि परिस्थितियों द्वारा आवश्यक न हो, बैठक के दौरान कार्यसूची पत्रों का परिचालन प्रोत्साहित नहीं करेगा।
- (घ) महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 6 महीने में एक बार, यदि आवश्यक हो, तो अलग-अलग, मिलेंगे।
- (ङ) कार्यवृत्त के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अंतिम कार्यवृत्त में शामिल कर ली जाएं।
- (च) बाद की बैठकों में अनुमोदन के लिए पिछली बैठक का कार्यवृत्त रखने पर जोर देंगे।
- (छ) गवर्निंग बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके प्रत्येक बोर्ड बैठक में अगली बैठक की तारीख निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।
- (ज) प्रयास करेंगे कि जिन मामलों में किसी बैठक की सभी मद्दों पर समय की कमी के कारण चर्चा नहीं की जा सकी; वहां शेष मद्दों पर विचार करने के लिए अगली बैठक 15 दिन के भीतर हो जाए।

¹ सेबी के दिनांक 03.07.03 के अनुसरण में गवर्निंग बोर्ड के दिनांक 19.08.03 की संकल्प द्वारा जोड़ा गया और सेबी द्वारा 09.10.03 को अनुमोदित।

(ख) महत्वपूर्ण आयोजना

- (क) एक्सचेंज के सर्वोत्तम हित में नीतियां बनाना तथा उन पर अमल करने में भाग लेना और बोर्ड स्तर पर सक्रिय निर्णय में अपना योगदान देना
- (ख) एक्सचेंजको अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का लाभ लेना तथा किसी..... में बोर्ड को महत्वपूर्ण आयोजना तथा निर्णयों को पूरा करने में सहायता देना।

(ग) विनियामक अनुपालन

- (क) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि एक्सचेंज सेबी अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, नियमों, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के सभी उपबंधों तथा सरकार/सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी परिपत्रों, निदेशों का पालन करता है।
- (ख) सभी स्तरों पर अनुपालन का प्रयास ताकि विनियामक प्रणाली का उल्लंघन न हो।
- (ग) यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि सेबी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए की गई समय-सीमा का पालन करने के लिए एक्सचेंज उचित कदम उठाता है।
- (घ) गवर्निंग बोर्ड की बैठक में ऐसे किसी निर्णय को समर्थन नहीं देगा जिससे निदेशकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और ऐसे किसी निर्णय की

- (ड) प्रयास करना कि विवाचन अवार्ड एक्सचेंज के नियमों, उप विधियों तथा विनियमों में निर्धारित अवधि में दिया जाता है, और कम से कम अंतिम बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर दे दिया जाता है।
- (घ) सामान्य जिम्मेदारी
- (क) समय का पालन और बैठकों की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- (ख) निवेशकों की शिकायतों को प्राथमिकता देना, निष्पक्ष व्यापार प्रथा को प्रोत्साहन, प्रतिभूति उद्योग की स.उपचित वृद्धि के लिए इंजन बनना।
- (ग) अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने के लिए प्रत्येक यथोचित अवसर का उपयोग करना तथा व्यावसायिक समक्षता निष्पक्षता, दक्षता तथा प्रभावकारिता के साथ एक्सचेंज के मुद्दों के विश्लेषण तथा प्रशासन का प्रयास करना।
- (घ) नियमों या संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार समय समय पर ऐक्स्चेंज द्वारा आवश्यक प्रतिभूतियों में धारिता/ सौदों के बारे में आवश्यक सूचना /विवरण देना।
- (ङ) जब तक कि विधि द्वारा आवश्यक न हो, गोपनियता बनाए रखना और अपने कर्तव्य के पालन में सूचना प्रकट न करना। साथ ही, ऐसी सूचना वैयक्तिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी।
- (छ) अपने कर्तव्य के पालन में वैयक्तिक निष्ठा, सत्यता, ईमानदारी और धैर्य के उच्चतम मानक बनाए रखना ताकि जनता में विश्वास उत्पन्न हो और अपनी जिम्मेदारियों में बदनामी वाले कार्य नहीं करेगा।
- (ज) ऐसा कोई हित या गतिविधि न करना जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के विरुद्ध हो।
- (झ) अपने कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करना तथा ऐसी गतिविधियाँ न करना जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता को क्षति पहुंचे या क्षति पहुंचने का आभास हो।
- (ञ) अपने कर्तव्य सकारात्मक रूप से करना और खुले विचारों, सृजनात्मकता, निष्ठा तथा सहानुभूति को समर्थन देना।
- (प) चरित्रहीनता, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल या मिथ्या तथ्य या एक्सचेंज के प्रशासन पर बुरा प्रभाव डालने वाला कोई अन्य कार्य न करना।

For Bombay Stock Exchange Limited

Neena Jindal
Company Secretary

Place: Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai - 400 001
Date: 31st August, 2010

BSE LIMITED**Insertion of Bye-law 12.43, 15.2 (iiA) and 16.3A in the Rules, Bye Laws and Regulations of the Derivatives Segment of the Exchange in respect of Arbitration and Trade Guarantee Fund for providing additional Trading Floor to Regional Stock Exchange's ("RSE").**

Whereas under Section 10(4) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, making or the amendment or revision of any Bye-law is subject to the conditions of its previous publication.

Now, therefore, BSE Limited (the Exchange), hereto publishes the proposed Bye-laws 12.43, 15.2 (iiA) and 16.3A of the Rules, Bye Laws and Regulations of the Derivatives Segment of the Exchange.

Arbitration between the Members of the Exchange and Members of Regional Stock Exchange

12.43 Subject to and as provided by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and /or as agreed between the regional stock exchange and the Exchange, the provisions of "arbitration between the Members" of the Derivative Segment of the Exchange shall also apply to the arbitration (i) between the members of the regional stock exchange and the Members of the Derivative Segment of the Exchange, and (ii) between the members of the regional stock exchanges.

15.2 (iiA) Subject to and as provided by SEBI and /or as agreed between the regional stock exchange and the Exchange, the fund shall also guarantee financial settlement of the bona fide trade/ transactions executed on the floor/trading system of the Derivative Segment of the Exchange by the members of the regional stock exchange. The provisions of the "Derivative Segment Settlement Guarantee Fund" as contained in these Bye-laws shall, to the extent applicable, also apply to the transaction executed by the members of the regional stock exchange on this segment.

16.3 A Subject to and as provided by SEBI and /or as agreed between the regional stock exchange and the Exchange, the Investor Protection Fund shall also be utilized for the bona fide trade/ transactions executed on the Derivative Segment of the Exchange by the members of the regional stock exchange. The provisions of the "Investor Protection Fund" as contained in these Bye-laws shall, to the extent applicable, also apply to the transaction executed by the members of the regional stock exchange on this segment.

Any person interested in making any comments, in respect of the above amendments may please make presentations to the effect within a period of one month from the date of publication of this advertisement at the following address:

Company Secretary,
BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

For **BSE Limited**

Date: 18th October, 2011

Place: Mumbai

Neena Jindal
Company Secretary

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED**Rules**

Pursuant to the Order from the Hon'ble Supreme Court of India in the S.L.P. (C) 21686 of 2006 in the matter of Mahesh Ratilal Shah v/s Union of India & Ors., the Rules and Bye-laws of the Bombay Stock Exchange Limited are published as under:

**RULES, BYE-LAWS AND REGULATION,
1957****PRELIMINARY****Short Title**

1. (a) These Rules, Bye - Laws and Regulations shall be called "The Stock Exchange Rules, Bye-Laws and Regulations, 1957".

Commencement

- (b) They shall come into force on such date as the Governing Board may appoint and notify in that behalf

Subject to Act and Statutory Rules

2. These Rules, Bye-Laws and Regulations shall be read subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

RULES**TITLE****Title of the Association**

1. ¹{The Association hitherto known as "The Native Share and Stock Brokers' Association" and "The Stock Exchange" shall hereafter be known under the name and style of "BSE".}
- 1A. ²{The Phrase "The Stock Exchange" wherever it occurs in the Rules, Bye-laws and Regulations in the context of the name of the Exchange, shall be deemed to mean "BSE".}
- 1B. ³{The name "Bombay" wherever occurring in these Rules, Bye-laws and Regulations having a reference to the city of Mumbai shall be read as "Mumbai"}

CONSTITUTION AND OBJECTS

Constitution

2. The Stock Exchange (hereinafter referred to as "the Exchange") shall be constituted of those persons who are and shall hereafter be duly admitted as members of the Exchange according to the Rules for the time being in force and all such persons whether admitted as members of the Exchange before or after these Rules come into force shall be deemed bound by the Rules, By-laws and Regulations of the Exchange which are or shall hereafter be for the time being in force.
- ¹{2A. Subject to the following provisions and unless otherwise expressly stated, all provisions contained in the following Rules shall apply, mutatis mutandis, to a company or a financial corporation which is a member of the Exchange.}

Membership

3. Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the membership of the Exchange shall consist of such number of members as the Exchange in general meeting may from time to time determine.

Objects

4. The Exchange is established -

²Main objects

- (i) to support and protect ³{in the public interest} the character and status of brokers and dealers and to further the interests both of brokers and dealers and of the public interested in securities, to assist, regulate and control ⁴{in the public interest dealings in securities, to ensure fairdealings}, to maintain high standards of commercial honour and integrity, to promote and inculcate honorable practices and just and equitable principles of trade and business, to discourage and to suppress malpractices, to settle disputes and to decide all questions of usage, custom or courtesy in the conduct of trade and business;

Buildings

- (ii) to erect, construct, extend and maintain in Bombay a suitable building to be used as Broker's Hall for such other purposes of the Exchange as may be determined upon, such building to be forever called "The Sir Dinshaw Petit Brokers' Exchange Hall", and to erect, construct and maintain such other building or buildings as may be considered necessary or desirable either ⁵{for the use or convenience of the Exchange or its members or for furtherance of the objects and purposes of the Exchange} and to alter, add to or remove any such building or buildings;

Acquisition of Property

- (iii) to acquire by purchase, taking on lease or otherwise and develop any property movable or immovable and any rights or privileges necessary or convenient for the ⁶{objects and purposes} of the Exchange and in particular any land, buildings, easements or safe deposit vaults;

Safe Deposit Vaults

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

² Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

³ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

⁵ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

⁶ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

- (iv) to use the safe deposit vaults for purposes of the ¹{Exchange or for the convenience of the members}

Management and Disposal of Property

- (v) to insure, manage, develop, sell, exchange, lease, let under lease, sublet, mortgage, ²{turn to account or dispose of or otherwise deal with} all or any part of the property of the Exchange and in particular of the Exchange, for furtherance of the objects and purposes of the Exchange;

Borrowing of Monies

- (vi) to borrow or raise any monies required ³{for the objects and} purposes of the Exchange upon such terms and in such manner and with or without security as ⁴{may from time to time be determined} ⁵{and in particular by the issue of debentures, debenture stock, bonds or other securities, provided always and it is hereby expressly declared as an original and fundamental condition of any such borrowing or raising of moneys that in all cases and under all circumstances any person claiming payment whether of principal or interest or otherwise howsoever in respect of the moneys so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment only out of the funds, properties and other assets of the Exchange which alone shall be deemed to be liable to answer and make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the moneys so borrowed or raised and not the personal funds, properties and other assets of all or any one or more of the Trustees of the Exchange or Members of the Governing Board or members of the Exchange, their or his heirs, executors, administrators, successors and assigns who shall not and shall not be deemed to in anyway incur any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claims or demands or to be charged under and in respect of the moneys so borrowed or raised, and in the event of the funds, properties and other assets of the Exchange being insufficient to satisfy the claims of all persons claiming payment as aforesaid, the right of any such person shall be limited to and he shall not be entitled to claim anything more than his part or share of such funds, properties and other assets of the Exchange in accordance with the terms and conditions on which the moneys have been so borrowed or raised}

Investments

- (vii) to invest or advance the monies of the Exchange not immediately required in or upon such security or without any security and at or without interest and in such other investments as may from time to time be determined upon;

Payments and Disbursements

- (viii) to make payments or disbursements out of ⁶{or dispose of the funds or any property} of the Exchange for any of the purposes specified in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;

Subscriptions

- (ix) to subscribe or guarantee money for charitable ⁷{objects};

Funds and Trusts

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

⁴ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

⁵ Substituted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

⁶ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

⁷ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

- (x) to establish and support or assist in the establishment and support of any Exchange funds, trusts and conveniences calculated to ¹{advance and further the objects and purposes of the Exchange};

² {Clearing House}

- (xi) to establish and maintain or to arrange or appoint agents to establish and maintain a Clearing House for ³ {the objects and purposes of the Exchange} and to control and regulate the use and administration thereof;

Licences and Privileges

- (xii) to enter into any arrangements with Government which may seem desirable and to obtain from Government any powers, rights, licences, privileges or concessions which it may be deemed fit and desirable to obtain ⁴{for promotion of the objects and purposes of the Exchange};

Information and Publications

- (xiii) to acquire, collect, preserve and disseminate statistical or other information in connection with the trade, to maintain a library and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet or other works in connection with or in furtherance of the objects of the Exchange;

Membership of other Bodies

- (xiv) to subscribe to, become a member of and co-operate with any other association whether incorporated or not whose objects are to promote the interest represented by the Exchange or to promote general commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association such information as may further the objects of the Exchange or promote measures for the protection of the trade or any interest therein; and

- ⁵(xv) {to promote, form and register and aid in the promotion, formation and registration of any company or companies subsidiary or otherwise for the purpose of acquiring all or any of the property, rights and liabilities of the Exchange, or for any other purposes which may seem directly or indirectly calculated to benefit the Exchange and to transfer to any such company any property of the Exchange, and to be interested in, or take or otherwise acquire, hold, sell or otherwise dispose of shares, debentures, and other securities in or of any such company, or any other company, in connection with or in furtherance of all or any of the objects and purposes of the Exchange;}

Incidental Powers

- ⁶ (xvi) {to do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.}

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

⁴ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.11.68.

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 08.04.85 and approved by Govt. on 07.06.85.

⁶ Renumbered by Governing Board Resolution dated 08.04.85 and approved by Govt. on 07.06.85.

MEMBERSHIP AND NOMINATION**Membership a Personal Privilege**

5. The membership shall constitute a personal permission from the Exchange to exercise the rights and privileges attached thereto subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

Right of Membership Inalienable

6. A member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective as against the Exchange for any purpose nor shall any right or interest in any membership other than the personal right or interest of the member therein be recognised by the Exchange. The Governing Board shall expel any member of the Exchange who acts or attempts to act in violation of the provisions of this Rule.

Right of Nomination

7. Subject to the provisions of these Rules a member shall have the right of nomination which shall be personal and non-transferable.

**Right of Nomination Not to be Exercised
by Former Member**

8. The right of nomination shall not be exercised by a former member who has been expelled or who has ceased to be a member under any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange for the time being in force.

Right of Nomination of Deceased or Defaulter Member

9. On the death or default of a member his right of nomination shall cease and vest in the Exchange.

Forfeited or Lapsed Right of Membership

10. When a right of membership is forfeited to or vest in the Exchange under any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange for the time being in force it shall belong absolutely to the Exchange free of all rights, claims or interest of such member or any person claiming through such member and the Governing Board shall be entitled to deal with or dispose of such right of membership as it may think fit.

Nomination by Member

- ¹11. (a) A member of not less than three years' standing who desires to resign may nominate a person eligible under these Rules for admission to membership of the Exchange as a candidate for admission in his place;

Provided that a member of less than three years' standing who desires to resign may with the sanction of the Governing Board nominate his own son eligible under these Rules for admission to membership of the Exchange as a candidate for admission in his place;

Provided further that the Governing Board may, at its absolute discretion and in exceptional cases and for cogent reasons to be recorded in writing, permit by a special resolution, a member of less than three years' standing, who desires to resign, to nominate a person as a candidate for admission in his place, subject to such terms and conditions as the Governing Board may in its absolute discretion think fit to impose.

Provided further that a member of less than three years' standing, may resign and exercise his right of nomination in favour of a company with the sanction of the Governing Board on the following conditions namely:

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 24.02.97 and approved by SEBI on 21.03.97.

- (i) He shall be a director of such company for a period of such number of years as would have brought him three years standing had he not resigned from the membership;
- (ii) He shall hold not less than 51% of the paid up equity capital of the company for the period mentioned in sub clause (i); and
- (iii) The company is eligible for membership in accordance with Rule 19A.)

Nomination in Case of Deceased Member

- (b) The legal representatives of a deceased member or his heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules may with the sanction of the Governing Board nominate any person eligible under these Rules for admission to membership of the Exchange as a candidate for admission in the place of the deceased member. In considering such nomination the Governing Board shall be guided so as far practicable by the instructions set out in Appendix C to these Rules.

Nomination in case of Defaulter

- (c) The forfeited right of membership of a defaulter shall be restored to him if he be re-admitted as a member within six months from the date of default but if an application by a defaulter for re-admission be rejected by the Governing Board or if no such application be made within six months of the declaration of default the Governing Board may at any time exercise the right of nomination in respect of such membership.

Fresh Nomination

- 12. If a nominee be not eligible under these Rules or if a nominee be rejected by the Governing Board a fresh nomination may be submitted to the Exchange.

Form of Nomination

- 13. The nomination shall be in the form prescribed in Appendix B to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe and the form shall only be issued on receipt of a written application signed by the nominator and containing the full name of and signed by the nominee.

Notice of Nomination

- 14. A notice of the proposed nomination shall be posted on the notice board of the Exchange for not less than fifteen days. Within fourteen days of the posting of such notice members shall file their claims against the member by or in respect of whom the nomination has been made and any claim not so filed may not be considered by the Governing Board.

Dues and Claims

- 15. The Governing Board shall not approve a nomination unless the nominating member or in the case of a deceased member his legal representatives or heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules or any other person on his behalf shall have paid and satisfied in full -

Dues of the Exchange

- (i) such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other monies as shall have been determined by the Governing Board to be due to the Exchange or the Clearing House by the nominating or deceased member; and

Liabilities relating to Contracts

- (ii) such debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by such member subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as shall have been admitted by the Governing Board; ¹{and
- (iii) all amounts due or payable by the nominating or deceased member to the Trade Guarantee Fund. }

Allocation in Order of Priority

- ²16 (1) When as provided in these Rules the Governing Board has exercised the right of nomination in respect of a membership vesting in the Exchange the consideration received therefor shall be applied to the following purposes and in the following order of priority namely -

Dues of Exchange and Clearing House

- (i) first-the payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other monies as shall have been determined by the Governing Board to be due to the Exchange, to the Clearing House ³{or to the Trade Guarantee Fund } by the former member whose right of membership vests in the Exchange.

Liabilities relating to Contracts

- (ii) second-the payment of such debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by such former member subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as shall have been admitted by the Governing Board:

Provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata; and

Surplus

- (iii) third-the payment of the surplus if any to the funds of the Exchange: Provided that the Exchange in general meeting may at its absolute discretion direct that such surplus be disposed of or applied in such other manner as it may deem fit.

- ⁴16. (2) The provisions of clause (1) of this Rule shall not apply in cases where the Governing Board has exercised the right of nomination in respect of a membership which has vested in the Exchange upon a member having been declared a defaulter on or subsequent to such date as the Governing Board may specify in this behalf.

Application of Consideration

- ⁵16A. When the Governing Board has exercised the right of nomination in respect of a membership which has vested in the Exchange upon a member having been declared a defaulter on or subsequent to the date to be specified by the Governing Board as referred to in clause (2) of Rule 16, the consideration received therefor shall be paid by the Governing Board to the Defaulters' Committee to be applied for the purposes and in the order of priority specified in the Bye-laws and the Regulations of the Exchange.

¹ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

² Renumbered by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

³ Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

⁴ Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

⁵ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

ELECTION OF NEW MEMBERS**Conditions of Eligibility**

17. No person shall be eligible to be elected as a member if-

Age

- (i) he is less than twenty-one years of age;

Nationality

- (ii) he is not a citizen of India:

Provided that the Governing Board may in suitable cases relax this condition with the prior approval of the Central Government;

Educational Qualification

- ¹(iiA) { he has an educational qualification of less than either matriculation or the 10 plus 2 years' qualification of the 10 plus 2 plus 3 years' educational system or such other educational qualification as may be prescribed by the Governing Board from time to time;

Provided that the Governing Board may in exceptional cases, with the previous approval of the Central Government relax this condition;}

Bankruptcy

- (iii) he has been adjudged bankrupt or a receiving order in bankruptcy has been made against him or he has been proved to be insolvent even though he has obtained his final discharge;

Composition with Creditors

- (iv) he has compounded with his creditors unless he has paid sixteen annas in the Rupee;

Fraud

- (v) he has been convicted of an offence involving fraud or dishonesty;

**Connection with Other Association or
Company Dealing in Securities**

- ²(vi) {deleted}

Other Business

- ³(vii) { he is engaged as principal or employee in any business other than that of securities except as a broker or agent not involving any personal financial liability unless he undertakes on admission to sever his connection with such business; }

Connections with Other Forward Markets

- (viii) he is associated with or is a member of or a subscriber to or a shareholder or debentureholder in or is connected through a partner or employee of a member of or is a member or director of or debenture-holder in a company which is a member of or debentureholder in any other organisation, institution, association, company or corporation where forward business of any kind whether in goods or commodities or

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 21.10.91 and approved by Govt. on 06.11.91.

² Deleted by Governing Board Resolution dated 19.05.89 and approved by Govt. on 28.03.90.

³ Added by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58.

otherwise is carried on unless he undertakes on admission to sever such association or connection;

Expelled Member or Defaulter

- ¹(ix) { he has been at any time expelled or declared a defaulter by any other Stock Exchange; }

Previous Rejection

- ²(x) { he has been previously refused admission to membership unless a period of one year has elapsed since the date of such rejection. }

Qualification for Membership

18. No person eligible for admission as a member under these Rules shall be admitted as a member unless -

Past Experience

- (i) he worked for not less than two years as partner with or as an authorised clerk or remisier or apprentice to a member; or

Partner or Representative Member

- (ii) he agrees to work for a minimum period of two years as a partner or to work for such period as a representative member with another member and enter into bargains on the floor of the Exchange not in his own name but in the name of such other member; or

Established Family Business

- (iii) he succeeds to the established business of a deceased or retiring member who is his father, uncle, brother or any other person who is in the opinion of the Governing Board a close relative;

³ Work Experience

- (iv) he has, in the opinion of the Governing Board, not less than two years experience in connection with various activities relating to the securities market;}

Financial Soundness

- (v) he has a minimum net worth; possesses a minimum working capital of cash and/or marketable securities; and possess assets belonging to himself and/or spouse or children; of such nature and value as the Governing Board may from time to time in its opinion determine and consider acceptable; and
- ⁴(vi) { he qualifies in a written test conducted by the Exchange and in case of a corporate member, the directors referred to in sub-clause (v) of Rule 19A(b) qualify in a written test conducted by the Exchange, and in the case of a Financial Corporation the Chief Executive Officer and another director/officer both possessing experience as provided in sub-clause (v) of Rule 19A(b) qualify in a written test conducted by the Exchange. }

Provided that the Governing Board may waive compliance with any of the foregoing conditions if the person seeking admission is in respect of means, position, integrity, knowledge and

¹ Re-numbered by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58.

² Re-numbered by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 21.10.91 and approved by Govt. on 06.11.91.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 26.07.93 and approved by SEBI on 14.10.93.

experience of business in securities considered by the Governing Board to be otherwise qualified for membership.

¹ Firms Ineligible

- ²19. (a) A partnership firm as such shall not be eligible for membership of the Exchange;
- (b) ³ {deleted}

Companies

- ⁴ 19A. (a) A company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall be eligible to be elected as a member of the Exchange if -
- (i) such company is formed in compliance with the provisions of Section 322 of the said Act;
 - (ii) a majority of the directors of such company are shareholders of such company and also members of the Exchange; and
 - (iii) the directors of such company, who are members of the Exchange, have unlimited liability in such company;

Provided that where the Central Government makes a recommendation in this regard the Governing Board of the Exchange shall, in relaxation of the requirements of this clause admit as member the following corporations, companies or institutions (collectively referred to as "the financial corporation") namely -

- (i) the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Financial Corporation Act, 1948 (15 of 1948);
- (ii) the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964);
- (iii) the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);
- (iv) the General Insurance Corporation of India constituted under the General Insurance Corporation (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);
- (v) the Unit Trust of India, established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1953);
- (vi) the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (vii) the subsidiaries of any of the corporations or companies specified in (i) to (vi) and any subsidiary of the State Bank of India or any Nationalised Bank set up for providing merchant banking services, buying and selling securities and other similar activities.

- ⁵{19A.(b)} A company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall also be eligible to be elected as a member of a Stock exchange if -

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 21.12.92 and approved by SEBI on 27.02.93.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

³ Deleted by Governing Board Resolution dated 21.12.92 and approved by SEBI on 27.02.93.

⁴ Rule 19 (c) renumbered by Governing Board Resolution dated 21.12.92 and approved by SEBI on 27.2.93

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 21.12.92 and approved by SEBI on 27.02.93.

- (i) such company is formed in compliance with the provisions of Section 12 of the said Act;
- (ii) such company undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be specified by the Securities and Exchange Board of India for the registration of such company under sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (iii) ¹{ Deleted }
- (iv) the directors of the company are not disqualified for being members of a stock exchange under clause (1) [except ²{ sub-clause (b) and } sub-clause (f)] or clause (3) [except ³{ sub-clause (a) and } sub-clause (f)] of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, and the Directors of the company had not held the office of the Directors in any company which had been a member of the stock exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange; and
- (v) not less than two directors of the company are persons who possess a minimum two years' experience:
 - (a) in dealing in securities; or
 - (b) as portfolio managers; or
 - (c) as investment consultants. }

Composite Corporate Member and Component Members

- ⁴19B. (i) When a company formed and nominated by more than one member of the Exchange is admitted as a corporate member of the Exchange in place of such members or a corporate member of the Exchange acquires ⁵{more than one membership right by nomination or in any other manner in accordance with and subject to} the fulfillment of all other applicable Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange including provisions relating to admission of new members, such a corporate member will be known as a Composite Corporate Member and the membership rights held by the Composite Corporate Member will be known as Component Memberships.
- (ii) A Composite Corporate Member shall fulfill all eligibility criteria for admission to membership and for contribution of membership as is applicable to corporate members of the Exchange and also such other criteria as the Exchange or Securities and Exchange Board of India may prescribe from time to time.
 - (iii) A Composite Corporate Member shall not hold more than such number of membership rights as decided by the Governing Board from time to time;
 - (iv) The Composite Corporate Member shall pay the entrance fee, admission fee, annual subscription and fees payable to SEBI and furnish membership security in respect of each component membership.
 - (v) The Composite Corporate Member shall pay the base minimum capital in respect of each Component Membership, in accordance with and subject to the other provisions of these Rules, Bye-laws and Regulations and such conditions as the Governing Board may from time to time stipulate.

¹ Deleted by Governing Board Resolution dated 12.06.95 and approved by SEBI on 30.10.95.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 08.05.95 and approved by SEBI on 30.10.95.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 08.05.95 and approved by SEBI on 30.10.95.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 10.06.97 and approved by SEBI on 24.11.97.

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 08.07.99 and approved by SEBI on 18.09.2000.

- (vi) The networth of the Composite Corporate Member shall be computed in the manner prescribed by the Securities and Exchange Board of India and the Governing Board of the Exchange and no value shall be assigned to the Component Memberships for computing the networth of the Composite Corporate Member..
- (vii) The Composite Corporate Member shall have only one trading right and only one representative member on the Governing Board or any Standing Committee of the Exchange for all the Component Memberships of the Composite Corporate Member in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
- (viii) A Composite Corporate Member shall be entitled to have as many voting rights as the number of Component Memberships of the Composite Corporate Member at the meeting of the members of the Exchange.
- (ix) ¹{A Composite Corporate Member may resign from the membership right associated with any of its Component Memberships only after a period of:
 - (a) three years from the date of the acquisition of that Component Membership by the Composite Corporate Member; or
 - (b) six months from the date of the acquisition of that Component Membership by the Composite Corporate Member if atleast three years have elapsed after the date of acquisition of any other Component Membership then held by the Composite Corporate Member.

All the liabilities, if any, relating to the Component Membership in respect of which the Composite Corporate Member has resigned will continue to be borne by Composite Corporate Member.}

- (x) If a Composite Corporate Member desires to resign from its Component Membership/s, the Composite Corporate Member may, in accordance with and subject to the other provisions of Rules, Bye-laws and Regulations and such conditions as the Governing Board may from time to time stipulate, nominate a person/s eligible under these Rules as a candidate for admission to the membership/s of the Exchange from which the Composite Corporate Member is resigning; and the Composite Corporate Member may continue in respect of the remaining Component Membership/s, if any.
- (xi) The Composite Corporate Member shall maintain only one set of accounts books for all the Component Memberships.
- (xii) Any action by the Securities and Exchange Board of India, Exchange or any committee or official of the Exchange against the Composite Corporate Member whether by way of censure, warning, fine, suspension, expulsion, default or withdrawal, suspension or limitation of membership rights or otherwise shall operate against all the Component Memberships of the Composite Corporate Member.

Clarification : Without prejudice to the generality of clause (xii) of this Rule, it is clarified that on declaration of default or expulsion of a Composite Corporate Member for any reason whatsoever, the Composite Corporate Member shall cease to be a member of the Exchange in respect of all its Component Memberships, and all the Component Memberships and the rights of nomination in respect of all such memberships shall vest in the Exchange or the Governing Board in accordance with the provisions of these Rules, Bye-laws and Regulations.

- (xiii) If a Composite Corporate Member is disentitled to or disqualified from continuing as a member of the Exchange for any reason, the Composite Corporate Member shall cease to be a member of the Exchange in respect of all the Component Memberships, and all the Component Memberships and the rights of nomination in respect of all such

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 15.02.2001 and approved by SEBI on 20.06.2001.

memberships shall cease and vest in the Exchange or the Governing Board in accordance with the provisions of these Rules, Bye-laws and Regulations.

- (xiv) Where a member of the Exchange is entitled to any right or privilege or is liable to pay any amount to the Exchange or discharge any liability or obligation to the Exchange, and these Rules, Bye-laws and Regulations do not stipulate whether a Composite Corporate Member is entitled to such right or privilege or is liable to pay such amount or discharge such liability or obligation in proportion to the Component Memberships or whether, notwithstanding the Component Memberships, the Composite Corporate Member is entitled or liable only to the same extent as a member who is not a Composite Corporate Member, the Governing Board may by resolution stipulate in this regard.

Nomination

20. A candidate for admission except a candidate applying for a membership vesting in the Exchange must obtain a nomination in the manner provided in these Rules.

Candidates to be Recommended

21. A candidate for admission must be recommended by two members none of whom should be a Member of the Governing Board. The recommenders must have such personal knowledge of the candidate and of his past and present circumstances as shall satisfy the Governing Board.

Form of Application

22. An application for admission shall be in the form prescribed in Appendix A to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe and shall be signed by the candidate and his recommenders.

- ¹ 22A. An application for admission by a company or a financial corporation eligible ² { under sub-clause (a) of Rule 19A, } shall be in the form prescribed in Appendix A-I to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe and shall be signed, in the case of the company, by at least two directors, one of whom shall be the Managing Director or the Executive Director where such financial corporation has a Managing Director or an Executive Director, as the case may be. The application shall be accompanied by a copy of the resolution passed by the Board of Directors of the company/financial corporation and duly certified as true by the Chairman, if any, or by a whole time director of the company or the financial corporation.

- ³ 22B. { An application for admission by a company or a financial corporation eligible under sub-clause (b) of Rule 19A, shall be in the form prescribed in Appendix A-II to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe and shall be signed, in the case of a company, by at least two directors of such company (such directors to be shareholders of the company) and in case of a financial corporation, by at least two directors, one of who shall be the Managing Director or the Executive Director, where such financial corporation has a Managing Director or an Executive Director, as the case may be. The application shall be accompanied by a copy of the resolution passed by the Board of Directors of the company/financial corporation and duly certified as true by the Chairman, if any, or by a whole-time Director of the company or financial corporation. }

¹ Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 26.07.93 and approved by SEBI on 14.10.93

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 26.07.93 and approved by SEBI on 14.10.93.

Notice

23. A notice of each application for admission with the names of the recommenders shall be posted on the notice board of the Exchange for not less than fifteen days previous to the date of election.

¹{ Provided that such notice of nomination shall not be necessary in case of a Corporate Member or Composite Corporate Member applying for a membership right directly either from auction of Membership or when fresh membership is issued by the Exchange. }

Objection

24. A member intending to object to the admission of a candidate shall communicate the grounds of his objection to the Governing Board by letter within fourteen days of the posting of the notice of the application for admission. Any such communication shall be deemed privileged and confidential.

Member's Duty to Report

25. It shall be deemed to be incumbent on any member who may know or who shall have received credible information of any fact or circumstance relating to such candidate or relating to his conduct or character which may render such candidate disqualified or unfit to be a member to report to the Governing Board accordingly. Any such report shall be deemed privileged and confidential.

Interview

- ² 25A. {No candidate for admission shall be eligible for election unless he or in the case of a Corporate Member, the directors referred to in sub-clause (v) of Rule 19A(b) or in the case of a Financial Corporation, the Chief Executive Officer and another director/officer both possessing experience as provided in sub-clause (v) of Rule 19A(b)

- (i) is interviewed by such committee or committees as may be constituted by the Governing Board and such committee(s) is/are adequately satisfied of his knowledge, integrity and ability to provide quality service; and
- (ii) in the opinion of the Governing Board adequately fulfills, inter alia, the requirements contained in clause (iiA) of Rule 17, clauses (iv) and (v) of Rule 18 and clause (i) herein above. }

Consideration of Application

26. After the expiry of the period prescribed for communicating objections to an application for admission the application together with all objections and reports relating to such application which may have been received ³{and the report(s) by the committee(s) of the interview } shall be placed before the Governing Board.

Inquiry

27. A candidate for admission and his recommenders shall if required by the Governing Board appear personally before any meeting of the Governing Board and shall answer all questions which may be put to them.

Election by Ballot

28. The election of all new members (whether they shall have been nominated or not) shall be by ballot and a candidate shall be deemed duly elected if approved by a majority of not less than

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 20.01.2000 and approved by SEBI on 01.06.2000.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 21.10.91 and approved by Govt. on 06.11.91.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 21.10.91 and approved by Govt. on 06.11.91.

two-third of the votes cast at a meeting of the Governing Board at which not less than one-half of the total number of the Members of the Governing Board are present in addition to the Government Nominees (if any) attending the meeting.

Rejection of Candidate

29. The Governing Board may in its absolute discretion reject any application for admission (whether the candidate shall have been nominated or not) without assigning any reason.

Admission Under Misrepresentation

30. The Governing Board may expel a member if in its opinion he has in or-at the time of his application for admission to membership or during the course of the inquiry made by the Governing Board preceding his admission -

- (i) made any willful misrepresentation; or
- (ii) suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or
- (iii) has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.

- ¹30A (a) The Governing Board may expel a member which is a company if it is satisfied that-

- (i) at the time of the making of the application for admission, the company was not eligible for admission under the provisions of sub-clause (c) of Rule 19 and admission had been secured by willful misrepresentation; or
- (ii) at any time after admission, the company has ceased to maintain or have the characteristics of eligibility under the provisions of sub-clause (c) of Rule 19; or
- (iii) the company contravenes or commits a breach of any of the provisions of these Rules.

- (b) Expulsion of a member being a company as aforesaid under sub-clause (i) of clause (a) above, shall also operate as expulsion of each Director of such company who is a member of the Exchange. }

Intimation of Election

31. When a new member is elected intimation of his election shall be sent to him in the form prescribed in Appendix D to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe.

Entrance Fee

32. A newly elected member shall immediately on receipt of intimation of his election pay such entrance fee as may be determined from time to time by the Exchange in general meeting which fee shall become the property of the Exchange.

Provided that no entrance fee shall be payable by a member who has been nominated as a candidate for admission under these Rules

Admission Fee

33. A newly elected member (whether he shall have been nominated for admission or not) shall on election pay such admission fee as the Exchange in general meeting may from time to time determine.

¹ Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

Payment of Admission and Entrance Fees and Annual Subscription

34. A new member on election shall not be entitled to exercise any of the rights or privileges of membership until he shall have paid the admission fee and entrance fee if any and the annual subscription for the year of his election. Should such member fail to make such payment within one month of the receipt of the intimation of his election his election shall be deemed null and void and he shall be deemed never to have been elected a member.

Certificate of Admission to Membership

35. (a) On due payment of the admission fee and entrance fee if any and of the annual subscription a certificate of admission to membership shall be sent to the new member in the form prescribed in Appendix E to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe together with an intimation of the date from which he shall enjoy the rights and privileges and be subject to all the duties, liabilities and obligations of a member of the Exchange.

Notice of Admission

- (b) When a member is admitted as provided in sub-clause (a) a notice of such admission shall be posted on the notice board of the Exchange.

- ¹35A. The provisions of Rules 20, 21, 23 to 28 shall not apply to a member which is a company ²{ formed under Rule 19A(a) } and the provisions of Rules 20, 21, 23 to 29 shall not apply to a member which is a financial corporation.

³Limited Trading Membership

- 35B. (1) The Exchange may elect and admit one or more persons as Limited Trading Members of the Exchange ("Limited Trading Member") in accordance with guidelines prescribed by the Governing Board from time to time.
- (2) Subject to the provisions of Sub-rule (3), and the scheme of Corporatisation and Demutualisation of the Exchange as approved by SEBI, a Limited Trading Member shall be a member of the Exchange in all respects and for all purposes and shall have all the rights, privileges, obligations and liabilities of a member of the Exchange, and shall have the right to carry on business as an intermediary in the ³Equity Market Segment and/or the Debt Market Segment of the Exchange as prescribed by the Governing Board from time to time. All the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall apply mutatis mutandis to a Limited Trading Member as they apply to any other member of the Exchange. Provided however that where the Governing Board permits a Limited Trading Member to carry on business in Equity Market Segment and/or the Debt Market Segment of the Exchange as set out hereinabove, the Governing Board shall, from time to time, prescribe detailed guidelines, terms and conditions including but not limited to guidelines, terms and conditions relating to the nature and amount of deposit to be kept with the Exchange, capital adequacy norms, margin requirements etc., for each such market/segment or combination thereof. Provided further that deposit kept by a Limited Trading Member for acquiring the Limited Trading Membership as set out hereinabove shall remain with the Exchange during the tenure of such membership.
- (3) Notwithstanding anything stated above or elsewhere in these Rules, Bye-laws or Regulations, -

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 21.10.91 and approved by Govt. on 06.11.91.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 23.05.94 and approved by SEBI on 22.07.94.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 23.05.03 & 20.03.04 and approved by SEBI on 29.01.04 & 18.05.04.

- (i) A Limited Trading Member, the legal representatives of a deceased Limited Trading Member, his heirs, the persons mentioned in Appendix C to these Rules or the Governing Board shall have a right of nomination in respect of a Limited Trading Membership or a former or lapsed Limited Trading Membership;
- (ii) A Limited Trading Member or a partner or representative of a Limited Trading Member shall not, as such Limited Trading Member or partner or representative, be entitled to be a member of the Exchange's Governing Board or of any other Board, Council or Committee of the Exchange or any Segment of the Exchange and shall not, as such Limited Trading Member or partner or representative, be entitled to hold any office or post in the Exchange or any Segment of the Exchange; and
- (iii) A Limited Trading Member shall not, as a Limited Trading Member, be entitled to voting rights on any matter save and except on resolution to be passed by the members of the Exchange for amending the Rules or Bye-laws of the Exchange which would prejudicially affect the rights of Limited Trading Members;

Provided always that the provisions of sub-clause (iii) above shall not entitle a Limited Trading Member to initiate or move any resolution but to merely vote on a resolution of the nature described herein.

and the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall be construed accordingly

- (4) If a member holds one or more memberships of the Exchange which are not Limited Trading Memberships and holds one or more Limited Trading Memberships then such Limited Membership(s) shall not limit or prejudice such member's rights in respect of the first mentioned membership(s).
- (5) The Exchange may from time to time modify the form prescribed in the Appendices hereto in relation to their applicability to Limited Trading Members or applicants for Limited Trading Membership or may prescribe other forms for Limited Trading Members or applicants for Limited Trading Membership.
- (6) The register of members maintained by the Exchange pursuant to Rule 64 shall also indicate, in respect of each Limited Trading Member, that such member is a Limited Trading Member.

MEMBERSHIP SECURITY Provisions as to Security

36. A new member shall on admission provide security for the sum of Rs.50,000 or such enhanced amount as may be decided by Governing Board of the Exchange from time to time with the prior approval of the Central Government and shall maintain such security with the Exchange at all times he is carrying on business on the Exchange except when working as a representative member:

Provided, however, that if a member's son or son's son or brother or brother's son be admitted to membership, he shall not be required to provide such security during the period he continues to be a partner with such member.

Provided, further, the Governing Board may, in its discretion, but after getting the permission of the Central Government, increase the amount by such sum as it deems fit in the case of any particular applicant for membership.

- ¹36A. A new member being a company or a financial corporation eligible ¹ { under sub-clause (c) of Rule 19A } shall not be required to provide for membership security.

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

Form of Security

37. The security to be furnished by a member shall be provided either by a deposit of cash or it may be provided in the form of a Deposit Receipt of a Bank approved by the Governing Board or in Securities approved by the Governing Board subject to such terms and conditions as the Governing Board may from time to time impose. Deposits of cash shall not carry interest and the securities deposited by a member valued at the market price of the day shall exceed the sum for the time being secured thereby by such percentage as the Governing Board may from time to time prescribe.

Security How Held

38. Deposits of cash shall be lodged in a Bank approved by the Governing Board and Bank Deposit Receipts and securities shall be transferred to and held either in the names of the Trustees of the Exchange or in the name of a Bank approved by the Governing Board and lodged with a Bank approved by the Governing Board. Such deposit shall be entirely at the risk of the member providing the security but it shall be held by the Bank solely for and on account of the Exchange at the absolute discretion of the Exchange without any right whatever on the part of such member or those in his right to call in question, the exercise of such discretion.

Value of Security to be Maintained

39. The member providing security in the form of securities shall always maintain the value thereof at not less than the sum of ² {Rs.2,00,000} by providing further security to the satisfaction of the Governing Board which shall always determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be from time to time made up.

Suspension on Failure to Maintain Security

40. When so required under the provisions of these Rules a member shall provide further security within three days of a notice to that effect being sent to his registered address or if he has no registered address within three days of such notice being posted on the notice board of the Exchange. A member failing therein shall be required by the Governing Board or the President to suspend his business forthwith. A notice of such suspension shall be immediately posted on the notice board of the Exchange and the suspension shall continue until the further security is provided.

Change of Security

41. A member may withdraw any security provided by him if he first provides in lieu thereof other security of sufficient value to the satisfaction of the Governing Board.

Conditions of Other Security

42. All further and other security provided by a member shall be subject to the same conditions as the security originally provided.

Lien on Security

43. The security provided by a member shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange or to the Clearing House by him or by the partnership of which he may be a member and for the due fulfillment of his engagements, obligations and liabilities or of the partnership of which he may be a member arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

¹ Submitted by Governing Board Resolution dated 23.05.94 and approved by SEBI on 22.07.94.

² Amended by Governing Board Resolution dated 22.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

Return of Security

44. On the termination of his membership or on his ceasing to carry on business on the Exchange or on his working as a representative member or on his death all security not applied under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall at the cost of the member be repaid and transferred either to him or as he shall direct or in the absence of such direction to his legal representatives.

Replacement of Security

45. A member who has withdrawn his security on his ceasing to carry on business on the Exchange or on his working as a representative member shall replace such security before commencing business on the Exchange at any time thereafter.

Letter of Declaration

46. A member providing security under the provisions of these Rules shall sign a Letter of Declaration in the form prescribed in Appendix F to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe.

TERMINATION OF MEMBERSHIP**Discontinuance of Membership**

47. (a) No member shall continue as such if -

Ceases to be Citizen of India

- (i) he ceases to be a citizen of India:

Provided that nothing herein shall affect those who are not citizens of India if they were admitted as members prior to the date¹ of application to the Central Government for recognition of the Exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or if they are hereafter admitted as members with the prior approval of the Central Government in conformity with the requirements prescribed in these Rules;

Adjudged Bankrupt

- (ii) he is adjudged bankrupt or a receiving order in bankruptcy is made against him or he is proved to be insolvent;

Convicted of Fraud

- (iii) he is convicted of an offence involving fraud or dishonesty;

- ²(iv) deleted.

- ³(v) deleted.

Engaged in Other Business

- (vi) he engages either as principal or employee in any business other than that of securities except as a broker or agent not involving any personal financial liability:

Provided that the Governing Board may for reasons to be recorded in writing permit a member to engage himself as principal or employee in any such business if such member ceases to carry on business on the Exchange either as an individual or as a partner in a firm:

Provided further that the members who were under the Rules in force prior to the date⁴ of application to the Central Government for recognition of the Exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 permitted to engage in any such business and were actually so engaged on the date of such application may continue to be so engaged for a period of three years from the date of the grant of such recognition.

⁵ Connected with other Forward Markets

- (vii) he becomes associated with or a member of or subscriber to or a shareholder or debentureholder in or connected through a partner or employee with or an agent or authorised representative or employee of a member of or a member or director of or debentureholder in a company which is a member of or debentureholder in

¹ 9th April, 1957

² Deleted by Governing Board Resolution dated 19.05.89 and approved by Govt. on 28.03.90.

³ Deleted by Governing Board Resolution dated 19.05.89 and approved by Govt. on 28.03.90.

⁴ 9th April, 1957

⁵ Added by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58.

other organisation, institution, association, company or corporation where forward business of any kind whether in goods or commodities or otherwise is carried on:

Provided that the members who were admitted prior to the 1st of March 1926 and who were actually so associated or connected on the date¹ of application to the Central Government for recognition of the Exchange under the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 may continue to be so associated or connected for a period of three years from the date of the grant of such recognition.

- ²(vii-a) being a company, it ceases to maintain or have the characteristics of eligibility under the provisions of sub-clause (c) of ³{ Rule 19A } hereof;
- ⁴(vii-b) being a director of the company referred to in the third proviso to Rule 11(a) ceases to maintain or ceases to have the characteristics of eligibility under the provisions of the third proviso to Rule 11(a) and under Rule 19A hereof.
- ⁵(vii-c) he ceases to have or possess the minimum net worth; the minimum working capital and the assets as may be determined by the Governing Board under clause (v) of Rule 18.

Expulsion Rules to Apply

- (b) When a member ceases to be such under provisions of sub-clause (a) it shall be as if such member has been expelled by the Governing Board and in that event the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such member in all respects.

Notice of Resignation

48. (a) A member wishing to resign from the membership of the Exchange shall serve on the Exchange a written notice to that effect which shall be posted on the notice board of the Exchange:

⁶ { Provided that in case of a member which is a company or a financial corporation, such notice shall be accompanied by a copy of the resolution passed at a meeting of the Board of Directors of such company or financial corporation containing the decision to resign and such copy shall be certified as true by the Chairman, if any or by a whole-time Director of the company or financial corporation. }

Objection

- (b) A member objecting to any resignation that has been notified shall communicate the grounds of his objection to the Governing Board by letter within fourteen days of the posting of such notice.

Acceptance or Refusal of Resignation

- (c) The Governing Board may accept the resignation of a member either unconditionally or on such conditions as it may think fit or may refuse to accept such resignation and in particular may refuse to accept such resignation until it is satisfied that all outstanding transactions with such member have been settled.

¹ 9th April, 1957

² Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.05.94 and approved by SEBI on 22.07.94.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 23.05.94 and approved by SEBI on 22.07.94.

⁵ Re-numbered by Governing Board Resolution dated 23.05.94 and approved by SEBI on 22.07.94.

⁶ Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

Intimation of Death of Member

49. On the death of a member his legal representatives or heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules or his employees or any member receiving information of the death shall immediately communicate this information in writing to the Exchange.

Claims Against Deceased Member

50. When a member dies all subscriptions, debts, fines, fees, charges and other monies as shall have been determined by the Governing Board to be due by him to the Exchange or to the Clearing House, ¹ { all amounts as shall have been determined by the Defaulters' Committee to be due or payable by him to the Trade Guarantee Fund } and all debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by him subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as shall have been admitted by the Governing Board shall be paid and satisfied in full before his legal representatives or heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules are allowed to exercise the right of nomination.
- ² 50A. The provisions of Rule 50 shall apply, mutatis mutandis, to a member being a company or a financial corporation which goes into liquidation or is dissolved.

Payment of Deceased Member's Obligations

51. If the legal representatives of a deceased member or his heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules or any other person on his behalf do not or are unable to pay and satisfy his dues, debts, liabilities, obligations and claims as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange the Governing Board shall exercise the right of nomination in respect of such membership and the consideration received therefor shall be applied in the manner provided in these Rules, ³ {Bye-laws and Regulations. }

Continuance of Deceased Member's Business

52. If on the death of a member his legal representatives or heirs or the persons mentioned in Appendix C to these Rules desire that his business should be continued for some time for the benefit of the deceased's family by any specified person who is eligible for membership and intimate their desire by a letter to the Exchange the Governing Board or the President may in its or his discretion permit such business to be carried on by such person on behalf of the legal representatives or heirs or the persons mentioned in Appendix C for such period not exceeding six months, as may be deemed proper.

¹ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

² Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

³ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

DEFAULT AND READMISSION TO MEMBERSHIP**Default**

53. A member who is declared a defaulter shall at once cease to be a member of the Exchange and as such cease to enjoy any of the rights and privileges of membership but the rights of his creditor members against him shall remain unimpaired.

Lapse of Membership Right

54. A member's right of membership shall lapse to and vest in the Exchange immediately he is declared a defaulter.

Nomination for Defaulter when Necessary

55. A defaulter shall not be required to obtain a nomination before his readmission. But a defaulter in whose case the Governing Board has exercised the right of nomination shall not be readmitted unless he secures a nomination on or before readmission.

Notice to be Posted

56. A notice of every application by a defaulter for readmission shall be posted on the notice board of the Exchange for at least fifteen days previous to his readmission.

Objections to Readmission

57. Any member or any other creditor intending to object to the readmission of the defaulter shall communicate the grounds of his objection to the Governing Board by a letter within fourteen days of the date of the posting of the notice of the application for readmission. All such objections shall be deemed privileged and confidential.

Readmission of Defaulters

58. (a) Upon an application for re-admission by a defaulter the Defaulters' Committee shall investigate his conduct and accounts and no further proceedings shall be taken by the Governing Board with regard to his readmission until the report of the Defaulters' Committee shall have been submitted together with a statement as to the defaulter's estate signed by himself.

Investigation

- (b) The attention of the Defaulters' Committee shall be directed -

- (i) to ascertain the total amount of the defaulter's business assets and balances at his bankers during the previous three months and the highest volume of purchases and sales separately on any day during the same period and the proportion of the total purchases and sales on his own account and on account of his constituents during that period;
- (ii) to ascertain the total amount paid to his estate specifying the sums collected on the Exchange and those received from constituents and those from the defaulter himself;
- (iii) to ascertain the conduct of the defaulter preceding and subsequent to his failure and to report on any matter prejudicial or otherwise to the defaulter's application which has transpired at any meeting of creditors or has officially come to its knowledge elsewhere.

**Surrender of Names of Constituents and
Books a Condition of Eligibility**

59. A defaulter shall not be eligible for readmission if he fails to give up the names of any constituents indebted to him or if he fails to deliver to the Defaulters' Committee as soon as he is so required to do his original books and accounts and all other papers, vouchers, documents and records and any information, explanations and statements he is called upon to submit.

¹ { **Full Payment a Condition of Eligibility**

60. (1) A defaulter shall not be eligible for re-admission unless, within such time as may be specified by the Governing Board, he has made full payment of all amounts payable by him to the Exchange, to the Clearing House, or to the Trade Guarantee Fund and also of all amounts payable by him to Securities and Exchange Board of India and all other creditors (whether they be members of the Exchange or not) in connection with contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange; Provided that where a claim of a creditor (other than the Exchange, the Clearing House or the Trade Guarantee Fund) is the subject matter of an arbitration proceeding under the Rules, Bye-laws and Regulations which is pending, the Governing Board may in its discretion consider the defaulter to be eligible for re-admission if he deposits with the Exchange a sum equal to the amount of such disputed claim. The sum so deposited shall be paid to the claimant to the extent to which the arbitration award is in favour of the claimant and the balance shall be refunded to the defaulter.
- (2) Upon an application of the defaulter in this behalf, the Governing Board may from time to time in its discretion and subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose, extend the time specified by it for payment of any amounts payable by the defaulter upon being satisfied that there is sufficient cause to do so. Provided that, save and except for exceptional reason which shall be recorded by the Governing Board in writing, the Governing Board shall not be entitled to extend time beyond one year from the date of declaration of default. }

Defaulter when not to be Readmitted

61. A defaulter shall not be readmitted if his default has been contributed to by reckless dealings on his own account or if his conduct has been marked by indiscretion and by the absence of reasonable caution.

Who may be Readmitted

62. (a) The Governing Board may subject to the conditions prescribed in sub - clause (b) and such other conditions as it deems fit to impose readmit only such defaulter who in its opinion -
- (i) has defaulted owing to the default of principals whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;
 - (ii) has not been guilty of bad faith or breach of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;
 - (iii) has kept his business within a reasonable proportion of his means or resources; and
 - (iv) has been irreproachable in his general conduct.

Conditions of Readmission

- (b) The readmission of a defaulter shall be on condition that he shall not carry on business on the Exchange for a period of atleast two years from the date of his readmission or for

¹ Replace by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

such longer periods as the Governing Board determines in each case and that before commencing business he shall provide security for the sum of ¹{ Rs.50,000 } and shall maintain such security (or the amount deemed fit to be in his case by the Governing Board) with the Exchange at all times he is carrying on business on the Exchange except when working as a representative member.

Provisions as to Security

- (c) The provisions in these Rules relating to security provided by a member on admission shall apply in all respects to security provided by a defaulter subsequent to his readmission to membership as prescribed in sub-clause(b)

Readmitted Defaulter Ineligible for Appointment as Office Bearer

63. A member who has been declared a defaulter at any time shall not be eligible to be elected a Trustee, a Member of the Governing Board or of any standing or other committee or as an office bearer of the Exchange.

- ² 63A. The provisions of Rules 53 to 63 shall apply mutatis mutandis, to a member being a company or financial corporation:

Provided that re-admission of a defaulter which is a company or a financial corporation shall be subject to such conditions which the Governing Board may in its absolute discretion impose and communicate to the defaulter;

Provided further that default by a member being a company shall also be deemed to be the default of all its Directors who are members of the Exchange and the provisions of these Rules to a defaulter members shall apply to such Director.

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 21.04.81 and approved by Govt. on 06.07.81.

² Added by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

MEMBERSHIP REGISTER, NOTICES AND DUES**Register of Members**

64. A register of members shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names and addresses of members and the dates of their admission and termination of membership by resignation, death, default, expulsion or otherwise.

List of Members

65. A list of the members of the Exchange shall be published from time to time.

Member's Address

66. (a) Every member shall register with the Exchange an address and subsequent changes thereof at which all communications addressed to him shall be delivered. ¹{ } Any member not complying with this provision shall be debarred from claiming the protection of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

Communications to Members

- (b) If a member has not registered his address as provided in sub-clause (a) to which a communication addressed to him may be delivered or refuses to take delivery of such communication such communication shall be posted on the notice board of the Exchange and thereupon it shall be deemed to have been received by him.

General Notice

67. A notice to the general body of the members of the Exchange may be published by posting such notice bearing the date of posting on the notice board of the Exchange and every member shall be deemed to be affected by such notice immediately after it has been posted.

Annual subscriptions, Fees and Charges

- ²68. Every member shall pay at such time or times and in such manner as the Governing Board shall direct such admission and entrance fees if any and annual subscriptions as may be from time to time determined by the Exchange in general meeting and such other fees and charges as may be from time to time determined by the Governing Board.

Liabilities of Past Members

69. A member who shall for any reason cease to be a member of the Exchange shall nevertheless remain liable for and shall pay to the Exchange all monies which at the time of his ceasing to be a member shall have been due by him to the Exchange, to the Clearing House ³{ or to the Trade Guarantee Fund. }

Failure to Pay Subscription and Other Fees

70. Save as otherwise provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange if a member fails to pay his annual subscription, fees, charges or other monies which may be due by him to the Exchange, to the Clearing House ⁴{ or to the Trade Guarantee Fund } within two months after notice in writing has been served upon him by the Exchange he may be suspended by the Governing Board until he makes payment and if within a further period of six months he fails to make such payment he may be expelled by the Governing Board.

¹ Deleted by Governing Board Resolution dated 16.01.2002 and approved by SEBI on 06.03.2002.

² Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

³ Amended by SEBU on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

⁴ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board Resolution dated 10.05.97.

MEETINGS OF MEMBERS**Annual General Meeting**

71. (a) In the month of March in each year or as soon thereafter as may be practicable the Governing Board or the President may convene a meeting of the members of the Exchange to be called the Annual General Meeting of the Exchange.

Business at Annual General Meeting

- (b) No business shall be brought forward or transacted at the Annual General Meeting except the following -

Balance Sheet and Auditor's Report

- (i) Consideration of the preceding year's statement of income and expenditure and balance sheet together with the auditor's report thereon;

Appointment of Auditor

- (ii) appointment of an auditor; and

Other Business

- (iii) such other business as shall have been specified in the notice convening the meeting.

Extraordinary General meeting

72. All meetings of the Exchange other than Annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meeting.

Extraordinary General Meetings How Convened

73. (a) The Governing Board or the President may at any time and in case the Governing Board is not functioning ¹ { the Chairman or } the Secretary on the written requisition of five or more members shall convene an Extraordinary General Meeting of the Exchange.

Requisition for Extraordinary General Meeting

- (b) The Governing Board or the President shall on the requisition of not less than fifty-one members convene an extraordinary general meeting within fifteen days of the receipt of such requisition failing which any five of the requisitionists may convene such meeting within the next fifteen days. The requisition shall state the objects of such meeting to which the discussion shall be strictly confined.

Sanction of General Meeting where Obligatory

74. The Exchange in general meeting may from time to time decide, ² { determine, authorise and sanction } the following which matters shall be deemed to lie within its sole and exclusive jurisdiction and outside the purview of the Governing Board namely -

Trustees

- (i) appointment and removal of Trustees;

Number of Members

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

- (ii) the maximum number of members of the Exchange;
- (iii)

Entrance, Admission and Annual Fees

- (iii) the amount of the entrance fee, admission fee and annual subscription payable by members;

Dealing with Immovable Property

- (iv) Acquisition, purchase, lease, sale, exchange, mortgage or other disposal absolute or conditional of the whole or part of any immovable property of the Exchange;

Dealing with Funds

- (v) payment, disbursement, disposal of or dealing with any funds or property of the Exchange for contributions or payment towards a charitable purpose or for expenses other than the expenses necessary for carrying on the ¹ {administration, functions, working and affairs} of the Exchange: provided a resolution for this purpose has been adopted at a general meeting called for the purpose at which a quorum of not less than one hundred members is present and ² { provided further that no payment or disbursement shall be made directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit to the members of the Exchange or to any one or more of them or to any persons claiming through any one or more of them; }

Borrowing

- (vi) ³ { borrowing or raising, subject to the provisions of Rule 4(vi), of any monies } required for the purposes of the Exchange upon such terms and in such manner and with or without security as may be determined: provided however that the Governing Board shall have the right to borrow money against and pledge all or any part of the securities not paid for and held by the Clearing House for the account of a defaulting member upto an amount not exceeding the value of such securities at the ruling market price for the purpose of making payment to members in respect of such securities.

Extraordinary General Meeting may Make Rules and Bye-laws

75. (a) The Exchange in Extraordinary General Meeting may without derogating from the powers of the Governing Board in that behalf and subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 from time to time make, add to, vary or rescind any Rule or Rules or Bye-law or Bye-laws to carry out the objects of the Exchange.

Resolution How Passed

- (b) No resolution for the purpose of sub-clause (a) shall be deemed to have been passed or be of any effect whatever unless it shall have been approved and adopted by a majority of three-fourths of the members present at a general meeting called for the purpose at which a quorum of not less than eighty members is present.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

**Extraordinary General Meeting Not to Alter
Governing Board Resolution**

76. It shall not be competent to the Exchange in general meeting to add, to alter, vary or rescind any resolution passed by the Governing Board under the powers or authority conferred upon it by the provisions of any Rule or Bye-law of the Exchange for the time being in force.

Notice of Meetings

77. All meetings of the Exchange shall be convened by a notice posted on the notice board of the Exchange at least three days before the date appointed for the meeting.

Who may be Present at Meetings

78. Members ¹ { and the Chairman } and the legal advisers and officers of the Exchange shall be entitled and any other person may with the permission of the President be allowed to be present at a general meeting of the Exchange. A member before taking his seat shall sign his name in the book provided for the purpose.

Quorum

79. The quorum for a general meeting of the Exchange shall be not less than twenty-five members present unless it is otherwise provided in any Rule or Bye-law of the Exchange for the time being in force. If a fraction appears when determining a quorum under any Rule or Bye-law of the Exchange it shall be omitted. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum be present for the transaction of such business.

No Quorum - Adjournment of Meeting

80. If within thirty minutes from the time appointed for the meeting the quorum required by any Rule or Bye-law of the Exchange for the time being in force be not present the meeting if convened upon a requisition of members shall be dissolved and in any other case it shall stand adjourned at the same time and place to the same day in the next week or if such day be a holiday to the next business day and if at such adjourned meeting no such quorum be present within fifteen minutes of the time appointed for the meeting those members present shall constitute a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

² (President to Preside)

81. The President of the Exchange or in his absence the Vice-President shall be entitled to take the chair at every general meeting. If there be no President or Vice-President or if at any meeting the President or Vice-President be not present within fifteen minutes of the time appointed for such meeting or be unwilling to act as chairman the members present shall choose a Member of the Governing Board as chairman and if no Member of the Governing Board be present or if all the Members of the Governing Board present decline to take the chair the members present shall choose one of their number to preside.

Decision by Majority

82. Every question submitted to a general meeting shall be decided by a majority of the votes cast at the meeting unless a specified majority is required by any Rule or Bye-law of the Exchange for the time being in force: provided that if a fraction appears when so determining the specified majority it shall be omitted.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

Voting

83. Votes shall be taken by a show of hands unless a poll be (before or on the declaration of the result on the show of hands) demanded in writing by not less than five of the members present and unless a poll be so demanded a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously or carried by a particular majority or lost and an entry to that effect in the minute book of the Exchange shall be deemed conclusive evidence of the fact that such resolution was so carried or lost and no further proof of the number or proportion of the votes recorded for or against such resolution shall be necessary.

Poll

84. If a poll be duly demanded by five or more members present at a general meeting it shall be taken at such time and place either immediately or after an interval or adjournment (except when the poll be demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment when it shall be taken forthwith) and either by open voting or by ballot as the chairman directs and the result of such poll which shall determine whether the resolution is carried or lost shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.

Validity of Vote

85. The chairman of any general meeting shall be the sole judge of the validity of any vote given at such meeting.

Casting Vote

86. In case of an equality of votes whether on a show of hands or on a poll the chairman of the general meeting at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded shall be entitled to a second or casting vote.

Voting by Proxy

87. A member present in person at a general meeting shall have one vote. No voting by proxy or by power of attorney shall be allowed.

Suspended or Expelled Member and defaulter Not to Vote

88. A member who has been suspended or expelled or declared a defaulter shall not be entitled to be present or to vote at any general meeting but a member shall not be disentitled to be present and vote merely because money is due and payable by him to the Exchange.

Adjournment of Meeting

89. The chairman of a general meeting may with the consent of the majority of the members present adjourn the meeting from time to time and from place to place but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

Minutes

90. Minutes of the proceedings of general meetings shall be maintained under the authority of the Secretary and such minutes shall be available for inspection by members at such time and place as the Governing Board may determine.

TRUSTEES**Appointment of Trustees**

91. The Exchange in general meeting shall from time to time appoint such members being citizens of India resident in Bombay City as it deems fit as Trustees ¹ {to hold the} ² { funds, properties and other assets of the Exchange upon trust for the objects and purposes of the Exchange } and shall have power from time to time remove such Trustees or one or more of them as it shall see occasion and to appoint another or others in the place of the Trustee or Trustees so removed.

³ { Provided that the funds, property and other assets of the Trade Guarantee Fund shall be held and dealt with by such person or persons and in such manner as may be provided by the Bye-laws and Regulations of the Exchange }

Number of Trustees

92. There shall be ⁴ { five } Trustees of the Exchange. A Trustee shall continue in office till he dies or ceases to be a member or becomes insolvent or leaves Mumbai City or is removed by the Exchange or withdraws from the trust reposed in him. Upon the happening of any of such events the Exchange in general meeting shall nominate and appoint a successor who shall thereupon be and become a Trustee in the room of such Trustee so dying or ceasing to be a member or becoming insolvent or leaving Mumbai City or being removed from or relinquishing his trust as aforesaid.

Functions

- ⁵ 93. (a) The Trustees for the time being shall from time to time invest all monies belonging to the Exchange in houses and landed property as determined by the Exchange in general meeting or in securities of the Government of India or any State Government or in Port Trust Bonds, Municipal Bonds, First Debentures of any reputable Joint Stock Company or such other securities authorised by law for investment of Trust funds ⁶ { or with the permission of the Central Government in Equity or Preference shares of any Joint Stock Company } or by deposit at a fixed rate of interest or in current account with any reputable Bank or Joint Stock Company as the Governing Board may determine. The Trustees shall also from time to time as requested by the Exchange in general meeting or the Governing Board (as the case may be) alter and transpose the funds or securities in and upon which the monies for the time being shall be invested. Any surplus funds which may from time to time be with the Treasurer may in like manner be invested at the direction of the Exchange in general meeting or the Governing Board as the case may be.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

³ Inserted SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 24.11.97 and approved by SEBI on 12.12.97.

⁵ Renumbered by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 15.03.74 and approved by Govt. on 27.05.74.

Delegation

- ¹ (b) The Trustees for the time being may whenever they think it expedient delegate by Power of Attorney or otherwise to the Governing Board or any person or persons (including any office-bearers or officers of the Exchange) or company or fluctuating body of persons (whether being a Trustee of the Exchange or not) all or any of the Trusts, powers and discretions vested in them and such delegation may be made upon such terms and conditions and subject to such regulations including power to sub-delegate as the Trustees may think fit and the Trustees shall not be bound to supervise the proceedings of or be in anywise responsible for any loss incurred by reason of any misconduct or default on the part of any such delegate or sub-delegate.

AUDITOR

Appointment and Duties of Auditor

- ² 94. The Exchange in Annual General Meeting shall appoint an auditor and fix his remuneration. The auditor so appointed shall audit the accounts of the Exchange as well as examine the securities and other investment of the funds of the Exchange and all the necessary vouchers and papers and make his report which shall be submitted to the Annual General Meeting.

Vacancy

95. Any casual vacancy in the office of the auditor shall forthwith be filled by the appointment of another auditor by the Governing Board.

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

² Amended by Governing Board Resolution dated 10.05.93 and approved by SEBI on 24.06.93.

ELECTION OF THE GOVERNING BOARD AND OFFICE BEARERS

¹96. The Governing Board shall consist of :

- (a) ²{Nine members} of the Exchange elected on general election basis by the members of the Exchange.
 - (b) Persons not exceeding three appointed by the ³{Central Government or Securities and Exchange Board of India} as its representatives in accordance with Clauses (a) and (b) of Rule 99,
 - ⁴{(c)}
 - (c) Persons not exceeding ⁵⁶{seven} nominated as public representatives in accordance with Clause (c) of Rule 99, and
- ⁷{Provided that SEBI may at any appoint public representatives more than seven provided that at any point of time the total number of members nominated under this clause and clause (b) above may not exceed the total number of elected members under clause (a) above.}
- ⁸(d) Chief Executive Officer appointed in accordance with Rule 98.
 - ⁹(e) Chief Operating Officer appointed in accordance with Rule 98A

Retirement

- ¹⁰ 97. (a) On the 31st March of every year, one third of the members elected to the Governing Board under Clause (a) of Rule 96 and if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office. The members elected to the Governing Board to retire by rotation each year on the 31st March shall be those who have been longest inoffice since their last appointment but as among persons who became members of the Governing Board on the same day those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves be determined by lot.

Election

- (b) The Exchange shall in the month of March of every year in the manner hereafter provided elect by ballot one-third of the members of the Governing Board in place of those who retire as aforesaid. A retiring member shall be eligible for re-election as provided in Rule 102.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 21.03.88 and approved by Govt. on 06.12.88.

² Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

³ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

⁴ Deleted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁵ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

⁶ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁷ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁸ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁹ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

¹⁰ Substituted by Governing Board Resolution dated 21.03.88 and approved by Govt. on 06.12.88.

¹{Chief Executive Officer}

- ²98. (a) The Governing Board, shall with the previous approval of the Securities and Exchange Board of India, appoint a whole time Chief Executive Officer. The terms and conditions of service of the Chief Executive Officer, the renewal of his appointment and the removal or termination of his service shall be subject to prior approval of the Securities and Exchange Board of India. The person so appointed shall not engage himself in any business directly or indirectly during his tenure of office and if he is a member of the exchange at the time of appointment, he shall resign his membership forthwith.

Provided that no action regarding the removal or termination of service of the Chief Executive Officer shall be taken unless he has been given an opportunity of being heard against such removal or termination.

- (b) The Chief Executive Officer shall be an ex-officio member of the Governing Board and of any committee appointed by the Governing Board.
- (c) Subject to the overall management of the affairs of the exchange being vested in the governing board as provided in these Rules, Bye-laws and Regulations, the Chief Executive Officer shall be vested with the executive powers of the exchange to run day to day administration of the exchange and to enforce the rules, bye-laws and Regulations of the exchange and to represent the exchange in any public matter and to exercise all other powers, rights, duties and functions as may be entrusted or delegated to him by the Governing Board from time to time. It shall be the duty of the Chief Executive Officer to give effect to the directives, guidelines and orders issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time in order to implement the applicable provisions of law, rules and regulations as also the Rules, Bye-laws and Regulations of the exchange.

Chief Operating Officer

- ³98A. The Governing Board may, in its sole discretion, appoint a whole-time director to be designated as Chief Operating Officer and the appointment of such Chief Operating Officer, the terms of his appointment and his removal or dismissal from office shall be subject to the previous approval of the Governing Board. The Chief Operating Officer shall be an ex-officio Member of the Governing Board of the exchange. The Chief Operating Officer shall be vested with such powers, rights, duties, responsibilities and functions as may be entrusted to him by the Chief Executive Officer or delegated to him by the Governing Board, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the exchange, from time to time.

⁴{SEBI} Nominees

- ⁵99. ⁶(a) The ⁷{Securities and Exchange Board of India} may from time to time appoint one or more persons not exceeding three in number as its representatives ⁸{ } on the Governing Board.

¹ Revised by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

² Revised by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁵ Substituted by Governing Board Resolution dated 30.11.82 and approved by Govt. on 23.12.82.

⁶ Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁷ Amended by Governing Board Resolution 13.09.93 and approved by Govt. on 27.09.93.

⁸ Deleted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

¹{SEBI} Nominees to Hold Office at Pleasure of Government

- ²(b) The ³{SEBI} Nominees ⁴{ } shall not be subject to retirement. They will continue to hold office at the pleasure of the ⁵{Securities and Exchange Board of India} which may at any time require them to relinquish their appointment and appoint other person in their place.

⁶Public Representatives

- (c) The Governing Board shall, soon after it is constituted, nominate on the Board, subject to the approval of the Securities and Exchange Board of India, one or more persons, ⁷{ } of Public eminence ⁸⁹{ } who are not directly connected with the securities business as public representatives. The persons so nominated will hold office till the expiry of the term of the Board or till nomination of public representatives for the succeeding year is approved by the ¹⁰{ } Securities and Exchange Board of India whichever is later. Any vacancy caused by resignation, death or otherwise will be filled in the same manner.

¹¹Fair Practices/ Code of Conduct for Public Representatives and SEBI Nominees

- 99A. The Public Representatives and SEBI Nominees shall follow and observe the Guidelines for Fair Practices/ Code of Conduct as prescribed in the Appendix 'J' to these Rules and as may be amended by SEBI from time to time.

Conditions of Eligibility

100. No member shall be eligible to be elected a member of the Governing Board if -

Nationality

- ¹²{(i) he is not a citizen of India};

Standing

- (ii) ¹³ { he has been member of less than three years' standing on the last day for submission of proposals by candidates for election under Rule 104 }

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

² Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

³ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁴ Deleted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁵ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by Govt. on 27.09.93.

⁶ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by Govt. on 27.09.93.

⁷ Deleted by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁸ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.2002 and approved by SEBI on 18.12.2002.

⁹ Deleted by Governing Board Resolution dated 07.08.2004 and approved by SEBI on 03.08.2004.

¹⁰ Deleted by Governing Board Resolution dated 07.08.2004 and approved by SEBI on 03.08.2004.

¹¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 19.08.2003 pursuant to SEBI letter dated 03.07.2003 and approved by SEBI on 09.10.2003.

¹² Inserted by Governing Board Resolution dated 20.01.2000 and approved by SEBI on 15.05.2000.

¹³ Substituted by Governing Board Resolution dated 06.01.97 and approved by SEBI on 27.02.97.

Default

- (iii) he has at any time been declared a defaulter or failed to meet his liabilities in ordinary course or compounded with his creditors.

¹{Cancellation of Registration

- (iv) his certificate registration as a stock broker has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India;

**Suspension of Certificate of Registration,
Trading/Membership Rights**

- ²{(v) his certificate of registration as a Stock Broker or his trading rights have been suspended by the Securities and Exchange Board of India or the Exchange as the case may be or his membership rights have been suspended by the Exchange on account of any disciplinary action taken against him under the Rules, Regulations or Bye-Laws of the Exchange and two years have not elapsed from the date of expiry of such suspension of certificate of registration, trading rights or membership rights.}

Notified Persons

- {(vi) he falls in the category of Notified Persons as per the Special Courts (Trials of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 and two years have not elapsed from the date the person is de – notified under the said Act.}

- ³{(vii) he was a member of the Governing Board of the Exchange at the time of its supercession and the period of two years has not elapsed from the date of expiry of the order of supercession passed by SEBI.

Clarification : It is clarified that in this clause (vii), the period of two years prior to the member being eligible for re-election shall also apply to all the partners of a partnership firm carrying on business on the Exchange or to all the nominees of corporate member (whether or not the same partner / nominee respectively were on the Board at the time of its supercession).}

Eligibility of Corporate Members

- ⁴100A. ⁵{(i) A company or a body corporate which is a member (hereinafter referred to as the "corporate member") may nominate an individual who is a whole time director of a corporate member for election as a member of the Governing Board.

- (ii) In case of conversion of individual member/ partnership firm into a corporate member, the corporate member may nominate the individual member or the partner or the constituted attorney who was authorised to carry on the business of the individual member or the partnership firm, as approved by the Governing Board under Rule 211

Provided that the individual, partner or the constituted attorney is a whole time director of the corporate member constituted on conversion of individual member/partnership firm into a corporate member.

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 20.01.2000 and approved by SEBI on 15.05.2000.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 20.01.2000 and approved by SEBI on 15.05.2000.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 16.02.2005 and approved by SEBI on 04.04.2005.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

⁵ Substituted by Governing Board Resolution dated 20.01.2000 and approved by SEBI on 15.05.2000

- (iii) The individual partner or the constituted attorney as referred to in sub rules (i) and (ii) of this rule shall comply with the eligibility criteria as specified in clauses (i) and (iii) to ¹{(vii)} of Rule 100
- (iv) The corporate member shall comply with the eligibility criteria as contained in clauses (ii) to ²{(vii)} of Rule 100

Provided that for the purpose of eligibility criteria of the corporate member under clause (ii) of Rule 100 the previous experience of the individual, partner or the constituted attorney as referred to in sub rule (ii) may be considered.
- (v) Not more than one nominee of a corporate member shall be a member of the Governing Board at any point of time.}

Partners as Members

101. Not more than one partner of a partnership firm may be a Member of the Governing Board at one and the same time.

Retiring Members

- ³102. ⁴{All the retiring members of the Governing Board shall be eligible for re-election. Provided that:-
- (i) if a member who is an individual has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then he shall not be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term;
 - (ii) if a partner (whether or not the same partner) of a partnership firm carrying on business on the Exchange has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then no partner of that partnership firm shall be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term;
 - (iii) if a nominee (whether or not the same person) of a corporate member has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then no nominee of that corporate member shall be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term.}

Notice of Election

103. At least one month's previous notice of any election by ballot of the Governing Board shall be given by the Governing Board and posted on the notice board of the Exchange.

Proposal of Candidates ⁵{and Withdrawal of Proposal}

104. Any two members of the Exchange may propose and second candidates eligible for election to the Governing Board. Such proposals shall be in writing signed by the proposers and seconders and by the candidates in token of their willingness to stand for election and they shall reach the Exchange atleast fifteen clear days previous to the date of election. ⁶{A candidate may withdraw his candidature by a letter in writing signed by him, which shall reach the Exchange atleast nine clear days previous to the date of election.}

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 16.02.2005 and approved by SEBI on 04.04.2005.

² Amended by Governing Board Resolution dated 16.02.2005 and approved by SEBI on 04.04.2005.

³ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

⁴ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.09.99 and approved by SEBI on 15.05.2000.

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 18.01.2001 and approved by SEBI on 23.02.2001.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 18.01.2001 and approved by SEBI on 23.02.2001.

Notice of Candidates

105. A notice containing the names of all candidates for election, their proposers and seconders shall be posted on the notice board of the Exchange for seven days previous to the date of election.

Ballot When Unnecessary

106. When the number of candidates does not exceed the number of vacancies to be filled no ballot shall be necessary and such candidates shall be deemed duly elected and if there be still a vacancy the Governing Board elected to office shall fill it up.

Scrutineers

107. The Governing Board or the President shall appoint three members of the Exchange not being Members of the Governing Board or candidates for election to act as scrutineers at elections and they shall report the result of the ballot to the Exchange and to the Governing Board.

Voting

108. No member shall be entitled to give more than one vote to any particular candidate nor shall he be entitled to give a smaller number of votes than the number of vacancies to be filled in.

Elected Candidates

109. Those candidates receiving the highest number of votes shall be declared elected to the vacant positions and in case of an equality of votes the election shall be decided by the scrutineers by drawing lots.

Office Bearers

- ¹110 Subject to the provisions of Rule 110A, the Governing Board ²{may} at the first meeting after its election elect from amongst ³{ } members of the Governing Board its President, Vice-President and Honorary Treasurer who shall be ex-officio the President, Vice-President and Honorary Treasurer respectively of the Exchange.

Provided that no ⁴{ } member of the Governing Board who has held the office of the President for two consecutive terms shall be eligible for re-election as President unless a period of one year has elapsed since he last held such office.

Provided further that no ⁵{ } member of the Governing Board who has held the office of Vice-President for two consecutive terms shall be eligible for re-election as Vice-President unless a period of one year has elapsed since he last held such office.

No Elected Members to be Office Bearers

- ⁶110A Notwithstanding anything else contained in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, no elected member of the Governing Board shall be eligible to hold office as an office bearer of the Exchange such as President, Vice-President and Honorary Treasurer respectively.

Vacancy in the Office of President, Vice-President or Honorary Treasurer

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by Govt. on 27.09.93.

² Amended by Governing Board Resolution dated 19.04.2002 and approved by SEBI on 03.06.2002.

³ Deleted by Governing Board Resolution dated 19.04.2002 and approved by SEBI on 03.06.2002.

⁴ Deleted by Governing Board Resolution dated 19.04.2002 and approved by SEBI on 03.06.2002.

⁵ Deleted by Governing Board Resolution dated 19.04.2002 and approved by SEBI on 03.06.2002.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 19.04.2002 and approved by SEBI on 03.06.2002.

111. ¹ (a) In case a vacancy shall occur in the office of President or Vice-President or Honorary Treasurer the Governing Board shall fill the vacancy by election from the Members of the Governing Board and the President or Vice-President or Honorary Treasurer so elected shall hold office until the next annual election and until his successor is elected and takes office.

Acting President

- ² (b) If there be no Acting President or Vice-President or in the temporary absence or inability of both to act the Governing Board may choose from the Members of the Governing Board an Acting President of the Exchange for the time being.

Non-Executive Chairman

- ³⁴ 112. Notwithstanding what is contained herein, the Governing Board may appoint a Non-Executive Chairman from amongst its non-elected members on such terms and for such period, not exceeding two years at a time, as it may determine. The Non-Executive Chairman shall chair the meetings of the Governing Board and discharge such other non-executive functions as may be entrusted to him by the Governing Board, in accordance with Rules, Bye-laws and Regulations of the exchange, from time to time. During his tenure, the Non-Executive Chairman shall not be a member of any stock exchange or carry on the business of purchase and sale of securities nor shall he be associated with any broking concern as a director, employee or otherwise.}

¹ Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66 .

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by SEBI on 29.03.66

⁴ Revised by Governing Board Resolution dated 13.04.2002 and approved by SEBI on 05.09.2002 .

VACANCIES IN THE GOVERNING BOARD**Leave**

113. The Governing Board may give any Member of the Governing Board leave of absence for a period not exceeding four months and may by a resolution appoint any member of the Exchange eligible to be elected a Member of the Governing Board in the place of such Member for the duration of his leave.

Vacancy

114. The office of a Member of the Governing Board shall be ipso facto vacated -

Suspension of Payment

- (i) ¹{if he or the corporate member who has nominated him or the partnership firm of which he is a partner suspends payment or is adjudicated an insolvent or if a petition be filed by him for winding up his affairs or those of his partnership firm or of the corporate member who has nominated him or if he or his partnership firm or the corporate member who has nominated him compounds with his / its creditors or is declared a defaulter;}

Unsound Mind

- (ii) if he be found lunatic or becomes of unsound mind or incapable of efficient attention to business;

Absence

- (iii) if he absents himself from all the meetings of the Governing Board for a continuous period of three months without leave of absence from the Governing Board;

Death, Suspension or Expulsion

- (iv) if he dies or he or the corporate member who has nominated him ceases to be a member of the Exchange or is suspended or expelled from the Exchange;

² { Provided that the office of a Member of the Governing Board shall not be deemed to be vacated in case such Member exercises the right of nomination of his membership in favour of a Company or a Financial Corporation, of which he is a Designated Director if he holds together with his family members and current partners more than 51% of the share capital of such company or Financial Corporation that may be admitted as a member of the Exchange in his place. However, such member shall continue as a Member of the Governing Board till the remainder of his tenure or till he ceases to hold more than 51 % of the share capital as above, whichever is earlier. }

Resignation

- (v) if he by notice in writing to the Governing Board resigns his office.

³ ⁴{Cancellation of SEBI Registration

- (vi) If his certificate of registration as Stock Broker has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India;

Suspension

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.09.99 and approved by SEBI on 07.01.2000.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 21.07.97 and approved by SEBI on 31.12.97.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 12.06.95 and approved by SEBI on 11.07.95.

⁴ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.09.99 and approved by SEBI on 07.01.2000

- (vii) if his certificate of registration as a Stock Broker or his trading rights have been suspended by the Securities and Exchange Board of India or Exchange as the case may be or his membership rights have been suspended by the Exchange on account of any disciplinary action taken against him under the Rules, Regulations or Bye-Laws of the Exchange and two years have not elapsed from the date of expiry of such suspension of certificate of registration, trading rights or membership rights.

Notified Persons

- (viii) If he falls in the category of Notified Persons as per the Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992

Cessation as whole-time / designated director of the Corporate Member

- (ix) If he, being a nominee of a Corporate member, ceases to be a whole time/designated director of the Corporate Member.

Nationality

- (x) if he ceases to be a citizen of India;

In case of vacancy of the office of a member on the grounds as provided in the above clauses, the corporate members shall not have the right to replace that member and the vacancy shall be filled as per the Rules of the Exchange.)

When a member of the Governing Board vacates office upon occurrence of an event specified under any of the aforesaid clauses, he shall not resume office as a member / office bearer of Governing Board upon the cessation of such event during the remaining term of his office.)

Expulsion from Governing Board

115. The Governing Board may by a special resolution remove from the Governing Board any Member of the Governing Board who in its discretion is deemed to be guilty of improper conduct or who in its opinion has a direct or indirect interest (except brokerage) in any bull or bear syndicate or combination formed to rig or depress the market or is deemed to be a partner or sub-partner or responsible representative of such syndicate or combination.

Filling up of Casual Vacancies

116. ¹{If a casual vacancy arises in the Governing Board such vacancy shall be filled by election of a duly qualified member of the Exchange so far as circumstances permit in the manner provided in these Rules for election to the Governing Board unless the Governing Board determines that the vacancy so arisen need not be filled until the next annual election. The member so elected shall hold office only upto that date which the person in whose place he has been elected would have held office. Provided that the member, who vacates office upon the occurrence of any event under Rule 114 or upon removal under Rule 115, shall not be eligible for election in the said extra ordinary meeting/election.

Explanation : In this Rule the term "casual vacancy" includes a vacancy arising upon the occurrence of any event under Rule 114 or a removal under Rule 115.)

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 12.06.95 and approved by SEBI on 11.07.95.

Powers of Surviving Members

117. (a) The surviving or continuing Members of the Governing Board not with- standing any vacancy in their number may act until the vacancy shall have been filled up provided that such Members constitute aquorum.

Limited Powers of Surviving Members

- (b) If the surviving or continuing Members of the Governing Board do not constitute a quorum they shall exercise the powers of the Governing Board only for the purpose of filling up such vacancies in accordance with the Rules applicable thereto.

Resignation of all Members of the Governing Board

- (c) In the event of all the Members of the Governing Board resigning all together such Members shall continue to hold office and exercise all the powers vested in them as Members of the Governing Board until the succeeding Governing Board shall have been elected by ballot by the members of the Exchange in accordance with these Rules.

POWERS OF THE GOVERNING BOARD**Jurisdiction**

118. The Governing Board shall have complete jurisdiction over all members of the Exchange and shall have supervisory jurisdiction over any and all subjects and matters referred to all standing and other committees and may direct and control their actions or proceedings at any stage thereof. The Governing Board shall have the absolute power and right to interpret the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and to decide all points, questions and disputes relating to Stock Exchange matters and relating to the administration, ¹ { functions, working } and affairs of the Stock Exchange and relating to the conduct of members towards each other or towards third parties. Any interpretation or decision made by the Governing Board shall be final and conclusive and binding on all members, their partners, agents and employees and on all persons dealings through or with them.

General Powers

119. The management of the ² { functions, working and affairs } and the control of the Exchange, the regulation of the conduct of members, their partners, agents and employees and the promotion of the welfare, objects and purposes of the Exchange and the management and control of the properties and funds of the Exchange and of its income and expenditure shall subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange vest in the Governing Board and in the exercise of such powers it may from time to time make subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Securities Contracts(Regulation) Rules, 1957 such Rules and Bye-laws and adopt such Regulations and resolutions and issue such orders, notices and directions and take such decisions as it may deem appropriate. The Governing Board may in addition to the powers and authorities expressly conferred by any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange for the time being in force exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Exchange in general meeting assembled and which are not expressly required to be so exercised and done and more particularly in furtherance and not in limitation of the foregoing powers and without prejudice to the generality of the foregoing powers and to any power or authority impliedly or expressly conferred by any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange for the time being in force the Governing Board is specially authorised subject to any Rule or Bye-law for the time being in force to exercise governmental and administrative powers in the sense of the provisions in that behalf contained in these Rules.

Governmental Powers

120. In the exercise of its governmental powers the Governing Board shall be deemed empowered to do any of the following or similar acts or things or use any of the following or similar authorities namely -

Office-Bearers

- (I) to elect office-bearers and appoint committees;

Casual Vacancies

- (II) to fill casual vacancies in the Governing Board or in a standing or any other committee or of an auditor;

Admission, Expulsion and Control of Members

- (III) to admit members by a special majority, expel and reinstate them by a special resolution and to control, warn, censure, fine and suspend them, withdraw all or any of their membership rights and declare their default;

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

**Approval of Partnership, Attorneys,
Remisiers, and Authorised Clerks**

- (iv) to approve and regulate the formation and dissolution of partnerships and appointment of attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees of members;

Control of Partners, Attorneys, Agents, Remisiers and Employees

- (v) to approve, control, warn, censure, fine, suspend, expel and exercise supervision over partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees of members;

Investigation

- (vi) to examine and investigate the financial conditions, business conduct and dealings of members;

Attendance and Information

- (vii) to call upon any member, his partner, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees to appear and testify before the Governing Board or the President ¹ { or the Chairman } or before a committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf and to furnish to Governing Board or to the President ² { or the Chairman } or to a committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf such books, papers, documents, correspondence, clearing forms and any other records or information in his or their possession which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation or which the Governing Board in its absolute discretion deems necessary in the interest of just and equitable principles of trade or in the public interest or in the interest and welfare of the Exchange and its members;

Adjudication of Disputes

- (viii) to hear, investigate, arbitrate and adjudicate on and decide all questions and disputes affecting members, their partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks, employees or constituents arising out of business done on the Exchange or affecting their dealings, character and conduct towards each other or towards third parties;

Imposition of Penalties

- (ix) to prescribe from time to time and impose penalties for violation of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and for neglect or failure or refusal to comply with resolutions, orders, notices, directions or decisions of the Governing Board or the President ³ { or the Chairman } or of any committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or for any offence against the Exchange the penalty for which is not specifically prescribed.

Enforcement of Rules, Bye-laws and Regulations

- (x) to enforce the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and take cognisance of offences against them;

⁴ Regulation of Functioning

- (xi) to determine from time to time the mode in and conditions subject to which { the Stock Exchange shall function; }

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁴ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

Regulations

- (xii) to make and from time to time add to, substitute, vary, modify or rescind any Regulations prescribed under the Rules and Bye-laws of the Exchange;

General Control

- (xiii) to decide and from time to time adopt resolutions and issue orders, notices and directions in respect of matters not provided for in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange;

Review

- (xiv) to review, reconsider, modify or rescind any resolutions, orders, notices, directions and decisions; and

General Power

- (xv) generally to supervise and direct all matters affecting the interest of the Exchange.

Administrative Powers

121. In the exercise of its administrative powers the Governing Board shall be deemed empowered to do any of the following or similar acts or things or use any of the following or similar authorities namely -

Fees and Charges

- (i) to fix from time to time and collect ¹ { from members } in addition to the dues and charges provided for in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange such other charges of fees ² { as may be deemed necessary or desirable for the functioning of the Exchange; }

Borrowing

- (ii) ³ { subject to the provisions of Rule 4(vi), } to borrow against and pledge all or any part of the securities not paid for and held by the Clearing House for the account of a defaulting member upto an amount not exceeding the value of such securities at the ruling market price for the purpose of making payment to members in respect of such securities and to borrow or raise with the consent of the Exchange in general meeting any monies required for the purpose of the Exchange upon such terms and in such manner and with or without security as may be determined;

Dealings with Immovable Property

- (iii) to acquire, develop, purchase, lease, sell, exchange, mortgage or otherwise dispose of with consent of the Exchange in general meeting either absolutely or conditionally the whole or part of any immovable property;

Dealings with Funds

- ^{4.5}(iv) To lay proper systems and procedures in place authorising the Executive Director, any officer or a committee of the officers with specific responsibility to pay, disburse, dispose of or deal with any funds or other movable property of the Exchange for expenses

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 16.08.71 and approved by Govt. on 26.08.71.

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

⁵ Amended by Governing Board Resolution dated 30.06.03 and approved by SEBI on 31.05.04.

necessary for carrying on the administration, functions, working and affairs of the Exchange and for contribution or payment towards a public purpose. The Governing Board shall authorise the executives of the Exchange, including the Executive Director, to sign cheques.

Provided that no member of the Governing Board, except the Chief Executive Officer and the Chief Operating Officer who are the ex-officio members of the Governing Board, shall be authorised to sign any cheques or operate any bank accounts on behalf of the Exchange.

Investments

- (v) to invest and deal with any of the monies of the Exchange not immediately required for purposes thereof in houses and landed property with the consent of the Exchange in general meeting and in such securities of the Government of India or any State Government or in Port Trust Bonds, Municipal Bonds, First debentures of any reputable Joint Stock Company or such other securities authorised by law for investment of Trust funds ¹ { or with the permission of the Central Government in the Equity or Preference Shares of any Joint Stock Company } or by Deposit at a fixed rate of interest or in current account with any reputable bank as it may determine and in such manner as it thinks fit and from time to time to vary or realise such investment;

Releases

- (vi) to make and give releases and other discharges for moneys payable to the Exchange and for the claims and demands of the Exchange;

Legal Proceedings

- (vii) to institute, conduct, prosecute, defend, compound or abandon all such actions, suits, and proceedings civil or criminal by or against the Exchange or its employees or otherwise concerning the affairs of the Exchange as it may consider necessary and to compromise, compound or allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Exchange or to submit to arbitration and to observe and perform the awards and to make, give, sign and execute all documents in that behalf;

Appointment of Employees

- (viii) to appoint and at its discretion to suspend or remove such permanent, temporary or special employees and to determine their powers, duties and terms of remuneration, to establish, maintain or subscribe to for their benefit any Provident or Benefit Funds, pensions, gratuities, compensation or insurance schemes and to make and alter service and other rules and regulations in that behalf as it may from time to time think fit;

Management of Clearing House

- (ix) to instruct, control, manage and determine from time to time the remuneration of the Clearing House; and

Stock Exchange Facilities

- (x) to provide from time to time such facilities as may be necessary ² { for the functioning of the Stock Exchange }

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 15.03.74 and approved by Govt. on 27.05.74.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

Power to Make Rules and Bye-laws

122. The Governing Board may from time to time and subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 make, add to, vary or rescind any Rule or Rules or Bye-law or Bye-laws of the Exchange.

Suspension of Rules, Bye-laws and Regulations

123. The Governing Board may by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any Rule or Rules or Bye-law or Bye-laws or Regulation or Regulations of the Exchange and in regard to any person or persons, security or securities or matter or matters:

Provided that the Governing Board shall not waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any Rule or Rules or Bye-law or Bye-laws continuously for a period exceeding three days except with the approval of the Central Government:

Provided further that when information regarding waiver or suspension is so conveyed as to reach the Central Government in the normal course within twenty-four hours the Governing Board may waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any Rule or Rules or Bye-law or Bye-laws for any period exceeding three days without the approval of the Central Government till such time as the decision of the Central Government is communicated to the Exchange.

Exchange Not to Alter Governing Board Resolutions

124. Any resolution passed by the Governing Board under the powers or authority conferred upon it by the provisions of any Rule or Bye-law of the Exchange for the time being in force shall not be added to, altered, varied or rescinded by the Exchange in general meeting and all such resolutions shall when they come into force be deemed valid and binding upon all members of the Exchange, their partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks, employees and all those dealing with or through them.

Decision of Governing Board Final

125. In all matter brought under the consideration of the Governing Board its decision whether expressed by a resolution or otherwise shall be final and must be carried out forthwith by every member concerned and by his partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks or any other employees.

Delegation of Powers

126. (a) The Governing Board may subject to such conditions as it may think fit delegate such of its powers (except the power to make, add to, vary and rescind Rules and Bye-laws of the Exchange) as it may from time to time determine to the President ¹ { or the Chairman } or to committees appointed out of its own Members and may likewise delegate the performance of such ministerial and administrative duties as may deem expedient to the President or to the Chairman or to committees composed of its own Members and/or to any officer of the Exchange.

Review

- (b) A person affected by a decision of the President ² { or the Chairman } or a Committee or an Officer of the Exchange acting under powers delegated by the Governing Board as provided in sub-clause (a) may require a review by the Governing Board within seven days after the decision has been rendered.

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

EXECUTIVE COMMITTEE**Constitution**

- ¹126A.(a)**
- (i) The Governing Board may appoint one or more Executive Committees to consider judicial and quasi - judicial matters, membership matters of routine nature and any other matters referred to it by the Governing Board from time to time.
 - (ii) The Executive Committee(s) appointed by the Governing Board shall consist of :
 - (a) Executive Director & Chief Executive Officer of the Exchange and the Chief Operating Officer of the Exchange.
 - (b) Three members of the Exchange who have been elected on a general election basis to the Governing Board of the Exchange by the members of the Exchange.
 - (c) Persons not exceeding three who are members of the Governing Board of the Exchange as SEBI Nominees or Public Representatives.
- Provided however that the Non-Executive Chairman shall be an ex-officio member of the Executive Committee
- (d) The maximum strength of the Executive Committee shall be eight.

Provided that the Governing Board may from time to time increase or reduce the number of members of the Executive Committee(s).

Any vacancy in any of the aforesaid constituents of the Executive Committee(s) shall be filled in by a similarly appointed person(s) in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

Powers of the Executive Committee(s)

- (b) (i) The Governing Board may, subject to the provisions of Rule 126(a), delegate, from time to time, to the Executive Committee(s) such of the powers vested in it and upon such terms as it may think fit, to manage all or any of the affairs of the Exchange and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
- (ii) The Executive Committee(s) shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Governing Board from time to time which may inter-alia include the responsibilities and powers as set out in Appendix "I" to these Rules.

Chairman

- (c) The Non-Executive Chairman shall preside at all the meetings of the Executive Committee. If there is no Non-Executive Chairman or if at any meeting the Non-Executive Chairman be not present within fifteen minutes of the time appointed for such meeting the members of the Executive Committee present shall choose a non-elected member as the chairman of the meeting.

Quorum

- (d) (i) Unless otherwise specifically provided, the quorum for the Executive Committee(s) shall be three members out of which atleast one member shall be a non elected member of the Governing Board. If within half an hour from the time appointed for

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 23.05.03 and approved by SEBI on 09.10.03.

holding a meeting of the Executive Committee, a quorum is not present, the members present on the expiry of half an hour from the time appointed for holding the meeting shall be the quorum.

- (ii) An interested Member of the Executive Committee shall not be included when counting the quorum prescribed under the Rules and Bye-laws of the Exchange for dealing with the question in which the Member is interested.

Proceedings

- (e)
 - (i) Unless otherwise provided or directed, the Executive Committee(s) shall conduct and regulate its proceedings in the same manner as the Governing Board.
 - (ii) The Executive Committee shall meet at least once in every calendar month for the despatch of business with a maximum gap of 45 days between two meetings.
 - (iii) The Chairman of the Committee or the Executive Director and Chief Executive Officer of the Exchange or any two members of the Committee may at any time convene a meeting of the Committee.
 - (iv) In a meeting of the Executive Committee, the issues shall be decided by the majority of votes cast except in cases where a larger majority is required under any provision of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange. In case of an equality of votes, the matter will be referred to the Governing Board.
 - (v) The Chairman shall normally preside over all the meetings of the Executive Committee. In the absence of the Chairman the members of the Executive Committee present shall elect one among themselves as the Chairman of such meeting.
 - (vi) Where in the opinion of the Executive Director and Chief Executive Officer of the Exchange an immediate action is required in any matter, the Executive Director and Chief Executive Officer of the Exchange will be entitled, subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, to exercise any or all of the powers exercisable by the Executive Committee, subject to such action being confirmed/ratified by the Executive Committee at the earliest.
 - (vii) The Executive Committee shall carry out and implement any directives issued by the Governing Board from time to time and shall comply with all the conditions of delegation and limitations of the powers of the Executive Committee as may be prescribed.
 - (viii) In all matters that are brought under the consideration of the Executive Committee its decision whether expressed by a resolution or otherwise shall be final and binding.

Delegation of Powers in Emergency

127. Whenever the Governing Board in its discretion is of the opinion that an emergency exists it may by a special resolution delegate all of its powers for such period as it may determine to the ¹ {President or} to the Chairman or to a special committee appointed out of the Members of the Governing Board from whose decision there shall be no appeal.

Governing Board as Trustees

128. The Governing Board shall hold on behalf of the Exchange as agent and in trust for a member all sums of money paid and securities delivered by him to the Clearing House and all credits and securities to which he is entitled as appearing in his account in the books of the Clearing House.

Indemnity to the Governing Board

129. The Governing Board and its Members shall in no way either collectively or individually be held liable by any person for any act or omission on its part or on the part of any employee of the Exchange done or omitted to be done in good faith in the due discharge of duties and in the execution or purported execution of their duties or of any powers, authorities or discretions vested in them including all liabilities, costs, losses or expenses consequent on any mistake, oversight or omission on their part and they shall be fully indemnified by the Exchange out of its funds for anything so done or omitted to be done.

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

MEETINGS OF THE GOVERNING BOARD**Meetings of the Governing Board**

130. The Governing Board may meet for the despatch of business adjourn and otherwise regulate its meetings as it deems fit.

Ordinary Meetings

131. Ordinary meetings of the Governing Board may be called by the President ¹ { or the Chairman } at any time and by the Secretary as directed by the Governing Board.

President or Chairman May Call Special Meeting

132. (a) The President ² { or the Chairman } may at any time call a special meeting of the Governing Board.

Special Meeting on Requisition

- (b) The Secretary shall call a special meeting of the Governing Board within twenty-four hours of the receipt of a requisition to that effect signed by two or more Members of the Governing Board failing which any two of the signatories may call such meeting.

Urgent and Emergency Meetings

133. In case of urgency a special meeting may be called at less than twenty-four hour's notice and in case of emergency one hour's notice of a special meeting shall be deemed sufficient.

Notice of Special Meeting

134. (a) A notice calling a special meeting shall state the purpose for which it is called. In the case of an urgent or emergency meeting the notice shall state the nature of the urgency or the emergency and the business to be transacted at the meeting and no other business shall be transacted at such meeting.

Business When Not to be Stated

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) when the President ³ { or the Chairman } is of the opinion that the matter is confidential or of a nature not advisable to disclose he may direct that the notice calling a special meeting shall not state the business and/or the urgency or emergency of the special meeting.

Quorum

135. (a) ⁴{Unless otherwise specially provided the quorum of the Governing Board shall be eight members of the Governing Board. If a fraction appears when determining the quorum under any Rule or Bye-law of the Exchange, such fraction shall be omitted. If within half and hour from the time appointed for holding a meeting of the Governing Board, a quorum is not present, the members present on the expiry of half an hour from the time appointed for holding the meeting shall be the quorum}

Interested Member Not to be Included in Quorum

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by Govt. on 27.09.93.

- (b) An interested Member of the Governing Board shall not be included when counting the quorum prescribed under the Rules and Bye-laws of the Exchange for dealing with the question in which the Member is interested.

Co-option of Members for Making up Quorum

- (c) If at a meeting called for the annulment of a bargain or for the prohibition of short selling or for the closure of the market or for the suspension of buying-in or selling-out as provided in the Rules and Bye-laws of the Exchange or for the consideration of any proposal or proposals which do not in the opinion of the President ¹ { or the Chairman } and for reasons to be recorded in writing admit of any delay a sufficient number of Members of the Governing Board be not present to constitute a quorum the Members present shall co-opt for the purpose of that business only from among the members of the Arbitration Committee (and failing that from among the Members of the Defaulters' Committee and failing that from among the Members of the Exchange) as many as are necessary to make up a quorum.

President to Preside

136. The President of the Exchange or in his absence the Vice-President shall preside at all meetings of the Governing Board. If there be no President or Vice-President or if at any meeting the President or Vice-President be not present within fifteen minutes of the time appointed for such meeting the Members of the Governing Board present shall choose a Member of the Governing Board as chairman of the meeting.

Chairman to have Casting Vote

137. In case of an equality of votes at a meeting of the Governing Board the chairman of the meeting shall have a casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a Member.

Voting

138. A member of the Governing Board shall be entitled to take part in the proceedings but it shall not be competent to him to vote -

Personal Interest

- (i) on any question in which he is personally interested, the chairman of the meeting being the final judge whether he is so interested or not; or

Member of Committee

- (ii) on the final decision in respect of any inquiry or dispute on which a decision has been given by a committee of which he has been a member except that no Member of the Governing Board shall be so disqualified by reason of his being or having been a member of a committee which has made prior examination or investigation of the subject under consideration for the purpose of submitting a report; or

Absence During Hearings

- (iii) on the decision in respect of any inquiry or dispute unless he has been present at every meeting of the Governing Board at which there has been a hearing of the inquiry or dispute.

Majority

139. Any question before the Governing Board shall be decided by a majority of the votes cast at a meeting of the Governing Board unless a specified majority is required by any Rule or Bye-law of

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

the Exchange for the time being in force. Any fraction that appears when determining the required majority shall be omitted.

¹ Special Resolution

140. { The quorum for a special resolution shall be twelve members of the Governing Board present at a meeting of the Governing Board and such special resolution shall be passed by a majority of at least two-thirds of the votes cast at the meeting. }

Ordinary Resolution by Circular

141. An ordinary resolution in writing approved by not less than two-thirds of the total number of Members of the Governing Board and Government Nominees (if any) present in Bombay shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Governing Board duly called and constituted.

Adjourned Meeting

142. Any meeting of the Governing Board may be adjourned from time to time and it shall be no objection to any resolution passed or any decision arrived at such meeting that all or any of the Members of the Governing Board present thereat were not present at the former meeting or meetings or that any of those present at any former meeting or meetings were not present at any adjourned meeting or meetings.

Proceedings

143. The Governing Board shall unless otherwise provided regulate and determine the manner and form in which its proceedings shall be conducted. Except as otherwise specially provided in these Rules it may with permission of the President consider and take action upon any matter at any ordinary or special meeting even though such matter has been referred to in the notice of such meeting.

Governing Board Need Not Give Reasons

144. Save as provided in the Rules and Bye-laws of the Exchange it shall not be necessary for the Governing Board to give any reason for or to record in its minutes the reasons or circumstances of any proceedings or decision and all proceedings and the information obtain in connection therewith shall be deemed confidential.

Members and Others to Appear Before Meetings If Required

145. Members, their partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees shall appear before such meetings of the Governing Board or of any committee appointed by it as they may be directed to attend and they shall give all such information and produce all such records as may be in their possession relative to any matter before the Governing Board or such committee.

Minutes

146. Minutes of the proceedings of the Governing Board shall be maintained under the authority of the Secretary. Such minutes shall be deemed confidential and shall not be available for inspection by members of the Exchange.

Correspondence

147. All communications to the Exchange or the Governing Board or any committee appointed by the Governing Board or to any official of the Exchange shall be made in writing and shall be signed and no action need be taken on any anonymous communications.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58 and resubstituted by Governing Board Resolution dated 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

¹ PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT - CHAIRMAN**President to Preside**

- 148.** The President of the Exchange shall preside at any meeting of the Exchange, Governing Board or any standing or other committee which he may attend and shall have in case of an equality of votes a casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a member.

² Chairman

- ³149.** (deleted)

Representatives of the Exchange

- ⁴150.** ⁵(a) The President shall represent the Exchange officially in all public matters.

Ex-officio Members of Committees

- ⁶⁷(b) The President shall be ex-officio member of any committee appointed by the Governing Board of the Exchange.

Calling of Meetings

- ⁸ 151.** The President may call Annual and Extraordinary General Meetings of the Exchange. The President or the Chairman may call ordinary and special meetings of the Governing Board and shall call an Extraordinary General Meeting of the Exchange on the written request of not less than 51 Members.

Special Power

- ⁹ 152.** The President and the Chairman and in the absence of the one, the other shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Governing Board whenever they or he be of the opinion that immediate action is necessary subject to such action being confirmed by the Governing Board within twenty-four hours.

Delegated Powers and Duties

- 153.** The President may assume and exercise all such powers and perform all such duties as may be delegated to him by the Governing Board from time to time as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Amended by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

³ Deleted by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁵ Revised by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

⁶ Revised by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.2002.

⁷ Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁸ Amended by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁹ Amended by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

Powers Vested in Chairman

154. ¹{(a) (deleted)

Absence or Inability to Act

²{³⁴(a) In the absence of Chief Executive Officer or in the event of his inability to act, his functions and powers shall be exercised by the Chief Operating Officer or in his absence, a senior available officer as decided by the Governing Board of the Exchange under the direction of the Governing Board".

Vice President

⁵(c) In the absence of the President or his inability to act, the Vice-President shall assume all the functions and exercise all the powers and discharge all the duties of the President.

TREASURER**Subscriptions and Receipts**

155. The Honorary Treasurer of the Exchange shall recover and receive all subscriptions, donations, fees, fines and all other monies due to the Exchange and shall give receipts for the same.

Expenses and Accounts

156. The Treasurer shall sign all cheques and defray out of the funds of the Exchange all expenses incurred on behalf of the Exchange in accordance with the directions of the Governing Board and shall keep a full and detailed account of all receipts and disbursements. He shall cause a full and detailed account to be kept of the income and expenditure and of the funds and investment of the Exchange and shall submit the accounts to the Governing Board when required.

Financial Statement and Balance Sheet

157. The Treasurer shall cause the annual statement of income and expenditure and the balance sheet to be prepared and laid before the Annual General Meeting of the Exchange and the same shall be published annually for the information of the members of the Exchange.

Delegation

158. In defining the duties of Treasurer the term "Treasurer" shall be taken to apply to the Secretary in so far as it may relate to the duties apportioned and delegated to him.

¹ Deleted by Governing Board Resolution dated 13.09.02 pursuant to SEBI letter dated 05.09.02.

² Revised by Governing Board Resolution dated 13.09.2002 pursuant to SEBI's letter dated 05.09.02.

³ Revised by Governing Board Resolution dated 20.02.73 and approved by Govt. on 01.08.73.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

⁵ Renumbered by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

SECRETARY**Secretary**

- ¹ 159. The Governing Board shall appoint a Secretary of the Exchange and if necessary Deputy and Assistant Secretaries. For the purpose of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange the term Secretary includes Deputy Secretary and Assistant Secretary.

Secretary Not an Active Member

160. The Secretary ² {or Deputy Secretary} or Assistant Secretary shall not be an active member of the Exchange.

Speculative Dealings Forbidden

161. The Secretary ³ {or Deputy Secretary} or Assistant Secretary shall not be a party to or concerned in any speculative dealing on the Exchange or with any member of the Exchange.

Functions

162. The Secretary shall be the Secretary of the Governing Board and shall be the Secretary of each standing and other committee unless an Honorary Secretary to a standing committee has been appointed as provided in these Rules.

Secretary to Control Staff

163. The Secretary shall subject to any regulation or direction of the Governing Board have general charge and control over the employees of the Exchange and of all books, papers and registers belonging to the Exchange.

Minutes

164. The Secretary shall send out all notices and attend all meetings of the Exchange and of the Governing Board and if necessary of standing and other committee and shall cause proper minutes to be kept of the proceedings of all such meetings.

Records

165. The Secretary shall cause records to be maintained showing -

Register of Members

- (i) the names and addresses of members, the dates of their admission to and termination of membership and the addresses of present members;

Register of Partnerships

- (ii) the names and addresses of all partners and partnerships approved by the Governing Board and the admission to, alterations in and the dissolution of such partnerships with relevant dates;

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 22.02.66 and approved by Govt. on 29.03.66.

Register of Firms

- (iii) the names of all members working in firm names and the names of the firms of which they are the sole proprietors together with the relevant dates;

Register of Representative Members

- (iv) the names of all representative members and the names of the members with whom they are so working together with the relevant dates;

Register of Attorneys

- (v) the names of all persons holding from members a power of attorney and the substitute appointed by such attorneys and the dates on which such authority was granted and revoked.

Register of Remisiers

- (vi) the names of all remisiers appointed by each member with the dates of appointment and termination;

Register of Authorised Clerks

- (vii) the names of all authorised clerks employed by each member together with the dates of authorisation and termination.

List of Members

166. The Secretary shall publish a list of members to be forwarded to any applicant on request.

Posting of Notices

167. No notices, communications or announcements shall be posted on the notice board of the Exchange except through or under the authority of the Secretary.

Correspondence and Cheques

168. The Secretary shall conduct all correspondence on behalf of the Exchange and the Governing Board and shall perform such other duties as the Governing Board may direct. He shall countersign all cheques for the payment of money.

Members to give Information

169. All members of the Exchange, their partners, attorney, agents, remisiers, authorised clerks and employees shall give to the Secretary all such information and produce before him all such records as he may by direction of the Governing Board or the President require for the purposes of the Exchange or of the Governing Board or of the President.

STANDING COMMITTEES**¹{Arbitration, Defaulters', Disciplinary Action and Ethics Committee**

170. (a) The Governing Board shall every year at the first meeting in April after its election appoint:

²(i-a) Arbitration Panel ³ separately for each of the Regional Arbitration Centre for Member V/s Non-Member Arbitration, consisting of persons, who are not members of the Exchange or their Designated Directors and/or partners of member of the Exchange, to be appointed by the Exchange ³.

(i-b) an Arbitration committee for Arbitration between members, consisting of persons appointed from amongst members of the Exchange or the Designated Directors of the corporate members of the Exchange and/or partners of member of the Exchange, whose partnership has been approved by the Governing Board and registered with the SEBI.

⁴(ii) a Defaulters' Committee consisting of 40% persons appointed from among the members of the Exchange and 60% persons who are not members of the Exchange to be appointed ⁵{by the Exchange with the approval of SEBI or, if SEBI so desires, to be appointed by SEBI.}

⁶(iii) a Disciplinary Action Committee consisting of 40% persons from among members of the Exchange and 60% persons who are not members of the Exchange to be appointed ⁷{by the Exchange with the approval of SEBI or, if SEBI so desires, to be appointed by SEBI;} ⁸{ and }

⁹(iv) an Ethics Committee consisting of not more than 40% persons appointed from amongst the members of the Exchange and atleast 60% persons who are not members of the Exchange, out of which atleast one person should neither be a member of the Exchange nor be a member of the Governing Board. ¹⁰{ }

Implementation of Code of Ethics

¹¹(aa) the members of the Governing Board and Functionaries of the Exchange shall follow and observe the Code of Ethics applicable to the members of the Governing Board and the functionaries of the Exchange. The Ethics Committee shall oversee the implementation of such Code of Ethics as prescribed in the Appendix 'H' to these Rules and as may be amended from time to time by SEBI.

Alteration in Number of Members

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.03.

² Amended by Governing Board Resolution dated 17.06.03 and approved by SEBI on 15.09.03.

³ Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and SEBI approved on 05.01.2009

⁴ Amended by Governing Board Resolution dated 26.05.97 and approved by Govt. on 02.09.97.

⁵ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.09.99 and approved by Govt. on 07.01.2000.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 26.05.97 and approved by Govt. on 02.09.97.

⁷ Substituted by Governing Board Resolution dated 23.09.99 and approved by Govt. on 07.01.2000.

⁸ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.03.

⁹ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.03.

¹⁰ Deleted by SEBI vide its letter dated 03.03.02.

¹¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.03.

- (b) The Governing Board may from time to time increase or reduce the number of members of any Arbitration Panel or the Arbitration Committee or the Defaulters' committee or the Disciplinary Action Committee ¹{or the Ethics Committee.}
- (c) Only an individual may be a member of the Arbitration Panel and / or the Arbitration Committee and/or the Defaulters' Committee ¹{ and/or the Disciplinary Action Committee and / or Ethics committee.}

Chairman and Honorary Secretary

171. Each Committee shall immediately after its nomination elect from its own body its Chairman. ²{The Chairman of the Ethics Committee shall be elected from among the persons, who are neither the members of the Exchange nor the members of the Governing Board, appointed to the Committee.} The Committee may also elect from its own body an Honorary Secretary."

Retiring Members

172. (a) All retiring members of a Committee shall be eligible for re-nomination.

Retiring Members When to Continue in Office

- (b) All retiring members of a Committee shall continue in office until their successors are validly nominated.

Quorum

- ³ 173. A committee may from time to time determine its own quorum provided that-
- (i) in case of the Arbitration Committee, such quorum shall not be less than one-third of the total number of members of the Arbitration Committee (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three committee members, whichever is higher ⁴{ } .
- (ii) in case of the Defaulters' Committee, such quorum shall not be less than one-fourth of the total number of members of the Defaulters' Committee (any fraction contained in that one-fourth being rounded off as one) or three committee members, whichever is higher.
- ⁵(iii) in case of the Disciplinary Action Committee, such quorum shall not be less than one-third of the total number of members of the Disciplinary Action Committee (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three committee members, whichever is higher; and
- ⁶(iv) in case of the Ethics Committee, such quorum shall not be less than one-third of the total number of members of the Ethics Committee (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three committee members, whichever is higher.

Voting

174. Any question before a Committee shall be decided by a majority of the votes cast at a meeting and in case of an equality of votes the Chairman shall have a casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a member.

¹ Amended by Board Resolution dated 12.07.2008 and SEBI approved on 05.01.2009

² Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.03.

³ Amended by SEBI on 09.05.97 and adopted by Governing Board on 10.05.97.

⁴ Deleted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.2002.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

Proceedings

175. Unless otherwise provided or directed a Committee shall conduct and regulate its proceedings in the same manner as the Governing Board.

Leave

176. A committee may give any member thereof leave of absence for a period not exceeding four months and may declare the seat of such member temporarily vacated in which event the vacancy shall be filled by the Governing Board. The member so appointed shall vacate office on the return to Bombay of the absent member.

Removal of Member

177. The Governing Board may for reason to be recorded remove a member of a committee from such Committee.

¹ { Provided that a member appointed with the approval of the Securities and Exchange Board of India shall be removed only with the approval of the Securities and Exchange Board of India }

- ²177A. A person shall forthwith cease to be a member of the Defaulters' Committee ³{and/or the Disciplinary Action Committee} upon the occurrence of any of the events specified at clauses (i) to (xiii) below and of the Arbitration Committee ⁴{and/or the Ethics Committee} upon the occurrence of any of the events specified at clauses (iii) to (xiii) below:

- (i) if he is a member of the Defaulters' Committee ⁵{and/or the Disciplinary Action Committee} by reason of his having been the Executive Director of the Exchange and he ceases to be the Executive Director of the Exchange,
- (ii) if he is a member of the Defaulters' Committee ⁶{and/or the Disciplinary Action Committee} by reason of his having been the President of the Exchange and he ceases to be the President of the Exchange,
- (iii) if he was a member of the Exchange at the time when he was appointed a member of the Committee or at any time thereafter and he ceases to be a member of the Exchange,
- (iv) he dies,
- (v) he is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction,
- (vi) he applies to be adjudicated an insolvent,
- (vii) he is adjudicated an insolvent,
- (viii) he is convicted by a court of any offence involving moral turpitude,
- (ix) he leaves India on a permanent basis,
- (x) the Governing Board is of the opinion that by reason of illness or infirmity he has become incompetent to properly discharge his duties as a member of the Committee,
- (xi) he resigns as a member of the Committee,
- (xii) he is removed as a member of the Committee by the Governing Board or
- (xiii) his registration as a broker under the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Rules, 1992 is suspended or canceled.

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

² Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

⁵ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

⁶ Inserted by Governing Board Resolution dated 17.10.02 and approved by SEBI on 25.02.02.

Casual Vacancy

178. If a casual vacancy arises in a Committee by reason of death, resignation, removal, expulsion, absence for a period exceeding four months ¹{or for any other reason} such vacancy shall be filled by the appointment of a member of Exchange by the Governing Board ²{ or by appointment of a person who is not member of the Exchange with the approval of the Securities and Exchange Board of India as the case may be } and the member so appointed shall retain office till the next appointment and shall be eligible for re-appointment.

³ { Provided that when a person has ceased to be a member of the Defaulters' Committee by reason of his having ceased to be the President or the Executive Director of the Exchange, such vacancy shall be filled by the person who next occupies the office of the President or the Executive Director of the Exchange, as the case may be. }

¹ Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.1997.

² Amended by Governing Board Resolution dated the 13.09.93 and approved by SEBI on 27.09.93.

³ Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.

PARTNERSHIPS**Who may Form Partnership**

¹ 179. No partnership shall be formed except -

- (i) between two or more members of the Exchange; or
- ²{(ii) between a member of the Exchange and his father or mother or wife or his son or sons or daughter or daughters or daughter-in-law or daughters-in-law or father's brother or brothers or unmarried sister or sisters or brother's or brother's son or sons; or
- (iii) between two or more members of the Exchange and their fathers, mothers or wives or son or sons or daughter or daughters or daughter-in-law or daughters-in-law or brother or brothers or father's brother or brothers or unmarried sister or sisters or brother's or brothers' son or sons;

Provided that a son or daughter or son's son or brother or father's brother or unmarried sister of brother's shall not be taken into partnership unless he or she be in all respects eligible for membership of the Exchange. }

Security

180. ³ {(a) A member or his son's son or brother or brother's son shall provide security for a sum equivalent to 50 per cent of the security deposit prescribed under Rule 36 on admission of such son's son or brother or brother's son to partnership under the provisions of these Rules and shall maintain such security with the exchange at all times during the period such son's son or brother or brother's son continues to be a partner in the partnership firm. }

Provisions as to Security

- (b) The provisions in these Rules relating to security provided by a member shall apply mutatis mutandis to security provided in respect of a partner under sub-clause (a)

Lien on Security

- (c) The security provided in respect of a partner shall be subject to lien for any sum due to the Exchange or to the Clearing House by the partnership of which he is a partner and for the due fulfillment the engagements, obligations and liabilities of the partnership of which he is a partner arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

Return of Security

- (d) On the termination of the partnership or in the event of the member's son's son or brother or brother's son ceasing to be a partner or dying all security in respect of such partner not applied under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall at the cost of

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 05.06.86 and approved by Govt. on 27.11.89.

² Substituted by Governing Board Resolution dated 25.04.95 and approved by SEBI on 25.07.95.

³ Substituted by Governing Board Resolution dated 24.02.87 and approved by Govt. on 19.05.87.

the party providing such security be repaid and transferred either to such party or as such party shall direct or in the absence of any direction to such party's legal representative.

Letter of Declaration

- (e) A member or his son's son or brother or brother's son admitted to partnership providing security under the provisions of this Rule shall sign a Letter of Declaration in the form prescribed in Appendix F to these Rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe.

Annual Subscription

181. A member shall pay to the Exchange such annual subscription as the Governing Board may from time to time prescribe in respect of each son's son or brother or brother's son admitted by him to partnership under the provisions of these Rules.

Partner In One Firm Only

182. No person shall at the same time be a partner in more than one partnership firm.
- ¹182A. A director of a company who is a member of the Exchange shall not carry on any business either as a sole proprietor or as a partner of a firm or as a director of any other company which is a member of the Exchange or hold office or place of profit as a director of any other company as long as he acts as a director of the company.

Partnership with Non-Members Forbidden

183. No person who is not a member of the Exchange or who is not a ² { father or mother or wife or son or daughter or daughter-in-law or } son of a son or brother or ³ { unmarried sister } or son of a brother ⁴ { or father's brother } of such member shall be admitted a member of any partnership firm and a member of the Exchange entering into partnership with any such person shall on proof thereof before the Governing Board and upon a resolution of the Governing Board to that effect cease to be a member of the Exchange.

Partnership with Suspended Members Forbidden

184. A member shall not without the special permission of the Governing Board form a partnership with a member who has been suspended from the Exchange.

Contingent Partnership

185. A member shall not borrow money or securities from a non-member on terms that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits or shall receive a share of the profits.

Partnership Interest Not to be Assigned

186. No partner in any partnership firm shall assign or in any way encumber his interest in such firm.

Remuneration of Agents and Employees

187. No agent or employee of a member shall be paid any remuneration other than a fixed salary. The salary shall not vary with the business though it may be supplemented by a reasonable bonus or a share of the commission on the business introduced by him in the manner provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 07.12.87 and approved by Govt. on 03.02.88.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 05.06.86 and approved by Govt. on 28.11.89.

³ Inserted by Governing Board Resolution dated 05.06.86 and approved by Govt. on 28.11.89.

⁴ Inserted by Governing Board Resolution dated 27.07.95 and approved by SEBI on 25.07.95.

Governing Board Sole Judge of Partnership

188. The Governing Board shall be the sole judge as to what constitutes partnership within the meaning of these Rules and its decision shall be final.

Permission Necessary

189. No member shall form a partnership or admit a new partner to an existing partnership or make any change in the name of an existing partnership without the prior approval of the Governing Board.

Application for Permission

190. (a) The member or members desirous of carrying on business in partnership or admitting new partner or partners shall apply for permission to the Governing Board giving the names of the partners and the name of the partnership firm in the form prescribed in Appendix G to these Rules or in such other form or forms as the Governing Board may from time to time prescribe.

Information and Partnership Deed

- (b) Every application for permission shall be accompanied by such information in connection therewith as may be required by the Governing Board and by a copy of the proposed deed of partnership if any. Thereupon the Governing Board may approve the partnership and when the partnership is entered into a signed copy of the deed of partnership if any shall be delivered to the Exchange for purposes of record.

Withdrawal of Permission

191. The Governing Board in its discretion may at any time by a special resolution terminate any permission which it may have given with respect to a partnership and the partners affected shall conform to such directions as the Governing Board may make with respect thereto.

Changes in Partnership

192. (a) The members of the Partnership must communicate to the Exchange in writing under the signatures of all the partners or surviving partners who are members of the Exchange, any change in such partnership either by dissolution or retirement or death of any partner or partners.

Intimation in Prescribed Form

- (b) The Governing Board may from time to time prescribe forms for the purposes of sub-clause(a). The notice to the Exchange intimating dissolution of a partnership shall contain a statement as to who undertakes the responsibility of settling all outstanding liabilities but that shall not be deemed to absolve the other partner or partners of his or their responsibility for such liabilities.

Notice of Formation of and Changes in Partnership

193. On the Governing Board giving its sanction where necessary a notice of the partnership and the names of the partners and of any change therein shall be posted on the notice board of the Exchange and no partnership shall be considered formed, altered or dissolved until it is so notified.

Register of Partnerships

194. A register of partnerships shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of partnerships and the names and addresses of the partners and any change in such partnership or names together with the relevant dates.

Fictitious Partnership Names Forbidden

195. Save as otherwise provided in these Rules no member shall conduct business under a firm name unless he shall have atleast one partner.

Misleading Names

196. The Governing Board shall refuse to allow a partnership firm to carry on business under a name which it considers misleading.

Names to be Printed

197. A partnership firm shall state on all communications and circulars relating to Stock Exchange business and on all contract notes the name of the firm and the names of all partners therein.

Liability of Member Partners

198. All members of the Exchange who are partners of a firm which is guilty of any act or omission which if done by an individual member would render any such member liable to expulsion, suspension or any other penalty shall be liable to be expelled, suspended or penalised as the case may be.

Liability of Partners

199. During the continuance of any partnership the Governing Board may at any time inquire into the conduct of a partner and hold him liable to discipline in the same manner and to the same extent as if he were a member of the Exchange.

Joint and Several Liability

200. Business by a partnership firm shall be done in the name of the firm and all the partners of the firm shall be liable jointly and severally in respect of all dealings of the firm.

Bargains with Individual Partners

201. A member shall not transact any business or make any bargain for and on behalf of a partner of a partnership firm and such partnership firm shall not be liable for any business transacted or any bargain made by a member in the name of one only of the partners of the partnership firm.

Partnership Dissolved on Default

202. The default of a partnership firm shall dissolve the partnership and should the member partners of such firm when readmitted desire to renew the partnership they shall apply for permission to the Governing Board in the manner prescribed in these Rules.

The Term "Member" Include Partnership Firm

203. Whenever the word "member" appears in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange it shall include a partnership firm unless the context indicates otherwise.

FIRMS AND REPRESENTATIVE MEMBERS**Member Working In Firm Name**

204. A member who is a surviving or continuing partner of a partnership firm who is admitted as a member may with the permission of the Governing Board continue business in the name of the firm of which he was a partner.

Misleading Firm Name

205. The Governing Board shall refuse to allow a firm to carry on business under a firm name which it considers misleading.

Names to be Printed

206. A firm shall state on all communications and circulars relating to Stock Exchange business and on all contract notes the name of the firm and the name of the sole proprietor.

Register of Firms

207. A register of firms shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of firms and the names of the sole proprietors together with the relevant dates.

The Term "Member" Includes "Firm"

208. Whenever the word "member" appears in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange it shall be deemed to include a member working under a firm name unless the context indicates otherwise.

Representative Member

- ¹ 209. (a) A member carrying on business on the Exchange may with the permission of the Governing Board authorise another member to act as a representative member.

Number of Representative Members

- (b) The Governing Board may from time to time fix the number of representative members a member shall be entitled to authorise.

Approval or Rejection of Applications

- (c) The Governing Board in its discretion may approve or reject any application for authorisation of a representative member.

Termination

- (d) The Governing Board in its discretion may at any time terminate its approval of the authorisation of a representative member whereupon the authorising member shall discontinue the authorisation of the representative member concerned.

Notice of Termination

- (e) The authorising member and the representative member shall give prompt notice to the Exchange when the representative member ceases to work in that capacity with the authorising member.

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 13.02.62 and approved by Govt. on 16.02.62.

Register of Representative Members

- (f) A register of representative members shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of representative members and the names of the members by whom they are so authorised together with the date on which they commence and cease to work as such representative members.

Registration and Removal

- (g) The Governing Board shall have full power to refuse registration or to remove the name of any representative member from the register without assigning any reason.

Transactions in the Market by Representative Member

- ¹ 210. (a) A representative member shall be entitled to enter into bargains in the market in the name of the authorising member but he shall not enter into such bargains either in his own name or in the name of any other member nor shall he be entitled to employ any authorised clerks.

Authorising Member's Responsibility

- (b) A member authorising a representative member shall be responsible for all bargains made in the market by such representative member whether in the name of the authorising or representative member or in the name of any other member and he shall fulfill such bargains according to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange in the same manner as if such bargains had been made personally by him.

Representative Member's Business

- (c) A representative member shall transact all business whether on his own account or on behalf of his constituents and execute all orders for his constituents only through or with the authorising member and not directly or indirectly through or with any other member.

Indemnity

- (d) In the absence of an agreement in writing to the contrary the representative member shall be deemed to have agreed to give a full and complete indemnity to the authorising member for any loss which such authorising member may sustain by the default of the constituents (provided such constituents are not members of the Exchange) introduced by him in fulfilling their obligations and the provisions in the Rules, Bye-laws and Regulations in this behalf applicable to remisiers, authorised clerks and other persons sharing brokerage shall apply mutatis mutandis to the representative member.

Representative Member when to Issue Contract Notes

- (e) A representative member shall be entitled to issue to his constituents contract notes in his own name provided he has deposited with the Exchange security for ² {the amount prescribed under Rule 36 } and continues to maintain such security upto the expiry of one

¹ Substituted by Governing Board Resolution dated 13.02.62 and approved by Govt. on 16.02.62.

² Substituted by Governing Board Resolution dated the 24.02.87 and approved by Govt. on 19.05.87.

month from the date on which he notifies the Exchange that he has ceased issuing contract notes to his constituents.

Provisions as to Security

- (f) The provisions in these Rules relating to security deposited by a member shall apply mutatis mutandis to security deposited by a representative member provided however that the authorising member shall also have a lien on the security for the due fulfillment of the engagements, obligations and liabilities of the representative member as provided in these Rules, Bye-laws and Regulations.

CONSTITUTED ATTORNEYS

Power of Attorney

211. No member shall give a Power of Attorney to a non-member to carry on or supervise his Stock Exchange business unless the non-member to whom he proposes to give such Power of Attorney is in all respects eligible for membership of the Exchange and is approved by the Governing Board.

Appointment of Substitutes

212. No substitute shall be appointed under a Power of Attorney given by a member unless the person it is proposed to appoint as a substitute is in all other respect eligible for membership of the Exchange and is approved by the Governing Board.

Registration of Power of Attorneys

213. Any power of Attorney granted by a member and any substitution thereunder must be registered and a copy thereof filed with the Exchange.

Register of Constituted Attorneys

214. A register of Constituted Attorneys shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of the constituted attorneys and the names of the appointing members and the names of the substitutes appointed by such attorneys together with the dates on which the authority is granted and rescinded.

Member's Liability

215. Nothing contained in these Rules shall absolve the member granting the Power of Attorney from responsibility for the acts of his attorney or substitute.

REMISIERS**Remisier**

216. A person who is engaged by a member primarily to solicit commission business in securities shall be called a remisier.

Commission Terms

217. A member shall be entitled to employ remisiers for the purpose of his Stock Exchange business, and subject to the provisions of the Bye Laws, remunerate such remisiers with such brokerage as agreed upon in writing by way of an agreement.

Permission Necessary

218. No member shall employ any remisier without first having such appointment approved by the Governing Board.

Ex-members as Remisiers

219. A member may with the special consent of the Governing Board employ as his remisier a person who has ceased to be a member under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

Remisier Not to be Another's Employee

220. A remisier may be an individual or firm but must not be in the employ of any individual or firm.

Remisier to Act for one Member only

221. No person shall be registered as a remisier to more than one member.

Application

222. (a) A member desirous of employing a remisier shall apply for the permission of the Governing Board in such form as the Governing Board may from time to time prescribe. Such form shall be signed both by the member and the proposed remisier.

Discharge Certificate

- (b) An application by a member to employ a remisier who previously had been acting as a remisier or authorised clerk with another member must be accompanied by a discharge certificate from the former employer or employers. Such discharge certificate shall be in such form as the Governing Board may from time to time prescribe and it shall show whether the remisier or authorised clerk left his former employer or employers clear of all debts and outstanding liabilities and whether his conduct while in that employment was satisfactory.

Absence of Discharge Certificate

- (c) When a discharge certificate is not attached to an application as required under sub-clause (b) the proposed remisier shall submit an explanation therefor and the Governing Board or the President shall then decide whether and on what conditions the requirements relating to the discharge certificate shall be waived and if there be any dispute between the proposed remisier and his former employer the Governing Board or the President may refer it to the Arbitration Committee for its adjudication or may require that the dispute be decided by arbitration in accordance with the Bye-laws and Regulations of the Exchange relating to arbitration other than between members.

Remisier Not to Engage in Forward Business

223. The Governing Board may refuse permission to a person desirous of working as a remisier unless he gives an undertaking that forthwith on registration as remisier he will cease to engage himself as principal or employee in and not be directly or indirectly connected with any other kind of forward business.

Approval or Rejection of Application

224. The Governing Board in its discretion may approve or reject any application for appointment of a remisier.

Withdrawal of Permission

225. The Governing Board in its discretion may at any time terminate the approval of a remisier whereupon the member shall discontinue the employment of the remisier concerned.

Termination

226. Each member shall give prompt notice to the Exchange of the termination of the employment of a remisier.

Register of Remisiers

227. (a) A register of remisiers shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of all remisiers together with the dates of their appointment and discharge and the names of the members employing them.

Inspection of Register

- (b) The register shall not be open to inspection generally but only to the President or to the Governing Board sitting as such.

Registration and Removal

- (c) The Governing Board shall have full power to refuse registration or to remove the name of any remisier from the register without assigning any reason.

Admission to the Floor

228. (a) A remisier may be allowed admission to the floor of the Exchange on ¹ { such terms and conditions } as the Governing Board may from time to time prescribe.

Admission during Good Behaviour

- (b) A remisier shall be admitted to the floor of the Exchange only during good behaviour and shall be bound to observe the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

¹ Substitute by Governing Board Resolution dated 19.11.68 and approved by Govt. on 24.12.68.

Grant, Refusal or Suspension of Admission

- (c) The Governing Board may in its absolute discretion refuse admission to the floor of the Exchange to the remisier of any member and may at any time suspend the admission of such remisier without assigning any reason whatsoever.

Remisier Not to Make Bargains

229. When on the floor of the Exchange a remisier shall not make bargains in his own name or on behalf of his employer or any other member. A remisier acting in violation of this provision shall be immediately suspended or expelled by the Governing Board or the President.

Remisier Not to Sign Contract Notes

230. A remisier shall give the names of his constituents in whose names contract notes are to be rendered by the member for whom the remisier acts. The remisier shall not sign contract notes in his own or any other name nor shall he sign on behalf of his employer unless appointed by such employer as his constituted attorney for that purpose.

Remisier Not to Advertise

231. A remisier shall not advertised or issue price lists or circulars to other than his own constituents.

Remisier's Personal Business

232. A remisier may not act as a remisier for his personal business. No allowance shall be made for the brokerage upon business for his own personal account.

Sub-Agent

233. If a remisier in whatever circumstances directly or indirectly divides or shares his brokerage with his constituent or sub-agent his name shall be forthwith removed from the register.

Remisier Not to Share Brokerage with Constituents

234. Members shall be held responsible that remisiers make no allowance or return of brokerage directly or indirectly to the constituents they introduce or to any other person or agent.

Security

235. (a) When the employing member so requires a remisier shall on registration provide security for the sum of atleast Rs. 5,000 and shall maintain such security with the Exchange at all times during the period he continues to be a remisier with such member.

Provisions as to Security

- (b) The provisions in these Rules relating to security provided by a member shall apply mutatis mutandis to security provided by a remisier under sub-clause (a)

Lien on Security

- (c) The member for whom a remisier is working shall have a first charge on the security for the due fulfillment of his engagements, obligations or liabilities arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made with him or on his behalf or with or on behalf of his constituents subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

Return of Security

- (d) On the termination of his employment or in the event of his death all security not applied under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall at the cost of the remisier be repaid and transferred to him or as he shall direct or in the absence of such direction to his legal representatives.

Letter of Declaration

- (e) A remisier providing security under the provisions of these Rules shall sign a Letter of Declaration in the form prescribed in Appendix F to these rules or in such other form as the Governing Board may from time to time prescribe.
-

AUTHORISED CLERKS**Authorised Clerks**

236. A member carrying on business on the Exchange other than a representative member shall be entitled to appoint authorised clerks in his own exclusive employment for entering into bargains in the market on behalf of such member.

Number of Authorised Clerks

237. The Governing Board shall from time to time fix the number of authorised clerks a member shall be entitled to employ.

Remisiers as Authorised Clerks

238. A member may with the permission of the Governing Board employ his remisier also as his authorised clerk but not in addition to the number of authorised clerks allowed to him under these Rules: Provided however that no member who has been declared a defaulter under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and subsequently registered as a remisier shall be allowed to enter the floor of the Exchange to effect bargains as an authorised clerk.

Alternate Authorised Clerks

239. A member may with the permission of the Governing Board nominate an alternate authorised clerk to act temporarily in the absence of an authorised clerk.

Substitute Authorised Clerks

240. A member may with the permission of the Governing Board substitute other authorised clerks for those withdrawn.

Substitute Authorised Clerks When not Allowed

241. When an authorised clerk is suspended or expelled by the Governing Board or the President for any reason his employer shall not be permitted to appoint a substitute authorised clerk in his place for such period following the date of suspension or expulsion as may be deemed proper.

Terms and conditions

- ¹ 242. The appointment of authorised clerks and of alternate and substitute clerks in their place shall be subject to such terms and conditions as the Governing Board may from time to time prescribe.

Permission of Governing Board Necessary

243. No member shall employ an authorised clerk or appoint an alternate or substitute authorised clerk in his place without first having such appointment approved by the Governing Board.

Minor Ineligible

244. No person shall be admitted as an authorised clerk who is under eighteen years of age.

Defaulter Ineligible

245. No member shall take into or continue in his employment as an authorised clerk a former member who has been declared a defaulter but he may apply for the admission of a defaulter as his clerk in the Settling Room.

Suspended and Expelled Members

246. No member shall without the special permission of the Governing Board take into or continue in his employment as an authorised clerk a former member who has been suspended or expelled.

Application

247. (a) A member desirous of obtaining admission to the market for his authorised clerks (which term shall include alternate or substitute authorised clerks) shall apply for the permission of the Governing Board in such form as the Governing Board may from time to time prescribe.

Discharge Certificate

- (b) An application by a member to employ an authorised clerk who previously had been acting as an authorised clerk or a remisier to another member must be accompanied by a discharge certificate from the former employer. Such discharge certificate shall be in a form prescribed from time to time by the Governing Board and it shall show whether the authorised clerk or remisier left his former employer or employers clear of all debts and outstanding liabilities and whether his conduct while in that employment was satisfactory.

Absence of Discharge Certificate

- (c) When a discharge certificate is not attached to an application as required in sub-clause (b) the proposed authorised clerk shall submit an explanation therefor and the Governing Board or the President shall then decide whether and on what conditions the requirement relating to the discharge certificate shall be waived and if there be any dispute between the proposed authorised clerk and his former employer the Governing Board or the President may refer it to the Arbitration Committee for its adjudication or may require that the dispute be decided by arbitration in accordance with the Bye-laws and Regulations of the Exchange relating to arbitration other than between members.

Approval or Rejection of Application

248. The Governing Board in its discretion may approve or reject any application for appointment of an authorised clerk.

Withdrawal of Permission

249. The Governing Board in its discretion may at any time terminate the approval of any authorised clerk whereupon the members shall discontinue the employment of such authorised clerk.

Notice of Authorisation, Termination and Withdrawal

250. A member employing an authorised clerk or terminating the employment or withdrawing the authorisation of such clerk shall give notice in writing to the Exchange of the name of such clerk and of the date of the commencement or termination of his employment or the withdrawal of his authorisation and a notice of such employment, termination or withdrawal shall be posted on the notice board of the Exchange.

Register of Authorised Clerks

251. (a) A register of authorised clerks shall be maintained by the Exchange in which shall be entered the names of all authorised clerks together with the dates of their authorisation and discharge and the names of the members employing them.

Registration and Removal

- (b) The Governing Board shall have full power to refuse registration or to remove the name of any authorised clerk from the register without assigning any reason.

Admission to the Floor

252. (a) An authorised clerk shall be allowed admission to the floor of the Exchange and no clerk so authorised shall be so allowed.

Admission During Good Behaviour

- (b) An authorised clerk shall be admitted to the floor of the Exchange only during good behaviour and shall be bound to observe the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

Grant, Refusal or Suspension of Admission

- (c) The Governing Board in its absolute discretion may refuse admission to the floor of the Exchange to the authorised clerk of any member and may at any time suspend the admission of such authorised clerk without assigning any reason whatever.

Authorised Clerks to Make Bargains

253. An authorised clerk shall transact business only on behalf of his employer. He shall be liable to be immediately suspended or expelled by the Governing Board or the President if he makes bargains in his own name or in any name other than that of his employer.

Member Liable for Bargains of Authorised Clerk

254. A member shall be liable for all bargains made in the market by any authorised clerk employed by him and he shall fulfill such bargains according to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange in the same manner as if such bargains had been made personally by him.

Liability of Employer to Continue Until Notice

255. The responsibility of a member to other members for the bargains of his authorised clerk shall continue until one day after the notice of the termination of his employment or the withdrawal of his authorisation shall have been received and posted on the notice board of the Exchange.

Authorised Clerks Not to Sign Contract Notes

256. An authorised clerk shall not sign contract notes in his own or any other name nor shall he sign on behalf of his employer unless appointed by such employer as his constituted attorney for that purpose.

Members Not Liable for Authorised Clerk's Borrowings

257. A member appointing on authorised clerk shall not be held answerable for money borrowed by such authorised clerk with or without security unless he shall have given special authority for that purpose.

¹ Additional Terms in Case of companies

- 257A. (i) The Articles of Association of a member which is a company shall contain such provisions as the Governing Board may from time to time require. The list of shareholders of the company shall be furnished to the Exchange. The shareholders for the time being shall be persons acceptable to the Governing Board;

- ¹ (ii) {In case of a private limited company formed under Rule 19A(a), the directors of the company who are members of the Exchange shall always hold atleast 51 percent of the issued capital of the company and in the case of a public limited company formed under Rule 19A(a) the directors of the company who are members of the Exchange and their associates shall always hold atleast 40 per cent of the issued capital of the company.}
- (iii) The name, the Memorandum and Articles of Association and the capital and shareholding pattern of such a company shall not be altered without the prior consent of the Governing Board;
- (iv) A person shall not be appointed a Director of such a company unless the Governing Board conveys its approval to such appointment;
- (v) If there is a change in the shareholding of the company which is not acceptable to the Governing Board or a person is appointed as a Director who is not acceptable to the Governing Board, the Governing Board may expel the member company.
- ²(vi) In the case of a company formed under Rule 19A(b) of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, the company shall declare its dominant shareholders at the time of seeking admission to the membership of the Exchange and shall appoint at least one of the dominant shareholders as one of its Designated Directors.

If, however, it is not feasible for a company to appoint one of its dominant shareholders as a Designated Director, then the company shall appoint at least two Designated Directors, who should possess

- (a) educational qualification of not less than graduation; and
- (b) minimum of two years' experience in capital markets.

The Designated Directors so appointed shall each hold a minimum of 5% shares in the paid-up capital of the company.

Provided further that the Governing Board will have the power to waive the above requirement for a company (including a company promoted by Non-Resident Indians) on such conditions as it finds fit subject to provisions of Rule 8(4A) of S.C. (R) Rules, 1957.

The Governing Board will have the power to define the concept of Dominant Shareholder.

¹ Amended by Governing Board Resolution dated 27.05.96 and approved by SEBI on 27.02.97.

² Inserted by Governing Board Resolution dated 23.05.03 & 20.09.03 and approved by SEBI on 18.08.03.

1 AMALGAMATION AND DEMERGER OF CORPORATE MEMBERS**Definitions**

257B (1) In this Rule, unless repugnant to the context or meaning thereof -

- (i) "company" means a company or other body corporate incorporated under any law.
- (ii) "Corporate Member" means a member of the Exchange which is a company.
- (iii) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

**SEBI's and Governing Board's Consent For
Amalgamation of Corporate Member**

- (2) A Corporate Member shall not amalgamate with any other company and no company shall amalgamate with any Corporate Member except with the prior permission of SEBI and the Governing Board and subject to such terms and conditions as SEBI and the Governing Board may stipulate. SEBI and / or the Governing Board may refuse to consent to such amalgamation for such reasons as it considers fit and proper including (but not limited to) on account of any disciplinary proceedings pending against any of the parties or their directors under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or any rules or regulations framed therein or under the Exchange's Rules Bye-laws and Regulations. The Governing Board may expel the concerned Corporate Member in the event of a breach of this Rule. Prior to granting such consent the provisions of Rule 23 of the Exchange's Rules, Bye-laws and Regulations shall be complied with in respect of the transferor and the transferee, and the Governing Board shall consider any claims and objections which may be received.

**Consequence of Amalgamation of Corporate Member
with Non-Member Company**

- (3) If, pursuant to SEBI's and / or the Governing Board's consent and in accordance with the terms and conditions stipulated by SEBI and / or the Governing Board, a Corporate Member ("the transferor company") amalgamates with a company which is not a Corporate Member ("the transferee company") and the scheme of amalgamation provides that the transferor company's right of membership of the Exchange shall vest in the transferee company consequent to such amalgamation then, immediately upon the amalgamation becoming effective, :-
- (a) the transferee company shall be deemed to be a member of the Exchange in place and stead of the transferor company without the transferee company being required to pay any membership, entrance or admission fee to the Exchange; provided always that the transferee company shall not be deemed to be a member of the Exchange until the transferee company complies with all the conditions as applicable to such member, such as payment of registration fee, etc., as per the applicable SEBI Regulations.
 - (b) the registrations, if any, of the transferor company as a Trading or Clearing Member of the Derivatives Segment of the Exchange and all other registrations of the transferor company with any other segment of the Exchange shall vest in the transferee company without the transferee company being required to pay any membership, entrance or admission fee;

- (c) any nominee of the transferor company who is a member of the Governing Board of the Exchange or any other board, council or committee of the Exchange or who holds any office on the Exchange at the time of the amalgamation shall continue to be such member or to hold such post (but as a nominee of the transferee company) for so long as he would have held such post if such amalgamation had not occurred unless he ceases to be a whole-time / designated director of the transferee company or otherwise prematurely vacates or becomes ineligible to hold such office or be such member under any other Rule or any law. The transferee company shall not have the right to fill in the vacancy and the vacancy will be filled in accordance with the provisions of the Exchange's Rules, Bye-laws and Regulations;
- (d) the transferee company shall be entitled to and be bound by all the rights and obligations of the transferor company; and
- (e) the transferee company shall be liable for all acts and omissions of the transferor company prior to the amalgamation, and any disciplinary, arbitration or other proceeding which, but for such amalgamation, could have been commenced or continued by or against the transferor company, may be commenced or continued by or against the transferee company.

Provided that –

- (i) Sub-Clause (a) shall not apply if the transferee company is ineligible to be or continue as a member of the Exchange under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, The Securities & Exchange Board of India (Stock brokers and Sub-brokers) Rules, 1992, the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or any other law; and
- (ii) Sub-Clause (b) shall not apply if the transferee company is ineligible to be or to continue to be so registered under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or of any segment of the Exchange or under any other law.

Consequence of Amalgamation of Corporate Member with another Corporate Member

- (4) If, pursuant to SEBI's and the Governing Board's consent and in accordance with the terms and conditions stipulated by SEBI and the Governing Board, one or more Corporate Members ("the transferor company" or "the transferor companies") amalgamate with another Corporate Member ("the transferee company") or two or more Corporate Members ("the transferor companies") amalgamate with a company which is not a Corporate Member ("the transferee company") and the scheme of amalgamation provides that the transferor company's or the transferor companies' (as the case may be) right of membership of the Exchange shall vest in the transferee company consequent to such amalgamation then, immediately upon the amalgamation becoming effective, the provisions of Sub-Rule (3) shall apply *mutatis-mutandis* subject to the following modifications –
 - (a) If nominees of two or more of the Corporate Members are directors or members of the Governing Board of the Exchange or any other board, council or committee of the Exchange or hold any offices on the Exchange, and the Rules or any other law do not permit more than one nominee of the same Corporate Member to be such director or member or to hold such office then, prior to the amalgamation, the transferor company or companies and the transferee company shall jointly inform the Governing Board who will cease to be such director or member or vacate such post as may be required failing which the Governing Board shall be entitled to decide which director/member shall vacate office;
 - (b) The transferee company shall be deemed to be a Composite Corporate Member; and
 - (c) If the transferor company or companies and the transferee company hold more than one registration as Trading and/or Clearing Member of the Derivatives Segment of the Exchange or hold any other common registrations of any other

segment of the Exchange then unless the provisions relating to such registrations permit the same Corporate Member to have more than one registration, prior to the amalgamation the transferor company or companies and the transferee company shall jointly inform the Governing Board which registration(s) shall cease failing which the Governing Board shall be entitled to decide which registration(s) shall cease.

**Governing Board's Consent For
Demerger by Corporate Member**

- (5) A Corporate Member shall not undertake a scheme of reconstruction or demerger except with the prior permission of SEBI and the Governing Board and on and subject to such terms and conditions as SEBI and / or the Governing Board may stipulate. The Governing Board may expel a Corporate Member in the event of a breach of this Rule.

Consequence of Demerger by Corporate Member

- (6) If, pursuant to SEBI's and the Governing Board's consent and in accordance with the terms and conditions stipulated by SEBI and / or the Governing Board, a Corporate Member ("the transferor company") undertakes a scheme of reconstruction or demerger whereby, pursuant to the order of a court or other statutory authority, the transferor company's right of membership of the Exchange vests in a wholly owned subsidiary of the transferor company ("transferee company") then, immediately upon the reconstruction or demerger becoming effective, the provisions of Sub-Rule (3) shall apply *mutatis-mutandis*.

DISCIPLINARY PROCEEDINGS**Disciplinary Jurisdiction**

258. The Governing Board may expel or suspend and/or fine and/or censure and/or warn and/or withdraw any of the membership rights of member if he be guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Exchange or the Governing Board or the President or of any committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the Governing Board in its absolute discretion deems dishonourable, disgraceful or unbecoming a member of the Exchange or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interest, good name or welfare of the Exchange or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

Offences by Partners, Agents and Employees of Members

259. The Governing Board may expel or suspend and/or fine and/or censure and/or warn the partner of a member or his attorney, agent, remisier, authorised clerk or employee for any act or omission which if done or omitted by the member would subject him to the same penalties.

Member's responsibility for Partners, Agents and Employees

260. A member shall be fully responsible for the acts and omissions of his partnership firm and of his partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees and if any such act or omission be held by the Governing Board to be one which if done or omitted by the member would subject him to any of the penalties as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange then such member shall be liable therefor to the same penalty to the same extent as if such act or omission had been done or omitted by him personally.

Members and Others to Testify and Give Information

261. A member shall appear and testify before and cause his partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks and employees to appear and testify before the Governing Board or the President or before a committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf and shall produce and cause to be produced before the Governing Board or the President or before a committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in his or their possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

Permission Necessary for Legal Representation

262. No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the Governing Board, President or any committee unless the Governing Board or President or committee so permits.

Explanation Before Suspension or Expulsion

263. A member shall be entitled to be summoned before the Governing Board or the President and afforded an opportunity for explanation before being suspended or expelled but in all cases the findings of the Governing Board shall be final and conclusive.

Penalties How Imposed

264. The penalty of suspension, withdrawal of all or any of the membership rights, fine censure or warning may be inflicted singly or conjointly by the Governing Board. The penalty of expulsion shall be inflicted only by a special resolution of the Governing Board.

Pre-determination of Penalties

265. The Governing Board shall have the power to pre-determine the penalties, the period of any suspension, the withdrawal of particular membership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Exchange, the Governing Board or the President or of any committee or officer of the Exchange authorised in that behalf.

Commutation

266. Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the Governing Board in its discretion may in any case suspend a member in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

Reconsideration

267. Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Rules 1957 the Governing Board may of its own motion or on appeal by the member concerned reconsider and may rescind, revoke or modify its resolution withdrawing all or any of the membership rights of or fining, censuring or warning any member. In a like manner the Governing Board may by a special resolution rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any member.

Failure to Pay Fines and Penalties

268. If a member fails to pay any fine or penalty imposed on him within seven days after notice in writing has been served on him by the Exchange he may be suspended by the Governing Board until he makes payment and if within a further period of thirty days he fails to make such payment he may be expelled by the Governing Board.

Consequences of Suspension

269. The suspension of a member shall have the following consequences namely-

Suspension of Membership Rights

- (i) the suspended member shall during the term of his suspension be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership including the right to attend or vote at any meeting of the Exchange but he may be proceeded against by the Governing Board for any offence committed by him either before or after his suspension and the Governing Board shall not be debarred from taking cognisance of and adjudicating on or dealing with any claim made against him by other members;

Rights of Creditors Unimpaired

- (ii) the suspension shall not affect the rights of the members who are creditors of the suspended member;

Fulfillment of Contracts

- (iii) the suspended member shall be bound to fulfill contracts outstanding at the time of his suspension;

Further Business Prohibited

- (iv) the suspended member shall not during the term of his suspension make any bargain on the floor of the Exchange or transact any business with or through a member provided that he may with the permission of the Governing Board close with or through a member the transactions outstanding at the time of his suspension;

Members Not to Deal

- (v) no member shall transact business for or with or share brokerage with a suspended member during the term of his suspension except with the previous permission of the Governing Board.

Consequences of Expulsion

270. The expulsion of a member shall have the following consequences namely -

- (i) the expelled member shall forfeit to the Exchange his right of membership and all rights and privileges as a member of the Exchange including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange ¹{ or of the Trade Guarantee Fund } but any liability of any such member to the Exchange, ²{ to the Clearing House, to the Trade Guarantee Fund } or to any member of the Exchange shall continue and remain unaffected by his expulsion;

Lapse of Right of Nomination

- (ii) the right of nomination shall vest in the Exchange and shall not be exercised by the expelled member;

Office Vacated

- (iii) the expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled member;

Rights of Creditors Unimpaired

- (iv) the expulsion shall not affect the rights of the members who are creditors of the expelled member;

Fulfillment of Contracts

- (v) the expelled member shall be bound to fulfill transaction outstanding at the time of his expulsion and he may with the permission of the Governing Board close such outstanding transaction with or through a member;

Members Not to Deal

- (vi) no member shall transact business for or with or share brokerage with the expelled member except with the previous permission of the Governing Board.

Expulsion Rules to Apply

271. When a member ceases to be such under the provisions of these Rules otherwise than by death, default or resignation it shall be as if such member has been expelled by the Governing Board and in that event all the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such member in all respects.

¹ Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.

² Inserted by SEBI on 09.05.97 and adopted by the Governing Board on 10.05.97.

Suspension of Business

- 272.** (a) The Governing Board or the President shall require a member to suspend his business when he fails to maintain or provide further security as prescribed in these Rules and the suspension shall continue until he pays the necessary amount by way of security.

Penalty for Contravention

- (b) A member who is required to suspend his business under sub-clause (a) shall be expelled by the Governing Board if he acts in contravention of the provisions of this Rule.

Notice of Penalty and Suspension of Business

- 273.** Notice shall be given to the member concerned and to the members in general by a notice on the notice board of the Exchange of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a member or of any other penalty imposed on him or on his partners, attorneys, agents, remisiers, authorised clerks or other employees. The Governing Board may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the members of the Exchange or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended his business or ceased to be a member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Exchange or the Governing Board or any member of the Governing Board or any officer or employee of the Exchange for the publication or circulation of such notification and the application for membership or the application for registration as a partner, constituted attorney, remisier or clerk by the person concerned shall operate as license and this Rule shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.
-

¹RULES PERTAINING TO CLEARING HOUSE / CLEARING COUNCIL**Clearing Council**

274. Without prejudice to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange, the regulation, management and control of the Clearing House shall vest in the Clearing Council.

Composition of Clearing Council

275. The composition of the Clearing Council shall be prescribed by the Regulations. Provided that there shall not be more than seven members on the Clearing Council. Provided that no member of the Exchange and no Trading or Clearing Member on any segment of the Exchange shall be a member of the Clearing Council. Any appointment to the Clearing Council will be subject to approval of Securities & Exchange Board of India.

Chief Executive Officer

276. The Clearing Council shall appoint as a whole-time Chief Executive Officer of the Clearing House any person who in its opinion is suitable for the office on such terms and for such period as it may determine. During his tenure of office the Chief Executive Officer shall neither directly or indirectly be an active member of the Exchange nor shall he be a party to or be concerned in any speculative dealing on the Exchange or with any member of the Exchange. The person appointed as Chief Executive Officer shall not directly or indirectly engage himself in any business during his tenure of office and if he is a member of the Exchange or a Trading Member or a Clearing Member on the Derivatives Segment or is a partner, director, shareholder or representative of a member of the Exchange or of a Trading Member or of a Clearing Member then he or such member or Trading/Clearing Member (as the case may be) shall not directly or indirectly carry on any business on the Exchange. Subject to the over-all management of the operations of the Clearing House being vested in the Clearing Council as provided in these Rules, Bye-laws and Regulations, the Chief Executive Officer shall be vested with the executive powers of the Clearing House to run the day-to-day administration and to enforce the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and also of any segment of the Exchange applicable to the Clearing House and to represent the Clearing House in any public matter and to exercise all other powers, rights, duties and functions as are vested in the Chief Executive Officer of the Clearing House under the Rules, Bye-laws and Regulation of the Exchange and also of any segment of the Exchange and/or as may be entrusted or delegated to him by the Clearing Council from time to time. The Chief Executive Officer shall cease to be a member of the Clearing Council if he ceases to hold the office of Chief Executive Officer.

Office Bearers

277. The members of the Clearing Council shall elect from amongst themselves the Chairman of the Clearing Council and the Clearing House within a period of 10 days from the constitution of Clearing Council

Vacancy in the Office of Chairman

278. In case a vacancy shall occur in the office of Chairman, the Clearing Council shall fill the vacancy by electing an Acting Chairman from among the members of the Clearing Council. .

POWERS OF THE CLEARING COUNCIL**Jurisdiction**

279. Without prejudice to the rights of inspection and other rights of the Exchange, the Derivatives Segment and other authorities, the Clearing Council shall have complete jurisdiction over all the members of the Exchange and Clearing Members in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision and inspection and other matters related thereto. The Clearing Council

¹ Inserted by Governing Board Resolution dated 02.03.2000 and approved by SEBI on 24.07.2000

shall have the absolute power and right to interpret all the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange in so far as they relate to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and to decide all points, questions and disputes relating to the Clearing House and matters relating to the administration, functions, working and affairs of the Clearing House. Notwithstanding anything contained elsewhere in these Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, any interpretation or decision made by the Clearing Council in respect of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange relating to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto shall be final and conclusive and binding on all members of the Exchange, all Trading Members, Clearing Members, their directors, partners, agents, representatives, officers, employees and Clients and Constituents and on all persons dealing through or with the members, Trading Members and Clearing Members.

General Powers

- 280 Without prejudice to the rights of inspection and other rights of the Exchange, the Derivatives Segment and other authorities, the management and control of the operational functions, working and affairs of the Clearing House, the regulation of the conduct of the members of the Exchange Clearing Members, their directors, partners, agents, representatives, officers, employees and Clients/Constituents in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and the promotion of the welfare, objects and purposes of the Clearing House (but not the management or control of any properties, finances or funds of the Exchange or of its income or expenditure, whether or not pertaining to the Clearing House) shall, subject to these Rules, Bye-laws and Regulations, vest in the Clearing Council. In the exercise of such powers it may from time to time adopt such Regulations, pass such resolutions, issue such orders, notices and directions and take such decisions relating to the Clearing House as it may deem appropriate. More particularly, in furtherance and not in limitation of the foregoing powers, and without prejudice to the generality of the foregoing powers and to any power or authority impliedly or expressly conferred by any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange and of any segment of the Exchange for the time being in force, the Clearing Council is specially authorised, subject to any Rule or Bye-law for the time being in force, to exercise the powers in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto in the sense of the provisions in that behalf contained in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange.

Powers

- 281 In the exercise of its powers, and in compliance with SEBI guidelines, if any, the Clearing Council shall be deemed empowered to do any of the following or similar acts or things or use any of the following or similar authorities in connection with the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto namely -

Committees

- (i) to appoint committees;

Casual Vacancies

- (ii) to fill casual vacancies in any committee;

Recommending Expulsion and Control of Members

- (iii) to recommend to the Governing Board or the Governing Council the registration of Clearing Members and expulsion of members of the Exchange, Trading and Clearing Members.

Controlling Members

- (iv) to control, warn, censure, fine and suspend, and withdraw all or any of the rights of, the members of the Exchange (for any default relating to clearing and settling) and Clearing Members, to declare Clearing Members as defaulters and recommend to the Governing Board or the Governing Council, declaration of default of members of the Exchange or Trading Members (for

any default relating to clearing and settling). The Clearing Council may also suspend the operations of a Trading Member after consultation with the Governing Council (for any default relating to clearing and settling).

Control of Partners, Attorneys, Agents and Employees

- (v) to control, warn, censure, fine, suspend, and exercise supervision over directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons and employees of members of the Exchange and Clearing Members;

Investigation

- (vi) to examine and investigate the financial conditions, business conduct and dealings of the members of the Exchange Trading Members and Clearing Members;

Attendance and Information

- (vii) to call upon any member of the Exchange, Trading Member or Clearing Member, his directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons and employees to appear and testify before the Clearing Council or the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or before a committee or an officer of the Clearing House authorised in that behalf and to furnish to the Clearing Council or to the Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing Council or to a committee or an officer of the Clearing House authorised in that behalf, such books, papers, documents, correspondence, clearing forms and any other records or information in his or their possession which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation or which the Clearing Council, Chief Executive Officer, Chairman, committee or officer in its or his absolute discretion deems necessary in the interest of just and equitable principles of trade or in the public interest or in the interest and welfare of the Clearing House or the Exchange or investors.

Imposition of Penalties

- (viii) to prescribe from time to time and impose penalties for violation of these Rules, Bye-laws and Regulations relating to clearing and settlement and for neglect or failure or refusal to comply with resolutions, orders, notices, directions or decisions of the Clearing Council or the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or of any committee or officer of the Clearing House authorised in that behalf or for any infraction against the Clearing House the penalty for which is not specifically prescribed.

Enforcement of Rules, Bye-laws and Regulations

- (ix) to enforce the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or any segment of the Exchange in so far as they relate to the Clearing House and clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and take cognisance of breaches thereof and offences against them;

Regulation of Functioning

- (x) to determine from time to time the mode and conditions subject to which the Clearing House and clearing and settlement of contracts/trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto shall function;

Fees and Charges

- (xi) to fix from time to time and collect from members of the Exchange and Clearing Members in addition to the dues and charges provided for in these Rules, Bye-laws and Regulations and such other charges of fees as may be deemed necessary or desirable for the functioning of the Clearing House;

Appointment of Employees

- (xii) to appoint and at its discretion to suspend or remove such permanent, temporary or special employees pertaining to the Clearing House, to determine their powers, duties and terms of remuneration, to establish, maintain or subscribe to for their benefit any provident or benefit funds, pensions, gratuities, compensation or insurance schemes and to make and alter service and other rules and regulations in that behalf as it may from time to time think fit;

Facilities

- (xiii) to provide from time to time such facilities as may be necessary for the functioning of the Clearing House.

Powers and Rights

- (xiv) to award contracts for managing the Clearing House (for the Derivatives Segment, Cash Segment or for any other segment of the Exchange);

Monitoring of Payments

- (xv) to monitor payment obligations of members of the Exchange and Clearing Members (for the Derivatives Segment and/or Cash Segment and/or any other segment of the Exchange);

Surveillance

- (xvi) the surveillance, supervision and inspection of the members of the Exchange Clearing Members and of the clearance and settlement system and all matters related thereto;

Security Management

- (xvii) to manage all security, margins and collateral;

Suspensions

- (xviii) to suspend Clearing Memberships in the Derivatives Segment, the Cash Segment and any other segment of the Exchange for default in meeting obligations;

Fees

- (xix) to levy charges on members for usage of facilities;

Disciplinary Action Committee

- (xx) to recommend to the Disciplinary Action Committee of the Cash Segment, Derivatives Segment and/or any other segment of the Exchange disciplinary action for defaults, price rigging, market manipulations, front running or any other improper, unethical, unfair or fraudulent practice;

Compliance and Monitoring

- (xxi) to monitor net worth criteria, compliance and composition, security deposit criteria, compliance and composition and the financial condition of members of the Exchange, Trading Members and Clearing Members;

Margin Collection

- (xxii) to levy, monitor, decide, arrange for collection of and collect margins of all types;

Clearing Session

- (xxiii) to fix and hold special clearing sessions;

Settlement Schedules

- (xxiv) to fix normal settlement schedules;

Annulment of Trades

- (xxv) to recommend to the Governing Council or the Governing Board annulment of trades/contracts in any segment;

General Control

- (xxvi) to decide and from time to time adopt resolutions, issue orders, notices and directions in respect of matters relating to the Clearing House not provided for in these Rules, Bye-laws and Regulations;

Review

- (xxvii) to review, reconsider, modify or rescind any resolutions, orders, notices, directions and decisions relating to the Clearing House;

General Power

- (xxviii) generally to supervise and direct all matters affecting the Clearing House.

Limitation of Powers

- 282 Notwithstanding anything stated elsewhere in these Rules, Bye-laws and Regulations, the Clearing Council shall not have any powers in respect of the properties, finances or funds of the Exchange (whether or not relating to the Clearing House) and shall not be entitled to incur any financial liability or obligation (whether contractual or otherwise and whether contingent or otherwise) on behalf of the Exchange or do any act or deed which may affect the Exchange's finances, funds or properties, save and except as may be expressly delegated by the Governing Board to the Clearing Council.

Suspension of Rules, Bye-laws and Regulations

- 283 The Clearing Council may by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any of the Rules, Bye-laws or Regulations of the Exchange (other than Rule 283 or this Rule) in regard to any person or persons; security or securities or matter or matters relating to the Clearing House or to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision and inspection.

Provided that the Clearing Council shall not waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any Rules, Bye-laws or Regulations continuously for a period exceeding three days except with the approval of SEBI:

Finality of Clearing Council Resolutions

- 284** Any resolution passed by the Clearing Council under the powers or authority conferred upon it by the provisions of any of these Rules or Bye-laws relating to the Clearing House shall not be added to, altered, varied or rescinded by the members of the Exchange or the Trading Members in general meeting and all such resolutions shall when they come into force be deemed valid and binding upon all members, Trading Members and Clearing Members, their directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons, employees, Clients/Constituents and all those dealing with or through them.

Decision of Clearing Council Final

- 285** Notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, in all matters relating to the Clearing House or clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto which are brought under the consideration of the Clearing Council, its decision whether expressed by a resolution or otherwise shall be final and must be carried out forthwith by every member of the Exchange, Trading Member and Clearing Member concerned and by his directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons, employees, Clients/Constituents and all those dealing with or through them.

Delegation of Powers

- (a) The Clearing Council may subject to such conditions as it may think fit delegate such of its powers as it may from time to time determine to the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or to committees appointed out of members of the Clearing Council or any other person(s) and may likewise delegate the performance of such ministerial and administrative duties as it may deem expedient to the Chief Executive Officer or to the Chairman or to committees composed of members of the Clearing Council and/or to any officer of the Clearing House and/or any other person(s). Provided, that Trading/Clearing Members shall not be eligible to be appointed to any committee.

Review

- (b) A person affected by a decision of the Chief Executive Officer or the Chairman or a Committee or an Officer of the Clearing House or any other persons acting under powers delegated by the Clearing Council as provided in sub-clause (a) may require a review by the Clearing Council within seven days after the decision has been rendered.

Delegation of Powers in Emergency

- 286** Whenever the Clearing Council in its discretion is of the opinion that an emergency exists it may by a special resolution delegate all of its powers for such period as it may determine to the Chief Executive Officer of the Clearing House or to the Chairman of the Clearing House or to a special committee appointed out of the members of the Clearing Council from whose decision there shall be no appeal.

Indemnity to the Exchange and Clearing Council

- 287 The Clearing House and the Clearing Council and its members shall in no way either collectively or individually be held liable by any person for any act or omission on its part or on the part of any employee of the Clearing House done or omitted to be done in good faith in the due discharge of duties and in the execution or purported execution of their duties or of any powers, authorities or discretion vested in them including all liabilities, costs, losses or expenses consequent on any mistake, oversight or omission on their part and they shall be fully indemnified by the Exchange out of its funds for anything so done or omitted to be done.

Meetings of the Clearing Council

- 288 The Clearing Council may meet for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it deems fit.

Ordinary Meetings

- 289 Ordinary meetings of the Clearing Council may be called by the Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing House as directed by the Clearing Council at any time.

Chief Executive Officer or Chairman May Call Special Meeting

- 290 (a) The Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing House may at any time call a special meeting of the Clearing Council.

Special Meeting on Requisition

- (b) The Chief Executive Officer shall call a special meeting of the Clearing Council within twenty-four hours of the receipt of a requisition to that effect signed by two or more members of the Clearing Council failing which any two of the signatories may call such meeting.

Urgent and Emergency Meetings

- 291 In case of urgency a special meeting may be called at less than twenty-four hours' notice and in case of an emergency, one hour's notice of a special meeting shall be deemed sufficient.

Notice of Special Meeting

- 292 (a) A notice calling a special meeting shall state the purpose for which it is called. In the case of an urgent or emergency meeting the notice shall state the nature of the urgency or the emergency and the business to be transacted at the meeting and no other business shall be transacted at such meeting.

Business When Not to be Stated

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) when the Chief Executive Officer or the Chairman is of the opinion that the matter is confidential or of a nature not advisable to disclose he may direct that the notice calling a special meeting shall not state the business and/or the urgency or emergency of the special meeting.

Quorum

- 293 (a) Unless otherwise specially provided the quorum of the Clearing Council shall be two members of the Clearing Council.

Interested Member Not to be Included in Quorum

- (b) An interested member of the Clearing Council shall not be included when counting the quorum prescribed under these Rules and Bye-laws for dealing with the question in which the member is interested.

Chairman to Preside

- 294 The Chairman of the Clearing House or in his absence the Chief Executive Officer of the Clearing House shall preside at all meetings of the Clearing Council. If there be no Chairman or Chief Executive Officer or if at any meeting the Chairman or Chief Executive Officer be not present within fifteen minutes of the time appointed for such meeting the members of the Clearing Council present shall choose a member of the Clearing Council as chairman of the meeting.

Chairman to have Casting Vote

- 295 In case of an equality of votes at a meeting of the Clearing Council the chairman of the meeting shall have a casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a member.

Voting

- 296 A member of the Clearing Council shall be entitled to take part in the proceedings but it shall not be competent for him to vote -

Personal Interest

- (i) on any question in which he is personally interested, the chairman of the meeting being the final judge whether he is so interested or not; or

Member of Committee

- (ii) on the final decision in respect of any inquiry or dispute on which a decision has been given by a committee of which he has been a member except that no member of the Clearing Council shall be so disqualified by reason of his being or having been a member of a committee which has made prior examination or investigation of the subject under consideration for the purpose of submitting a report; or

Absence During Hearings

- (iii) on the decision in respect of any inquiry or dispute unless he has been present at every meeting of the Clearing Council at which there has been a hearing of the inquiry or dispute.

Majority

- 297 Any question before the Clearing Council shall be decided by a majority of the votes cast at a meeting of the Clearing Council unless a specified majority is required by any Rule or Bye-law for the time being in force. Any fraction that appears when determining the required majority shall be rounded off as one.

Special Resolution

- 298 The quorum for a special resolution shall be three members of the Clearing Council present at a meeting of the Clearing Council. Such special resolution shall be passed by a majority of at least two-thirds of the votes cast at the meeting. Any fraction contained in such two-thirds shall be rounded off as one.

Ordinary Resolution by Circular

- 299 An ordinary resolution in writing, approved by not less than two-thirds of the total number of members of the Clearing Council present in Mumbai shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Clearing Council duly called and constituted. Any fraction contained in such two-thirds shall be rounded off as one.

Adjourned Meeting

- 300 Any meeting of the Clearing Council may be adjourned from time to time and it shall be no objection to any resolution passed or any decision arrived at such meeting that all or any of the members of the Clearing Council present were not present at the former meeting or meetings or that any of those present at any former meeting or meetings were not present at any adjourned meeting or meetings.

Proceedings

- 301 The Clearing Council shall, unless otherwise provided, regulate and determine the manner and form in which its proceedings shall be conducted. Except as otherwise specially provided in these Rules it may with permission of the Chairman consider and take action upon any matter at any ordinary or special meeting even though such matter has not been referred to in the notice of such meeting.

Members and Others to Appear Before Meetings if Required

- 302 Members, Trading Members, Clearing Members, their directors, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Authorised Persons, Approved Users, representatives, officers and employees shall appear before such meetings of the Clearing Council or of any committee appointed by it as they may be directed to attend and they shall give all such information and produce all such records as may be in their possession relative to any matter before the Clearing Council or such committee.

Minutes

- 303 Minutes of the proceedings of the Clearing Council shall be maintained under the authority of the Secretary of the Exchange. Such minutes shall be deemed confidential and shall not be available for inspection by Trading Members, Clearing Members or any members of the Exchange.

Correspondence

- 304 All communications to the Clearing House or the Clearing Council or any committee appointed by the Clearing Council or to any official of the Clearing House shall be made in writing and shall be signed and no action need be taken on any anonymous communications.

Chairman to Preside

- 305 The Chairman of the Clearing House shall preside at any meeting of the Clearing Council or any standing or other committee which he may attend and he shall have in case of an equality of votes a casting vote in addition to the vote to which he may be entitled as a member.

Representatives of the Clearing House

- 306 (a) The Chief Executive Officer and/or the Chairman of the Clearing House shall represent the Clearing House officially in all public matters.

Ex-Officio Members of Committees

- (b) The Chief Executive Officer and the Chairman of the Clearing House shall be ex-officio members of any committee appointed by the Clearing Council.

Special Power

- 307 (a) The Chief Executive Officer and the Chairman and in the absence of the one, the other shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Clearing Council whenever they or he be of the opinion that immediate action is necessary subject to such action being confirmed by the Clearing Council within twenty-four hours.

Absence or Inability to Act

- (b) In the absence of the Chief Executive Officer or in the event of his inability to act, his functions and powers shall be exercised under the directions of the Clearing Council by a senior available officer of the Clearing House appointed by the Clearing Council in this behalf.

APPENDIX A
Admission Application Form
(Rule 22)

The Secretary,
 The Stock Exchange,
 Bombay.

Sir,

Please acquaint the Governing Board that I am desirous of being admitted as a member of the Exchange upon the terms of and under and subject in all respects to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange which now are or hereafter may be for the time being in force.

I have read the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

I solemnly declare -

- (i) that I am a citizen of India;
- (ii) that I am not engaged as principal or employee in any business other than that of securities except as a broker or agent not involving any personal financial liability, nor if admitted as a member of the Exchange shall I so engage myself except with the permission of the Governing Board;
- ¹ (iii) that I am not nor if admitted as a member of the Exchange shall I during the time I remain a member be associated with or a member of or subscriber to or a shareholder or debentureholder in or connected through a partner or employee with or an agent or authorised representative or employee with or an agent or authorised representative or employee of a member of or a member or director of or debentureholder in a company which is a member of or debentureholder in any other organisation, institution, association, company or corporation where forward business of any kind whether in goods or commodities or otherwise is carried on;
- (iv) ² { that I am associated with/engaged in } but undertake to sever my said connection immediately on election.

Full Name :
 Age :
 Address :
 Occupation :
 Reasons for giving up the present business :

Yours faithfully,

Date : _____

(Signature of Candidate)

We recommend _____ as a fit and proper person to be admitted as a member of the Exchange.

Signature of two members

{ _____
 { _____
 { _____

¹ Added by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58.

² Renumbered and substituted by Governing Board Resolution dated 09.09.58 and approved by Govt. on 30.09.58

1 Appendix A-I

Admission Application Form
(Rule 22A)

The Secretary,
The Stock Exchange,
Mumbai.

Sir,

Please acquaint the Governing Board that we are desirous of being admitted as a member of the Exchange upon the terms of and under subject in all respects to the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange which now are or hereafter may be for the time being in force.

We have read the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

*A. For a company referred under Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

We solemnly declare

- (i) that the company is formed in compliance with the provisions of Section 322 of the Companies Act, 1956;
- (ii) that a majority of directors of the company are shareholders of the company and also members of the Exchange; and
- (iii) that the directors of the company who are members of the exchange have unlimited liability in the company.

*B. For a company referred under Proviso to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

We solemnly declare

- (i) that the company is as specified under proviso to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.
- (ii) that the company has obtained a recommendation from the Central Government as required under Proviso to Rule 8(4) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 read with proviso to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange as amended upto date.

We send herewith following documents and undertake to furnish such additional information and documents as may be required :



- I Certified copies of
- (a) Memorandum and Articles of Association.
 - (b) Prospectus.
 - (c) Statement in lieu of Prospectus.
 - (d) Directors' Report, Auditor's Report and Annual Accounts for the last five years.
 - (e) The short history of the company and its activities.
 - (f) The capital structure of the company.
 - (g) The Board resolution authorising the directors to apply for membership.
 - (h) The shareholding pattern of the company in respect of each class of security.

*A. For a company referred under to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

- II Certificate from the Auditors of the company certifying that the company is eligible to be elected as a member of the Exchange and that in the case of a private limited company, the directors of the company who are members of the Exchange hold at least 51 percent of the issued capital of the company and in the case of a public limited company the directors of the company who are members of the Exchange and their associates hold at least 40 percent of the issued capital of the company.

We hereby declare

- (i) that the issued, subscribed and paid up capital of the company is not less than Rs. 5,00,000 per each director who is a member of the Exchange.
- (ii) that I/We am/are associated with _____ as a sole proprietor/ partner/director of a company which is a member of the Exchange / holding office or place of profit as a director but undertake to sever connection immediately on election of the company.
- (iii) that the company shall carry on business only as a corporate member of the Exchange and shall not, during such continuance as a member, do or engage in any other business which is not conducive to the business of share and stockbroking and allied financial services.

*B. For a company referred under Proviso to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

- II Certificate from the Auditors of the company certifying that the company as specified under Proviso to Rule 19A(a) is eligible to be elected as a member of the Exchange.

We hereby declare

- (i) that I/We am/are associated with _____ as a sole proprietor/ partner/director of a company which is a member of the Exchange / holding office or place of profit as a director but undertake to sever connection immediately on election of the company.

- (ii) that the company shall carry on business only as a corporate member of the Exchange and shall not, during such continuance as a member, do or engage in any other business which is not conducive to the business of share and stockbroking and allied financial services.

Name of the Company _____ :

Registered Office _____ :

Names of Directors who are members of
the Exchange/ Directors of a company
referred
under proviso to Rule 19 A(a) _____ :

Yours faithfully,

For _____

Director

Date: _____

Director

(* Strike out whichever is not applicable) _____

AUDITOR'S CERTIFICATE

- A. For a company referred under Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

We certify that _____ private limited/limited is eligible to be elected as a member of the Exchange in terms of Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Stock Exchange, Mumbai.

- * We further certify that the directors of the company who are members of the Exchange hold at least 51 percent of the issued, subscribed and paid up capital of the company.
- * We further certify that the directors of the company who are members of the Exchange and their associates hold at least 40 percent of the issued capital of the company.

** Strike out whichever is not applicable

- B. For a company referred under Proviso to Rule 19 A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Exchange.

We certify that _____ private limited/limited is eligible to be elected as a member of the Exchange in terms of Proviso to Rule 19A(a) of the Rules, Bye-laws & Regulations of the Stock Exchange, Mumbai.

Date _____

Seal _____

Place _____

Membership No. _____

1 Appendix A-II**Admission Application Form
(Rule 22B)**

The Secretary,
The Stock Exchange,
Mumbai.

Sir,

Please acquaint the Governing Board that we are desirous of being admitted as a member of the Exchange upon the terms of and under subject in all respects to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange which now are or hereafter may be for the time being in force.

We have read the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

We solemnly declare :

- (i) that the company is formed in compliance with the provisions of section 12 of the Companies Act, 1956;
- (ii) that the directors of the company are not disqualified for being members of a stock exchange under clause(1) [except sub-clause(b) and sub-clause(f)] or clause (3) [except sub-clause(a) and sub-clause(f)] of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957, and the directors of the company had not held the offices of directors in any company which had been a member of the stock exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange : and
- (iii) that at least two directors of the company possess a minimum two years experience in dealing in securities or as portfolio managers or as investment consultants.

We send herewith the following documents and undertake to furnish such additional information and documents as may be required :

I. Copies of the following documents certified by a chartered accountant :

- (a) The Memorandum and Articles of Association
- (b) The Prospectus / Statement in lieu of Prospectus
- (c) The Directors' Report, the Auditors' Report and Annual Accounts for the last five years
- (d) The Short history of the Company and its activities
- (e) The Capital structure of the company
- (f) The Board Resolution authorising the directors to apply for membership of the Exchange
- (g) The Shareholding pattern of the company in respect of each class of security.

- II. A Certificate from the Auditors of the Company certifying that the company is eligible to be elected as a member of the Exchange as per the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange as amended upto date.

We hereby declare

- (i) that the issued, subscribed and paid up capital of the company is not less than Rs. 30,00,000/-.
- (ii) that I/we am/are associated with as a sole proprietor / partner/director of company which is a member of the Exchange/holding office or place of profit as a director but undertake to sever connection immediately on election of the company (if applicable).
- (iii) that the company shall carry on business only as corporate member of the Exchange and shall not, during such continuance as a member, do or engage in any other business which is not conducive to the business of share and stockbroking and allied financial services.
- (iv) that the company shall at all times maintain a net worth i.e. the aggregate of the paid up capital plus free reserves, which shall conform to the capital adequacy norms as specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

Name of the Company :

Registered Office :

Names of directors :

Yours faithfully,

Date : _____

Director

Director

Auditors' Certificate

We certify that _____ Private Limited/Limited is eligible to be elected as a member of the Exchange in terms of Rule 19A(b) of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Stock Exchange, Bombay.

We further certify that the directors of the company are not disqualified for being members of a stock exchange under clause(1) [except sub-clause(b) and sub-clause(f)] or clause (3) [except sub-clause(a) and sub-clause(f)] of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957, and the directors of the company had not held the offices of directors in any company which had been a member of the stock exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange.

Date : _____

Seal: _____

Place : _____

Membership Number : _____

¹ANNEXURE - I

(To be filled in by each of the directors referred to
in Rule 19A(b)(v) of the Rules of the Exchange
i.e. by each of the designated directors)

1. Full Name (Surname first, if applicable) :
2. Father's/Husband's Name :
3. Date of Birth :
4. Whether a citizen of India ? :
5. Educational Qualifications :
(attach certified copies)

Name of the College/ University/institution	Degree/Diploma	Grade	Year

6. Details of experience in the Capital market activities (use additional sheets if required) :
7. Are you carrying on business of dealing in shares & securities either in your name or in the name of any other person? If so, give particulars. :
8. Are you carrying on business as a stockbroker or as a sub-broker or as an investment consultant or in any other similar capacity? If so, give particulars. :
9. Are you engaged as a principal or as an employee or otherwise in any business other than that of dealing in shares & securities or stock brokerage? If so give particulars. :
10. Are you aware that on election of your company to the membership of the Exchange you will have to stop forthwith any business of the above mentioned type? :

11. Indicate :-



Inserted by Governing Board Resolution dated 30.09.96 and approved by SEBI on 19.05.97.

- i) Your PAN allotted by the
Income-Tax Department :
- ii) Details of Income Tax Assessment
for the last three assessment years
(attach copies of the assessment
orders) and any other claim, order,
notices served by the Income-Tax
Department. :
- iii) Details of Wealth Tax Assessments
for the last three assessment years
(attach copies of the assessment
orders) and any other claim, order,
notices served by the Income-Tax
Department. :
12. Give details of your bank/s.
(attach reference from at least one
banker) :
13. Do you have any objection to a
reference being made to your
bank/s? :
14. State any other circumstance which
in your opinion should be disclosed
to the Exchange :
15. Have you been involved in any civil
or criminal litigation, suit or
proceeding?
If so, give particulars :
16. Have you been involved in any
financial liability or contingent or
unascertained nature?
If so, give particulars :
17. Have you, at any time, been convicted
of an offence involving fraud or
dishonesty? If so, give particulars :
18. Have you at any time been
a) rejected by any Stock Exchange
for membership? :
b) suspended or Expelled by a Stock
Exchange from membership? :
c) declared a defaulter by a Stock
Exchange?
If so, give particulars. :
19. Have you at any time been
a) rejected by any commodity or
similar Exchange or commercial
organisation for membership? :
b) expelled by any such Exchange or :

commercial organisation from
membership?

c) declared a defaulter by any such
Exchange or commercial
organisation
If so, give particulars.

20. Have you at any time been adjudged
bankrupt or has a receiving order in
bankruptcy made against you or
have you been proved to be
insolvent?
If so, give particulars.

21. Have you at any time compounded
with your creditors?
If so, give particulars

22. Have you any liabilities which are
overdue?

23. Have you read the Rules, Bye-laws
& Regulations of the Exchange?

24. Are you aware that any misstatement
or misrepresentation or suppression of
of facts by you in connection with the
application for membership by your
company or any breach by you of any
undertaking or condition of admission
to the membership may entail non
consideration expulsion of your
company's application from
membership?

I _____ being a wholtime director of 'the
_____ applying for membership of the Stock Exchange, Mumbai, do
hereby solemnly declare and affirm that what is stated above is true to the best of my knowledge.

Dated this _____ day of _____ 20 .

(Director)

¹ ANNEXURE - II

(To be filled in and signed on behalf of the applicant company by the designated directors. In respect of companies under formation such particulars as are applicable may be filled in)

1. Name of the Applicant Company and its registered address :
2. Year of incorporation :
3. Infrastructure details (give explanatory details about the following aspects. Use additional sheets if required) :
 - a) Office Premises :
 - b) Computers :
 - c) Telephone/Telex/Fax :
 - d) Employees :
 - e) Affiliates and Associates including foreign collaborations :
 - f) Any other aspect considered relevant :
4. Give details of your bank/s (attach reference from at least one banker) :
5. Do you have any objection to a reference being made to your bank/s :
6. Present activities (use additional sheets if required) :
7. Are you carrying on business as a stock broker or as a sub-broker or as an investment consultant or in any other similar capacity ? If so, give particulars. :
8. Are you engaged in any business other than that of dealing in shares & securities or stock brokerage ? If so, give particulars. :
9. Are you aware that on election of your company to the membership of the Exchange you will have to stop forthwith any business of the above mentioned type ? :
10. Indicate :-
 - i) Your PAN allotted by the Income-Tax Department. :



- ii) Details of Income Tax Assessments for the last three assessment years (attach copies of assessment orders) and any other claim, order, notices served by the Income-Tax Department.
- iii) Details of Wealth Tax Assessments for the last three assessment years (attach copies of the assessment orders) and any other claim, order, notices served by the Income-Tax Department.
11. Types of client you expect to service
12. Have you at any time compounded with your creditors ?
If so, give particulars
13. Have you been involved in any civil or criminal litigation, suit or proceeding?
If so, give particulars
14. Have you been involved in any financial liability of contingent or unascertained nature ? If so, give particulars
15. Have you, at any time, been convicted of an offence involving fraud or dishonesty ?
If so, give particulars
16. Have you at any time been
- a) rejected by any Stock Exchange for membership ?
- b) suspended or expelled by a Stock Exchange for membership ?
- c) declared a defaulter by a Stock Exchange for membership ? If so, give particulars
17. Have you at any time been
- a) rejected by any commodity or similar Exchange or commercial organisation for membership ?
- b) expelled by any such Exchange or commercial organisation from membership ?
- c) declared a defaulter by any such Exchange or commercial organisation ?
If so, give particulars
18. Please state any other circumstances arising from your application for membership which should be disclosed to the Exchange.
19. Are you aware that any misstatement or misrepresentation or suppression of facts by

you in connection with the application for membership by your company or any breach by you of any undertaking or condition of admission to the membership may entail non consideration/Expulsion of your company's application from membership?

20. Please give names, addresses, occupations and backgrounds of all your directors.

21. Please give names and addresses of share holders holding more than 10% of the paid up shares capital of the applicant company. If the shareholders are companies then furnish details of shareholders indicated hereinbefore.

22. We, the applicant company hereby undertake to comply with such financial requirements and norms as may be specified by Securities and Exchange Board of India & the Stock Exchange for registration of such companies under section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act (15 of 1992).

23. We, the applicant company are agreeable to the selection & admission procedure contained in the Note accompanying the Application Form for Corporate Membership

We, directors of _____ applying for membership of Stock Exchange, Mumbai, do hereby solemnly declare and affirm that what is stated above is true to our own knowledge.

Dated this _____ day of _____ 20 .

(Director)

(Director)

APPENDIX B

Nomination Form No. 1

(Rule 13)

The Secretary,
The Stock Exchange,
Bombay.

Sir,

I, _____ a member of The Stock Exchange, hereby
nominate _____ as my successor and hereby tender the resignation of my
membership in his favour.

Dated this

day of

20

Yours faithfully,

(Witness)

(Signature of Nominator)

(Witness)

(Signature of Nominee)

Nomination Form No. 2

(Rule 13)

The Secretary,
The Stock Exchange,
Bombay.

Sir,

Near relative

We, the undersigned _____ of _____ deceased, until _____
legal representative

a member of The Stock Exchange, hereby nominate _____ as his successor.

Dated this

day of

20

Yours faithfully,

(Witness)

(Signature of Nominator)

(Witness)

(Signature of Nominee)

APPENDIX C**Instructions for the Guidance of the Governing Board
admitting Successor to Deceased Member****(Rule 11(b))**

In dealing with any application under Rule 11(b) the Governing Board shall so far as practicable be guided by the following instruction:

- (i) if there be a widow and sons preference shall be given to any person recommended by the widow and all the sons who are of age and the guardian of the minor sons (if any) if such person is otherwise qualified to be admitted as a member;
- (ii) if there be no widow preference shall be given to any person who is recommended by all the sons who are of age and the guardian of minor sons (if any) if such person is otherwise qualified to be admitted as a member;
- (iii) if there be a widow but no sons who are of age preference shall be given to any person recommended by the widow if such person is otherwise qualified to be admitted as a member;
- (iv) if there be no widow or sons preference shall be given to any person who is recommended by the daughters if such person is otherwise qualified to be admitted as a member;
- (v) if there be no widow, sons or daughters preference shall be given to any person recommended by the parents if such person is otherwise qualified to be admitted as a member;
- (vi) in any other event the Governing Board shall subject to the Rules of the Exchange relating to the qualifications of candidates have absolute discretion to make the nomination in favour of any person it may think fit.

APPENDIX D**Form of Letter Intimating Election
(Rule 31)**

The Stock Exchange
Bombay

Date

To,

Sir,

I am directed to inform you that you are elected a member of The Stock Exchange under the terms of and subject in all respects to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange which now are and hereafter may be in force. Upon your paying the Admission Fee* of Rs. _____, the Entrance Fee* of Rs. _____ and annual subscription of Rs. _____ as well as depositing security of Rs. _____ within one month of the receipt of this intimation, a further intimation will be sent to you giving the date from which you may exercise the rights and privileges of membership.

Yours faithfully,

Secretary

* Strike out if not applicable

APPENDIX E**Certificate of Admission
(Rule 35(a))**

The Stock Exchange,
Bombay.

Date

To,

Sir,

This is to certify that _____ has this day been admitted as a member of The Stock Exchange according to the Rules of the Exchange and that he is from this day entitled to exercise all the rights and privileges and is subject to all the liabilities of such membership and that he is and will be hereafter bound by the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange which now are or may hereafter be for the time being in force.

As witness our hand and seal this _____ day of _____ two thousand _____.

President

Secretary

APPENDIX F
Member's Security Declaration Form No. 1
(Rule 46)

The Governing Board,
The Stock Exchange,
Bombay.

Gentlemen,

Having been admitted as a member of the Stock Exchange and having handed to you in terms of the Rules thereof to be deposited in _____ (Name of Bank) in the name of the Exchange the sum of Rs. 20,000 and/or having transferred to the names of the Trustees of the Exchange and/or (Name of Bank) the securities mentioned below, I hereby declare and agree that the said Security and any cash, stock, shares or other securities that may be added to or substituted for the said Security by arrangement with you are subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange or to the Clearing House by me/us or by the partnership of which I may be a partner and for any sum due to any member of the Exchange for the due fulfillment of my engagements, obligations and liabilities or of the partnership of which I may be a member arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof. I hereby further declare and agree that the said Security and any cash, stock, shares or other securities that may be added to or substituted for the said Security by arrangement with you are to be held for you and on your account by the said Security by arrangement with you are to be held for you and on your account by the said Trustees and/or Bank(s) at your absolute discretion without any right whatever on the part of myself or those in my right to call in question the exercise of such discretion on any ground whatever so that you may at your absolute discretion as aforesaid apply and pay the same or the proceeds thereof (in case you shall as you shall be fully entitled to do sell the same) or cause the same to be applied and paid to or for behalf of the Exchange or the Clearing House to whom I or any partnership of which I may be a partner may be indebted or to or for behalf of any member of the Exchange to whom I or any partnership of which I may be a partner may be indebted under a claim or claims arising from any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange during the continuance of my membership of the Exchange. If on the completion of all bargains, dealings, transactions and contracts entered into before the termination of my membership or on my ceasing to do business on the Exchange the said Security or proceeds thereof shall not have been required for payment of my or my said partnership liabilities as above provided the same or any balance thereof then remaining will be returned to me and a receipt signed by me that whatever cash, stock, shares or other securities or balance thereof is/are so returned to me is/are all to which I am entitled in terms hereof shall be final and conclusive and bar inquiry of any kind at the instance of myself or any one in my right in respect thereof.

Yours faithfully,

(Signature of member depositing the Security)

Securities above referred to:

APPENDIX F (Contd.)
Partner's Security Declaration Form No. 2
(Rule 180(e))

The Governing Board,
The Stock Exchange, Bombay.

Gentlemen,

_____ having been admitted as a partner in the partnership firm of under the Rules of The Stock Exchange and having handed to you in terms of the said Rules to be deposited in (Name of Bank) in the name of the Exchange the sum of Rs. _____ and/or having transferred to the names of the Trustees of the Exchange and/or (Name of the Bank) the securities mentioned below, I hereby declare and agree that the said Security and any cash, stock, shares or other securities that may be added to or substituted for the said Security by arrangement with you are subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange or to the Clearing House by the said partnership firm and for any sum due to any member of the Exchange for the due fulfillment of the engagements, obligations and liabilities of the said partnership firm arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof. I hereby further declare and agree that the said Security and any cash, stock, shares or other securities that may be added or substituted for the said Security by arrangement with you are to be held for you and on your account by the said Trustees and/or Bank(s) at your absolute discretion without any right whatever on the part of myself or those in my right to call in question the exercise of such discretion on any ground whatever so that you may at your absolute discretion as aforesaid apply and pay the same or the proceeds thereof (in case you shall as you be fully entitled to do sell the same) or cause the same to be applied and paid to or for behalf of the Exchange or the Clearing House or to or for behalf of any members of the Exchange to whom the said partnership firm may be indebted under a claim or claims arising from any bargains, dealings, transactions and contracts made subject to the Rules,

Bye-laws and Regulations of the Exchange during the continuance of the said partnership. If on the completion of all bargains, dealings, transactions and contracts entered into before the termination of the said partnership the said Security or proceeds thereof shall not have been required for payment of the said partnership liabilities as above provided the same or any balance thereof then remaining will be returned to me and a receipt signed by me that whatever cash, stock, shares or other securities or balance thereof is/are so returned to me is/are all to which I am entitled in terms hereof shall be final and conclusive and bar inquiry of any kind at the instance of myself or any one in my right in respect thereof.

Yours faithfully,

(Signature of member or partner depositing the Security)

Securities above referred to:

APPENDIX F (Contd.)
Remisier's Security Declaration Form No. 3
(Rule 235(e))

The Governing Board,
The Stock Exchange,
Bombay.

Gentlemen,

Having been registered as a remisier to a member of The Stock Exchange (hereinafter referred as the "employing member") and having handed to you in terms of the Rules, thereof to be deposited in (Name of Bank) in the name of the Exchange the sum of Rs. _____ and/or having transferred to the names of the Trustees of the Exchange and/or (Name of Bank) the securities mentioned below, I hereby declare and agree that the said Security and any cash, stock, shares or other securities that may be added to or substituted for the said Security by arrangement with you are to be held for you and on your account by the said Trustees and or Bank(s) at your absolute discretion without any right whatever on the part of myself or those in my right to call in question without any right whatever on the part of myself or those in my right to call in question the exercise of such discretion as aforesaid apply and pay the same that you may at your absolute discretion as aforesaid apply and pay the same or the proceeds thereof (in case you shall be fully entitled to do sell the same) or cause the same to be applied and paid to or for behalf of the said employing member to whom I may be indebted as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or under any claim or claims arising from any bargains, dealings, transactions and contracts for or with me or at my instance or with or on behalf of my constituents made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange during the time I continue my registration as a remisier to the said employing member. If on the completion of all bargains, dealings, transactions and contracts entered into before the termination of my registration the said Security or proceeds thereof shall not have been required for payment of my liabilities as above provided the same or any balance thereof then remaining will be returned to me and a receipt signed by me that whatever cash, stock, shares or other securities or balance thereof shall be final and conclusive and bar inquiry of any kind at the instance of myself or any one in my right in respect thereof.

Yours faithfully,

(Signature of Remisier depositing the Security)

Securities above referred to:

APPENDIX F (Contd.)

¹¹Nomination Form No. 4

(Rule 44, 180(d) and 235(d))

From:

To,

The Governing Board,
The Stock Exchange,
Bombay.

Gentlemen,

With reference to the Security deposited by me with the Exchange under and held subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange I hereby nominate as provided in the said Rules, Bye-laws and Regulations

_____ (Name)

of _____ (Full Address)

and failing him _____ (Name)

of _____ (Full Address)

and failing him _____ (Name)

of _____ (Full Address)

as my nominee or nominees (in the absence of any notice of revocation by me with the Exchange prior to my death) to receive from you at my death the said Security and all additions and accretions thereto or any other security that may be substituted by me for the same and all additions and accretions thereto or the balance thereof as shall remain returnable to me in terms of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange then in force.

And I declare that the receipt of such nominee or nominees for such Security or the balance thereof as the case may be shall be final and conclusive and bar inquiry of any kind at the instance of any one in my right in respect thereof and shall be a full complete and sufficient discharge to the Exchange and/or to you in respect of all claims of my estate or anybody claiming through from or under me in to and upon the same.

And I further declare that I retain the right to cancel any or all of the aforesaid nominations made by me and to make any fresh nomination in addition thereto or

substituted thereof whenever I think fit and that in event of any of the aforesaid nominees predeceasing me the said nomination shall forthwith stand cancelled.

Dated this _____ day of _____ 20

(Signature of Party depositing the Security)



Presented by Governing Board Resolution dated 09.09.56 and approved by Govt. on 30.09.58.

1. Witness :

Address :

2. Witness :

Address :

Note :

1. One of the witness should be a J. P. Magistrate, Notary Public or similar other authority. The other witness should be a member of the Exchange or failing him a person holding a public position.

2. In case of a nomination in favour of a minor the name and address of the person to whom the Security is to be returned on behalf of such minor must be stated.

3. If a person depositing the Security wishes to revoke this nomination or make any other nomination in substitution of this nomination he must lodge, with the Exchange prior to his death, a notice of revocation in the following form duly signed by him and attested by two witnesses as stated in Note No. 1 above.

With reference to the Security deposited by me with the Exchange under and held subject to the Rules, Bye - Laws and Regulations of the Exchange I hereby revoke the nomination made by me appointing _____ as my nominee(s) to receive from you at my death the said Security.

Dated this

day of

20

(Signature of Party depositing the Security)

APPENDIX G

Partnership Form

(Rule 190(a))

Address:

Date:

The Secretary,
The Stock Exchange,
Bombay.

Please acquaint the Governing Board that we the undersigned desire to do Stock Exchange business in partnership under the name and style of.

In the event of our application being approved by the Governing Board we shall work in partnership from the ____ day of 20 ____ and we each and all of us undertake to hold ourselves jointly and severally responsible in respect of all acts and dealings of the firm entered into by any one of us in that name.

Yours faithfully,

Full Names of Partners

1. _____	(Signature) _____
2. _____	(") _____
3. _____	(") _____
4. _____	(") _____

APPENDIX H**Code of Ethics for Directors and Functionaries
[Rule 170 (aa)]****Objectives and Underlying Principles**

The Code of Ethics for Directors and Functionaries of the Exchange seeks to establish a minimum level of business / professional ethics to be followed by these functionaries, towards establishing a fair and transparent marketplace. The Code of Ethics is based on the following fundamental principles:

- Fairness and transparency in dealing with matters relating to the Exchange and the investors.
- Compliance with all laws / rules / regulations laid down by regulatory agencies / the Exchange
- Exercising due diligence in the performance of duties
- Avoidance of conflict of interest between self interest of Directors / Functionaries and interests of the Exchange and investors.

While the objective of this code is to enhance the level of market integrity and investor confidence, it is emphasized that a written code of ethics may not completely guarantee adherence to high ethical standards. This can be accomplished only if directors and functionaries of the exchange commit themselves to the task of enhancing the fairness and integrity of the system in letter and spirit.

Definitions

1. **Functionaries** : Functionaries of the Exchange to whom this code shall be applicable shall be decided by the Exchange but shall include all officials of the rank of General Manager and above.
2. **Family**: Family members will include dependent spouse, dependent children and dependent parents.
3. **Securities** : Securities for the purpose of this code shall not include mutual fund units and government securities.

Ethics Committee

For overseeing implementation of this code, an Ethics Committee shall be constituted by the Exchange under the Governing Board. Not more than 40% of the members of the Ethics Committee shall be elected directors / exchange members.

1. General Standards

- i. Directors and functionaries shall endeavour to promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities.
- ii. Directors and functionaries, in the conduct of their business shall observe high standards of commercial honour and just and equitable principles of trade.
- iii. The conduct of Directors and functionaries in business life should be exemplary which will set a standard for other members of the Exchange to follow.
- iv. Directors and functionaries shall not use their position to do or get favours from the executive or administrative staff of the Exchange, suppliers of the Exchange or any listed company at the Exchange.
- v. Directors and functionaries shall not commit any act which will put the reputation of the Exchange in jeopardy.
- vi. Directors, committee members and functionaries of the Exchange should comply with all rules and regulations applicable to the securities market.

2. Prohibition on dealings in securities in proprietary account by elected office bearers of the Exchange (President / Vice President / Treasurer):

Elected offices bearers (President / Vice President / Treasurer) of the Exchange shall refrain from proprietary trades in securities, directly or indirectly, during the period of holding office.

In this connection, it is clarified that :-

- a) Elected office bearers may carry on brokerage business for clients. But shall refrain from trading in proprietary account. This would also apply in case of elected office bearers who trade under corporate entity including
 - Proprietary trading of corporate member
 - Proprietary trading of directors of corporate member.
- b) Trading in securities is inclusive of all kinds of trades. Any trading in own account will come within mischief of the circular except where a broker is acting as a market maker under SEBI circular.
- c) The code does not make any specific reference to existing investment in securities by elected office bearers. As regards further investment in securities, so far as this constitutes proprietary trading the elected offices bearers shall refrain from the same. As regards existing holding the same is allowed to be disinvested.

3. Disclosure of dealings in securities by functionaries of the Exchange :

- i. Functionaries of the exchange shall disclose on a periodic basis as determined by the Exchange (which could be monthly), all their dealings in securities, directly or indirectly, to the Governing Board / Ethics Committee / designated Compliance Officer.
- ii. The dealings in securities shall also be subject to trading restrictions for securities about which functionaries in the Exchange may have non-public price sensitive information. Requirement laid down under SEBI Insider Trading Regulations may be referred in this regard.
- iii. All transactions must be of an investment nature and not speculative in nature Towards this end, all securities purchased must be held for a minimum period of 60 days before they are sold. However, in specific / exceptional circumstances, sale can be effected anytime by obtaining pre-clearance from the Compliance Officer or any other designated authority who will be empowered to waive this condition after recording in writing his satisfaction in this regard.

4. Disclosure of dealings in securities by Directors of the Exchange :

- i. Directors (other than elected office bearers as per clause 2) of the Exchange shall disclose on a periodic basis, as determined by the Exchange (which could be monthly), their proprietary trading, directly or indirectly, to the Ethics Committee.
- ii. All Directors shall also disclose on a periodic basis as above, the trading conducted by firms / corporate entities in which they hold 20% or more beneficial interest or hold a controlling interest, to the Ethics Committee.

Directors who are Government of India nominees or nominees of Government of India statutory bodies or Financial Institutions and are governed by their own codes shall be exempt from this requirement.

5. Avoidance of Conflict of Interest

- i) No director of the Governing Board or member of any committee of the Exchange shall participate in any decision making / adjudication in respect of any person / matter in which he is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.
- ii) Whether there is any conflict of interest or not in a matter, should be decided by the Governing Board.

6. Disclosures of beneficial interest

All Directors and functionaries shall disclose to the Governing Board, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises:

- i) any fiduciary relationship of self and family members and directorship / partnership of self and family members in any broking outfit;
- ii) shareholding, in cases where the shareholding of the director, directly or through his family exceeds 5% in any listed company on the Exchange or in other entities related to the capital markets;
- iii) any other business interests.

7. Role of the President/Chairman and Directors in the day to day functioning of the Exchange

- i) The President and directors shall not interfere in the day to day functioning of the Exchange and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the Governing Board may decide.
- ii) The President and directors shall abstain from influencing the employees of the Exchange in conducting their day to day activities.
- iii) President and directors shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the Governing Board.

8. Access to Information

- i) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the Governing Board.
- ii) There shall be prescribed channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents / information shall be properly recorded.
- iii) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration / gain.
- iv) Any information relating to the business / operations of the Exchange, which may come to the knowledge of directors / functionaries during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.

9. Misuse of Position

Directors / committee members shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit (as intermediaries like brokers or in any other capacity like professional or consultant) in the organisation for themselves or family members.

10. Ethics Committee to lay down procedures and designate Compliance Officer

- i) The Ethics Committee shall lay down procedures for the implementation of the code and prescribe reporting formats for the disclosures required under the code.
- ii) The Ethics Committee may designate a senior officer of the Exchange as Compliance Officer for executing the requirements laid down by it.

APPENDIX I
(Rule 126A)

Matters that can be dealt with by the Executive Committee

- (i) Matters which are quasi - judicial in nature including matters which are required to be heard under the directions of a judicial authority.
- (ii) Matters in which the Governing Board exercises power as an Appellate Authority.
- (iii) Matters regarding annulment of transactions
- (iv) Matters regarding admission, continuance and suspension of Members.
- (v) Matters pertaining to declaration of a Member as defaulter.
- (vi) Matters dealing with the norms, procedures and other matters relating to arbitration.
- (vii) Determining from time to time the fees, deposits, margins and other monies payable to the Exchange by the members.
- (viii) any other matter referred by the Governing Board.

1 APPENDIX J**Guidelines for Fair Practices/Code of Conduct for
Public Representative and SEBI Nominee Directors
(Rule 99A)**

Public Representative/SEBI Nominee Director shall:

(A) Meetings & minutes

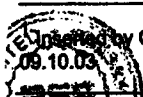
- (a) endeavour to attend all the board meetings and shall be liable to vacate his office if he remains absent for three consecutive meetings of the Governing Board/Board of Directors or does not attend 75% of the total meetings of the Board in a calendar year.
- (b) not participate in the discussion of any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting.
- (c) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances require.
- (d) meet themselves at least once in 6 months separately, if necessary, to exchange views on critical issues.
- (e) offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes.
- (f) insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting.
- (g) endeavour to have the date of next meeting fixed at each Board Meeting in consultation with other members of the Governing Board.
- (h) endeavour that in case where all the items of the agenda of a meeting were not covered for want of time, the next meeting is held within 15 days for considering the remaining items.

(B) Strategic Planning

- (a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the exchanges and contribute towards pro-active decision making at the Board level.
- (b) give benefit of his experience and expertise to the Exchange and provide assistance in strategic planning and execution of decisions when the Board is in the throes of a raging controversy.

(C) Regulatory Compliances

- (a) endeavour to ensure that the Exchange abides by all the provisions of the SEBI Act, Securities Contracts (Regulation) Act, Rules, Regulations framed thereunder and the circulars, directions issued by the Government/SEBI from time to time.
- (b) endeavour compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches.
- (c) endeavour to ensure that the Exchange takes commensurate steps to honour the time limit prescribed by SEBI for corrective action.



Approved by Governing Board Resolution dated 19.08.03 pursuant to SEBI letter dated 03.07.03 and approved by SEBI on

- (d) not support any decision in the meeting of the Governing Board which may adversely affect the interest of investors and shall report forthwith any such decision to SEBI.
- (e) endeavour that the arbitral award is given within the period stipulated in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and in any case, the award is delivered within 15 days after the final meeting.

(D) **General Responsibility**

- (a) be punctual and participate actively in the proceedings of the Meetings.
- (b) place priority for redressing Investor Grievance, encourage fair trade practice, to become engine for the right growth of the securities industry.
- (c) make use of every reasonable opportunity to enhance and improve his level of knowledge and endeavour to analyse and administer the exchange issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness.
- (d) submit the necessary disclosures/statement of holdings/dealings in securities as required by the Exchange from time to time as per their Rules or Articles of Association.
- (e) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and shall not divulge/disclose any information obtained in the discharge of their duty. Further, no such information shall be used for personal gain.
- (f) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of his duties in order to inspire public confidence and shall not engage in acts discreditable to his responsibilities.
- (g) avoid any interest or activity which is in conflict with the conduct of his official duties.
- (h) perform his duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, his independence or objectivity.
- (i) perform his duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion.
- (j) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the Exchange.

For Bombay Stock Exchange Limited

Place: Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Neena Jindal
Company Secretary

Date: 31st August, 2010

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011